खण्ड-06 सत्र -04 (भाग-02) / अंक-38

शुक्रवार 26 अगस्त, 2016 / 04 भाद्रपद, 1938 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

छठी विधान सभा

चौथा सत्र

अधिकृत विवरण

(सत्र-04 (भाग-02) में अंक 35 से अंक 38 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा

सचिव

PRASANNA KUMAR SURYADEVARA

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editting)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-4 भाग (2) शुक्रवार, 26 अगस्त, 2016/04 भाद्रपद, 1938 (शक) अंक-38

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे समवेत हुआ।

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची:

1 श्री शरद कुमार

2 श्री संजीव झा

3 श्री पंकज पुष्कर

4 श्री पवन कुमार शर्मा

5 श्री अजेश यादव

6 श्री वेद प्रकाश

7 श्री सुखवीर सिंह दलाल

8 श्री रघुविन्द्र शौकीन

9 श्रीमती बंदना कुमारी

10 श्री जितेन्द्र सिंह तोमर

11 श्री राजेश गुप्ता

12 श्री अखिलेश पति त्रिपाठी

13 श्री सोमदत्त

14 सुश्री अलका लाम्बा

15 श्री आसिम अहमद खान

16 श्री विशेष रवि

17 श्री हजारी लाल चौहान

18 श्री गिरीश सोनी

19 श्री जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन)

20 श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर)

21 श्री राजेश ऋषि
22 श्री महेन्द्र यादव
23 श्री आदेश शास्त्री
24 श्री कैलाश गहलोत
25 श्री कर्नल देवेन्द्र सहरावत
26 सूश्री भावना गौड़
27 श्री सुरेन्द्र सिंह
28 श्री विजेन्द्र गर्ग
29 श्री प्रवीण कुमार
30 श्री मदन लाल
31 श्री सोमनाथ भारती
32 श्रीमती प्रमिला टोकस
33 श्री नरेश यादव
34 श्री करतार सिंह तंवर
35 श्री प्रकाश
36 श्री दिनेश मोहनिया
37 श्री सरदार अवतार सिंह कालकाजी
38 श्री सही राम
39 श्री नारायण दत्त शर्मा
40 श्री अमानतुल्लाह खान
41 श्री राजू धिंगान
42 श्री मनोज कुमार
43 श्री नितिन त्यागी
44 श्री एस.के. बग्गा
45 श्री अनिल कुमार बाजपेयी
46 श्री राजेन्द्र पाल गौतम
47 श्रीमती सरिता सिंह
48 मो. इशराक
49 श्री श्रीदत्त शर्मा
50 चौ. फतेह सिंह
51 श्री जगदीश प्रधान

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-4 शुक्रवार, 26 अगस्त, 2016/2 भाद्रपद 1938 (शक)

सदन अपराह्न 2.00 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय **(श्री राम निवास गोयल)** *पीठासीन हुए।*

अध्यक्ष महोदय : सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद, स्वागत। प्रश्न काल श्री अखिलेश पति त्रिपाठी जी। प्रश्न संख्या 61। विजेन्द्र जी मैं बाद मे लूंगा। देखिये मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं। रोज आग्रह करना पड़ता है मुझे। मेरी प्रायरटी पहले स्टार्ड क्वैश्चन की है, उसके बाद मैं समय दूंगा जो भी नोटिस आये हैं, इसके बाद स्टार्ड क्वैश्चन के बाद। अखिलेश प्रति त्रिपाठी जी। (अनुपस्थित) पवन कुमार शर्मा जी। हां पवन जी। एक मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कपिल मिश्रा जी हमारे माननीय मंत्री सीधा हास्पिटल से अभी उठ कर आये हैं, इनका अपेंडिक्स का ओपरेशन हुआ है। वो जो भी उत्तर देगें, बैठे बैठे दे सकेंगे।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री पवन कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 62 प्रस्तुत है :

क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में महिलाओं के कल्याण के लिए सरकार और सरकार के अनुदान से चल रहे एनजीओज द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का विवरण क्या है;

(ख) क्या विभिन्न पेंशन योजनाओं में व्याप्त अनियमितताओं को दूर करने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है;

(घ) क्या यह सत्य है कि आंगनवाडी केंद्रों द्वारा बोर्डस नहीं लगाए जाते है जिसके परिणाम-स्वरूप लोगों को उनके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती; और

(ङ) क्या सरकार अनिवार्य रूप से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता और अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के नाम दर्शाते हुए बोर्ड लगाने के लिए निर्देश जारी करेगी?

समाज कल्याण मंत्री (श्री संदीप कुमार) : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

मैं सम्मानित साथी को बताना चाहता हूं प्रश्न संख्या 62 का उत्तर निम्न प्रकार से है :

(क) दिल्ली में महिलाओं के कल्याण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाएं इस प्रकार है :

संलग्नक 1. लाडली योजना

संलग्नक 2. आर्थिक सहायता योजना

संलग्नक 3. महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ

(ख) नीतिगत मानदंडों के समय-समय पर पुनर्रीक्षण एवं सुधार हेतु कदम उठाये जाते हैं।

(ग) (क) विभाग द्वारा लाभार्थियों के घर-घर जाकर निरीक्षण किया गया ताकि

विधवा/निराश्रित महिला महिला पेंशन के डेटाबेस की विसंगतियों को दूर किया जा सकें।

(ख) दोहरी पेंशन एवं अनाधिकृत मामलों की जांच हेतु कुल 1,70,590 लाभार्थियों में से 1,48,346 लाभार्थियों के आधार नंबर डाटाबेस में अंतिम किये जा चुके हैं। बाकी लाभार्थियों से भी आधार नंबर एकत्र किये जा रहे हैं, ताकि उनका भी पुनर्निरीक्षण किया जा सके।

(ग) ऊपर आयु सीमा को हटाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा जा चुका है जो कि सरकार के विचाराधीन है।

(घ) जुलाई 2016 से विधवा/निराश्रित महिला पेंशन को मासिक रूप से देना आरम्भ किया जा चुका है।

(घ) जी नहीं महोदय। परन्तु कुछ आंगनवाड़ी केन्द्रों के बोर्ड को बदलने की अथवा मरम्मत की जरूरत है।

(ङ) विभग द्वारा समय-समय पर क्षेत्र में काम कर रहे अधिकारी एवं कार्यर्त्ताओं को आंगनवाड़ी बोर्ड लगाने के लिए दिशानिर्देश जारी किये जाते रहे हैं। इस संदर्भ में पत्र संख्या F-No.76/DWCD/ICDS/minutes/2013-14/666-763 दिनांक 22/04/2014 एवं पत्र संख्या F-No.76/Minutes of the meeting / ICDS/2016-17/12947-48 दिनांक 22/07/2016 के माध्यम से परियोजना अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। इस प्रोग्राम के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर जांच की जाती रही है। धन्यवाद।

अनुलग्नक-I

दिल्ली लाडली योजना

लाडली योजना महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली में जन्मी बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु चलाई जा रही है। इस योजना को छात्राओं के स्कूल छोड़ने की दर को कम करने एवं उन्हें उच्च शिक्षा हेतु सुरक्षा प्रदान करने व बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

लाडली योजना का शुभारम्भ 01.01.2008 को दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली में जन्मी बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु किया गया। इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को नियंत्रित करने, लिंग अनुपात में सुधार और शैक्षिक एवं आर्थिक रूप से बालिकाओं को सशक्त करना है। यह योजना बालिकाओं के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने, छात्राओं के स्कूल छोड़ने की दर को कम करने और उन्हें उच्च शिक्षा हेतु सुरक्षा प्रदान कर रही है। इसका कारण, योजना की परपिक्वता का अंतिम चरण कम से कम 10वीं कक्षा या 12वीं कक्षा पास करने तथा 18 वर्ष की आयु पूर्ण करना रखा गया है।

यह योजना विभिन्न स्तरों पर बालिका के नाम पर निवेश के रूप में जमा धनराशि को परिपक्वता पर बालिका को वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान करती है। इस योजना का लाभ प्रत्येक परिवार में केवल दो जीवित बालिकाओं तक सिमित है।

इस योजना में स्टेट बैंक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (SBIL) धन प्रबंधक की भूमिका निभा रही है। बालिका के विकास में वृद्धि के साथ-साथ जमा धनराशि में भी वृद्धि होती है।

इस योजना में दिल्ली सरकार बालिकाओं के नाम पर नीचे दिये गए क्रम अनुसार सशर्त राशि निवेश करेगी, जिसे एस.बी.आई. लाइफ इंश्योरेंस के पास उसके यूनीक आई.डी. नम्बर में रखा जाएगा।

अवस्था	राशि
बच्ची का जन्म अस्पताल अथवा प्रसूति गृह में	रु. 11,000
या	
बच्ची का जन्म घर पर	रु. 10,000
कक्षा 1 में प्रवेश पर	रु. 5,000
कक्षा 6 में प्रवेश पर	रु. 5,000
कक्षा 9 में प्रवेश पर	रु. 5,000
कक्षा 10 में पास होन पर/कक्षा 11 में प्रवेश पर	रु. 5,000
कक्षा 12 में प्रवेश पर	रु. 5,000

परिपक्वता राशि

इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत बालिका कम से कम 10वीं कक्षा या 12वीं कक्षा पास करने तथा 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर योजना की परिपक्वता राशि के लिए आवेदन कर सकती है। इसके लिए बालिका को एक आवेदन पत्र के साथ SBIL से प्राप्त पावती पत्र (Acknowledgement Receipt) की प्रतिलिपि, 10वीं या 12वीं (जो भी लागू हो) की मार्कशीट की प्रतिलिपि, घर के पते का प्रमाण पत्र, दूरभाष नम्बर एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक खाते की पासबुक की प्रतिलिपि अपने

सम्बंधित जिला कार्यालय में जमा करानी होती है। इसके पश्चात SBIL द्वारा बालिका की यूनीक आई.डी. से उसके SBI बैंक खाते में परिपक्वता राशि का ब्याज सहित भुगतान कर दिया जाता है।

इस योजना के अंतर्गत बालिका द्वारा सम्बंधित जिला कार्यालय में ही परिपक्वता राशि का आवेदन करना अनिवार्य है। परिपक्वता राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज का भुगतान EFT (Electronic Fund Transfer) के माध्यम से किया जाता है।

संलग्नक-2

महिला एवं बाल विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
1, केनिंग, लेन, कस्तुरबा गांधी मार्ग
नई दिल्ली-110001
आर्थिक सहायता अनुभाग

महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा दो वित्तीय सहायता योजनाओं दी जा रही हैं :-

1. विधवा/निराश्रित महिला पेंशन योजना
2. गरीब विधवा महिला एवं अनाथ कन्या के विवाह हेतु आर्थिक सहायता योजना

1. विधवा पेंशन योजना का लक्ष्य और उद्देश्य-

18 से 60 वर्ष तक के आयु की उन विधवाओं, विवाह विच्छेद, तलाकशुदा, अलग/असहाय या परित्यक्त महिलाओं को वित्तीय सहायता देकर सामाजिक संरक्षण प्रदना करना जिनके पास कोई भी पर्याप्त निर्वाह के साधन नहीं हैं और वे निर्धन, जरूरतमंद और असुरक्षित है।

विधवा पेंशन सहायता के लिए पात्रता और भुगतान का तरीका-

(क) एक हजार पांच सौ रुपए प्रति लाभार्थी, इलेक्ट्रॉनिक क्लीयिररिंग प्रणाली के माध्यम से एक हजार पांच सौ रुपए प्रति लाभार्थी भुगतान किया जाता है।

(ख) सहायता आवेदन के अगले महीने से देय होती है।

(ग) जुलाई 2016 से पैंशन का मासिक भुगतान किया जा रहा है।

2. गरीब विधवा महिला एवं अनाथ कन्या के विवाह हेतु आर्थिक सहायता योजना का लक्ष्य और उद्देश्य-

(क) गरीब विधवाओं को अपनी लड़की का विवाह करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना।

(ख) अनाथ लड़की के अभिभावक जिसमें गृह/संस्था अथवा पोषक माता-पिता अथवा अनाथ लड़की को अपने विवाह के लिए आर्हिक सहायता प्रदान करना।

(ग) यह अनुदान सिर्फ एक बार के लिए है।

गरीब विधवा महिला एवं अनाथ कन्या के विवाह हेतु आर्थिक सहायता योजना पात्रता और भुगतान का तरीका-

30,000/- रुपये की एकमुश्त सहायता केवल आवेदक के नाम ईसीएस के माध्यम में अकाउंट में दिया जाता है।

आर्थिक सहायता के लिए शर्तें-

(क) प्रार्थी को प्रार्थना-पत्र देने के तिथि से पूर्व 5 वर्षों का दिल्ली का स्थाई निवासी होना आवश्यक।

(ख) प्रार्थी के परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय रु. 60,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ग) इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग प्रणाली के माध्यम से भुगतान पाने के लिए उसका बैंक में ''एकल संचालित'' खाता हो।

(घ) वह इस योजना के लिए केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/दिल्ली निगर निगम तथा/अथवा नई दिल्ली नगर परिषद् या किसी अन्य स्रोतों से किसी प्रकार के पेंशन प्राप्त नहीं कर रही हो।

उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त गरीब विधवा महिला एवं अनाथ कन्या के विवाह हेतु आर्थिक सहायता योजना के लिए आवश्यकता दो शर्तें-

(क) जिस लड़की के विवाह के लिए सहायता के लिए आवेदन कर रहे हैं उनके उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

(ख) विधवा महिला को यह सहायता सिर्फ दो लड़कियों के विवाह के लिए दी जा सकती है।

संलग्नक-3

महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ द्वारा निम्न योजनाएं संचालित है जो निम्न प्रकार है

1. **संस्थागत सुविधाएं :** विभाग निम्नाकिंत संस्थाये महिलाओं के सहायतार्थ चला रहा है :-

अ. **निर्मल छाया :** 1988 से चल रही, 100 महिलाओं की क्षमता के लिये अनुमोदित इस आवासीय संस्था को पूर्णतया अनैतिक व्यापार रोकथाम

उन्मूलन अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु चयनित किया गया है, और इसे एक सुरक्षात्मक व सुधारात्मक संस्था के रूप में घोषित किया गया है।

इसमें निम्नांकित श्रेणियों की महिलाओं को आवसीय सुविधा प्रदान की जाती है।

1. वेश्यालयों से बचा कर लायी गयी महिलायें व लड़कियां।
2. नैतिक संकट में फंसी महिलायें व लड़कियां।
3. भारतीय दण्ड संहिता की अनुभाग 363, 366 व 376 की पीड़ित महिलायें व लड़कियां।

ब. अल्पावास सदन : संकट में फंसी महिलाओं को शीघ्र ही अंशकालिक रूप से आवासीय सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से इन संस्थाओं की नींव रखी गयी है। यह 24 घन्टे उपलब्ध सुविधा है, जहां एक स्त्री व महिला को तब तक रखा जाता है, जब तक उसके पुनर्समायोजन, घर वापसी, बहाली या किसी अन्य उपयुक्त संस्था में रहने की व्यवस्था नहीं हो जाती है।

इन संस्थाओं में निम्नलिखित महिलाओं को आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है:-

1. महिलायें जो पारिवारिक कलह, घरेलू हिंसा व दुर्वव्यवहार इत्यादि की शिकार है।
2. आवासरहित निराश्रित, निष्काषित वे महिलाएं जिन्हें तत्काल सुरक्षा की आवश्यकता है।
3. असुरक्षित व नैतिक संकटग्रस्त महिलाएं व लड़कियां।

स. स्नेहालय c/o महिला दक्षता समिति, डी45/2-, किदवई नगर(पश्चिम), संस्था का पता-31 X, कडकडडुमा नई दिल्ली 23-दूरभाष 22375113-

2. बापनूघर c/o ऑल इंडिया वूमेन कॉन्फेरन्स 6, भगवानदास रोड नई दिल्ली, दूरभाष- 01123381377, 23384092

2. **गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली (निराश्रित) महिलाओं हेतु आश्रय गृह :** इन संस्थाओं में निराश्रित गर्भवती महिलाओं के साथ-साथ बलात्कार पीड़िता गर्भवती महिलाएं जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है को भी आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है, वर्तमान में ऐसी दो संस्थाएं है:-

अ. मातृत्व छाया, सामुदायिक भवन ए ब्लॉक, जांहगीर पूरी दिल्ली

दूरभाष संख्या : 9971802416 011-23694147 (9971802416, 011-27633148)

ईमेल आईडी : pwwh@ywcaofdelhi.org, mci@ywcaofdelhi.org

ब. मातृत्व छाया, सामुदायिक भवन, चन्द्र शेखर आजाद कालोनी, सराय रोहिल्ला दिल्ली।

दूरभाष संख्या : 9971802146, 9971802415, 011-23694147 (9971802146, 9971802415, 011-23694147)

ईमेल आईडी : pwwh@ywcaofdelhi.org, mci@ywcaofdelhi.org

3. **कामकाजी महिलाओं हेतु छात्रावास :** दिल्ली में कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित व घर जैसा वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से विभाग ने दो

कामकाजी महिला छात्रावासों की स्थापना की है। इन छात्रावासो की देखभाल की जिम्मेदारी यंग वीमेन क्रिचियन एसोसिएशन को दी गयी हैं

नोडल अधिकारी : छात्रावास इंचार्ज।

क्र.सं.	कामकाजी महिलाओं हेतु छात्रावास	पता	दूरभाष
1	प्रियदर्शनी छात्रावास विश्वास नगर	विश्वास नगर इस्टीट्यूशनल एरिया नेपाली मंदिर के सामने, नई दिल्ली (जिला पूर्व)	011-23382050 011-56006362
2	रोहिणी छात्रावास सेक्टर 22 रोहिणी	सेकटर 22, नियर पुलिस स्टेशन, बेगमपुर, रोहिणी, नई दिल्ली (जिला-उत्तर पश्चिम)	011-27582036

4. **दिल्ली महिला आयोग :** दिल्ली महिला आयोग द्वारा, महिला सशक्तिकरण हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं :-

- बलात्कार पीड़िता सहायता प्रकोष्ठ
- सहयोगिनी
- संकटग्रस्त महिलाओं हेतु हेल्पलाइन दूरभाष संख्या 23379181
- महिला पंचायत
- परामर्श केन्द्र (मनोवैज्ञानिक एवं कानूनी सलाह)

- संकट हस्तक्षेप केंद्र
- मोबाइल वैन हेल्पलाइन : इस सहायता के अन्तर्गत एक निशुल्क टोल फ्री दूरभाष संख्या 1800119292 (24X7) पर कॉल करने पर पीड़िता की सहायता हेतु मोबाइल वैन एक परामर्शदात्री के साथ पीड़िता के पास भेजी जाती है और जिस प्रकार की भी तत्काल सहायता की उसे आवश्यकता होती है वो प्रदान की जाती है जैसे यदि पीड़िता को अस्पताल ले जाने या अल्पावास की सुविधा की आवश्यकता है तो उसे अविलम्ब वो सुविधा निशुल्क प्रदान की जाती है।
- 181 हैल्पलाइन

7. प्रत्येक जिले में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के सफल क्रियान्वयन हेतु सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है जिनका कार्य घरेलू विवरणिका बनाना है। वर्तमान मैं इसकी संख्या 17 है।

8. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 – इस अधिनियम की धारा 5 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत प्रत्येक जिले के जिला मजिस्ट्रेट को जिला अधिकारी के रूप में मानेनीत किया गया है जो अधिनियम की धारा 06 के तहत स्थानीय शिकायत समिति का गठन करेगा जो लैगिक उत्पीडन की उन शिकायतों को प्राप्त करेगी जहां 10 कर्मचारियों से कम होने के कारण आन्तरिक शिकायत समिति का गठन नहीं किया गया है अथवा अगर शिकायत स्वयं नियोक्ता के विरूद्ध हो।

9. महिलाओं और बच्चों के संस्थानों (लाइसेंसिग) अधिनियम, 1956 का

क्रियान्वयन भी महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ द्वारा किया जा रहा है। इस अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस दिये गये संगठनों की सूची निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	संगठन का नाम	अल्पावास सदन का नाम एवं संगठन का पता	दूरभाष नं. एवं ईमेल आईडी
1	2	3	4
1	सिस्टर ऑफ डेस्टिट्यूट	शांतिधाम, हॉम फॉर डेस्टिटयूट वूर्मेन,खेरा खुर्द दिल्ली-110082	011-27874091
2	जीवोदया आश्रालयम	जीवोदया आश्रालयम, ए ब्लॉक, शिव विहार विकास नगर नई दिल्ली-110059	011-27253204 011-27418672
3	मिशनरीज ऑफ चैरिटी	निर्मल हृदय, 1 मैगजीन रोड, मंजनु का टीला दिल्ली-110093	011-65731435
4	मिशनरीश ऑफ चैरिटी	आशा दान, 14 एक्स करकरडुमा इस्टीट्यूशन एरिया दिल्ली-110093	011-22374866
5	YWCA	राजकुमारी अमृता कौर शेल्टर होम, अशोका रोड, नई दिल्ली-1110001	011-43553142-48 011-23362779 011-23362975 011-23745138 (FAX)chwwyod@rediffmail.com

1	2	3	4
6	रिहेब सेन्टर फॉर हॉप	रिहेब सेन्टर फॉर हॉप, एच नं. 15, ब्लॉक नं. एफ, गली नं. 1A कुतुब विहार, फेज–1 नियर कोयला डेरी, नई दिल्ली–110071	9560033780 9818098178 rehabch@gmail.com
7	ऑल इंडिया वूमेन कॉन्फेरन्स	बापनू घर, 6 भगवान दास रोड, आगा खान रोड नई दिल्ली–110001	011–23381377 23070834–858 gharbapnu@gmail.com bapnughar@yahoo.com
8	शक्ति शालीनी	6/30–बी, ग्राउन्ड फ्लोर, कारगिल पार्क लेन, जंगपुरा–बी, नई दिल्ली–110014	011–24373737 shaktishalini87@gmail.com

अध्यक्ष महोदय : हां पवन जी, एनी सप्लीमेंट्री। हां रवि जी।

श्री विशेष रवि : क्या माननीय मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगे कि किसी भी पेंशन धारक की अगर पेंशन रूक जाती है और वो किसी भी कारण से रूकती है तो क्या विभाग उसको सूचित करता है पेंशन धारक को कि आपकी पेंशन रूक गई है?

समाज कल्याण मंत्री : इसमें हमने सारी कास्टि्एंसी वाईज कैम्प भी लगाये हैं। सभी एमएलएज का डाटा बेस भी दिया है कितनी पेंशनें रूकी हुई हैं जो लोग आकर

के अपने डाक्यूमेंटस जमा करा देते हैं तो उनकी जितनी भी दिन की रूकी हुई पेंशन है, वो सारी दे दी जाती है।

श्री विशेष रवि : अब वो बुजुर्ग तीन महीने में एक बार गया देखने बैंक में, पेंशन उसकी नहीं आई तो सोचता है कि शायद अगली बार आ जायेगी। सूचना उसको नहीं मिलती है कि किसलिये रूकी है। वो अगले तीन महीने बाद दोबारा जाता है, तब भी उसकी पेंशन नहीं आती है तो जानकारी मैं ये लेना चाहता था कि विभाग किसी की पेंशन रोकता है किसी भी कारण चाहे उसका डाक्यूमेंट कम है या कोई और कमी है तो क्या विभाग उस पेंशन धारक को सूचित करता है कि आपकी पेंशन रोक दी गई है?

समाज कल्याण मंत्री : इसमें समय समय पर अखबार में ऐड भी दी जाती है और कैम्प भी लगाये हैं वो बिलकुल उन तक सूचना पहुंचाई जाती है लेकिन ये मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करता हूं जितने हमारे मेम्बर हैं, आप लोगों को सीडी भी दी थी, हार्ड कापी भी दी थी। कुछ लोगों की जिनकी एम.सी.डी. ने जो पेंशनें बंद की हैं, वो वही लोग बार बार आते हैं। बुजुर्ग तो देखो एम.सी.डी. वाले भी हैं, जिनको पेंशन नहीं मिल रही। हाई कोर्ट के आदेशानुसासर हम लोग जो हैं, एम.सी.डी. की भी पेंशन देगें। उनसे डाटा भी मांगा। उन लोगों ने डाटा भी सही से नहीं दिया। आप लोगों से निवेदन यही है कि आप लोगों को अवेयर करें और बतायें ताकि वो सारे डाक्यूमेंटस सबमिट करें। ये उनको जानकारी देने की जिम्मेदारी थोड़ी बहुत हमारी भी बनती है कि हम अपने एमएलए आफिस में उनको सारी जानकारी दें।

अध्यक्ष महोदय : हां, सरिता जी।

श्रीमती सरिता सिंह : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से ये जानना चाहूंगी कि अगर किसी महिला की पेंशन इसलिये बंद हो गयी हो कि उसका ज्वाइंट एकाउंट

था, मतलब मान लीजिये वो बुजुर्ग महिला है और उसके बेटे के साथ उसका ज्वाइंट एकाउंट है या उसके बहू के साथ है तो इस केस में क्या उसका पेंशन बंद किया जायेगा? क्या ऐसी पालिसी है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसीज जिसमें ज्वाइंट एकाउंट की वजह से पेंशन बंद किये गये हैं बुजुर्गो के तो ऐसी कोई पालिसी है सरकार की क्या?

समाज कल्याण मंत्री : नहीं, इसमें ना बैंक की तरफ से कुछ एकाउंटस थे 11 हजार कुछ, जिनका डबल-डबल एकाउंट दे रखा था कुछ लोगों ने, तो उसकी वजह से रूकी हुई है लेकिन पेंशन धारक का इंडीविज्युअल तो एकाउंट होना ही चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हां, जी, मेरे पास एक महिला आई जो देख नहीं सकती है और उसकी पेंशन बंधी हुई थी। पर दिक्कत यही हुई कि उसने दो जगह से पेंशन ली जो गलत है, जो वो मान भी रही है लेकिन आज यही है कि वो अनाथ है, वो देख नहीं सकती, उसकी पेशंन रोक दी गई है क्योंकि वो दो जगह से ले रही थी। उल्टा उसको ये कहा जा रहा है कि वो जो पेंशन दो जगह से ली पहले सारी वो लौटाइये। तो मेरा निवेदन है उसके हालात को देखते हुए, ऐसे बहुत से केसज पूरी दिल्ली में हैं, इन सबके हालात को देखते हुए सरकार कुछ फैसला इसमें ले कि उनकी पेंशन चालू कर दी जाए और जब पेंशन चाजू की जाएगी तो उसमें से आप हर महीने कुछ कटौती करके, जो अगर नायायज लिया गया है, उसकी भरपाई की जाए। तो कृपया इस पर कोई फैसला सरकार ले?

समाज कल्याण मंत्री : इसमें मैं आपको बता दूं क्योंकि जो लोग पेंशन धारी है, जो एक हजार के मानदेय पर अपना गुजारा करते हैं, उन लोगों से रिकवरी हो ही नहीं सकती। मैंने डिपार्टमेंट को भी कहा था और हम जल्दी ही एक नोट सीएम साहब को भेज रहे हैं ताकि ऐसे लोग जितने भी लोग हैं, उन सबको माफ कर दी जाए और जो पेंशन है, वो चालू हो जाए उसमें।

अध्यक्ष महोदय : श्री जगदीश प्रधान जी, प्रश्न संख्या-63

श्री जगदीश प्रधान : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 63 प्रस्तुत है :

क्या **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि करावल नगर मेन रोड़ पर 1.25 कि.मी. लंबी सीवर लाइन बिछाने का कार्य पिछले 6-7 वर्षों से लंबित है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि माननीय मंत्री द्वारा पूर्व सत्र में मेरे प्रश्न के उत्तर में आश्वस्त किया गया था कि यह कार्य दो महीने में शुरू हो जाएगा;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि यह कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है;

(घ) यह कार्य किस तिथि तक शुरू हो जाएगा; और

(ङ) इस विलंब के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

अध्यक्ष जी, मंत्री जी से जवाब चाहूंगा परंतु यदि मंत्री जी की तबीयत ठीक नहीं है तो बाद में डिसकस कर लूंगा मंत्री जी से।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, जवाब दे रहे हैं, बैठकर दे रहे हैं। नहीं, बैठ जाइए कपिल जी।

जल मंत्री (श्री कपिल मिश्रा) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या-63 का उत्तर प्रस्तुत है : (क) जी हां।

(ख) पूर्व सत्र में इस कार्य को दो महीने में ही शुरू हो जाएगा, ऐसा तो कोई आश्वासन नहीं दिया गया था क्योंकि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल ने मनोज मिश्रा

विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अन्तर्गत दिल्ली जल बोर्ड पर ऐसे सभी सीवर संबंधित विकास कार्यों तथा नई सीवरेज परियोजनाओं पर प्रतिबंध के निर्देश दिए हुए थे।

(ग) जी हां।

(घ) एवं (ङ) यह कार्य पिछले एक साल से भी अधिक समय से ठेकेदार को दिया गया था लेकिन माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल का प्रतिबंध लगा हुआ था, इसीलिए वो कार्य शुरू नहीं हुआ और एक साल से ज्यादा समय लम्बित रहने के कारण फिर ठेकेदार इस कार्य को करने से मना करके छोड़कर चला गया। अत: इस कार्य की निविदाएं/टेंडर पुन: आमंत्रित की जा रही हैं। क्योंकि इस कार्य का निष्पादन माननीय एन.जी.टी. के दिनांक 08.05.2015 के निर्देशों के कारण नहीं हो पाया, अत: इसके लिए एक व्यक्ति को तो उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

श्री जगदीश प्रधान : अध्यक्ष जी, मैं वैसे तो इस जवाब से संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि ये काम एक साल से लंबित नहीं है, ये काम पिछले 7-8 साल से लंबित है और इससे पहले भी मैंने सीवर के मुद्दे को यहां उठाया था उसमें मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया कि दो महीने के अंदर हमारा सीवर का कार्य टेंडर लगकर शुरू हो जाएगा तो ये एक साल का लंबित कार्य नहीं है, 7-8 साल से लंबित पड़ा हुआ है।

जल मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 8 साल में और उप राज्यपाल के शासन के दौरान क्या हुआ, उसके बारे में तो पता नहीं है। दो महीने का कोई टाइम लाईन का आश्वासन नहीं था। लेकिन ये जरूर था कि टेंडर हम आमंत्रित करेंगे, टेंडर आमंत्रित कर लिए गए हैं, सर और अब तो ये कार्य जब टेंडर खुलेंगे, उसके बाद हो ही जाएगा। मेरी विधान सभा भी प्रभावित है इससे।

अध्यक्ष महोदय : कोई सप्लीमेंटरी और? हां, राजेश ऋषि जी।

श्री राजेश ऋषि : अध्यक्ष जी, मुझे मौका देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आज कल हमारे क्षेत्र में बहुत गंदा पानी आ रहा है, पीने लायक पानी नहीं है। पिट काटने के लिए जल बोर्ड के अधिकारी जाते हैं तो एम.सी.डी. वाले उन्हें पिट नहीं काटने देते। उनका सामान लेकर चले जाते हैं। इसके लिए कोई समाधान निकालेंगे वो कि एम.सी.डी. वाले काम करने दे उन्हें?

जल मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के माध्यम से और नगर निगम के कमिश्नर को अपने कार्यालय में ही बुलाकर मैं जरूर बात करूंगा कि एम.सी.डी. श्री परमिशन दे और इस प्रकार की जो भी स्पेसिफिक शिकायतें हैं, उनको जितना जल्दी दूर किया जा सके, वो हम करते हैं तुरंत।

अध्यक्ष महोदय : गर्ग जी।

श्री विजेन्द्र गर्ग : माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली जल बोर्ड के जो बोरवेल हैं, उसमें ओपरेशनल मैनटेंस का जो कांट्रैक्ट दिया जाता था प्राइवेट को, वो क्या रद्द कर दिया गया है और उन बोरवेल पर क्या जल बोर्ड के कर्मचारियों को लगाया गया है इसका उत्तर देने का कष्ट करें?

जल मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसके डिटेल्स मैं निकलवाऊंगा, कुछ जगह पर तो हमने जल बोर्ड के कर्मचारियों को निकला है लेकिन मुझे लगता है कि ये सप्लीमेंटरी क्वैश्चन मूल क्वैश्चन से संबंधित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : प्रमिला टोकस जी, सप्लीमेंटरी 64 (अनुपस्थित), श्री अजय दत्त जी, प्रश्न संख्या-65 (अनुपस्थित), श्री नरेश बाल्यान जी, प्रश्न संख्या-66 (अनुपस्थित), सुश्री अलका लाम्बा जी, प्रश्न संख्या-67।

सुश्री अलका लाम्बा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 67 प्रस्तुत है :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 घण्टे से अधिक पावर फेल्योर होने पर डिस्कॉम द्वारा उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति देने का प्रस्ताव था,

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का विवरण क्या है;

(ग) क्या डिस्कॉम द्वारा प्रस्ताव का अनुपालन किया गया; और

(घ) चांदनी चौक विधान सभा क्षेत्र में उपभोक्ताओं को दी गई क्षतिपूर्ति का विवरण क्या है?

ऊर्जा मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–67 का उत्तर प्रस्तुत है : (क) जी हां।

(ख) विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 108 के तहत दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों पर दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ने दिनांक 07.06.2016 के राजपत्र में दिल्ली विद्युत आपूर्ति कोड और प्रदर्शन मानक (चौथा संशोधन) विनियम, 2016 में, वितरण लाइसेंसधारी के कारण के लिए, 2 घंटे से अधिक बिजली की कटौती के मामले में, जिसमें 100 से अधिक उपभोक्ता प्रभावित हैं और व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मामले में यदि वह 3 घंटे प्रभावित हैं, तो बिजली की आपूर्ति की बहाली में, मुआवजे के भुगतान के लिए अधिसूचित किया है।

(ग) एवं (घ) जी हां। किन्तु दिल्ली उच्च न्यायालय ने WP(C)5888/2015 में दिनांक 04/08/2016 के निर्णय मे दिल्ली सरकार के निर्देश को निरस्त कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्य से बताना चाहूंगा कि जो हमारे आदरणीय सदस्य ने पूछा है कि अगर बिजली 4 घंटे से ज्यादा जाती है तो क्या उस पर पेनेल्टी लगेगी।

हमने इसका नोटिफिकेशन कर दिया था दो घंटे से ज्यादा लाईट जाने के ऊपर और इंडीविज्युअल केस में तीन घंटे से ज्यादा लाईट जाने के ऊपर, जिस नोटिफिकेशन कि आदरणीय उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : अलका जी, कोई सप्लीमेंटरी?

सुश्री अलका लाम्बा : अध्यक्ष जी, मैं यही कहना चाहती हूं क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कदम था राहत देने वाला, जिसका हम लोगों ने खूब प्रचार भी किया और लोग उम्मीद लगाकर बैठ गए कि अब बिजली जाएगी या इस तरह से होगा तो उन्हें मुआवजा मिलेगा। अब मैं ये जानना चाहती हूं कि सरकार का अगला कदम क्या है? हाई कोर्ट ने एलजी के कैसे कहने से, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रस्ताव हैं जो हम लोगों ने पास किए और उसके बाद में वहां से रद्द कर दिया गया लेकिन लोगों में आज भी उसको लेकर एक बहुत सा, मैं ये कह रही हूं अगला कदम क्या होगा सरकार का इसको लेकर? अब हम लोगों को जाकर कहेंगे कि आपको मुआवजा नहीं मिलेगा या सरकार कुछ प्रयास करेंगी उसमें आगे?

ऊर्जा मंत्री : जो प्रपोजल हमने भेजा था उसको पोस्ट–फैक्टो अप्रूवल के लिए आदरणीय एलजी साहब के पास भेज दिया गया है। अगर वो अप्रूवल देंगे तो दुबारा से डीआरसी को इसके बारे में भेजा जाएगा। अब एलजी साहब के निर्णय का वेट करना होगा।

अध्यक्ष महोदय : एनी सप्लीमेंटरी? हां बाजपेयी जी।

श्री अनिल बाजपेयी : माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है, मैने विधान सभा में भी पहले एक बार रखा था कि क्या कंज्यूमर को अधिकार है और डीआरसी की गाईड लाईन्स भी है कि कोई भी कंज्यूमर अपना मीटर खरीदकर स्वयं लगा सकता है क्योंकि आज भी कई बार शिकायतें मिल रही है कि कंपनियों के मीटर फास्ट हैं।

अपने सदन में आश्वासन भी दिया था पहले और इसका ऐडवर्टाइजमेंट करने की बात भी कही थी। मेरा अनुरोध है कि इसके बारे में अपनी बात रखने का कष्ट करें?

ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो प्रश्न इससे संबंधित नहीं है फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि अलग-अलग चार कंपनियों के मीटर नोटिफाई किए जा चुके हैं। इसका विज्ञापन पहले शायद दिया गया था अगर दुबारा जरूरत है तो इसका बहुत प्रचार किया जाएगा और विधायक जी को अलग से, सभी सदस्यों को अलग से, सभी सदस्यों को मैं लिखकर भी भेज दूंगा कि कौन-कौन सी कंपनियों के हैं, उनको सबको नोटिफाई कर दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या-68 श्री नारायण दत्त शर्मा जी।

श्री नारायण दत्त शर्मा : प्रश्न सं. अध्यक्ष महोदया, 68 प्रस्तत है :

क्या **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मीठापुर क्षेत्र के लोग पर्याप्त सीवर सुविधाओं की कमी के कारण बहुत सी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाने के लिए कोई कदम उठाने जा रही है; और

(ग) यह योजना कब तक शुरू हो जाएगी?

जल मंत्री : अध्यक्ष महोदया, प्रश्न संख्या-68 का उत्तर प्रस्तुत है :

(क) जी हां, मीठापुर क्षेत्र में सीवर की सुविधा नहीं है।

(ख) मीठापुर और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में सीवर लाइन डालने की योजनाओं के अंतर्गत 17 एम.जी.डी. की क्षमता का एक मल शोधन संयंत्र तेजपुर गांव में एवं

मीठापुर में एक लिफ्ट स्टेशन निर्माण के लिए प्रस्तावित किया गया है। इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड ने जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू कर दी है। निकासी की व्यवस्था के निर्माण कार्य के उपरांत इस क्षेत्र में आन्तरिक सीवर व्यवस्था डालने में शुरू की जाएगी।

(ग) समस्त सीवर डालने की योजना को कार्यान्वित करने की समय सीमा, केवल सीवर निकासी के निर्धारण शोधन व्यवस्था है जो पहले हम लोगों को, पहले हम लोग एसटीपी बनाएंगे सर, उसके बाद आपकी इंटर्नल लाईन की टाइम लाईन आपको दे देंगे।

अध्यक्ष महोदय : हां, नारायण दत्त जी।

श्री नारायण दत्त शर्मा : एक करीबन 8-9 महीने पहले पॉयलेट प्रोजेक्ट करके उसके लिए आपने मीटिंग की थी और यह अखबार में भी आया था और उसका पैसा भी हो गया था और टेंडर भी क्लीयर हो गया था बशर्ते वो टेंडर शायद कोई पार्टी लगा नहीं पाई थी उसमें सांई नगर ओर मीठापुर की कुछ कॉलोनियों का, आपने उसमें प्रोजेक्ट 10 विधान सभाओं का दिल्ली में रखा था। उसके बाद में उसमें कुछ नहीं हुआ। अगर उतना भी हो जाता, अभी फिलहाल में फोरी तौर पर तो काफी राहत उस क्षेत्र को मिलती।

जल मंत्री : दो जगह पर हम लोगों ने पॉयलेट शुरू किया है। बाकी जगह पर जैसा कि विधायक महोदय ने बताया किसी ने टेंडर डाला नहीं था लेकिन दुबारा उसके प्रयास में है और हो सकता है अगर वो परियोजना हमारी शुरू होती है तो समय से भी और जल्दी आपके यहां पर ये कार्य शुरू हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या-69, श्री राजेन्द्र पाल गौतम जी।

श्री राजेन्द्र पाल गौतम : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या-69 प्रस्तुत है :

क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 और 2015-16 में विशेष कम्पोनेंट प्लान के तहत आबंटित बजट का विवरण क्या है;

(ख) इस मद से व्यय किए गए फण्ड का विवरण क्या है;

(ग) इस मद से खर्च न हुई राशि का विरण क्या है; और

(घ) इस फण्ड का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

समाज कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या-69 का उत्तर प्रस्तुत है:

(क) स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत वित्त विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा प्रकाशित डिमांड बुक के अनुसार आबंटित बजट का विवरण वर्ष 2011-12 से इस प्रकार है:

वर्ष	आबंटित राशि
2011-12	364.96 करोड़
2012-13	526.50 करोड़
2013-14	655.01 करोड़
2014-15	632.08 करोड़
2015-16	690.24 करोड़

(ख) स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत अनुसूचित जातियों के लिए किये गये खर्च का विवरण वर्ष 2012-13 से इस प्रकार है :

वर्ष	खर्च की गई राशि
2011-12	320.88 करोड़
2012-13	451.03 करोड़
2013-14	590.34 करोड़
2014-15	518.27 करोड़
2015-16	576.68 करोड़ (provisional)

(ग) इस मद से खर्च न हुई राशि का विवरण इस प्रकार है :

वर्ष	खर्च की गई राशि
2011-12	44.08करोड़
2012-13	75.48 करोड़
2013-14	64.67 करोड़
2014-15	113.81 करोड़
2015-16	113.56 करोड़ (provisional)

(घ) अनुसूचित जाति सब प्लान (SCSP) को क्रियान्वित करने की प्राथमिक एवं मौलिक जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होती है। योजना विभाग एवं वित्त विभाग

द्वारा इसकी निगरानी की जाती है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग का मुख्यतः रोल, योजना विभाग से इनपुट व सहयोग लेने का है ताकि पूरे सिस्टम को बेहतर और प्रगतिशील बनाया जा सके।

सरकार व विभाग इस फण्ड को उपयोगी एवं प्रभावी रूप से नियोजित करने के प्रति गंभीर है और समय-समय पर आने वाली कठिनाइयों को हल किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : हां राजेन्द्र जी।

श्री राजेन्द्र पाल गौतम : मैं माननीय मंत्री जी से यह स्पष्ट करवाना चाहता हूं कि 1975 में ट्राइबल सब प्लान बना था और 79 में शेड्यूलकास्ट कम्पोनेंट प्लान बना था जिसके तहत टोटल बजट का उनकी जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से फण्ड एलोकेट होना चाहिए तो वो तो ही ही नहीं रहा है लेकिन जितना हो रहा है, उसमें से भी वो पूरा खर्च नहीं किया जाता। जैसे कि उत्तर में प्रतीत हो रहा है 2011-12 44.08, 12-13 में 75.48, 13-14 में 64.67 करोड़, 2014-15 में 113.81 करोड़ और 15-16 में 113.56 करोड़ रुपया जो खर्च ही नहीं पाया उनके मद के लिये, उनके डेवलपमेन्ट पर खर्च होना चाहिए था, इस हिसाब से चूंकि ये कैरी फॉरवर्ड होता है, ये फण्ड ना लैप्स हो सकता है ना डायवर्ट हो सकता है, उस हिसाब से तो ये 411.6 करोड़ रुपया तो पिछले केवल 5 साल के अंदर ही बैलेंस बच गया है तो ये मैं चाहूंगा मंत्री जी इस पर थोड़ा सा स्पष्ट करें और ये भी कोशिश करें कि भविष्य में इस तरीके से फण्ड बचे ना बल्कि वो प्रॉपर तरीके से खर्च हो।

समाज कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसमें जो कुछ फण्ड इस बार बता रहे हैं करीब 100 करोड़ रुपये करीब 55 करोड़ रुपये फण्ड जो है वो क्लास रूम्स बनाए जा रहे हैं एजुकेशन विभाग से, उसमें दिया गया है औ वो कार्यान्वित है क्योंकि उसमें बहुत सारे टैंडर हो चुके हैं, कुछ बचे हुए हैं और कुछ जो हैं हमारे जो एनओसी लेने

होते हैं एम.सी.डी. से वो बहुत सारे टैंडर हो चुके हैं लेकिन आने वाले वर्ष में जब तक खत्म होगा, ये सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन मैं सदन को एक चीज बताना चाहता हूं कि इसमें ये प्लानिंग डिपार्टमैंट का सारा होता है जितना भी फण्ड एलोकेट करता है, सब प्लानिंग डिपार्टमेंट करता है तो मेरा निवेदन ये रहेगा माननीय उप मुख्यमंत्री साहब से कि इसमें थोड़ा विशेष ध्यान दें, इसमें बजट बढ़ाएं और हम ये चाहते हैं कि दिल्ली में 11 डिस्ट्रिक्ट है, इनमें शेड्यूलकास्ट्स के लिए स्कूल और टैक्नीकल कॉलेज बनाए जाएं।

अध्यक्ष महोदय : उनका क्वैश्चन ये है कि जो बजट बचा है जितना भी, उसके संबंध में क्या हम कर रहे हैं?

समाज कल्याण मंत्री : उसी का बता रहे हैं जी, ये जो स्कूलों में जो भी क्लास रूम बन रहे है कुछ के टैंडर हो चुके हैं, कुछ के बचे हैं तो इसी वजह से वो शो कर रहा है और कुछ जो बस्तियों में काम हुए हैं, वो सारी चीजें हैं। उनके भी टैंडर हुए हैं। आने वाले नैक्स्ट ईयर में ये सारी चीजें हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री राजेन्द्र जी।

श्री राजेन्द्र पाल गौतम : ऐसा नहीं होता की फण्ड उधर दे दिया और फिर भी वो बैलेंस शो करे, मैं चाहूंगा मंत्री जी चाहें तो बेशक बाद में जानकारी पूरी कलैक्ट करके हमें बाद में भिजवा दें।

समाज कल्याण मंत्री : ये सारा प्लानिंग डिपार्टमैन्ट के पास था और मैं सारे आंकड़े इकट्ठे करके आपको भिजवा दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : विशेष रवि जी।

श्री विशेष रवि : जैसा कि अभी राजेन्द्र जी ने बताया है कि हर साल इस फण्ड में पैसा बचता है, खर्च नहीं किया जाता, पिछले सैशन में सुझाव दिया था सदन की तरफ से कि क्योंकि इसी पैसे से हर विधान सभा के अंदर जहां भी 33 प्रतिशत एसीएसटी पॉपुलेशन है, वहां पर विधायक उस पैसे का इस्तेमाल करके वहां के विकास कार्य कर सकता है। पिछली विधान सभा में सुझाव था कि क्योंकि इसका दायरा बहुत सीमित है, यहां से दो चीजें हैं। एक तो जो काम हम कर सकते हैं वो सिर्फ नाली, खडंजा और सड़क का काम हम कर सकते हैं इस पैसे से। दूसरा, जो एजेंसीज हैं, वो भी सिर्फ दो या तीन एजेंसी है डूसूब है और एक फ्लड एंड कंट्रोल की एजेंसी है, सिर्फ इन दोनों एजेंसिज को ही ये अधिकार है कि इस पैसे से काम कर सकते हैं और जो काम हो सकते हैं वो भी बहुत कम हैं। तो पिछले सैशन में भी ये प्रार्थना की गई थी कि इसका विस्तार किया जाए। जितने भी काम उतने बाकी क्षेत्र में कराते हैं जैसे वो पानी का कार्य है, सीवर का कार्य है, कैमरे का है, स्ट्रीट लाइट का है, और जितने भी कार्य हैं, उन सारे कामों को इसमें जोड़ा जाए। साथ-साथ इसमें एजेंसी भी बढ़ाई जाए ताकि इस पैसे का सही इस्तेमाल हो सके और जो पैसा हर साल बच रहा है, ये बचे ना यहां पर।

अध्यक्ष महोदय : आपका क्वेश्चन ये है कि पिछले सैशन में उठाया गया क्वेश्चन था और जो सुझाव आया था कि उनको जोड़ा जाए, एजेंसीज को जोड़ा जाए और कार्य को जोड़ा जाए ताकि ये पैसा सुचारू रूप से इस्तेमाल हो सके। हां, मंत्री जी।

समाज कल्याण मंत्री : सर हमने कैबिनेट नोट भेजा हुआ है, सीएम साहब की अगुवाई में एक बार बुलाया था सारे अधिकारियों को तो सीएम साहब ने कहा था कि

इसमें जो भी विधायक फण्ड से हो सकते हैं, वो सारे भी इससे हो जाएं क्योंकि कुछ विधान सभा रिजर्व हैं और कई जगह पॉपुलेशन ज्यादा है तो वो कैबिनेट नोट गया हुआ है, वो जल्दी हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : हां, कैलाश जी।

श्री कैलाश गहलोत : सर, मैं माननीय मंत्री जी को यह सजेस्ट करना चाहताा हूं जैसे मेरी नजफगढ़ विधान सभा है, हरेक गांव में एसएसटी का पाना है जो ब्लॉक बोलते हैं गांव में, लेकिन जब भी हम सर, रिक्वेस्ट आते हैं रिगार्डिंग डवलपमैंट वकर्स, उस ब्लॉक में जहां एससीएसटी पॉपूलेशन है तो सर, वो रिक्वैस्ट काफी महीने गुजरने के बावजूद भी उस पर कोई एक्शन नहीं होता और मेरे ख्याल से मेन कारण वो ये है कि वो पैसा लैप्स हो रहा है बार-बार। जब ऑलरेडी पैसा है, ऑलरेडी डिपार्टमैन्ट के पासक रिक्वायर्ड फण्डस है तो निवेदन मंत्री जी से ये है कि वो पैसा लैप्स क्यों हो रहा है? तो इट इज वैरी इर्म्पोटैंट टू अंडरस्टैंड वो रीजन क्या हैं सर उसके। थैक्यू सर।

अध्यक्ष महोदय : हां मंत्री जी।

समाज कल्याण मंत्री : इसमें मैंने बार-बार चिट्ठियां लिखी है सारे माननीय सदस्यों को और अगर इस तरह की कौताही आपके यहां बरती गई तो आप मुझे वो चिट्ठियां दे दें, इसमें कार्रवाई की जाएगी और करेंगे इस काम को।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या-70 सुरेन्द्र कुमार, कंमाडो जी।

श्री सुरेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या-70 प्रस्तुत है:

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली कन्टूनमेंट क्षेत्र से लगातार बिजली की आपूर्ति से संबंधित शिकायतें की जाती है;

(ख) इन क्षेत्रों में बिजली की उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्रिबी प्लेस के समीप की झुग्गियां, बरार स्क्वैयर और केवी नं. 1 क्षेत्र में बिजली प्रदान करने के लिए की जा रही कार्रवाई क्या है; और

(घ) इन झुग्गी वासियों को बिजली की आपूर्ति कब तक कर दी जाएगी?

ऊर्जा मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–70 का उत्तर प्रस्तुत है : (क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

(ग) इस मामले में मिल्टरी इंजीनियरिंग सर्विसेज (एमईएस) एवं टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद है। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग को इस मामले में हस्तक्षेप कर तुरन्त इसको सुलझाने को कहा गया है।

अध्यक्ष महोदय : सप्लीमैन्टरी, हां जी।

श्री सुरेन्द्र कुमार : इसमें एमईएस का जो विवाद आप बता रहे हैं, ये विवाद काफी लम्बे समय से है और बाकी जो दिल्ली कैंट का क्षेत्र है, उसमें टाटा पावर भी लाईट वहां सप्लाई करता है और बीएससीएसई भी वहां पर सप्लाई करता है कुछ इलाके के अंदर। तो पूरा दिल्ली कैंट को जो क्षेत्र है, वो पूरा डिफेंस लैंड के ऊपर बसा हुआ है वहां पर किसी को ओनरशिप राईट नहीं है तो वो झुग्गी का क्षेत्र है। 2 झुग्गी कलस्टर हैं और अब पिछले वर्ष उन्होंने जो केन्द्रीय विद्यालय के पास में लगभग 100 साल पुरानी मकान, दुकान हैं 15–20, उनकी भी लाईट काट दी। उसके बाद वहां जोड़ी है, तो मैं ये लगातार दो साल से इसके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। तो मैं माननीय मंत्री

जी से नम्र निवेदन करता हूं कि इस मामले को जल्दी से जल्दी कब तक सुलझाया जा सकता है क्योंकि हर बार मुझे यही जवाब मिलता है। विधान सभा में ये क्वेश्चन उठाने के बावजूद भी। तो मैं हम्बल रिक्वैस्ट करता हूं कि मंत्री जी इसमें कोई टाईम लाईन अगर मझे दे दें तो मैं अपनी विधान सभा के लोगों को जाकर इस बात को वहां पर बताऊं। धन्यवाद।

ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये जो विवाद है, इसको सुलझाने का अधिकार क्षेत्र डीआरसी के अन्तर्गत आता है और डीआरसी को हम पहले भी लिख चुके हैं दो बार। उनके परश्यू करेंगे। मैं आदरणीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि अभी थोड़ा सा विवाद चल रहा है डीआरसी के अंदर भी, जल्द ही सुलझा लिया जाएगा और उसके बाद मुझे लगता है जल्दी हम करवाने की कोशिश करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : एनी सप्लीमैण्टरी? नहीं। प्रश्न संख्या 71, सौरभ भारद्वाज जी। (अनुपस्थित) प्रश्न संख्या 72 भी जरनैल सिंह जी (रा.गा.) अनुपस्थित।

श्री जगदीप सिंह : सर, ये सौरभ भारद्वाज वाले क्वेश्चन पर मेरा एक सप्लीमैण्टरी नहीं। प्लीज नहीं। देखिए जगदीप सिंह जी नहीं प्लीज। आज बहुत सदस्य अनुपस्थित है। प्रश्न संख्या 73 गुलाब सिंह जी। (प्रश्न संख्या 73 गुलाब सिंह अनुपस्थित) प्रश्न संख्या 74 श्री प्रकाश जारवाल जी।

श्री प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 74 प्रस्तुत है :

(क) क्या यह सत्य है कि देवली विधान सभा क्षेत्र के लोगों को प्रतिदिन 6 से 8 घण्टे की बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) इन क्षेत्रों की दशा सुधारने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या यह सत्य है कि इस क्षेत्र में एक नया ग्रिड लगाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इसका विपणन क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या-74 का उत्तर प्रस्तुत है : (क) जी नहीं।

(ख) अधिक लौड, बिजली की चोरी इत्यादि के कारण बिजली की सप्लाई बाधित होती है। देवली विधानसभा क्षेत्र की बिजली सप्लाई को सुधारने हेतु बीआरपीएल द्वारा निम्नलिखित कार्य किये गये हैं :

1. देवली विस्तार सब-स्टेशन में 400 केवीए ट्रांसफार्मर को 630 केवीए में बदलना
2. देवली सब-स्टेशन से एलटी फीडर लगाना
3. देवली विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर एलटी फीडर लगाना इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य प्रगति पर है :
    1. बत्रा ग्रिड से सी ब्लॉक संगम बिहार तक नया 11 केवी फीडर लगाना
    2. देवली बस स्टैण्ड पर 630 केवीए ट्रांसफार्मर को 990 केवीए में बदलना
    3. खट्टेवाला तिगड़ी विस्तार पर 630 केवीए ट्रांसफार्मर को 990 केवीए में बदलना

(ग) जी नहीं।

(घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

(ङ) अभी आवश्यक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : हां जारवाल जी।

श्री प्रकाश जारवाल : मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये जो जवाब दिया है, ये अधिकारियों ने गलत दिया है क्योंकि मेरे क्षेत्र में चार-चार, पांच-पांच घंटे कट हो रही है, गर्मियों में भी और अभी भी हो रही है तो मैं इस जवाब से संतुष्ट नहीं हूं। एक बाार आप चाहे सर्वे कराएं अपने अधिकारियों को भेजकर। तो मुझे इसका जवाब जैसे भी देना चाहे।

ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय सदस्यों को कहना चाहूंगा जो भी अगर ऐसी शिकायत है चार से छः घंटे, एग्जेक्ट शिकायत की कॉपी दी जाए। उसकी पूरी जांच कराई जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : एनी सप्लीमैण्टरी? प्रश्न संख्या 75। हां, संजीव जी।

श्री संजीव झा : अध्यक्ष जी, मंत्री जी से मेरा सवाल है कि अभी हम लोगों ने अनआथोराइज्ड कालोनी में जो अनइलैक्ट्रीफाइड एरिया है, उसके इलैक्ट्रिफिकेशन को लेकर कई बार मिटिंग्स भी हुई।

क्या कोई पालिसी बनी है क्योंकि वहां पर रहने वाले लोग बहुत परेशान है?

ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न संख्या 74 से सम्बन्धित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : वैसे माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए, ये हंसने का विषय नहीं है, गम्भीर विषय है। जो सप्लीमैंण्टरी क्वेश्चन रखा जाता है, उसी से सम्बन्धित क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए जो स्टार्ड क्वेश्चन रखा गया है। सपलीमेंट्री में उसी से संबंधित, क्योंकि मंत्री जी जो जवाब लेकर आते हैं, उसी क्वेश्चन से सम्बन्धित लेकर आते है, ये उनको थोड़ा पहले समझना पड़ेगा। श्री पंकज पुष्कर। सपलीमेंट्री और है, हां बताइए?

श्री कैलाश गहलोत : सर, बिजली के ये पावर कटस की प्रोबल्मस सिर्फ एक विधान सभा की नहीं है। I think it is rampant in all vidhan sabhas तो मेरा सजेशन ये है। सर, रेलगूलरली हम कनजूमर्स से कम्पलेंट मिलती है कि जब वो बिजली विभाग जो भी डिस्कॉम है, वहां पर जब वो कम्पलेंट के लिए फोन करते हैं तो उनके काल पिक नहीं की जाती और न ही उनकी कम्पलेंट दर्ज की जाती है और ये रेगूलर बेसिस पर होता है। वो चाहे गर्मियां हैं, सर्दियां है या मानसून है। मेरा माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध है और सजेशन भी है कि Can Delhi Govt create a system जहां पर अगर किसी कन्जूमर को across entire Delhi अगर वो कम्पलेंट सेंटर दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर कंट्रोल में हो और फिर वो कम्पलेंटस जो है सर आगे रिस्पेकिटव डिस्कोम को वो फारवर्ड की जा सकें। क्योंकि ये सर लगातार कम्पलेंट मिल रही है कि Despite no electricity in last 4 to 5 year 6 hour 7 hours जब भी sir, residence's complaint I am asking this question in form of रिक्वैस्ट कि क्या Delhi Govt. इसमें इन्टरवीन करके क्योंकि जैसे माननीय मंत्री जी ने बताया कि जो नोटिफिकेशन सरकार ने किया था, वह भी हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया है तो Sir, Since it is very sensitive issue Delhi Govt. must come up with some plan where this grievance can be redressed. सर, आज के दिल्ली कन्ज्यूमर के पास redressal meschanism है नहीं। सर, लगातार फोन करने के बावजूद भी अगर उसकी कम्पलेंट भी दर्ज नहीं की जा रही है तो कन्ज्यूमर कहां जाएगा? Sir, this is across all Vidhan sabhas, it is not in one vidhan sabha.

अध्यक्ष महोदय : हां, मंत्री जी जवाब देगें?

ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आदरणीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि उच्च न्यायालय ने आदेश तो निरस्त कर दिया है फिर भी हम आशा करते

हैं कि क्योंकि ये जनता के बहुत ही हित में है जो हमने आदेश पारित कराया था डीआरसी से। हमने उप–राज्यपाल महोदय को उसको ex-post facto approval के लिए भेजा है। मुझे पूरी–पूरी आशा है और मैं विजेन्द्र जी को क्योंकि विपक्ष के नेता हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको पास कराने में हमारी मदद करें। इस दिल्ली की पूरी जनता के लिए ये बहुत इम्पोंटेंट ईश्यू है। पूरे सदन को इसमें बहुत इन्ट्रेस्ट है। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जिम्मेदारी लें और इसको जल्द से जल्द एक्स पोस्ट फैक्टो एलजी साहब से अप्रवूल कराने का निवेदन करेंगे क्योंकि अगर कम्पनियों के ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं होगा और वो कम्पनियां एक तरह से बेलगाम घोड़े की तरह से काम करेंगी तो चलाना बडा मुश्किल होगा। सुझाव जो हमारे आदरणीय सदस्य ने दिया है, उसके ऊपर विचार किया गया था कि सरकार कम्पलेंटस लेना चालू कर देगी। सारी पावर्स, जो प्राईवेटाईजेशन किया गया, उस समय सारी की सारी पावर प्राईवेट डिस्कॉम्स को दी गई और उसको कन्ट्रोल करने की पावर डीआरसी को दी गई। अगर सरकार सिर्फ कम्पलेंटस लेती रहेगी और वो विपक्ष का काम करेगी तो सिर्फ हमारे को लोग गालियां देगे। हम करवा कुछ नहीं पाएगें। फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा गुप्ता जी से इसको जल्द से जल्द पास कराएं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : पूरक प्रश्न।

अध्यक्ष महोदय : हां बताइए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इसकी इन्फोर्समेंट के लिए आपने क्या इन्फ्रास्ट्रेक्चर बनाया है, कैसे कैलकूलेट करेंगे? कितनी देर ये डिस्कनेक्ट हुआ, ये इर्र्रेगुलेरिटी हुई, फिर उसको कैसे आप वापिस करेंगे। उसका ए टू जेड उसका कम्पलीट एक क्या हमारे पास कोई डाक्यूमेंट है या हमने कोई इसका रोड मैप बनाया है? ये सिर्फ कानून बनाना एक विषय है, मैं उस से सहमत हूं आपके

कानून से। उसमें कोई दो राय नहीं, पूरा सदन इससे निश्चित रूप से सहमत होगा। लेकिन कानून बनने के बाद इसको आप, मुख्य मंत्री जी भी यहां मौजूद हैं। बड़े दिनों बाद मिलने का मौका मिला है तो आज कल वैसे तो बात होती ही नहीं है। यहीं होती है जो होती है। तो मैं यही अध्यक्ष जी जानना चाहूंगा कि इसकी कम्पलाएंस का कोई यहां पर स्कीम लगाकर हमें बताया जाए कि ये फूलप्रूफ सिस्टम हैं और इस तरह हर एक व्यक्ति को इससे न्याय मिल जाएगा। तो मैं समझता हूं कि फिर ये आरोप प्रत्यारोप से बाहर आ जाएगी और ये निश्चित रूप से क्योंकि ये कानून, मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा क्या ऐसी पहली बार हुआ है या पिछली सरकार ने भी इस संबध में कुछ दिशा निर्देश निकाले थे और अगर निकाले थे तो उसका अभी तक कम्पलाएंस क्यों नहीं हुआ? ये मेरे दो क्वेश्चन हैं।

ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो इस बात को बड़ी खुशी हुई कि इन-प्रिसिंपल इन्होंने समर्थन तो किया। उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। मुझे पता नहीं था कि पॉलिसी अगर विजेन्द्र जी से अप्रूवल करानी होती तो पहले हम अप्रूव कराकर ही भेजते। मैं आपको पूरी दिखा दूंगा।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : यह पॉलिसी का ही पार्ट है ये कि इम्पलीमेंटेशन कैसे होगा।

ऊर्जा मंत्री : बताता हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : जैसे मेरे घर की बत्ती एक घंटे गई तो वो कैसे कल्कूलेट होगी और कैसे वो पैसा मुझे वापिस मिलेगा इसका कोई क्या आपने रोड मैप बनाया है? दिल्ली सरकार के पास था, वो अभी तक इम्पलीमेंट क्यों नहीं हुआ, ये भी हमें बताइए?

अध्यक्ष महोदय : जगदीप जी, मंत्री जी ने उत्तर देना है।

ऊर्जा मंत्री : सर, मुझे ऐसा लगता है कि आदरणीय सदस्य को ये नहीं पता है कि ये जो आर्डर किये हैं, डीआरसी ने किये है और डीआरसी का काम है कि पूरे सिस्टम को बनाना। डीआरसी ने पूरा अपना आर्डर किया नोटिफिकेशन किया है। एक अगर 100 से ज्यादा लोगों की लाईट जाती है तभी इसको लागू किया जाएगा। 100 से कम तो लागू भी नहीं है और अगर लोग कम्पलेंटस करा रहे हैं तो झूठी कम्पलेंट कोई कराएगा कि अपने सौ लागों ने ऐसी करा दी कि मेरे घर से लाईट चली गई है और जहां तक है कि कोई भी...एक पूरी बात तो सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : एक बार जवाब पूरा आने दीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : उनको पूरा लाभ मिले।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, मंत्री जी को उत्तर पूरा कर लेने दो।

ऊर्जा मंत्री : सर, मुझे बोलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जो मैं बोलना नहीं चाहता था कि जो बिजली कम्पनियां हैं, इन कम्पनियों के लिए अगर इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई की जाती है। तो बहुत सारी ताकतें खड़ी हो जाती है। उनको बहुत दर्द होता है। बिजली कम्पनियों के लिए वैटिंग करने के लिए बहुत सारी ताकते हैं। सभी पार्टियां हैं जो उनके लिए खड़ी रहती हैं हमेशा। पहली बारी सरकार ने उनके ऊपर जब पेनल्टी लगाई तो इन लोगों ने अखबारों के अन्दर ब्यान देकर इसका विरोध किया था। आज भी सिर्फ प्रोसीजर के अन्दर फंसाना चाहते हैं, प्रोसीजर के अन्दर इसको घुमाना चाहते हैं। देश के अन्दर इतने सारे कानून बनाए गए हैं, विधान सभाओं ने बनाए हैं, लोकसभा ने बनाए हैं, सभी की पहली प्रजेंटेशन नहीं होती है कि इसको इंप्लिमेंट करने का फुल प्रूफ रास्ता बताइएगा। आज देश में मर्डर भी होते हैं तो 100 पर्सेंट उन लोगों को सजा नहीं मिलती है। तो मर्डर की सजा देनी बंद कर दे क्या? आप ये चाहते हैं कि 100 पर्सेंट लोगों को सजा नहीं मिले।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदया, मैं बिना बात के खड़ा नहीं होना चाहता। मैं यहां सैटिस्फाइड होना चाहता हूं। मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाना नहीं चाहता। आप बताइए ये सॉफ्टवेयर है, ये डीजीपीए लगेगा, आप क्यों मुझे राजनीतिक भाषा बोलने पर मजबूर कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, वो हम बता रहे हैं। उन्होंने बता दिया डीईआरसी में, ये डीईआरसी...

...(व्यवधान)

ऊर्जा मंत्री : सर, आप क्यों घबरा रहे हैं? मैंने तो आपका नाम भी नहीं लिया। मैंने कुछ राजनीतिक पार्टियों को बोला।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए दो मिनट।

...(व्यवधान)

ऊर्जा मंत्री : आप नहीं हैं उसमें, अच्छा आप खड़े होकर बता रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दो मिनट।

ऊर्जा मंत्री : देखिएगा सबसे पहले जितने भी हमारे सब स्टेशन होते है, पावर सब स्टेशन होते हैं, सभी के ऊपर सबकी मॉनेटरिंग ऑन लाइन होती है और सारे डिस्कॉम्स के पास ऑन लाइन डेटा होता है एक-एक मिनट का, एक-एक सैकण्ड का होता है कि कहां पर लाइट गई। अगर आज भी ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चलिए, आप विजेन्द्र जी, दो मिनट बैठ जाइए, विजेन्द्र जी बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इसको डिबेट बना रहे हैं। इसका उत्तर उनको पूरा कर लेने दीजिए एक बार। आप नोट कर लीजिए उत्तर दे रहे हैं वो।

ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कहा था कुछ ताकतें बार बार खड़ी हो जाती हैं। वो खड़े होकर दिखा रही है।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर मैं बता देता हूं उसका। लेकिन दे रहे हैं वो। आप सुनना नहीं चाह रहे।

ऊर्जा मंत्री : हो सकता है फिर से डेस्क पर खड़ा होना पड़े उनको। सर, मुझे लग रहा है कि अच्छी तरह तब दिखाई देगा जब ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय आज भी सभी सब स्टेशन लेवल के ऊपर, सर सीधे तौर पर जनता को पता लगना चाहिए कि कौन बैटिंग कर रहा है, किसके लिए कर रहा है और अध्यक्ष महोदय आपको बता देता हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : जवाब दो।

लोक निर्माण मंत्री : सुन लीजिए आपको भी पता है।

अध्यक्ष महोदय : जवाब दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं शुरू से स्टार्ट करता हूं दिल्ली के अन्दर डीईआरसी ने दिल्ली सरकार के ऑर्डर के ऊपर ये ऑर्डर पास किया था कि दो घण्टे

से ज्यादा या किसी भी नागरिक की अगर बिजली जाती है, सौ लोगों से ज्यादा जाती है तो उनको कंपन्सेशन दिया जाएगा। इस आर्डर के बारे में माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि इसको लागू कैसे किया जा सकता है। दिल्ली के अन्दर जितनी भी सब स्टेशन लेवल हैं, हर सब स्टेशन लेवल के ऊपर 300 घर, 400 घर, 500 घर जुड़े होते हैं उनके पास पूरा ब्यौरा होता है कि किस टाईम से, किस टाईम तक के लिए बिजली गई है। अगर बिजली जाएगी दो घण्टे से ज्यादा जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसको आने वाले मीटर, अगले आने वाले मीटर के अन्दर उसको ऐडजेस्ट कर सकते हैं दिस इज वैरी मच पोसिबल उसके अन्दर कोई भी नया सिस्टम लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आवश्यकता है तो विजेन्द्र गुप्ता जी एक एल.जी. साहब के पास जाने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। विजेन्द्र जी, बिल्कुल ठीक है ये सब। सैटिस्फेक्ट्रिली मैं करवा कर दिखा दूंगा। नहीं आप कुछ भी कह लें। चलिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है चलिए अब कम्पलीट करिए। विजेन्द्र जी, उनको पूरा करने दीजिए। उनको पूरा करने दीजिए।

ऊर्जा मंत्री : इसका मतलब आप!

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, उनको पूरा करने दीजिए। उनको पूरा करने दीजिए। विजेन्द्र जी बैठिए।

ऊर्जा मंत्री : अब आधा तो बोलने दो, पूरा तो करने दीजिए। अध्यक्ष महोदय पहला। दूसरी बात ये कि दिल्ली के अन्दर काफी सारे मीटर जो कम्पनी से लगाए, वो स्मार्ट लगाए जा चुके हैं। स्मार्ट मीटर्स का पूरा रिकार्ड डीईआरसी कभी भी चेक

कर सकती है और पेनल्टी अपने आप भी लगा सकती है। आज भी और डीईआरसी मुझे जहां तक नॉलेज है, आगे उन्होंने ऑर्डर किए हैं कि जितने भी मीटर नए लगेंगे, वे बातचीत चल रही है सारे स्मार्ट मीटर ही लगाए जायेंगे। तो दोनों चीजों के साथ साथ आज भी इस सिस्टम को 90, 95 पर्सेंट लागू किया जा सकता है। जहां तक 5 पर्सेंट की बात है, 10 पर्सेंट की बात है, तो जनता सहन कर लेगी। आप 90 पर्सेंट एल.जी. साहब से इसको करवा दीजिए। हम 90 पर्सेंट एल.जी. साहब से इसको करवा दीजिए। हम 90 पर्सेंट पर भी सहन कर लेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करेंगे। हां, कम्पनियां नाराज हो सकती हैं। उसके लिए हम आपसे माफी मांगेंगे।

अध्यक्ष महोदय : पंकज पुष्कर।

श्री पंकज पुष्कर : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 75 प्रस्तुत है :

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शराब और ड्रग्स के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने हेतु सरकार की नीति का विवरण क्या है;

(ख) वर्तमान सरकार द्वारा शराब और नशा खोरी को हतोत्साहित करने हेतु किए जा रहे नये उपायों का विवरण क्या है;

(ग) वर्तमान सरकार द्वारा उठाए गए कदमों जैसे डी-एडिक्शन हेतु नये केन्द्र खोलना, इलाज व पुनर्वास, सलाह एवं जागरूकता अभियान का विवरण क्या है;

(घ) इस संबंध में पिछले दस वर्षों में सरकार द्वारा बजट आबंटन और व्यय का वर्षवार विवरण क्या है; और

(ङ) 01.04.2015 से शराब खोरी और नशा खोरी रोकने हेतु विज्ञापनों पर खर्च का विवरण क्या है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–75 का उत्तर प्रस्तुत है : (क) शराब एवं नशीले पदार्थों की खपत कम करना एक बहुविभागीय कार्य है, इसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

1. विभिन्न प्रचार माध्यमों द्वारा

2. परामर्शी सेवाएं

3. नशा पीड़ितों के इलाज हेतु नशा मुक्ति केन्द्र

4. इस कार्य से जुड़े सर्वे/अध्ययन रिपोर्ट

(ख) अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के मनः प्रणाली पदार्थ उपचार केन्द्र को मादक पदार्थ इस्तेमाल करने वाले गली के बच्चों के सर्वे के लिए कार्य सौंपा गया है। यह कार्य पहचान, समस्या एवं विकास में सहायक होगा।

(ग) माननीय मंत्री महोदय (सं क/महिला एवं बाल विकास विभाग) द्वारा आदेश संख्या नि.स. मंत्री/सं.क.2016/2178–82 दिनांक 30.06.2016 के अनुसार माननीय सचिव (स.क.) की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे।

1. डॉ. तरुण सीम सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)

2. डॉ. राजेश कुमार एस.पी.वाई.एम.

3. डॉ. आलोक अग्रवाल, अ.भा.आ.वि.स.

उपरोक्त कमेटी शीघ्र ही रिपोर्ट करेगी। नीति निर्देशों के अनुसार नशा मुक्ति केन्द्र खोलने का कार्य स्वास्थ्य विभाग का है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए विवरण के अनुसार पांच–पांच बिस्तर वाले एक–एक वार्ड विशेषतः मनः मस्तिष्क प्रभाव इलाज नशा पीड़ितों के लिए निम्नलिखित अस्पतालों में खोले गए हैं।

1. गोविन्द वल्लभ पंत अस्पताल

2. बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल

3. लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल

4. दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल

5. पं. मदन मोहन मालवीय अस्पताल

(घ) पिछले दस वर्षों में मध निषेध प्रचार प्रसार योजना का बजट आवंटन एवं व्यय निम्न है :

क्र.सं.	वर्ष	आबंटित बजट रुपये/पैसे	व्यय रुपये/पैसे
1.	2006-07	11400000	11361007
2.	2007-08	12500000	12499096
3.	2008-09	7300000	7258412
4.	2009-10	13500000	13487948
5.	2010-11	14500000	14366315
6.	2011-12	16000000	15999959
7.	2012-13	21000000	20271635
8.	2013-14	46000000	44188855
9.	2014-15	10000000	1880014
10.	2015-16	10000000	16000 एवं 179600 कार्यालय व्यय मद से विज्ञापन पर व्यय हुआ।

(ङ) मद्य निषेध निदेशालय द्वारा विश्व नशा बंदी दिवस (26.06.2015) के अवसर पर सूचना एवं प्रचार निदेशालय (दि.स.) के माध्यम से एक विज्ञापन प्रकाशित करवाया गया जिसके लिए अभिकरण/एजेन्सी को रुपये 179600 जारी किये गए, दोबारा ऐसा ही विज्ञापन 26.06.2016 के अवसर पर जारी करवाया गया, सूचना एवं प्रचार निदेशालय की भुगतान नीति के अनुसार यह भुगतान सूचना एवं प्रचार निदेशालय द्वारा किया जाएगा। इस बारे में कोई बिल इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : हां जी सप्लीमेंट्री।

श्री पंकज पुष्कर : माननीय मंत्री महोदय से मेरा पूरक प्रश्न कि ये जो नये डि-एडिक्शन के पांच केंद्रों की सूचना दी है, ये गत एक वर्ष में खोले गए डि-एडिक्शन सेन्टर्स है या कोई पुराने है और दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि जैसा कि हमको विखण्डित तारांकित प्रश्न से पता लगा कि जैसे कि बिक्री से रेवन्यू बढ़ा, गत एक वर्ष में भी रेवन्यू की आय में बढ़ोत्तरी हुई है लेकिन नशा रोकने के लिए जो प्रचार प्रसार पर खर्च है, वो पिछले तीन वर्ष में घटने का उसमें ट्रेण्ड है, 2013-14 में 4.4 करोड़ है, 2014-15 में 18 लाख है, 2015-16 में 16 हजार और 1.76 लाख है। तो इस मद्य निषेध पर होने वाले खर्चे के घटने का क्या कारण है जबकि राजस्व में आय बढ़ी है, ये दो मेरे पूरक प्रश्न हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि ये जो केन्द्र हैं, ये शुरू से ही सारे हॉस्पिटल्स में इतने बेड और ये जितनी भी जानकारी आप मांग रहे हैं, ये सारी की सारी सूची आपको भेज दी जाएगी, आपके कार्यालय में। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : ऐनी सप्लीमेंट्री?

श्री गिरीश सोनी : माननीय अध्यक्ष महोदय इस विषय में पहले भी चर्चा चली थी कि दो-तीन दिन पहले विपक्ष के माननीय सदस्य ने ये कहा था कि कुछ ठेके यहां बढ़ा दिए गए हैं, उनको लाइसेंस दिए गए हैं लेकिन दिल्ली में कुछ ऐसे ठेके भी चलते हैं जिनको लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती। जो दिल्ली पुलिस की मिलीभगत से चले है। मैं समझता हूं कि ये हर एक विधान सभा में है।

अध्यक्ष महोदय : सोनी जी इससे रिलेटिड नहीं है ये प्लीज।

श्री गिरीश सोनी : अध्यक्ष महोदय, रिलेटिड है ये इससे क्योंकि वो जो ठेके, वो जो चल रहे हैं सिर्फ ये कुछ रहा हूं कि क्या दिल्ली पुलिस, क्या दिल्ली के एल. जी. या दिल्ली के गृह मंत्री उसपे कोई कार्रवाई करेंगे? क्योंकि मैं समझता हूं आप सदस्यों से कहें कि आप हाथ खड़ा करके बताइए कि किसकी विधानसभा में वो ठेके खुले हुए हैं। लगभग सबकी विधानसभाओं में वो ठेके खुले हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : सोनी जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने पिछली बार उत्तर दिया था कि इतने ठेके हमने बन्द करवाए गैर-कानूनी, इतने लोग पकड़े गए।

श्री गिरीश सोनी : मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जब इन्होंने ये उंगली उठायी थी कि जिस तरह से दिल्ली में ठेके खोले गए, जो अवैध शराब बिक रही है दिल्ली पुलिस की मदद से, वो बिना लाइसेंस के ठेके जिनको मैं बता रहा हूं। उन पर रोक लगाने के लिए क्या किया जा रहा है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें बता दूं आपको। मेरे यहां पर रिसटलमेंट कालोनी है जिसमें अवैध शराब का काफी बढ़ा धंधा है, सट्टे-बाजारी हैं। मैंने एचएसओ को एक-एक घर का ऐड्रेस लिख-लिख के दिया था कि यहां पर ये गलत काम होते हैं। लेकिन पुलिस वहां से पैसों की उगाही करती

है, पुलिस नहीं चाहती कि दिल्ली में इस तरह की व्यवस्था हो। जितने भी गलत काम अगर हो रहे हैं, लॉ एण्ड आर्डर की वजह से हो रहे हैं और दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है इसके लिए और ये विजेन्द्र गुप्ता जी आप ही ठीक करवा सकते हो।

अध्यक्ष महोदय : राजेन्द्र जी।

श्री राजेन्द्र पाल गौतम : क्या माााननीय मंत्री जी ये बतायेंगे कि जो नशे के आदि हो जाते हैं, उनके इलाज के लिए, उन्हें रोकने के लिए हमारा समाज कल्याण मंत्रालय क्या कुछ एनजीओ को कुछ फण्ड मुहैया कराता है। यदि हां, तो एक ऐसा सेन्टर हमारे यहां चल रहा है एफ ब्लॉक में जहां नशा रोकने के बजाय खुलआम वहां लोग इंजेक्शन लगाते रहते हैं बैठकर, रूकने के बजाय और ज्यादा बढ़ रहा है। 400 लोगों ने लिखित में दिया है उसको बन्द करवाने के लिए डूसिब को मैने खुद दिया है लिख के। तो ये दो चीज थोड़ा क्लेरिफाई अगर हो सके तो?

महिला एवं बाल विकास मंत्री : इसमें एक तो अभी थोड़े दिन पहले थोड़े दिन पहले सीएम साहब ने एक आर्डर किया था उसमें जो जीआरसी को फण्ड जाते हैं उसी के तहत ये आते हैं। लेकिन कई बार जेल में भी जो कैदी होते हैं अगर वो नशे के एडिक्ट होते है तो कुछ न कुछ दवाइयां उनको दी जाती हैं। हो सकता है वो चीजें हों। लेकिन ये अभी जो है ना इसका चल रहा है ये सारा का सारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास है। डिप्टी सीएम साहब इसको देख रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : चलिए धन्यवाद। प्रश्न संख्या-76 श्री सोमनाथ भारती जी। जो सदस्य अभी आ गए हों, मैं उनके नाम बोल रहा हूं एक बार अखिलेश पति त्रिपाठी नहीं, श्रीमती प्रमिला टोकस, अजय दत्त जी-नहीं, नरेश बाल्यान जी-नहीं। चलिए, जगदीप सिंह जी आपका सप्लीमेंटरी। स्टार्ड क्वेश्चन 77 जगदीप जी।

श्री जगदीप सिंह : माननीय मंत्री जी प्रश्न सं. 77 प्रस्तुत है :

क्या **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारी संख्या में पीने के पानी की लाइनों में सीवर का पानी मिलने की शिकायतें आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इस समस्या से निपटने हेतु प्रस्तावित एक्शन प्लान का विवरण क्या है; और

(ग) यह योजना कब तक कार्यान्वित हो जाएगी?

जल मंत्री : आदरणीय अध्यक्ष महोदय प्रश्न संख्या–77 का जवाब प्रस्तुत है; (क) पीने के पानी में सीवर का पानी मिलने की कुछ शिकायतें जरूर वहां से आाई हैं।

(ख) गंदे पानी की शिकायत मिलने पर पीने के पानी का सैंपल डी.अी.क्यू. सी. टीम के साथ चैक किया जाता है। तत्पश्चात् गले हुए या पुराने कनैक्शन जो नाली या सीवर से जा रहे हैं, उनको काटा या बदला जाता है। आवश्यकतानुसार क्षतिग्रस्त पाईप लाइन को भी बदला जाता है।

इसके अतिरिक्त पानी के निजी कनैक्शन जो कि बहुत पुराने हैं या नाले व सीवर से गुजर रहे हैं, का सर्वेक्षण कर लिया गया है। पूरी दिल्ली में इस साल जहां–जहां से कंटेमिनेशन की प्रॉब्लम्स आई थी, सब जगह की एक लिस्ट बनाई गई है जिनको बदलने का प्रस्ताव अभी सोमवार को जो दिल्ली जल बोर्ड मीटिंग है, उसमें लेकर आ रहे हैं हम लोग। जहां बार–बार गंदे पानी की शिकायत आती हैं, जी.आई.एस. नक्शे पर उन सभी जगहों की पहचान कर ली गई है। माननीय विधायक महोदय का जो क्षेत्र है, उसको खासतौर पर हम लोग हाइड्रोजन के माध्यम से बहुत सारी पुरानी जो लाइनें थी उन सबको नए तौर पर डालने की योजना बना रहे हैं।

(ग) गंदे पानी की शिकायत मिलने पर तुरन्त कार्रवाई करने की कोशिश की जाती है तथा हाइड्रोलिक मॉडलिंग की योजना को जल्दी ही शुरू कर दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : हां, जगदीप जी, सप्लीमेंटरी।

श्री जगदीप सिंह : एक इम्पोटेण्ट चीज है कि यूजीआर के लिए हम तीन साल से इसको परशू कर रहे हैं और तीन बार इसका टेंडर भी लग गया है। क्या माननीय मंत्री ये बतायेंगे कि ये कब तक बनना शुरू होगा क्योंकि टेंडर बहुत बार रिपीट हो चुका है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ना, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं विजेन्द्र जी आप बैठिए। नहीं, ऐसा रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है ऐसा। न लोकसभा में आते हैं। चलिए, अभी उनको सप्लीमेंटरी पूछने दीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है आप बैठिए

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं बुलाता हूं वो आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। चलिए मैं देख लूंगा। जगदीप जी, सप्लीमेंटरी।

श्री जगदीप सिंह : इसमें सर यूजीआर का थोड़ा सा देख ले आप।

अध्यक्ष महोदय : जगदीप जी, सप्लीमेंटरी आपका।

जल मंत्री : यूजीआर के संबंध में माननीय विधायक महोदय ने खुद ही बताया है कि उसके टेंडर की प्रक्रिया हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और उसकी समय सीमा आपको मैं आपके यहां सूचित करवा दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : हां, प्रवीण जी।

श्री प्रवीण कुमार : अध्यक्ष महोदय, इसी गंदे पानी की शिकायत पर एक छोटा सा सवाल कर रहा था कि जब भी जल बोर्ड जो काम करता है जिसमें मेन हॉल और अगर गंदे पानी की शिकायत हैं तो लगातार वो जैसे ट्रबल शूटिंग जिस तरीके से होती है कि कंपलेंट आती है और उसके बाद वो मेन हॉल साफ कर जाते हैं सेण्ड निकालने जाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि उनके पास कोई चेक–लिस्ट होती है कि हर महीने में उन्हें ये स्पेसिफिक मेन–हॉल चेक करना या लाइन चेक करनी है इस तरीके से अगर चेक–लिस्ट बन जाएगी तो ज्यादा आसानी होगी। ताकि वो ट्रबल शूटिंग जब सीवर बिल्कुल ब्लाक हो जाए, तभी उसकी डिसिल्टिंग न करे, उसके पहले भी डिसिल्टिंग करें।

जल मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायक महोदय का जो प्रश्न है, उसके पीछे छिपा हुआ जो दर्द है वो बिल्कुल जायज है। कई जगहो पर ऐसा होता है कि सफाई मे लापरवाही देखी गई है जिसके लिए दिशा–निर्देश भी जारी कर रहे हैं और इस बार जहां भी पूरी गर्मियों में गंदे पानी की शिकायत आई थी, इसलिप पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरी दिल्ली का सर्वे करा लिया गया है और जितने भी स्थानों की हमने पहचान कराई है उन सभी को इसी बोर्ड की मीटिंग में एक साथ पूरी दिल्ली मे रिपेयर करने का प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : हां सोनी जी।

श्री गिरीश सोनी : माननीय मंत्री जी मेरे इलाके में एक शिवांगी कुंज इलाका है जिसके अन्दर यूजीआर काफी रिपेयर होने वाला है। उसके अन्दर बहुत गंदा पानी आ रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि कुछ पेड़ों की जड़े अन्दर घुस गई है यूजीआर में तो विभाग बड़ा विवश सा नजर आता है कि हमें वन विभाग से पेड़ कटवाने की अनुमति चाहिए या उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया

जाए यूजीआर को अगर वो रिपयेर नहीं हो सकता। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है उसको कैसे हल निकलेगा मैं नहीं समझता।

जल मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न से संबंधित प्रश्न नहीं है लेकिन विधायक जी की समस्या नोट करके मैं अगले हफ्ते आपको इसके बारे में जरूर जवाब पहुंचाता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या -78 नहीं, हो गया, बताइए एक सेकेण्ड विजेन्द्र जी।

श्री सुखबीर सिंह दलाल : मेरे यहां एनडब्ल्यूएस कंपनी है प्राइवेट कंपनी है और उनका जो मैं एक्शन प्लान देखता हूं कि मेरे इलाके में उन्होंने 2019-2020 तक है जो ये कंटेमिनेटेड वाटर की जो प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि तीस साल कभी लाइनें बिछी थीं। अब उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास फाइनेंस की प्रॉब्लम है, 2020 में मुण्डका का वो प्रोजेक्ट है। क्या हम लोग 2020 तक ये ही पानी पीते रहेंगे?

जल मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दलाल जी, ऐसा नहीं है। आपको और कुछ जानकारी लेनी है लिख के भेज दे। विजेन्द्र गुप्ता जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या-78 प्रस्तुत है:

क्या **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार को दिल्ली जल बोर्ड के लिए पानी की सप्लाई के टैंकरों में कथित अनियमितताओं का पता लगा है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि इस संबंध में शिकायतों के बावजूद सरकार उस कम्पनी को ब्लैक लिस्ट करने की बजाय करके कॉन्ट्रेक्ट को जारी रखे हुए हैं;

(ग) इसके कारण दिल्ली जल बोर्ड को प्रतिमाह कितना घाटा वहन करना पड़ता है; और

(घ) क्या सरकार द्वारा टैंकर व्यवस्था में भ्रष्टाचार खत्म करने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं?

जल मंत्री : अध्यक्ष महोदय, गुप्ता जी के प्रश्न का जवाब खड़े होकर देना चाहूंगा वरना वो कहां-कहां खड़े हो जायेंगे। ये सवाल गुप्ता जी ने पूछा है और इसमें मैं थोड़ा 10 मिनट लूंगा। इसीलिए प्रश्न का लगभग दस मिनट बढ़ जाए तो उसकी भी आपसे अनुमति चाहूंगा। गुप्ता जी का पहला सवाल है क्या यह सत्य है कि सरकार को दिल्ली जल बोर्ड के लिए पानी की सप्लाई के टैंकरों में कथित अनियमितताओं का पता लगा है। ये विजेन्द्र गुप्ता जी ने सवाल पूछा है और मुझे इतना दु:ख और दर्द हो रहा है इस सवाल को देख के क्योंकि 13 जून को इसी सदन के अन्दर गुप्ता जी के हाथ में मैंने पूरी की पूरी रिपोर्ट दी थी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : भई ऐसे नहीं विजेन्द्र जी, ऐसे मैं नहीं एलाउ करूंगा। आप पूरा भाषण दे दें, मंत्री जी को जवाब देने दीजिए। आप बैठ जाइए वो जवाब दे रहे है। आप हर चीज में राजनीति लेते हैं। आप बैठिए प्लीज। आपको जवाब दे रहे हैं आप बैठिए, नहीं-नहीं आप बैठिए। ये आपका भी तरीका नहीं है आप बैठिए। आप हर मामले में हिस्तर्ब करते हैं आप विपक्ष की भूमिका ठीक से निभाइए।

जल मंत्री : गुप्ता जी सुन लो, आज नए तुम, आज XXX[1] इस सदन के अन्दर...

...(व्यवधान)

XXX[1] चिहिनत शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से हटाया गया।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं रोक रहा हूं। ये XXX शब्द हटा दीजिए। मैंने बोल दिया भइया, मैंने बोल दिया। बोल दिया। अब आप शान्ति से। अब आप डिस्टर्ब नहीं करें। आप बार-बार उकसा रहे हैं। आप उकसा रहे हो। मैं कह रहा हूं आप उकसा रहे हो। आप बैठ जाइये। जब आप उठेंगे नहीं। फिर आप उठ गये। आप बार-बार उकसा रहे हैं। आप उकसा रहे हैं बार-बार। आदरणीय मंत्री जी इस उत्तर का बहुत शान्तिपूर्वक आप उत्तर दीजिए। बस शान्तिपूर्वक। इनके उकसाने में मत आइये। हां, मैं समय दूंगा।

जल मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का एक इतिहास है। इस प्रश्न के पीछे हमने बहुत छैया-छैया होते देखा है डेस्क के ऊपर। तो इसीलिए यहां पर जवाब पूरा दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : आप दीजिए।

जल मंत्री : आप सुनिए। ये मुझसे सवाल।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या बोला उन्होंने? नहीं, कोई अपशब्द नहीं बोला उन्होंने। विजेन्द्र जी, नहीं, मैं ये सहन नहीं करूंगा। कोई अलोकतांत्रिक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है। नहीं, आप बैठिए। भई ये उत्तर बहुत जरूरी है। राखी जी, ये उत्तर दिया जा रहा है। बहुत जरूरी है। आप बैठिए प्लीज, बैठिए प्लाज। उनकी आदत बन गयी है। चलिए। बैठिए।

मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं कि अब बीच में कोई डिस्टर्ब न करें। यह बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका जवाब दिया जाना चाहिए।

जल मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं क्या इस सवाल के ऊपर शुरू हुआ। 70 दिन पहले ये रिपोर्ट उनके हाथ में थी। 70 दिन के बाद ये मुझसे पूछते है कि अनियमितताओं

का पता लगा। इसका मतलब 70 दिन में तुमने वो रिपोर्ट खोल के पढ़ी भी नहीं। मतलब तुम्हें ये पूछना नहीं पड़ता मुझसे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : भई विजेन्द्र जी, अब आप बैठ जाइए। नहीं, वो नहीं हैं। आप बैठ जाइए। आप सप्लीमेन्ट्री पूछियेगा। आप बार-बार डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको। नहीं, प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं वो। वो प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। बैठिए आप। ये नियम है। एक सेकेण्ड। विजेन्द्र जी, मैं एक चीज बताऊं आपको। ये नियम है। किसी प्रश्न का पहले उत्तर दिया जा चुका हो। ये नियम है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : कौन सा उत्तर दिया जा चुका है?

अध्यक्ष महोदय : ये नियम है। उन्होंने पूरी रिपोर्ट दे रखी है आपको। आप बैठ जाइए। आप नियम पढ़ते नहीं है। नियमों के विरूद्ध जाते हैं आप। बैठिए आप। चलिए।

जल मंत्री : सुनिए, गुप्ता जी। मैं आपसे एक निवेदन करूं। आप थोड़े धीरज से सुनिए।

अध्यक्ष महोदय : कपिल जी आप उत्तर पर आ जाइए सीधे।

जल मंत्री : मैं उत्तर पर ही आ रहा हूं। देखिए अध्यक्ष महोदय, गुप्ता जी, चुप हो जाओ न यार। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल ये विनती कर रहा हूं कि...

अध्यक्ष महोदय : आप दो मिनट रूक जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको कहा है उन्होंने। मुझे नहीं कहा है आपको कहा है। आपको कहा है। मैं सुनवा देता हूं। नहीं कहा है मुझे। मैं कह रहा हूं। उन्होंने कहा आपके लिए बोला है। जगदीश जी से पूछ लीजिए। आपके लिए बोला है। आप बैठ जाओ।

जल मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्नकर्ता से ये निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार पूरा जवाब सुन लें। उसके बाद आपको जहां खड़े हो जाइए। मैं ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि मुझे दु:ख इस बात का हुआ है ये देखकर कि सत्तर दिन पहले जो रिपोर्ट इनके हाथ में दी थी, अगर एक पहला पन्ना भी पढ़ लिया होता तो पहला सवाल यहां पर नहीं आता। ये मुझसे ही पूछ रहे हैं कि सत्तर दिन के बाद की अनियमितताओं का पता लगा तो आप उस रिपोर्ट को लेकर क्या कर रहे हो भाई साहब? आपके प्रधानमंत्री महोदय को रिपोर्ट दी। वो क्या कर रहे हैं? आपके एल. जी. महोदय को रिपोर्ट दी। ए.सी.बी. को रिपोर्ट दी। उनमें से किसी ने आपको नहीं बताया कि इस रिपोर्ट में क्या है? ये भी मुझसे ही सत्तर दिन बाद पूछने आये हो वापस। मैंने तो यहां डंके की चोट पर बताया था कि उस रिपोर्ट में क्या लिखा है और मैंने उस दिन ये भी बताया था कि तुम्हारी नीयत में खोट है। मैंने उस दिन ये भी बताया था कि आप इसका ड्रामा करोंगे।

अध्यक्ष महोदय : कपिल जी, आप बैठ जाइए। आप बैठ के उत्तर दीजिए प्लीज। मुझे नहीं ठीक लग रहा है।

जल मंत्री : मैं खड़ा होके कहना चाहता हूं। बाद में बैठ जाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : चलिए, अब अगला लीजिए। अगला लीजिए।

जल मंत्री : एक बात में कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। जी हां, आपका जवाब भी दे देता हूं। जी हां। दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष के आदेशानुसार एक फैक्ट फाईन्डिंग कमेटी का गठन किया गया था। पूर्व सरकार के दौरान टैंकरों को खरीद में अनियमितताओं की तरफ इशारा करती है ये रिपोर्ट। ये रिपोर्ट माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार, माननीय उप राज्यपाल, दिल्ली को करीब दो महीने पहले भेजी गयी थी। इस आशय के साथ की अनियमितताओं की जांच सी.बी. आई. अथवा एन्टी

करप्शन ब्यूरों से करवा ली जाये। इस सम्बन्ध में अगला सवाल ये मुझसे पूछते है कि...अरे! तो आपको पढ़ना नहीं आता क्या? सुनो।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी आप, चलिए, चलिए।

विजेन्द्र गुप्ता : पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ो।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, आप इस क्वेश्चन में घिर गये हो। इसलिए परेशानी हो रही है। चलिए। आप चलिए। जल्दी चलिए।

जल मंत्री : तुम एक-एक शब्द देख रहे हो। मैं तुम्हारी मूंछ का एक-एक बाल देखने वाला हूं।

अध्यक्ष महोदय : कपिल जी। करिए आगे चालू। प्लीज।

जल मंत्री : आपकी ये रिपोर्ट एन्टी करप्शन ब्यूरो के पास है। एन्टी करप्शन ब्यूरो को इस रिपोर्ट की जांच करके लोगों से बातचीत करके हमको इसके बारे में बतााना है कि क्या करना है। दिल्ली सरकार भी इन्तजार कर रही है। देश भी इन्तजार कर रहा है लेकिन एक बड़ी अजीब घटना हुई। जिस दिन तक ये रिपोर्ट हमारे पास रखीं थी। जिस दिन तक ये रिपोर्ट दिल्ली सरकार के पास रखीं थी। शीला दीक्षित राजनीति से सन्यास लेके अपने घर पर बैठीं हुई थी डर के कि ये रिपोर्ट इनके पास है, पता नहीं क्या हो जायेगा! भ्रष्टाचार की रिपोर्ट इनके पास है, पता नहीं क्या हो जायेगा! भ्रष्टाचार की रिपपोर्ट इनके पास है। ये मुझे जेल में डाल देंगे, जिस दिन तेरह जून को रिपोर्ट विजेन्द्र गुप्ता जी के हाथ में गयी, अगले दिन शीला दीक्षित खुलके राजनीति में आ गयी। कहती है अब कोई डर नहीं है। अब कोई डर नहीं है मेरे को।

अध्यक्ष महोदय : आप घिर गये इस मामले में। चलिए। आगे चलिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : जो XXX[2] हो रहा है।

XXX[2] चिह्नित शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से हटाया गया।

अध्यक्ष महोदय : ये XXX को शब्द कार्यवाही निकाल दीजिए।

जल मंत्री : गुप्ता जी ने अगला सवाल पूछा है ख-क्या ये भी सत्य है कि इस सम्बन्ध में शिकायतों के बावजूद सरकार उस कम्पनी को ब्लैक लिस्ट करने की बजाय कान्ट्रैक्ट को जारी रखे हुए हैं। गुप्ता जी अगर रिपोर्ट पढद्यी होती तो ये भी देखा होता कि रिपोर्ट में लिखा क्या है। फैक्ट फाईन्डिंग कमेटी। अरे सुनो। बैठ के सुनो।

अध्यक्ष महोदय : मैं बता रहा हूं।

जल मंत्री : सीधा जवाब दूंगा। सुनने की हिम्मत रखो। तुम सुनने की हिम्मत रखो तुम सुनने की हिम्मत रखो गुप्ता जी। तुम्हारे सारे जवाब देने आया हूं आज मैं। क्या ए.सी.बी. को बता दिया कि कान्ट्रैक्ट रद्द होना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री महोदय ने पत्र लिखकर भेज दिया कि कान्ट्रैक्ट रद्द होना चाहिए? क्या सी.बी.आई. ने लिखकर भेज दिया कि कान्ट्रैक्ट रद्द होना चाहिए?

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, आप! ये बात ठीक नहीं है। विजेन्द्र जी, ये बात ठीक नहीं है। उनका उत्तर तो पूरा सुन लीजिए।

जल मंत्री : गुप्ता जी, आपके सामने सदन पर ऑन रिकॉर्ड कहता हूं ये फैक्ट फाईन्डिंग कमेटी थी। फैक्ट फाईन्डिंग कमेटी का काम था तथ्यों की जांच करना, दस्तावेजों को देखना और दस्तावेजों को देखने के बाद पूरी रिपोर्ट में अगर कही रिकमन्डेशन दी हो तो। पढ़ी होती तो पता होता की रिकमन्डेशन क्या दी है उस रिपोर्ट के अन्दर। लेकिन बैठो, पहले बात सुनो। बात सुनाना सीखा। बैठो नीचे।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, मैं बार-बार प्रार्थना कर रहा हूं आपसे। आप सुनने को तैयार नहीं है। विजेन्द्र जी, आप बैठिए। आप बैठिए दो मिनट।

जल मंत्री : मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि पिछले सत्तर दिन में एन्टी करप्शन ब्यूरो ने कोई काम नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय : भई, उनको पढ़ने दो आप। ऐसा नहीं।

जल मंत्री : और कहा था और भरोसा दिया गया था कि अगर दो महीने में रिपोर्ट देने के बाद शीला दीक्षित गिरफ्तार नहीं होती है तो गुप्ता जी अपनी मूंछे कटायेंगे। सदन के अन्दर ये घोषणा हुई थी।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : शीला दीक्षित गिरफ्तार होती रहेगी।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं, आप बैठिये। आगे चलिये।

जल मंत्री : मैं यह कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि आज दो महीने के बाद लगभग 70 दिन के बाद इनके मुंह पर मूंछे होंगी लेकिन जनता की नजरों में इनकी मूंछे कट चुकी हैं और केवल मूंछे नहीं कटी हैं।...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप जवाब दीजिए ना, जो लिखा हुआ है, उसको बोलने में फायदा है।

..(व्यवधान)

जल मंत्री : आपको तकलीफ क्यों हो रही है?

...(व्यवधान)

जल मंत्री : आपको तकलीफ क्यों हो रही है, यह भी ऑन रिकार्ड है।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : टेक्स्ट पढ़िये, फिर एक्सप्लेन करिये।

...(व्यवधान)

जल मंत्री : यह भी ऑन रिकार्ड है साहब, जो लिखा है, वो भी ऑन रिकार्ड है। जो बोल रहा हूं, वो भी ऑन रिकार्ड है।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप ध्यान से पढ़िये, बिना पढ़े मत बोलिये।

...(व्यवधान)

जल मंत्री : आप बैठ जाओ, जो आपको नहीं पता, मुझे वो भी पता है। आप बैठ जाओ।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : जो लिखा है वो बोली, जो लिखा है और जो बोल रहे हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई अंतर नहीं है।

जल मंत्री : गुप्ता जी, जो आपको नहीं पता ना, जो यहां लिखा नहीं है, मुझे वो भी पता है।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप पढ़िये, पढ़िये।

जल मंत्री : मुझे तो यह भी पता है कि आपका अगला अध्यक्ष कौन बनने वाला है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कपिल जी, एक सैकेण्ड रूक जाइये।

जल मंत्री : मुझे ये बात रखने क्यों नहीं दे रहे?

अध्यक्ष महोदय : आप उत्तर को एक बार पढ़ दीजिए।

जल मंत्री : नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर नहीं पढ़ूंगा, मैं अपनी बात अपने तरीके से रखूंगा।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : उत्तर आता ही नहीं होगा। आप कैसे नहीं पढ़ेंगे?

...(व्यवधान)

जल मंत्री : मेरी मर्जी है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं। विजेन्द्र जी, आप पहले बैठिये। आप बैठ जाइये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप उत्तर पढ़िये।

अध्यक्ष महोदय : हां, वो पढ़ रहे हैं उसको। मैं पढ़वा रहा हूं।

जल मंत्री : अगले पांच मिनट जो बोलूंगा, उसे ध्यान से सुन लेना। मैं केवल यह कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, ये केवल मूंछे नहीं कटी, यह भ्रष्टाचार के मुद्दे पर साठ–गांठ के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की नाक कटी है, अध्यक्ष महोदय, यह नाक वैसी कटी है जैसे शूर्पणखा की नाक कटी थी। शूर्पणखा गई थी रोते हुए।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मेरा ऑब्जेक्शन है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप पढ़ते रहिये, आप पढ़ते रहिये।

जल मंत्री : मैं अस्पताल से केवल यही बात कहने के लिए आया हूं आज।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप उत्तर पढ़िये।

जल मंत्री : मेरी मर्जी है साहब। हां, सरकार है हमारी।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आपकी मर्जी कैसे चलेगी। आपको तो उत्तर देना है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, एक सैकेंड। जो एल.जी. गैलरी में बैठे हैं, वो ताली या हंसेंगे नहीं। आप शांति से सुनिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप उत्तर पढ़िये, फिर उसको एक्सप्लेन करिये, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं और जो लिखा हुआ है, उसमें अंतर आ रहा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक बार ऐसा करिये।

जल मंत्री : नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं तो ऐसे ही बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय : एक सैंकेड, कपिल जी, एक बार जो लिखा हुआ उत्तर है, हालांकि इनके पास जा चुका, सारे सदन के पास है। आप एक बार उसको पढ़ने के बाद फिर आप अपनी टिप्पणियां पूरी कर दीजिए।

जल मंत्री : अध्यक्ष जी, अभी तो मैंने सिर्फ 'क' का जवाब दिया है, 'ख', 'ग', 'घ', 'ङ' सारा बाकी है।

अध्यक्ष महोदय : हां, अभी आप उस उत्तर को पढ़ने के बाद अपनी टिप्पणियां दे दीजिए। एक बार उत्तर पढ़ दीजिए।

जल मंत्री : नहीं अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बोलने दीएिज, जो रिकार्ड से हटाना है, वो हटा देना बाद में।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उत्तर आपका बिल्कुल ठीक है, आप उत्तर पढ़ दीजिए।

जल मंत्री : मैं अपनी बात रख दूं जो रिकार्ड से हटाना है, वो हटा दीजिएगा।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, जो लिखा है और जो बोल रहे हैं, उसमें अंतर आ रहा है। इसलिए कह रहा हूं।

...(व्यवधान)

जल मंत्री : अध्यक्ष महोदय, एक बात कहना चाहूंगा, गुप्ता जी अंतर की बात कर रहे हैं, अंतर तो लाल किले से जो बोला और यू.पी. के गांव में, उसमें भी है। लाल किले से बोला हुआ जमीन पर सच नहीं था, कौन से अंतर की बात कर रहे हो? आप बात सुनो ध्यान से, शूर्पणखा रोती हुई जाती है कि ये कल के बच्चों ने।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, उत्तर रिकार्ड में है, मंत्री को वैसे पूरा अधिकार है बोलने का। मैं बार-बार कह चुका हूं। उत्तर रिकार्ड में है ना। आप उनको पढ़ने नहीं दे रहे। आप बार-बार डिस्टर्ब कर रहे हो। उसमें भूमिका तो लगेगी ना।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, वो जो बोल रहे हैं और जो लिखा हुआ है उसमें अंतर आ रहा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई अंतर नहीं आया। मैं सुन रहा हूं। ये उत्तर मैं एक-एक पेज पढ़ रहा हूं। कोई अंतर नहीं आया अभी तक। आप बार-बार यह कह रहे हैं अंतर आ रहा है, उत्तर मेरे सामने हैं। आप बैठिये। भूमिका में मंत्री कुछ कह सकते है। उत्तर में पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री भी, गृह मंत्री भी और सब चीजे बोलते हैं, साथ में। दो मिनट रूकिये।

जल मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ऑन रिकार्ड एक बात कहता हूं आपसे। इसमें जो लिखा है, वो सारा अक्षरश: बोलूंगा, साथ में अपनी बात भी बोलूंगा। चुपचाप सुनना सीखो। लेकिन कब बोलूंगा, यह मै डिसाइड करूंगा। पहले आप मेरी बात सुनो, ध्यान से। शूर्पणखा क्या कहती है कि ये कल के बच्चे इनके पास न रथ, न सेना, इन्होंने मेरी नाक काट दी। जाते हुए, रोते हुए अपने राजा के पास जाती है, ऐसे ही ये पहुंच गये अपने राजा के पास कि नाक कट गई, नाक कट गई, नाक कट गई और क्या किया राजा ने सीता हरण। इन्होंने कहा दिल्ली सरकार की जितनी शक्तियां हैं लोकतांत्रिक शक्ति, जनता की शक्ति, इसका हरण कर लो। इन्होंने हमारी शक्तियां का हरण कर ली और जाकर बैठा दिया वहां पर राक्षसों के बीच अशोक वाटिका में सारी शक्तियों को।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : फैक्ट फाइंडिंग बताओ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : फैक्ट फाइंडिंग तो आपके पास आई हुई है ऑलरेडी। मंत्री जी उस पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं। फैक्ट फाइंडिंग आपके पास आई हुई है। टोटल आपको लिखित में दी है।

जल मंत्री : गुप्ता जी, परसों आपने इस सदन के अंदर कहा था यह विधान सभा भंग कर देनी चाहिए। यही वो शूर्पणखा का विलाप है, नाक कटी शूर्पणखा का विलाप है यह। जो आप इस विधान सभा के अंदर कर रहे थे। सीता का हरण कर लेना चाहिए, इस विधान सभा की शक्तियां भंग कर देनी चाहिए, विधान सभा को भंग कर देना चाहिए। यही ड्रामा कर रहे थे ना आप। क्योंकि आपकी नका कट गई, क्योंकि आपके भ्रष्टाचार की पोल खुल गई, कयोंकि आपके साठगांठ की पोल खुल गई गुप्ता जी।

आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? आप बात सुनो ध्यान से। सप्लीमेंट्री पूछ लेना, बचे कोई तो। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने केवल दस्तावेजों को देखकर दस्तावेजों की जांच की। गड़बड़ी की जांच की। गड़बड़ी की जांच करने के लिए व सिद्ध करने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के पास केवल कागज देखने का अधिकार था, यह अधिकार नहीं था कि पुराने अधिकारियों को, मंत्रियों को, शीला दीक्षित को बुलाकर पूछताछ करे, वो अधिकार एंटी करप्शन ब्यूरो के पास है, एंटी करप्शन ब्यूरो क्या करता है? मेरी 125 पन्नों की रिपोर्ट पर आज तक शीला दीक्षित को नहीं बुलाया, गुप्ता जी के एक पेज पर 24 घंटे में मेरे को बुला लिया।

अध्यक्ष महोदय : यह तो फैक्ट है, वो बोलेंगे नहीं क्या? यह तो फैक्ट है, इसमें आप क्या करेंगे। इसमें आप क्या कर सकते हैं, बताइये?

श्री विजेन्द्र गुप्ता : फैक्ट फाइंडिंग...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह फैक्ट फाइंडिंग है, यह वास्तविकता में है। कपिल जी, एक सैकेंड। कपिल जी बोल नहीं रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, सदन का अध्यक्ष होने के नाते से, मैं बोल रहा हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप बंद कर दीजिए फैक्ट फाइंडिंग।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक सैकेण्ड विजेन्द्र जी, सोमनाथ जी, दो मिनट रुक जाइये प्लीज।

जल मंत्री : मैं एक चीज और कहना चाहता हूं ऑन रिकार्ड। इस सदन में ऑन रिकार्ड कहना चाहता हूं। गुप्ता जी दोबारा पिछली बार जो कहा था, दोबारा कहना

चाहता हूं, एंटी करप्शन ब्यूरो से रिकमंडेशन दिला दो 24 घंटे में सारे कांट्रेक्ट रद्द कर दूंगा। दिलाओ रिकमंडेशन एंटी करप्शन ब्यूरो जांच करके, दिलाओ रिकमंडेशन।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप कांट्रेक्ट क्यों जारी रखे हुए हैं?

...(व्यवधान)

जल मंत्री : 24 घंटे में कांट्रेक्ट रद्द कर देंगे, लेकिन आपका एंटी करप्शन ब्यूरो शीला दीक्षित को बुलाये तो। बुलाकर के तो दिखाये शीला दीक्षित को, एक बार पूछताछ तो करें, बात तो करें, डर किस बात का है? मैं बताता हूं डर किस बात का है। आदेश है शीला दीक्षित पर हाथ लगाते ही कुर्सी चली जाएगी। चाहे वो एल.जी. हो या वो ए.सी.बी. के अधिकारी हों, सीधा आदेश है शीला दीक्षित पर हाथ नहीं लगना चाहिए। नोटिस, उस नोटिस में कोई धारा का उल्लेख नहीं, उस नोटिस में केस का उल्लेख नहीं, उस नोटिस में किस जगह बुलाया जायेगा, किस समय बुलाया जाएगा, कितनी तारीख को बुलाया जाएगा, ऐसा लग रहा है गिड़गिड़ा रहे हैं शीला दीक्षित के सामने कि दया करो माते, कभी आ जाना हमारी बात सुनने के लिए। आप ही हमारी पालनहार हो, आप ही हमारी रानी हो, आपको दु:ख नहीं होना चाहिए, वो कौन सा नोटिस था? वो नोटिस था या दया याचना थी, शर्म क्यों नहीं आई? चुल्लू भर पानी में डूबकर क्यों नहीं मर गये? मुझे लगता है अगर भ्रष्टाचारियों को ऐसे नोटिस...

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी,

अध्यक्ष महोदय : नहीं, वो ठीक बोल रहे हैं, पीड़ा है। यह मेरी भी पीड़ा है। यह पूरी दिल्ली की पीड़ा है। मैं बता रहा हूं, पीड़ा क्या है। मैं बता रहा हूं। विजेन्द्र जी, दो मिनट बैठिये। यह पूरी दिल्ली की जनता की पीड़ा है।

जल मंत्री : मैं एक बात कहना चाहता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक सैकेंड के लिए, विजेन्द्र जी, देखिये, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : हां जी, कहिये।

अध्यक्ष महोदय : और मैं बड़ा निष्पक्ष होकर कहना चाह रहा हूं कि एक बार भी किसी विपक्ष के नेता ने, किसी भी विपक्षी सदस्य ने, चाहे बीजेपी वाला हो, चाहे कांग्रेस वाले हो, किसी ने यह विषय नहीं उठाया कि इतने सालो से टैंकर का कांट्रेक्ट दिया गया। शीला दीक्षित के विरूद्ध एक शब्द नहीं बोला, एलजी की गवर्नमेंट रही, किसी ने एक शब्द नहीं बोला।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या सुना है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : केवल अगर, नहीं मैं ठीक बोल रहा हूं ये बात आप एक बार नहीं बोल रहे उन्होंने रिपोर्ट दी, किसी ने नहीं बोला शीला दीक्षित को गिरफ्तार करो, उन अधिकारियों को गिरफ्तार करो।

जल मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह आन रिकार्ड है कि 13 जून को जब रिपोर्ट दी गई उससे लेकर आज तक पिछले 70 दिन में सदन के अंदर या सदन के बाहर किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने शीला दीक्षित का नाम भी नहीं लिया, यह ऑन रिकार्ड है। किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने शीला दीक्षित का नाम भी नहीं लिया है, न विजेन्द्र गुप्ता जी ने नाम लिया। न बाहर इनके वो जो नकली नोटों की फैक्ट्री खोली हुई है, उन्होनें नाम लिया।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : वाह, वाह, वाह क्या बात है।

जल मंत्री : एक बात कहना चाहता हूं गुप्ता जी, होंगे तुम्हारे हजारों सिर, होंगे तुम्हारे हजारों सिर एक महबूबा मुफ्ती का सिर, प्रकाश सिंह बादल का सिर और वो एक सिर तो हमने अभी अभी काटा है आनंदी बेन पटेल का।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : समझेंगे।

अध्यक्ष महोदय : चलिये।

जल मंत्री : होंगे तुम्हारे हजारों सिर महबूबा मुफ्ती के रूप में प्रकाश सिंह...

...(व्यवधान)

जल मंत्री : आप सुनना सीखो न।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मुख्यमंत्री जी को लिख दिया है।

अध्यक्ष महोदय : चलो।

जल मंत्री : जरा सुनना सीखो।

अध्यक्ष महोदय : देखिये समय भी कपिल जी बहुत हो रहा है आप कंप्लीट कीजिये, प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : नहीं, ये तो बोलने ही नहीं दे रहे। मेरा समय कहां हुआ?

अध्यक्ष महोदय : आप।

जल मंत्री : अभी तो मैंने भाग 'ख' का जवाब दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप उत्तर पढ़ दीजिये तुरंत, हो गया इस विषय पर आप उत्तर पढ़िये।

जल मंत्री : नहीं मैं अपनी बात पूरी करूंगा, होंगे तुम्हारे हजारों सिर महबूब मुफ्ती के रूप में, प्रकाश सिंह बादल के रूप में, शिवराज सिंह चौहान में, एलजी के रूप में, रमनसिंह के रूप में, एक आनंदी बेन का सिर अभी कटा। रूपानी का नया नया उग कर आया है। होंगे तुम्हारे हजारों सिर, और ऐसे ऐसे सिर, एक वो शिवराज सिंह चौहान ऐसे लग रहा था जैसे कोई मूर्ति विर्सजन करने के लिए लेकर जा रहे हों लोग। रामधारी सिंह दिनकर ने बोला है ऐसे लोगों के बारे में :

''सिंहों पर अपना अतुल भार मत डालो,

हाथियों तुम अपना बोझ खुद ही संभालो।

अगर लगे रहे तो यूं ही पछताओगे।

शव मात्र तुम अपना रह जाओगे''

होंगे हजारों सिर तुम्हारे लेकिन बाबा सोमनाथ के आशीर्वाद से, द्वारकाधीश के आशीर्वाद से, द्वाराकाधीश के आशीर्वाद से तुम्हारी नाभी कहां है हमनें पता कर लिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नो लॉफिंग...

जल मंत्री : हमें मालूम है तुम्हारी भाभी कहां है। भगवान के आशीर्वाद से वो तुम्हारे पापों का घड़ा, वो जो काला भूमि अधिग्रहण कानून तुमने पिछले हफ्ते वहां अपने गुजरात में पास कराया है न, वो घड़ा भी भरा गया है तुम्हारा अब नाभी पर ही निशाना लगाना बाकी है और मैं एक बात कहना चाहता हूं जैसे रावण ने कहा था:

''कपि के ममता पूंछ पर सबहीं कहूं समझाई,

तेल बोरी पुटी बांधी पुनि पावक देहु लगाई''

कि इनको सबसे प्रिय, हनुमान जी को अपनी पूंछ है तो इनकी पूंछ ही में आग लगा दो। इनको लगा इनको सबसे प्रिय भ्रष्टाचार से लड़ना है तो इनकी भ्रष्टाचार से लड़ने की शक्ति खींच लो। एसीबी इनकी खींच लो। ये जो 125 पन्नों की रिपोर्ट तुमनें ली है न अपने हाथ में, ये हनुमान की पूंछ है तुम्हारी लंका लगाने वाली है। और वो जिनसे ये पूछना चाहिए वो अहिरावण रूपी एसीबी में बैठे हैं मीणा जी, वो सपना देख रहे हैं जैसे अहिरावण राम लक्ष्मण को उठाके ले गया था, रोज सुबह सपना देखते हैं कि किसी न किसी केस में अरविन्द जी और मनीष जी को पकड़ लूं मै, रोज सुबह सपना देखते हैं, वो बनकर अहिरावण वहां पर बैठे हैं की पकड़ लूं। मेरे वाले केस में कहते है कपिल मिश्रा तो बहाना है। एक दिन कपिल मिश्रा को बुलाउंगा, अगले दिन अरविन्द केजरीवाल जी को बुला लूंगा। ये सपना लेकर बैठे हुए थे। हिन्दुस्तान के इतिहास में पहला केस ऐसा बनाया गया है साहब, पूरे देश के इतिहास में पहला केस ऐसा बनया गया है, क्या केस है कि दस महीने के अंदर शीला दीक्षित की जांच करके रिपोर्ट क्यों दे दी? इसीलिए इनके ऊपर भ्रष्टाचार का मामला लगा दो। दस महीने लग गये, यही केस है न और क्या है केस? अगर दस महीने के अंदर मुकदमा दर्ज होना चाहिए जो दो साल से कुर्सी पपर बैठे हुए हैं वो तो जेल में होने चाहिए अब तक, वो क्यों जेल से बाहर बैठे हुए है। तो मैं केवल यह समझाना चाहता हूं कि अगर गुप्ता जी के अंदर थोड़ी सी भी सच्चाई बची है, ईमानदारी बची है तो जरा एसीबी से बोले की शीला दीक्षित को बुलाएं, पूछताछ करें, गिरफ्तार करें, उन अधिकारियों से पूछे जो उस वक्त कुर्सी पर बैठे थे, घोटाले की जांच करें, रिपोर्ट जमा करे, दिल्ली सरकार को रिकमंडेशन दे, कांट्रेक्ट रद्द होना चाहिए तो रद्द करने की बात करें, लोगो को जेल जाना चाहिए तो जेल जाने की बात करें। उसके बाद ये पूछते हैं कि दिल्ली जलबोर्ड को प्रतिमाह कितना घाटा वहन करना पड़ रहा है? अहिरावण से पूछ लो। क्यों नहीं पूछ लेते? जा के पता करें। वो जांच करें। प्रधानमंत्री जी के पास भी है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : उसका क्या हुआ?

जल मंत्री : प्रधानमंत्री जी के पास भी है, मैं तो कहता हूं घोटाला हुआ। डंके की चोट पर कहता हूं कि घोटाला हुआ है घोटाला, पकड़ो शीला दीक्षित को हिम्मत है तो। घोटाला हुआ है सदन के अंदर बोलता हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या हुआ है?

जल मंत्री : घोटाला हुआ है, घोटाले की रिपोर्ट दे रखी है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ...(व्यवधान)

जल मंत्री : क्यों नहीं गिरफ्तार करते?

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, आपको मैं सप्लीमेंटरी पूछने का अधिकार दूंगा। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा जो दस मिनट मे समाप्त हो जाना चाहिए था, आधा घंटा लग गया है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : बहुत बढ़िया।

जल मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुझे तो यह भी मालूम है कि केवल इसीलिए कि शीला दीक्षित पे हल्की आंच आई और दो लोग जो भाजपा के अध्यक्ष बनने वाले थे, उनके नाम भी हटा दिये गये। मुझे तो यह भी मालूम है कि बुलाकर जब तुमने चार सौ करोड़ के घोटाले की बात बोली तो प्रदेश मुख्यालय में बुलाकर तुम्हें कितना डांटा गया, मुझे यह भी मालूम है।

अध्यक्ष महोदय : प्लीज, प्लीज।

जल मंत्री : प्रश्न संख्या 78 का 'घ' का जवाब देना चाहता हूं, 78 का घ का जवाब है क्या सरकार द्वारा टेंकर व्यवस्था में भ्रष्टाचार खत्म करने हेतु कोई कदम

उठाये गये हैं? इसका एक जवाब तो यह है कि सतीश उपाध्याय से पूछ लो जिनके पेट में दर्द होता है। जब मैं कहता हूं जीपीएस लगेंगे तो पेट में दर्द होता है। जब मैं कहता हूं कि अब सरकारी टेंकर चलेंगे, प्राइवेट कम होंगे तो पेट में दर्द होता है, जब हम कहते हैं कि टेंकर माफिया को खत्म करके पानी की लाइन डालेंगे... अफवाह तो यह भी है कि भाजपा का अगला अध्यक्ष टेंकर माफिया ही डिसाइड करने वाला है। लेकिन पढ़ा हुआ भी आपको पढ़ा हुआ पढ़ने का मन है तो वो भी पढ़ देता हूं। सरकार द्वारा टेंकर व्यवस्था का भ्रष्टाचार खत्म करने हेतु पानी के टेंकरों पर जीपीएस सिस्टम लगाया गया है, लिखा तो तुम्हारे बारे में भी बहुत कुछ है, तुम्हें छह महीने बाद का पता नहीं है, जिसके तहत टेंकरों के संचालन का आनलाईन समय समय पर चेक किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जनता भी पानी के टेंकरों को अपने मोबाइल फोन पर हिंदुस्तान में अकेला ऐसा राज्य है दिल्ली जहां पर अपने मोबाइल फोन पर आप टेंकरों को ट्रैक कर सकते हो, आप देख सकते हो कि आपका टेंकर कहां पर है। दिल्ली जलबोर्ड की वेबसाइट पर भी इसका लिंक दिया गया है। टेंकरों के न आने पर शिकायत केन्द्र भी है। प्राइवेट टेंकर पर भ्रष्टाचार खत्म करने हेतु दिल्ली सरकार ने ढ़ाई सौ नये टेंकरों को भी पानी की आपूर्ति के लिये लगाया गया है और उसके अलावा भी जहां से शिकायत आती है, उन सब पर हम लोग तुरंत कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं। गुप्ता जी की तरफ से अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है पिछले डेढ़ साल में। तो कुल मिलाकर सही जवाब के साथ धन्यवाद, जयहिन्द।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद, हां जी कोई सप्लीमेंटरी। फटाफट कर लीजिये, बहुत जल्दी, जल्दी में।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, पूरे जवाब में ऐसा महसूस हो रहा है कि फैक्ट फाईडिंग कमेटी की रिपोर्ट को डाइल्यूट करने की कोशिश की गई है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि जो पत्र लिखा था और जो जवाब आ रहे हैं उसमें भारी अंतर

हैं। फैक्ट फाईडिंग में जो कहा गया है और जवाब आ रहे हैं, वो बहुत डिफेंसिव हैं और कहीं न कहीं इस घोटाले को प्रोत्साहित कर रहे हैं क्योंकि ये जो एग्रीमेंट था, ये लगभग दस वर्ष का था और जो चार सौ करोड़ के घोटाले की जो केलकुलेशन फैक्ट फाईडिंग ने की थी, वो दस वर्ष में कुल कितना नुकसान होगा, वो उसकी फिगर थी, आपने जब 2015 में 19 जून, 2015 को जब आपने ये फैक्ट फाईडिंग कमेटी बनाई।

अध्यक्ष महोदय : क्वेश्चन करो न विजेन्द्र जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्वेश्चन ही कर रहा हूं, अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय : आप जो ब्रीफ कर रहे थे, वो तो आपको ऐतराज था। अब आप क्रास क्वेश्चनिंग कर रहे है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : नहीं, मैं वहीं कर रहा हूं। तो 19 जून 2015 को आपने फैक्ट फाईडिंग बनाई थी, उस समय तक उस पूरे मामले के दास में से मात्र तीन वर्ष ही बीते, पूरे तीन वर्ष भी नहीं बीते थे। लगभग ढाई से पौने तीन वर्ष बीते थे। सात साल का घपला बाकी था। अब आप क्या लिखते है 'ख' में और आपके पत्र में क्या है। 'ख' में मैंने कहा है कि उन कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करनें बजाय क्योंकि जब सरकार ने फैक्ट फाईडिंग में आ गया कि ये करप्शन हो रहा है और आप मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी को लिख रहे हैं :

''Dear Sir, respected Sir, please find attached a report by the Fact Finding Committee on water-tanker distribution management system. I had formed the Committee on 19th June, immediately after taking oath as a Minister (Water) in your cabinet. People have voted us to power after a massive corruption movement and your inspiring leadership made Delhi believe that corruption can be eradicated.

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी आप अपना सप्लीमेंटरी पूछिये न otherwise I am going to disallow it. विजेन्द्र जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अब आप ये 400 करोड़ रुपया, the report is self explanatory. तब आपने यह नहीं कहा कि इसको नहीं बुलाया, उसको नहीं बुलाया, जो आप कह रहे हैं कितना फर्क है आपकी रिपोर्ट में और आज आपकी मिली–भगत कंपनियों से...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सप्लीमेंट्री कीजिए ना। मैं डिस–अलाउ करूंगा या तो सप्लीमेंट्री करिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : जो सरकार की मिली–भगत हुई है वो फैक्ट फाईडिंग और ये पत्र दोनों को डायलूट कर रही है क्योंकि मैंने बड़ा सीधा प्रश्न पूछा था और आपने जो रिपोर्ट में कहा है वो यह कहा है...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप फिर रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। वो रिपोर्ट की बात कर रहे थे आपको परेशानी हो रही थी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : It exposes how the then DAVP Chairman and Chief Minister Ms. Shiela Dikshit ji and other Board Members have consistently bypassed laws and rules and caused a loss of almost Rupees four hundred crore to Delhi Jal Board.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न क्या है?

श्री विजेन्द्र गुप्ता : कांट्रेक्ट हुआ, एक मिनट अध्यक्ष जी, मैं यही पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : पूछिए, पूछिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : जो कांट्रेक्ट हुआ, वो एक केस आफ करप्शन है वो तो फाउंडर है। वो तो उसकी जड़ है।

अध्यक्ष महोदय : कौन से कौन से वर्ष में कांट्रेक्ट हुआ, कौन से साल में कांट्रेक्ट हुआ?

श्री विजेन्द्र गुप्ता : लेकिन अब आप करप्शन को... मैं यह जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैं जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं कर रहा हूं आपसे।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : एक मिनट अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय : ये कांट्रेक्ट कौन से वर्ष में हुआ। कांट्रेक्ट कौन से कौन से साल में हुआ। कांट्रेक्ट कौन से कौन से साल में हुआ।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : कौन से साल में?

अध्यक्ष महोदय : किस वर्ष में ये कांट्रेक्ट हुआ?

श्री विजेन्द्र गुप्ता : 2012 में

अध्यक्ष महोदय : 2012 में!

श्री विजेन्द्र गुप्ता : जी।

अध्यक्ष महोदय : शीला दीक्षित की सरकार में ना?

श्री विजेन्द्र गुप्ता : हम मना कब कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : हां बस ठीक है। आगे बढें।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : हम आगे की बात बता रहे हैं ना, आपने 2012 में जब ये कांट्रेक्ट हुआ, उसकी करप्शन आपकी फैक्ट फाइडिंग ने पकड़ ली और आपने मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को लिखा कि चार सौ करोड़ रुपये का ये घोटाला हो रहा है, जारी है, हुआ नहीं है कि उसी समय लेनदेन हुआ खत्म हो गया। वो रिकवर करना है। फिर उसक बााद जब आपने ये लिख दिया कि घोटाला जारी है और चार सौ करोड़ रुपये का टोटल है तो आपने इन कंपनियों को ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया? बस ये जानना चाहता हूं। एक मिनट एक मिनट। बैठिये बेठिये। पूरा नहीं हुआ प्रश्न।

अध्यक्ष महोदय : हो गया ना।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : बैठिये, बैठिये, बैठिये

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी,ऐसे तो बहुत समय चला जायेगा। सारा विषय रह जायेगा।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, क्यों सच को छुपाना चाहते हैं आप? एक तो संख्या...

अध्यक्ष महोदय : सच को आप छुपा रहे हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : एक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करके...

अध्यक्ष महोदय : क्वैशचन करो ना वो कह रहे हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप क्या भ्रष्टाचार के इतने बड़े मामले पर इस तरह ...(व्यवधान) कोशिश कर रहे हैं। जिसमें स्पीकर साहब...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अप सप्लीमैंट्री करो ना।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : माईक बंद था। अब माइक खुल गया है। भ्रष्टाचार की एक एक परत दर परत मैं हटा रहा हूं। आप सहयोग कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप सप्लीमैंट्री करिये ना उस पर।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ खुल के बात...(व्यवधान) आप लोग सदन में 67 हो गये।

अध्यक्ष महोदय : एक सैकेण्ड... मैं सप्लीमैंट्री डिसअलाउ कर रहा हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप लोग सदन में 67 हो।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, मैं सप्लीमैंट्री डिसअलाउ कर रहा हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : भ्रष्टाचार को क्यों दबा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, मैं सप्लीमैंट्री डिसअलाउ कर रहा हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, आज भ्रष्टाचार का बड़ा मामला है।

अध्यक्ष महोदय : क्या मामला है?

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैं बता रहा हूं सवालों के जवाब चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं क्वैशचन कर नहीं रहे। आप भाषण क्यों दे रहे है। पोलिटिकल?

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अभी भी भाषण दे रहे हैं

श्री विजेन्द्र गुप्ता : बताने का कष्ट करें।

अध्यक्ष महोदय : आप सीधे सीधे शीला दीक्षित को बचा रहे हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : जब आपन ये फैक्ट फाइडिंग में सब आ गया तो आपने पहली बात उन कंपनियों को ब्लैक लिस्ट क्यो नहीं किया? उनके साथ एग्रीमेंट करार क्यों जारी रखा? और दूसरा जब आप पत्र में लिख रहे हैं और फैक्ट फाईडिंग में ये आ गया कि चार सौ करोड़ रुपये का घोटाला है ये और आपने ये मुख्यमंत्री को भी इन्फार्म किया रिपोर्ट के साथ तो फिर मेरे प्रश्न के भाग 'ग' के उत्तर में ये कैसे लिख दिया कि अभी इसकी पुष्टि होनी बाकी है। इसका मतलब साफ है कि आपने कल तक जो फैक्टस अपनी तरफ से वर्क आउट किये थे और एक टीम ने एक महीने बैठ कर उसका पूरा...

अध्यक्ष महोदय : भई विजेन्द्र जी, कब क्रास करिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : उसको आप डाइल्यूट कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप सप्लीमैंट्री पूछिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : और कहीं ना कहीं...

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये आपका हो गया सप्लीमैंट्री। आप बैठिये

श्री विजेन्द्र गुप्ता : और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी बचा रहे हैं

अध्यक्ष महोदय : ये माइक बंद करिये आप प्लीज। चलिये। नहीं, नहीं। आप पूरा समय हाई जेक कर रहे है। आप समय हाई जैक कर रहे हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : फैक्ट फाइडिंग कमेटी की रिपोर्ट को आप मेरे प्रश्नों के उत्तर में डाइल्यूट क्यों कर रहे हैं? कंपनियों को ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया गया

और अब पूरे मामले को फैक्ट फाइडिंग को जो और भी मैं आपका पत्र आगे पढ़ता हूं...

अध्यक्ष महोदय : भई विजेन्द्र जी, अब मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं। विजेन्द्र जी, मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं... चलिये विजेन्द्र जी मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं।...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : XXX[3]

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं। ...विजेन्द्र जी मैं बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहा हूं। ...विजेन्द्र जी मैं कोई अलाउ नहीं कर रहा हूं।.. .आप बैठ जाइये। आप वहां बैठ जाइये। नहीं विजेन्द्र जी आप बैठ जाइये प्लीज। विजेनद्र जी आई एम गोइंग टू डिसअलाउ इट। ये सारा हटा दिया जाये।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : चलिये कपिल जी उत्तर दें। कमाण्डो जी बैठिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : महोदय कमाण्डो जी बैठिये प्लीज बैठिये।... कमाण्डो जी बैठिये प्लीज बैठिये, प्लीज बैइिये कमाण्डो जी बैठिये। चलिये, उनसे क्या बात कर रहे हो ?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने बंद करवाया है माईक। समय आप हाई जैक कर रहे हें। आपने सवा तीन शुरू किया था। आप सवाल पूछ ही नहीं रहे। कपिल जी जो कुछ है, बता दीजिये बस और संक्षेप में बता दीजिये समय मत लीजिये ज्यादा। नहीं कोई सप्लीमैंट्री नहीं। इस पर मैं इसको आगे नहीं बढ़ा रहा हूं कोई सप्लीमैंट्री नहीं। आप अनसैसरी उसको मौका दे रहे हैं। नहीं, आप बैठ जाइये सोमनाथ जी।

XXX[3] चिह्नित शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से हटाया गया।

जल मंत्री : अध्यक्ष जी, दो छोटे छोटे जवाब हैं।

अध्यक्ष महोदय : छोटे जवाब दीजिये।

जल मंत्री : इनके सवाल के बहुत दो छोटे छोटे जवाब है। पहला जवाब तो बिलकुल सीधा सादा है। मैंने भ्रष्टाचार किया है तो डाल दो जेल में, भ्रष्टाचार किया है तो डाल दो जेल में। पुलिस तुम्हारी, सीबीआई तुम्हारी, ईडी तुम्हारी, रॉ तुम्हारी, एसीबी तुम्हारी, डाल दो जेल में। साबित करो और जेल में डाल दो।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : भ्रष्टाचार करते क्यों हो?

जल मंत्री : अरे किया है तो डाल दो जेल में भ्रष्टाचार किया है तो।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : भ्रष्टाचार करते क्यों हो?

जल मंत्री : डाल दो जेल में भ्रष्टाचार किया है तो। एक भी सबूत है।

अध्यक्ष महोदय : एक सैकिण्ड। कपिल जी, बैठ जाइये। मैं बोल रहा हूं। एक सैकेण्ड विजेन्द्र जी। विजेन्द्र जी, मेरी बात सुनिये। मैं इस सदन के अंदर बोल रहा हूं एक सैकेण्ड कपिल जी, एक सैकेण्ड कपिल जी, रूक जाइये दो मिनट। एसीबी जब महिला आयोग पर जाकर छापा मार सकती है तो क्या शीला दीक्षित पर छापा नहीं मार सकती वो? क्यों नहीं छापा मार सकती? क्यों नहीं छापा मार सकती? क्यों नहीं छापा मार सकती? क्यों नहीं कर सकती शीला दीक्षित के वहां, हां मैं बोल रहा हूं जब एसीबी...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या बोल रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : एक सैकेण्ड, एक सैकेण्ड, एक सैकेण्ड रूक जाइये, मैं बता रहा हूं। मैं उत्तर दे रहा हूं। क्यों नहीं होती हैं? ये चेयर अन्याय नहीं सह सकती। मैं

कोई माईक नहीं खुलवा रहा हूं। आप बार बार बोल रहे हैं। एसीबी क्यों नहीं छापा मार सकती? एसीबी जाकर छापा मारे। चलिये हो गया ये।

...(व्यवस्था)

अध्यक्ष महोदय : नहीं आप छोड़ दीजिये विजेन्द्र जी। वो उत्तर सुनना नहीं चाहते। वो राजनीतिक हाईजैक करना चाहते है सदन को। आप बैठिये प्लीज।

जल मंत्री : गुप्ता जी बैठ जाओ यार!

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये। कर्नल जी बैठिये। बैठिये प्लीज, कमांडों जी बैठिये। राजेश जी बैठिये। आप उसको क्यों वेटेज दे रहे हैं इतना? आप बैठिये कमाण्डो जी, बैठिये प्लीज। लीजिये मैं दे रहा हू।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : भई अब विजेन्द्र जी, प्लीज

...(व्यवधान)

जल मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो लाइनों में अपनी बात...

अध्यक्ष महोदय : दो लाईन का उत्तर देकर समाप्त करें।

जल मंत्री : बिल्कुल दो लाइन का उत्तर दे दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका समाप्त कर रहा हूं।

जल मंत्री : पहला उत्तर तो ये है कि मुझे इस बात का दु:ख बहुत ज्यादा होता है कि भाजपा ये कहती है टैंकर बंद हो जायें लेकिन शीला दीक्षित बंद नहीं होनी

चाहिये। रोज खड़े होकर दिल्ली के टैंकर बंद कर दो, दिल्ली के टैंकर बंद कर दो। अरे! शीला दीक्षित को बंद करो ना, शीला दीक्षित को बंद करो और एसीपी तुम्हारी, पुलिस तुम्हारी, सीबाआई तुम्हारी, ईडी तुम्हारी, रॉ तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा, डाल दो जेल में और तुम तो बिना सबूत के पकड़ के ले के जाते हो हमारे एमएल को। मुझको क्यों नहीं पकड़ा अब तक? क्योंकि तुम्हारी हिम्मत नहीं है और ओकात नहीं है शीला दीक्षित पर हाथ लगाने की। दूसरी चीज और अंत मे केवल एक लाईन और कहना चाहूंगा।

...(व्यवधान)

जल मंत्री : तो जेल में डाल दो नो।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : भई विजेन्द्र जी,

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कपिल जी, अब छोड़िये इसको प्लीज।

जल मंत्री : एक लास्ट में क्लोजिंग तो करूंगा ही।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप इसको कंपलीट करिए। कपिल जी कन्क्ल्यूड करिए, इमीजीयेट कन्क्ल्यूड करिए।

जल मंत्री : एक लाईन की क्लोजिंग हैं।

अध्यक्ष महोदय : उनको बोलने दीजिये। आप कन्क्ल्यूड करके बंद करिए।

जल मंत्री : एक चीज मैं ये कहना चाहता हूं अंत में आखिर में, केवल एक लाईन बोलना चाहता हूं। एक दिन हमने देखा कि एक रिपोर्ट के उपर ये छईयां छईयां

कर रहे थे जब रिपोर्ट इनके हाथ में दी तो उसके बाद सन्नाटा 70 दिन का और आज ये फिर एक रिपोर्ट पर ता ता थईया करेंगे सी.ए.जी. वाली रिपोर्ट पर। अभी उस पर करेंगे। इनको ये भी नहीं मालूम उस रिपोर्ट के अंदर लिखा क्या है। आज उस पर भी ड्रामा करने वाले हैं और उसके बाद दोबारा तुम 70 दिन के बाद ऐसे ही चुप होकर सन्नाटे में बैठोगे। यही तुम्हारी सच्चाई है, यही तुम्हारी ओकात है। जनता को समझ में आ चुका है। भाजपा भ्रष्टाचार की लड़ाई में कहां खड़ी हुई है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कोई चीज नहीं अब। कपिल जी बैठ जाइए। मैं आग्रह कर रहा हूं, बैठ जाइए प्लीज। साइलेंट, मैं कुछ नहीं एलाउ कर रहा हूं, बैठ जाइए...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सदन को चलाने देंगे नहीं? सदन को चलाना और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। नहीं मैं कोई एलाउ नहीं कर रहा हूं। बैठ जाइए। मैं रिकेवेस्ट कर रहा हूं बैठ जाइए। मैं हाथ जोड़ रहा हूं बैठ जाइए, जगदीप जी उनको बैठाइये प्लीज।. ..नहीं बिल्कुल कोई काम की बात नहीं है। शांति प्लीज... मैं बिल्कुल एलाउ नहीं कर रहा हूं।

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

61. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी : क्या **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सतय है कि मॉडल टाउन विधान सभा क्षेत्र की झुग्गी बस्तियों को पीने का पानी प्रदान नहीं कराया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार का इन बस्तियों में पीने का पानी प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है?

जल मंत्री : (क) से (घ) यह सत्य नहीं हैं।

मॉडल टाउन विधान सभा क्षेत्र की झुग्गी बस्तियों को पीने का पानी वाटर–हॉइड्रेन्ट तथा टैंकरों द्वारा दिया जा रहा है।

64. श्रीमती प्रमिला टोकस : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर.के.पुरम विधान सभा क्षेत्र में वृद्धावस्था पेंशन का कोटा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या 31.03.2016 को मेरे प्रश्न के उत्तर पर माननीय मंत्री ने आश्वस्त किया था कि पेंशन जारी करने की पूरी प्रक्रिया जल्द ही कारगार बना दी जायेगी;

(ग) क्या इस संबंध में कोई प्रगति हुई है;

(घ) क्या सरकार का पेंशन का विवरण ऑनलाइन करने का विचार है ताकि आवेदकों और पेंशन पाने वालों को अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिये बार–बार विभाग के चक्कर न काटने पडें;

(ङ) जिन व्यक्तियों की गलती के कारण आर.के.पुरम् विधान सभा के लोगों को विधिवत् आवेदन पत्र जमा करने के बावजूद पेंशन नहीं मिल पाई है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है?

समाज कल्याण मंत्री : (क)ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) सभी योजनाओं के अन्तर्गत पेंशन अब प्रति माह प्रेषित की जा रही है। इसके अतिरिक्त सभी पेंशनधारियों के बैंक खाते, उनके आधार नम्बर के साथ जोड़े जाने की प्रक्रिया भी जारी है।

नये आवेदनों को e-district योजना द्वारा ऑन-लाइन स्वीकार करने की व्यवस्था को जल्दी ही शुरू करने की योजना है ताकि आवदेकों को अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिये विभाग के चक्कर न काटने पड़ें।

(ङ) आवश्यक तथ्य उपलब्ध होने पर यथोचित कार्यवाही की जा सकती है।

65. श्री अजय दत्त : क्या **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अम्बेडकर नगर विधान सभा क्षेत्र की खानपुर देवली रोड (वार्ड 181) में सीवर लाइन कब तक डाल दी जाएगी;

(ख) पुष्प विहार क्षेत्र (वार्ड 184) में एमएनडब्ल्यू पानी की आपूर्ति कब तक की जाएगी;

(ग) क्या खानपुर देवली क्षेत्र के ईडग्ल्यूएस फ्लैट्स में पानी की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए?

जल मंत्री : (क) अम्बेडकर नगर विधान सभा क्षेत्र में सीवर लाइन डालने का प्रारूप बना दिया गया है जिसे स्वीकृति हेतु जल बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। स्वीकृति के पश्चात इस कार्य की निविदा आमन्त्रित की जाएगी।

(ख) इस कार्य में लगभग 1435 मीटर 400 मिली. मी. व्यास की लाईन साकेत से सी.पी.डब्ल्यू. डी. टैंक पुष्प विहार तक डालनी है। जिसमें से 540 मी. लाईन डाली

जा चुकी है। बकाया कार्य के लिए एस.डी.एम.सी. व पी. डब्ल्यू. डी. से सड़क काटने की अनुमति मांगी गई है। अनुमति मिलने पर यह कार्य लगभग 45 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा।

(ग) एवं (घ) अम्बेडकर नगर विधान सभा क्षेत्र में खानपुर देवली में कोई भी ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैटस नहीं है।

इस समय खानपुर देवली क्षेत्र में पानी बढ़ाने की कोई संभावना नहीं है।

66. श्री नरेश बाल्यान : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तम नगर विधान सभा क्षेत्र में 66/11 केवी का पावर ग्रिड लगाने का कोई प्रस्ताव है।

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रक्रिया का विवरण क्या है, और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

ऊर्जा मंत्री : (क) जी हां।

(ख) उत्तम नगर और राजापुर खुर्द में 66/11 केवी पावर ग्रिड लगाने के लिए माननीय विधायक जी द्वारा लगभग 4300SQM भूमि आबंटित करने के लिए एक पसत्र प्राप्त हुआ था। इस संदर्भ में माननीय विधायक, कृषि एवं बाढ़ नियंत्रक विभाग तथा बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड के अधिकारियों की एब मीटिंग दिनांक 20.07.2016 को हुई। दिनांक 22.07.2016 को कृषि एवं बाढ़ नियंत्रक विभाग तथा बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा संयुक्त भूमि निरीक्षण किया गया था तथा गांव नवादा में 4300 SQM का उपयुक्त प्लॉट चिन्हित किया गया था। ऊर्जा विभाग के पत्र दिनांक 03.08.2016 के द्वारा कृषि एवं बाढ़ नियंत्रक विभाग

को भूमि स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना की गई है। ऊर्जा से संबधित संयंत्रों को बनाने/बढ़ाने के लिए भूमि आवंटित करने से संबंधित पॉलिसी के अनुसार भूमि स्वामित्व विभाग ऊर्जा विभाग को भूमि आवंटित करता है जिससे कि ऊर्जा विभाग द्वारा वितरण कम्पनियों को लाइसेंस के आधार पर भूमि उपयोग के लिए आवंटित किया जाता है।

भूमि स्वामित्व विभाग द्वारा भूमि स्थान्तरित करने के बाद संबंधित वितरण कम्पनी (बीआरपीएल) 66/11 केवी पावर ग्रिड लगाने के लिए कार्य प्रारम्भ करेगी।

(ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

71. श्री सौरभ भारद्वाज : क्या **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या सीईओ (दिल्ली जल बोर्ड) के पत्र में संख्या सीईओ/2016/937 दिनांक 31.05.2016 के द्वारा जारी निर्देशों का संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुपालन किया गया;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि अलकनन्दा अपार्टमेंट, सीआर पार्क, डीडीए फ्लैट्स, कालकाजी, जीके-2 जैसे क्षेत्रों को पिछले छः महीनों से पानी की खपत के बिल प्राप्त नहीं हुए हैं; और

(ग) इस लापरवाही के लिए संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

जल मंत्री : (क) जीं हां।

(ख) जीं नहीं।

(ग) उपरोक्त के अनुसार प्रश्न नहीं उठता।

72. श्री जरनैल सिंह : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जरूरतमंद लोगों को वृद्धावस्था पेंशन जारी करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) राजौरी गार्डन विधान सभा में विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत वितरित की जा रही पेंशन का विवरण क्या है;

(ग) क्या यह सत्य है कि स्वीकृत होने के तीन-चार महीने के बाद भी लोगों को पेंशन वितरित नहीं की गई है; और

(घ) जिन लोगों की पेंशन रोक दी गई थी उनकी पेंशन कब तक शुरू कर दी जायेगी?

समाज कल्याण मंत्री : (क) वृद्धावस्था पेंशन वर्तमान नीति के अनुसार जारी है जिसमें लाभार्थियों की उच्चत्तम संख्या की सीमा नियत है।

(ख) राजौरी गार्डन विधान सभा में विभान श्रेणियों के अन्तर्गत वितरित की जा रही पेंशन का विवरण निम्न प्रकार है -

योजना		कुल लाभार्थी
वृद्धावस्था पेंशन	-	7,439
विकलांग पेंशन	-	857
विधवा पेंशन	-	2,923

(ग) जी नहीं। जुलाई से पेंशन माहवार दी जा रही है।

(घ) सर्वेक्षण के दौरान केवल उन लाभार्थियों की पेंशन रोकी गयी थी जो नियमानुसार अयोग्य पाए गये या लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान मौके पर नहीं पाए गये।

जिन लाभार्थियों ने स्वयं उपस्थित होकर अपने जिला कार्यालय अथवा मुख्यालय, समाज कल्याण में अपने कागजात जमा कराये हैं उन सभी की पेंशन तुरन्त प्रभाव से बकाया राशि सहित उनके बैंक खातों में प्रेषित की जा रही हैं

73. श्री गुलाब सिंह : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मटियाला विधान सभा में नजफगढ़ डिविजन, जाफरपुर डिविजिन और द्वारका डिवीजन में कौन-कौन सी कालोनियां आती हैं;

(ख) वर्ष 2014-15 के बाद मटियाला विधान सभा में उपभोक्ताओ के विरुद्ध बिजली चोरी के मामलों में की गई जांच/रेड का वर्षवार विवरण क्या है;

(ग) इनमे से कितने मामलों में शिकायतें सच पायी गयी तथा कितने मामलों में उपभोक्ता निर्दोष पाए गए और इन जांचों/रेड से कितनी राशि इकट्ठी की गई;

(घ) क्या बिजली वितरण कम्पनियों को बिली के मीटर बदलने हेतु निर्देश दिए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसका विवरण क्या है; और

(च) वर्ष 2015-16 व 2015-17 में जाफरपुर डिविजन, द्वारका डिवीजन और नजफगढ़ डिविजन में बदले गए बिजलल मीटरों का विवरण क्या हैं?

ऊर्जा मंत्री : (क) मटियाला विधान सभा में नजफगढ़ डिविजिन, जाफरपुर डिविजन और द्वारका डिवीजन में आने वाली कालोनियों का विवरण निम्नलिखित है:-

नजफगढ़ डिविजन : प्रेम विहार, नंगली डेयरी, नंगली विहार, अर्जुन पार्क, जैमिनी पार्क, ईश्वर कालोनी, घासीपूरा विस्तार, निरंजन पार्क, आनन्द विहार, साई धाम, दुर्गा

विहार फेस-1 और फेस-2 शांति विहार, गंगा बिहार, ब्रिज बिहार, सारिका बिहार, मुनिरका कुंज, भवानी नगर, दाता राम पार्क, प्रेम नगर बस्ती राना जी इंकलेव, श्याम विहार फेस-1 और फेस-2, डिफेंस इंकलेव फेस-1 और फेस-2, श्याम इंकलेव, दीनपुर विस्तार, सोमेश विहार, पोचनपुर विस्तार, एमबीआर, इंकलेव, अम्बरहाई विस्तार, त्रिशुल कालोनी, गोयला डेयरी, कुतुब विहार फेस-1 और फेस-1, गोयला विहार, श्याम कुंज, सैनिक इंकलेव, शिवपुरी पार्ट-1 एवं पार्ट-2, पहादवा कालोनी, पंकज गार्डन।

द्वाराका डिविजन : ए,बी,सी,डी एवं ई ब्लॉक भारत विहार ककरोला, विकास बिहार, राजु विस्तार, अम्बीका एंकलेव, हरी विहार, तारा नगर, शिवानी एंकलेव, मोहित नगर, चन्द्रा पार्क, सुरज विहार, बजाज एंकलेव, पटेल गार्डन, नन्द विहार, सैनिक नगर, मनसाराम पार्क, सयहयोग विहार, मटियाला विस्तार, सुखी राम पार्क, गुरू हरकिशन नगर, जे.जे. कालोनी पार्ट-1, 2 एवं 3, नन्हे पार्क, न्यू टी जैन पार्क, जैन कालोनी, खुशी राम पार्क, ओम बिहार विस्तार।

जाफरपुर डिविजन की कोई कालोनी मटियालय विधानसभा क्षेत्र मे नहीं आती।

(ख) वर्ष 2014-15 के बाद मटियाला विधान सभा में उपभोक्ताओं के विरुद्ध बिजली चोरी के मामलों में की गई जांच/रेड का वर्षवार विवरण अनुलग्नक क में सलग्न है।

(ग)

सच पाई गई शिकायतें	उपभोक्ता निर्दोष पाए गए	जांच से इक्ट्ठी की गई राशि (करोड़ रुपये में)
30748	3225	17.81

(घ) जी हां। (अनुलग्नक ख)

(ङ)1. दिल्ली विद्युत आपूर्ति संहिता और प्रदर्शन के मानकों विनियम, 2007 के प्रावधानों के अनुसार, मीटर के मामले में यदि मीटर विनिर्दिष्ट शुद्धता की सीमाओ से परे तेल पाया जाये तो लाइसेंसधारक दोष युक्त मीटर को प्रतिस्थापित करेंगे।

2. दिन के समय (टीओडी) (Time of Day(TOD)के कार्यान्वयन के लिए मीटर बदलने के लिए आयोग ने विभिन्न टैरिफ आदेश में डिस्कॉम्स को निर्देश दिया है।

3. विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिनांकित 28.01.2016 राष्ट्रीय टैथ्रफ नीति के आधार पर, आयोग ने डिस्कॉम्स को दिसम्बर, 2017 तक 500 यूनिट से ऊपर मासिक खपत वाले 500 यूनिट से ऊपर मासिक खपत वाले मौजूदा मीटर को स्मार्ट मीटर से बदलने के लिए निर्देश दिया है।

(च) 2015-16 व 2016-17 में दिनांक 16.08.2016 तक जाफरपुर डिविजन, द्वारका डिवीजन और नजफगढ़ डिविजन में बदले गए बिजली मीटरों का विवरण निम्नलिखित है :-

वित्तीय वर्ष	जाफरपुरु	जनफगढ़	द्वारका
2015-16	8673	14112	3939
2016-17 (16.08.2016 तक)	1393	5318	1556

उपरोक्त मीटर निम्नलिखित समस्याओं/दोष के कारण बदले गये हैं :–

1. जो मीटर इलैक्ट्रोनिक संवाद नहीं कर रहे

2. बन्द पड़े एवं दोषपूर्ण मीटर

3. मीटर का सही समय न दर्शाना (RTC Failure)

4. डिस्पले फाल्टी मीटर

5. पुश बटन फॉल्टी मीटर

मीटर बदलते समय कोई भी मीटर तेज चलता हुआ नहीं पाया गया।

प्रश्न संख्या 73 दिनांक 26.08.2016 का अनुलग्न–'क'

Reply to Q(b). Q(c).

The details of enforcement cases for Najfgarh, Jaffarpur and Dwarka division are as follows :

STATUS OF ENFORCEMENT INSPECTED CASES IN JAFFARPUR DIVISION

Financial year	Indspection Cases (In Nos)	Billed Cases (In Nos)	Billing Amount (In crores)	Payment (in crores)	Cases Dropped (In Nos)	Underp-rocess (In Nos)
2014-15	2006	1639	7-93	2-29	367	
2015-16	6301	5997	18.06	1.42	301	30
2016-17	1693	1555	5.12	0.06	76	62
Total	10000	9191	31.11	3.77	744	65

STATUS OF ENFORCEMENT INSPECTED CASES IN NAJAFGARH DIVISION

Financial year	Inspection Cases (IN Nos)	Billed Cases (In Nos)	Billing Amount (In crores)	Payment (in crore)	Cases Dropped (In Nos)	Underp-rocess (In Nos)
2014-15	4218	3643	19.4	5.56	575	
2015-16	11348	10568	37.61	3.93	773	7
2016-17	3647	3490	9.09	0.24	64	93
Total	19213	17701	66.1	9.73	1412	100

STATUS OF ENFORCEMENT INSPECTED CASES IN DWARKA DIVISION

Financial year	Inspection Cases (IN Nos)	Billed Cases (In Nos)	Billing Amount (In crores)	Payment (in crore)	Cases Dropped (In Nos)	Underp-rocess (In Nos)
2014-15	1337	881	6.86	2.28	455	1
2015-16	2956	2431	8.99	1.96	523	2
2016-17	723	544	1.76	0.07	91	88
Total	5016	3856	17.61	4.31	1069	91

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकरण से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 701 दिल्ली, बुधवार, अप्रैल, 18, 2007/चैत्र 28, 1929 (रा.रा.रा.क्षे.वि. सं. 014)

No. 701 DELHI ESDNESDAY, APRIL 18.2007 CHAITRA 28,1929 [N.C.T. No. 014]

भाग-IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL, tERRITORY OF DELHI

प्रश्न संख्या 73 दिनांक का 26.8.16 का अनुलग्नक 'ख'

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
NOTIFICATION

Delhi the 18th April, 2007

No.F.17(85)/Engg./DERC/2005-06/209/F.No. (115)/2006/ Power/985.- In exercise of the powers conferred by section 50 of the Electricity Act 2003, read with sections 57, 86 and 181 of the said

Act, the Delhi Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations, namely: Delhi Electricity Supply Code and Performance Standards Regulations. Consumption was for the period excluding the intimated period of inaccessibility. This facility shall be available to the consumer if he has paid up to date dues.

vii. If the consumer desires to have a special reading taken, the same shall arranged by the Licensee and the charge, as prescribed in this Regulation, shall be included in the next bill of the consumer.

38. Testing of meters

(1) The Licensee shall conduct periodical inspection/testing and calibration of the meters as specified by the Regulations framed by Authority in this regard, in the following manners:

a. Periodicity of meter tests

The Licensee shall observe following time schedule for regular meter testing:

Category	Interval of testing
Railways, DMRC	Six months
Bulk supply meters (HT)	One year
LT meters	Five years

b. Should the consumer dispute the accuracy of the meter, he may, upon giving notice/ complaint to that effect and after paying the prescribed testing fee, have the meter tested by the Licensee.

c. The Licensee shall, within fifteen days of receiving the complaint, carry out testing of the meter as per the procedure prescribed herein, and shall furnish duly authenticated test result to the consumer. The consumer shall be informed of proposed date and time of testing at least two days in advance.

d. The meter testing team of the Licensee shall ensure testing with resistive load of sufficient capacity to carry out the testing. The testing of meter shall be done for a minimum consumption of 1 kWh. Optical Scanner shall be used for counting the pulses./revolutions. The meter testing report shall be in the format given in ANNEXE-VII or as approved by the Commission from time to time.

e. When the meter is found to be fast beyond the limits of accuracy specified by the Regulations framed by the Authority in this regard, the Licensee/consumer, as the case may be, shall replace/rectify the defective meter within fifteen days of testing. The Licensee shall adjust/refund the excess amount collected on account of the said defect, based on percentage error, for a maximum period of six months of less depending on period of installation of meter prior to the date of consumer's complaint and up the date on which defective meter is replaced/rectified.

f. When the meter is found to be slow beyond the limits of accuracy, specified in the Regulations framed by the Authority and the consumer does not dispute the accuracy of the

test, the Licensee/consumer, as the case may be, shall replace/rectify the defective meter within fifteen days of testing. The consumer shall pay the difference due to the defect in the meter at normal rates, based on percentage error, for a maximum period of not more than six months or less depending on period of installation of meter prior to date of test and up to the date on which defective meter is replaced/rectified.

g. If the consumer or his representative disputes or refuses to sign the test report, the defective meter shall not be replaced and Licensee shall approach the designated Electrical Inspector or any authorized third party, who shall test the correctness of the meter and give result within one month. The Commission shall notify the third party in accordance with the National Electricity Policy. The decision of the Inspector or such authorized third party shall be final and binding on the Licensee as well as the consumer .

h. The Licensee shall keep record of all such meter tests and submit to the Commission, exception report every six months.

39. Meter not recording

a. If the meter is not recording/stuck as reported by the consumer, the Licensee shall check the meter within fifteen days of receipt of complaint and if found not recording/stuck, the meter shall be replaced by the Licensee/consumer, as the case may be, within fifteen days thereafter.

b. Where the Licensee observes that meter is not recording any consumption for the last two consecutive billing cycles, he shall notify the consumer.

76. श्री सोमनाथ भारती : क्या **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मालवीय नगर विधान सभा में लंबित पड़े कार्यों एवं उनकी वर्तमान स्थिति का विवरण क्या है;

(ख) सुबह 2 बजे से सुबह 7 बजे तक की जाने वाली पानी की सप्लाई के समय को बदलने हेतु क्या कदम उठाए गए है;

(ग) पानी की सप्लाई की चेन के अंतिम छोर पर पड़ने वाली कालोनियों का विवरण क्या है और इन क्षेत्रों में पानी की सप्लाई में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए है;

(घ) क्या एमएनडब्ल्यूएस का कोई परफार्मेंस आडिट किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है;

(च) मालवीय नगर विधान सभा में पानी की सप्लाई और सीवरेज नेटवर्क का विवरण क्या है;

(छ) जहांपनाह क्षेत्र में सीवर लाइन डालने के कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ज) मालवीय नगर विधान सभा में दिल्ली जल बोर्ड के कब्जे वाली संपत्तियों का उनके वर्तमान एवं प्रस्तावित इस्तेमाल सहित विवरण क्या है; और

(झ) अनाधिकृत कब्जे की आशंका वाली सम्पत्ति को जवजीवन सोसायटी को देने की प्रार्थना पर क्या कार्रवाई की गई है?

जल मंत्री : (क) मालवीय नगर वाटर सप्लाई द्वारा पी.पी.पी. क्षेत्र में पानी की प्रणाली में सुधार विस्तार का कार्य प्रगति पर है, लगभग 50 प्रतिशत पूरा किया जा चुका है तथा बकाया कार्य 30 जून 2017 तक पूरा होने की संभावना है।

दूसरे क्षेत्र कि लंबित कार्यों की स्थिति अनुलग्नक 'A' में संलग्न है।

(ख) पी.पी.पी. प्रोजेक्ट के अन्तर्गत क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार है

(क) मालवीय नगर यू.जी.आर. कमाण्ड क्षेत्रों/पी.पी.पी.क्षेत्रों में पानी की सप्लाई सुबह 5 बजे से 8 बजे तक की जा रही है।

(ख) दिल्ली जल बोर्ड के अंतर्गत क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार है :-

डियर पार्क भूमिगत जलाशय पर जल की उपलब्धता एवं समुचित और सुचारू रूप से जल विवरण के लिए हाईड्रोलिक माडलिंग करवाने का प्रस्ताव है।

इसका विवरण संलग्न है (अनुलग्नक सी)।

(ग) क्षेत्र में जल आपूर्ति सुधार के हेतु मैसर्स मालवीय नगर वाटर सप्लाई द्वारा कार्य किये जा रहे हैं।

मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र की अन्तिम छोर की कालोनियों का विवरण निम्न है :-

1. मस्जिद मोठ
2. गौतम नगर
3. अर्जुन नगर आदि कुछ क्षेत्र है, जल की आपूर्ति के सुधार के लिए निम्न कार्य किए गए है।

1. मस्जिद मोठ में 02 टयूबवैल लगाये गये है।

2. गौतम नगर में पानी की पुरानी लाइन बदली गई है।

3. एक अतिरिक्त जल कनेक्शन द्वारा अर्जुन नगर में पानी बढ़ाया गया है।

4. हाइड्रोलिक मांडलिंग द्वारा डीयर पार्क क्षेत्र में सुधार का प्रस्ताव है।

(घ) परफार्मेंस आडिट कैपिटल वर्क्स के पूरा होने के बाद किया जाएगा। वैसे समय-समय पर कार्य की प्रगति का अवलोकन किया जाता है।

(ङ) उपरोक्त 'क' के अनुसार कार्य प्रगति पर है, जिसके पूरा होने पर क्षेत्र में निवासियों को समुचित पानी उपलब्ध किया जा सकेगा।

(च) मालवीय नगर पी.पी.पी. प्रोजेक्ट में पानी के नेटवर्क का नक्शा माननीय विधायक को दिया जा चुका है।

(छ) सीवर लाइन बिछाने के कार्य के लिए लेटर ऑप इंटेट कान्ट्रैक्टर को दे दिया गया है। यह कार्य बरसात के बाद शीघ्र ही शुरू हो जाएगा।

(ज) मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड के कब्जे वाली सम्पत्तियों का इनके वर्तमान एवं प्रस्तावित इस्तेमाल सहित विवरण की सूचित अनलुग्नक 'बी' मे संलग्न है।

(झ) यह सम्पत्ति जल वितरण के रखरखाव के लिए चाहिये। अनाधिकृत कब्जे की कोई आशंका नहीं है।

ANNEXURE-A

S.No.	Name of work	Status
1	Replacement of old/damaged/silted up sewer line at Kalu Saraj Arjun Village SW-II	Estimate under process
2	Replacement of 200mm AC water line along Gautam Nagar drain Gautam Nagar Under SW-III	Work is in progress
3	Replacement of existing 80mm dia and M.S `water line in Y&Z block Hauz Khas Enclave under SW-III	Work not started due to road cutting permission
4	Replacement of old silt up sewer line at Z-block Hauz Khas under SW-III	Permission form SDMC awaited
5	Replacement of damaged sewer line PTS Red Light to STC colony at Malviya Nagar under SW-III	Tender Received
6	Replacement of old/damaged water line for removing contamination near Durga Mandir Dada pauti park under SW-III	Tender received
7	P/L 100mm dia W/L from improvement of water supply from NCC office CSP at S.D. Enclave under SW-III	Tender received

S.No.	Name of work	Status
8	Replacement of badly damaged and silted up sewer line at back lane of 90/12 to 90/1 Malviya Nagar under SW-III	Work order issued
9	Improvement of sewerage system at Begumpur main Shivalik road by P/L 450Mm dia main market Malviya Nagar under SW-III	Estimate under process
10	Improvement of water supply and removing of contamination near Shani mandir and adjoining area in Masjid Moth Village under SW-III	Estimate under process
11	Improvement of sewerage system of Malviya Nagar by P/L 500mm dia sewer line from mother dairy booth to Gol chakkar Malviya Nagar under SW-III	Estimate under process
12	Replacement of old silt up sewer line at H.No. 28A to 18 nearby in Jia Sarai village under SW-III	Work is in progress
13	Replacement of blocked and damaged peripheral sewer line on main road of Qutub Institutional Area under SW-III	Work oreder issued. PWD R/R charges demand raised
14	Replacement of old 80mm dia C.I water line by 100mm dia D.I water line for improvement of water supply at C-6 SDA under EE(SW)-III	Estimate under process

S.No.	Name of work	Status
15	P/L 150mm dia water line for improvement of water pressure from Balbir Saxena Marg at Gautam Nagar under EE(SW)-III	Tender received
16	Improvement of sewerage system by replacement of old damaged sewer line, Tracing and raising of manhole and allied works in Gautam Nagar Hardev Puri, Yusuf Saraj under SW-III	Tender received
17	Replacement of sewer line at 145, 74, 60 and near at Village Hauz Rani under Sw-III	Estimate under process
18	P/F 1000mm dia M.S. pipe for removing of leakage near foot over bridge opp. Jia Saral Village under SW-III	Tender received
19	Replacement of 100 mm dia water line for removing contamination and improvement of water supply in Masjid Moth Village SW-III	Estimate under process
20	Replacement of old/damaged/silted up sewer line at Kalu Sarai Village SW-III	Estimate under process
21	Replacement of old/damaged sewer line Brahmin Basti and adjoin area Masjid Moth Village SW-II	Estimate under process
22	Replacement of damaged and silted up sewer line at street No. 5 and 6 at Sarvpriya Vihar under SW-III	Estimate under process

S.No.	Name of work	Status
23	Improvement of Sewerage system at K & P block Hauz Khas Enclave and adjoining area under SW-III	NIT issued
24	Replacement of old/damaged sewer line in Brahmin Basti and adjoining area under SW-III	Estimate under process
25	Replacement of 100mm dia water line for removing of contamination and improvement of water supply at majid Moth Village under SW-III	Estimate under process
26	Replacement of old/damaged sewer line in Arjun Nagar & Humayun Pur Village under SW-III	Estimate under process
27	Replacement of damaged and lilted up sewer line at Village Kalu Saraj under SW-III	Estimate under process
28	Replacement of old damaged water line by 100mm dia D.I water line at A-2 block S.D. Enclave under SW-III	Estimate under process
29	Replacement of old damaged sewer line by DMRC near Deer Park Safderjung Enclave under SW-III	Estimate under process

S.No.	Name of work	Status
30	Replacement/Providing G.I network for tube wells in ward No. 163 and 164 in AC-43 Malviya Nagar under EE(SW)-III	Tender received
31	Boring of tube well 150mm dia deep at Durga Mandir, Gautam Nagar and Dada Pauti Park, Hardev Puri and Opp. G-1 NDSE part-II Masjid Moth.	Estimate under process
32	Replacement of old/damaged silt up sewer line in B-6 block Safderjung Enclave	Estimate under process
33	Removing contamination by replacement of old 100mm dia AC water line from H. No. 181 to 214 Gautam Nagar	Estimate under process
34	Replacement of old/damaged 100mm dia water line for removing of contamination a Gali No. 30 and adjoining area of Arjun Nagar	Estimate under process
35	Providing/laying sewerage system in Indira Camp Malviya nagar SW-III	Estimate under process
36	Replacement of 10 and 12 block damaged sewer line in Malviya Nagar under SW-III	Estimate under process

Annexure-B

Information regarding DJB properties in AC-43 Malviya Nagar

S.No.	Address	Purpose for which it is being used
1	2	3
1	J.E. Sewer store Malviya Nagar	Storage of sewer items and J.E office
2	C-block Shivalik near BSES	Storage of sewer items and J.E office
3	At Toot Saraj Malviya Nagar	Future use is being explored
4	Sewer store on Shivalik Road in front of B-41	Storage of sewer items and J.E office
5	Store J.E. (Water) at Navjiven Vihar	Storage of sewer items and J.E office
6	J.E. water store Green Park Opp market	For sitting of J.E. of maintenance of area
7	J.E. Water store Hauz Khas	For sitting of J.E. of mainte nance of area
8	Green park Ext. Sewer store	Storage of sewer items and J.E office

1	2	3
9	J.E. sewer store near Aurobido market, Green Park Main	Storage of sewer items and J.E office
10	Himayun Pur Village labour store	Storage of sewer items and J.E office
11	Sai baba mandir Hauz khas SEWER	Storage of sewer items and J.E office
12	C-block SDA	Future use is being explored
13	G-11 Malviya Nagar	Pumnp house
12	OHT Navjivan Vihar	OHT
13	At D-block Malviya Nagar (Near Shani Mandir)	Store

अनलुग्नक 'सी'

दिल्ली जल बोर्ड

विधान सभा तारांकित प्रश्न संख्या : 76

श्री सोमनाथ भारती, विधायक

दिनांक : 26.08.2016

मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र के वार्ड नम्बर–163 एवं 164 (होजखास तथा सफदरजंग एक्लैव) मैं जल आपूर्ति डियर पार्क मास्टर जलाश्य से की जाती है। इसके अतिरिक्त कुल जल आपूर्ति जी.के. एवं बी.आर. से सीधी टैपिंग के द्वारा भी की जाती

है। डियर पार्क यू.जी.आर. में लगभग 17 म.जी.डी. पानी की आपूर्ति हैदरपूर प्लांट से प्राप्त हाती है तथा इसे अलग-अलग समय में अलग-अलग क्षेत्रों में जैसे कि हौजखास, सफदरजंग एक्लेंव, कटवारिय सराय आदि क्षेत्रों में एवं इसके अलावा की जाती है।

वार्ड नम्बर-163 एवं 164 की आबादी लगभग 1.5 लाख है तथा पानी की मांग लगभग 4.5 एम.जी.डी. हैं। इस क्षेत्र में पानी की आपूर्ति लगभग 3.2 एम.जी.डी. है। मांग और आपूर्ति में अंतर की वजह से अंतिम छोर के क्षेत्रों में प्रयाप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है। इस क्षेत्र में पानी की आपूर्ति का समय 2.00 ए.एम. से 7.00 ए.एम. इसलिए रखा गया है ताकि आपूर्ति के प्रारम्भ में अंतिम छोर पर स्थित निवासियों को पानी मिल सके।

उपलब्ध संसाधनों के अच्छे प्रबंधन के लिए डियर पार्क, यू.जी.आर. क्षेत्र की Hydraulic Modelling प्रस्तावित है। तदोनुसार हाईड्रोलिक विश्लेषण और सलाहकार की सिफारिशों के अनुरूप जल वितरण समय का पुनः निर्धारण किया जाएगा।

79. श्री महेन्द्र गोयल : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि स्वर्णजयंती पार्क को डी.डी.ए. से पर्यटन विभाग को स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसका विवरण क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

पर्यटन मंत्री : (क) पर्यटन विभाग, दिल्ली सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपरोक्त 'क' के अनुसार

(ग) पर्यटन विभाग, दिल्ली सरकार ने स्वर्णजयंती पार्क को स्थानांतरित करने का डी.डी.ए. को कोई प्रस्ताव नहीं दिया है।

80. श्री गुलाब सिंह : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मटियाला विधान सभा में अनुसूचित जाति/जनजाति विभाग द्वारा लिए गए प्रोजेक्टस का विवरण क्या है; और

(ख) ये प्रोजेक्टस कब तक क्रियान्वित हो जाएगें?

समाज कल्याण मंत्री : (क) वर्तमान विधायक महोदय की अनुशंसा के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति सुधारीकरण योजना के अर्न्तगत मटियाला विधान सभा में स्वीकृत कार्यों की सूची तथा विभाग में लंबित प्रस्तावों की सूची विलंबन के कारण सहित सलंग्न है।

(ख) विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों को कार्यान्वित सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा किया जा रहा है। विभाग में लंबित प्रस्तावों की स्वीकृती हेतु उचित निर्णय वांछित सूचनाओं के प्राप्त होने के पश्चात लिया जाता है।

Sanction issued to I & FC Department Under the Scheme of Improvement of SC/ ST Basties during the year 2015-16

Sl. No.	Name of MLA	Executing Agency	Details of Work(s)	Sanctioned Amount (in Rs.)	sanction date
1.	Sh. Gulab Singh (AC-34) Matiala	Executive Engineer, CD-XIII, I & FC Deptt., GNCT of Delhi, Basai Darapur Office Complex, Opp. E.S.I. Hospital, New Delhi-110027	Demolishing & Re-construction of SC/ST Chaupal at Village Khera Dabar in N.G. Block (AC-34)	4531000	9.12.15
2.	Sh. Gulab Singh (AC-34) Matiala	The Executive Engineer, CD-I, I & FC Deptt., Govt of NCT of Delhi, E.S.I. Hospital Basaidarapur	Renovation of existing Julaha Chaupal i/C electrification at village pandwalan Kalan in Najafgarh Block, Matiyala (AC-34)	942000	10.3.16

Details of Pending proposals in the Matiyala Assembly Constituency

S.No.	Details of Proposal	Executing Agency (I & FC/DUSIB)	Estimated Cost (Rs. In Lacs)	Date of receipt of Proposal	Reasons for Pendency
1	Construction of Gurn Valmiki Samaj Chaupal at Village Amerhai, Secctor-19, Dwarka in Matiala AC-34	Superintending Engineer FC-IV, Govt. of NCT of Delhi, Basaidarapur Office Complex, Delhi	140.19	16.12.2015	NOC for construction of Chauupal From DDA is Still awaited
2	Demolishing of existing single storey Harijan Chaupal (SC/ST) & its reconstruction as double storied at Kh. No. 09/10/1 at village Goela Khurd in Najafgarh Block	Superintending Engineer FC-IV, Govt. of NCT of Delhi, Basaidarapur Office Complex, Delhi	111.70	25.04.2016	Matter regarding seeking permission for demolition of existing chaupal is under process

In addition to above, on the recommendation of the Area MLA, I & FC Department has been requested for preparation of Estimate for 17 development works in Matiyala Assembly Consistency (AC-34)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI DEPARTMENT FOR THE WELFARE OF SC/ST/OBC/MinoritiesB-BLOCK, 2nd FLOOR, VIKAS BHAWAN, I.P. ESTATE, NEW DELHI

Website : scstwelfare.delhigovt.nic.in Tele Fax No. 23379513

F.No.3(19)Misc./2014-15/DSCST(Impl.)/2472.74 Dated : 27/ 6 /2016

To,

The Chief Engineer,

I & FC Department, Govt of NCT of Delhi,

L.M. Bund Office Complex, Shastri iNagar,

New Delhi-110035

Sub : Development Works in various villages in Matiala Assembly constituency.

Sir,

Please find enclosed herewith a copy of letter Ref. No. MLA/SC/ST/ 2016-17/1191 dated 06-06-2016 received from Sh. Gulab Singh. Hon'ble MLA, Matiala Assembly Constituency, on the subject cited above

In this regard, you are requested to take the necessary action as per this guidelines of the scheme of this department "Improvement of SC/ST Basties."

Yours faithfully,

Dy. Director (Admn.)

F.No. 3(19) Misc./2014-14/DSCST/(Impl.)/2472-74 Dated : 27/6/2016

Copy to :

1. The OSD to Hon'ble Minister Women & Child, Social Welfare, Language, SC & ST, Govt. of NCT of Delhi, 7th Level, C-Wing, Delhi Sectt., New Delhi-110002 Ref. No. 3111 dated 06.06.2016

2. Sh. Gulab Singh, Hon'ble MLA, Old Palam Road, Near MBD School Kakrola, New Delhi-110078

Dy. Director (Admn.)

GULAB SINGH

Member of Delhi Legislative Assembly

Ref. MLA/SC/ST/2016-17/1191 Dated 06/06/2016

To

Sh. Sandeep Kumar Ji

Office of the Minister (SC/ST/OBC)

Govt. of NCT of Delhi

Delhi Secretariat, I.P. Estate

Delhi-110002

Subject : Works in various villages under SC/ST allocation fund

Sir,

Kindly find the works details as below, which is to be execute for repair/improvement/demolishing & construction under SC/ST head. So please recommend these works to the concern agency for further process.

S.No.	Name of Works	Nature of works	Village
1	2	3	4
1	Repair/Improvement/innovation of Harijan Chaupal (Kaba Mohalla, Near Johad) in village Chhawla	Repair/ Improvement/ Innovation	Chhawla
2	Demolishing & Construction of existing SC/ST Chaupal in village Ghumanhera	Demolishing Construction	Ghumanhera
3	Demolishing & Construction of existing SC/ST Chaupal in village Ghumanhera	Demolishing Construction	Hasanpur
4	Development of Harijan Colony (Roads, Drain etc.) in village Hasanpur	Development	Hasanpur
5	Construction of balmiki Chaupal in vilkage Kanganheri	Construction	Kanganheri
6	Constructon of Balmiki Community certre in village Kanganheri	Construction	Kanganheri
7	Construction of RMC road at Harijan Cremation ground with teen shed in village Kharkhari Nahar	Construction	Kharkhari Nahar

1	2	3	4
8	Repair/Improvement of Julaha Chaupal in village Pandwala Kalan	Repair/ Improvement	Pandwala Kalan
9	Repair/Improvement of RMC road in Harijan Mohalla near Samadhi Chowk in village Pandwala Kalan	Repair/ Improvement	Pandwala Kalan
10	Construction SC/ST Chaupal in village Pandwala Khurd	Construction	Pandwala Kalan
11	Demolishing & Construction of SC/ST Chaupal in village Paprawat	Demolishing construction	Paprawat
12	Repair/Improvement of Balmiki Chaupal in village Shikarpur	Repair/ Improvement	Shikarpur
13	Repair/Improvement of drain in Balmiki Mohalla in village Shikarpur	Repair/ Improvement	Shikarpur
14	Construction of Harijan Chaupal in village Kharkhari Jatmal	Construction	Kharkhari Jatmal
15	Repair/Improvement of SC/ST Chaupal in village Dariyapur Khurd	Repair/ Improvement	Dariyapur Khurd

1	2	3	4
16	Development 20 points Harijan Colony (Roads, Drains etc.) in village Pandwala Khurd	Development	Pandwala Kalan
17	Demolishing & Construction of existing SC/ST Chaupal in village Khkarkhari Nahar	Demolishing Construction	Kharkhari Nahar

Soliciting your kind co-operation in this regards. An early response on this issue shall be highly appreciated

With Warm regards

Gulab Singh
MLA, Matiala
AC-34

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

78. श्री जरनैल सिंह (एसी-27) : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि राजौरी गार्डन विधान सभा क्षेत्र के एन. डब्ल्यु, ब्लॉक और नर्सिंग गार्डन इलाके में आबादी के ऊपर से हाई टेंशन तारें गुजर रही हैं, जिनकी वजह से कई हादसे हो चुके हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन तारों को अन्यत्र शिफ्ट करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इन्हें कब तक शिफ्ट कर दिया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं?

ऊर्जा मंत्री : (क) से (घ) राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र के एन डब्ल्यू ब्लॉक और नर्सिंग गार्डन इलाके से दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड की कोई हाई टेंशन की तारें नहीं गुजरती हैं। 66 केवी बीबीएमबी रोहतक रोड़ दिल्ली–गुडगांव की लाइनें जोकि हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की है इस क्षेत्र से गुजरती हैं इस संबंध में हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को लाइन को परिवर्तित मार्ग पर डायवर्टिड करने के लिए लिखा गया है।

79. श्री जरनैल सिंह (एसी–27) : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि राजौरी गार्डन विधान सभा क्षेत्र के ख्याला व आसपास के इलाके में बड़े पैमाने पर बिजली चौरी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो कितनी; और

(ग) बिजली चोरी को रोकने के लिए बीएसईएस द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं) पूर्ण विवरण दें?

ऊर्जा मंत्री : (क) जी हां।

(ख) और (ग) ख्याला एवं उसके आसपास के इलाकों में लगभग 28 प्रतिशत टी एण्ड टी घाटे हैं। इस क्षेत्र में बिजली चोरी को कम करने के लिए बीआरपीएल द्वारा निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :–

1. पोलों पर लगे वितरण बक्सों को बंद/सील किया जा रहा है तथा उन्हें उपभोक्ता की पहुंच से उपर लगाया जा रहा है।

2. बिजली के मीटरों को बक्सों में सील किया जा रहा है तथा इन्हें घर के बाहर लगाया जा रहा है जिससे कि इन्हें आसानी से चैक किया जा रहा है तथा उपभोक्ता मीटर में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न कर सके।

3. संदिग्ध तथा पूराने मीटरों को बदला जा रहा है।

4. एबी केवलों के स्थान पर आरमोर शिधेड़ केबलों को लगाया जा रहा है जिससे कि सीधे हुक डालकर तथा तारों को पंचर करके होने वाली चोरी को रोका जा सके।

5. पुरानी/ जुड़ी हुई तारों को बदला जा रहा है।

6. बिजली की चोरी को रोकने तथा नियंत्रित करने के लिए प्रवर्तन विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

80. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार अपना पावर स्टेशन लगाने के पक्षधर है और मानती है कि इससे दिल्ली में 6200 मेगावाट बिजली की खपत को पूरा करने में सहायता मिलेगा और इससे बिजली समस्या का समाधान होगा;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली का अपना पावर स्टेशन स्थापित कररने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं;

(ग) राजघाट और बवाना संयंत्र के कुशल संचालन के लिए क्या कदम उठाये गए हैं; और

ऊर्जा मंत्री : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली सरकार ने केन्द्र सरकार से कोयला खान उपलब्ध कराने के लिए प्रार्थना की है ताकि इसके मुहाने पर पावर स्टेशन बनाया जा सके। कोयला खान उपलब्ध होने पर सरकार इस पर विचार कर सकती है।

(ग) दिल्ली में राजघाट पावर स्टेशन पुराने और कोयला आधारित होने के कारण दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के मापदण्डों के कारण उसमें बिजली उत्पादन बंद कर दिया गया है। परन्तु कोयला आधारित स्टेशन से म्यूनिसिपल वेस्ट का उपयोग करके बिजली बनाने हेतु परिवर्तित करने के लिए तकनीकी व्यवहार्यता पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

दिल्ली सरकार बवाना संयंत्र के लिए सस्ती घरेलू गैस उपलब्ध करने के लिए भारत सरकार से निरन्तर पत्राचार कर रही है ताकि इसकी क्षमता का पूरा उपयोग किया जा सके।

(घ) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के नियमों के अनुसार एक मेगावाट और उससे अधिक के उपभोक्ताओं को ओपन एक्सस के तहत बिजली खरीदने का प्रावधान है जोकि विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत है।

81. श्री जगदीश प्रधान : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार राजधानी को सोलर सिटी बनाने की योजना पर काम कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) सरकार ने घरों, हाउसिंग सोसाइटियों, उद्योगों आदि को सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए किस प्रकार का प्रावधान किया?

ऊर्जा मंत्री : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली सरकार ने राजधानी को सोलर सिटी बनाने के लिए एक सोलर नीति बनाई है। इस नीति के तहत दिल्ली में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जी.बी.आई.), ग्रुप नेट मीटरिंग, वर्चुबल नेट मीटरिंग, सरकारी भवनों की छतों पर सोलर प्लांट की स्थापना अनिवार्य बनाना, वितरण कम्पनियों के लिए सौर ऊर्जा के लक्ष्य निर्धारित करना इत्यादि प्रावधान किये गये हैं। यह नीति delhi.gov.in/wps/wcm/connect/doit_eerem/EEREM/home वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(ग) उपरोक्तानुसार

82. श्री पवन कुमार गर्ग : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या यह सत्य है कि आदर्श नगर विधान सभा में बिजली के खंभों पर छोटे-छोटे ट्रांसफार्मर लगे हैं, जो बार बार ट्रिप होते हैं,

(ख) क्या सरकार इन छोटे-छोटे ट्रांसफार्मर्स को बदलकर बड़े ट्रांसफार्मर लगाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इन्हें कब तक बदल दिया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

ऊर्जा मंत्री : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) इस पर कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की सकती, क्योंकि आवश्यकतानुसार समय समय पर ट्रांसफार्मर बदले जाते हैं।

83. श्री पंकज पुष्कर : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि गोपालपुर फीडर से 200 किलोवाट की हाई टेंशन तारें गुजर रही हैं, जिसके नीचे 9–10 कि.मी. तक रिहायशी आबादी बस चुकी है;

(ख) क्या सरकार किसी दुर्घटना की आशंका को रोकने के लिये इन तारों को जहांगीरपुरी ड्रेन के साथ शिफ्ट करने पर विचार कर रही हैं;

(ग) यदि हां तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों?

ऊर्जा मंत्री : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। भविष्य में आवश्यकतानुसार इस पर विचार किया जा सकता है।

(ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

(घ) वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है।

84. श्री अजय दत्त : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अंबेडकर नगर विधान सभा क्षेत्र में एमसीडी रोड पर पोल सहित 200 नई लाइटें लगाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कब तक;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार द्वारा विद्युत कंपनियों से ट्रांसफार्मर लगाने की जगह का कोई किराया लिया जाता है;

(ङ) यदि हाँ, तो उसका क्या कारण हैं; और

(च) यदि नहीं, तो उसका क्या कारण हैं?

ऊर्जा मंत्री : (क) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने ईईएसएल और बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड से अनुबन्ध किया है जिसके तहत मौजूदा पोलों में एलईडी लाईट में बदलनी हैं। इस अनुबंध के तहत कोई भी नया पोल नहीं लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त 50 पोल के लिए विधायक निधि से अनुमानित राशि मिलने के उपरान्त दक्षिणी दिल्ली नगर निगम कार्यवाही करेगी।

(ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

(ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

(घ) से (च) दिल्ली सरकार द्वारा बिजली के संयंत्र लगाने के लिए दी गई भूमि पर नीतिनुसार लाइसेंस फी ली जाती है।

85. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली अपने पड़ोसी राज्य हरियाणा से अतिरिक्त कच्चे पानी का हकदार है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली का हरियाणा से कितना कच्चा पानी और अधिक मिलने का प्रावधान है;

(ग) इस दिशा में उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन के लिए दिल्ली सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये है;

(घ) सराकर ने वर्षा के जल को संचित करने, कुओं के पुनः भरने, वाटरशेड विकास और मिट्टी-जल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं के जरिये जल संसाधनों की कमी को पाटने के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(ङ) क्या मोहल्ला सभा की साझेदारी से झीलों, तालाबों और बावड़ियों जैसे जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं; और

(च) अब तक इस दिशा में क्या प्रगति हुई है?

जल मंत्री : (क) दिल्ली, 1994 MOU (यमुना नदी के पानी के वितरण के सन्दर्भ में) एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार यमुना के पानी का निश्चित मात्रा में प्राप्त करने का अधिकारी है।

(ख) इसके अतिरिक्त और कोई प्रावधान नहीं है लेकिन अगर हरियाणा सरकार चाहे तो अतिरिक्त पानी की संभावना हो सकती है।

(ग) माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसर MOU (यमुना नदी के पानी के वितरण के सन्दर्भ में) एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कारण जितना पानी मिल रहा है, उसको फ्लो मीटर्स द्वारा मापा जा रहा है तथा सुनिश्चित किया जाता है कि पूरा पानी मिलता रहे। जिसकी निगरानी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एमीकस न्यायमित्र (Amicus Curiae), श्री आर. खन्ना वकील कर रहे हैं।

(घ) वर्षा जल संचित करने की दिशा में दिल्ली सरकार ने छत की वर्षा जल के जरिए वर्षा जल संचयन के कार्यों को काफी बढ़ावा दिया है। वर्षा जल सूचना केन्द्र खोले गए हैं। इन केन्द्रों पर जल संचयन विधि एवं प्रारूप के बारे में निशुल्क सेवा दी जाती है। दिल्ली जल बोर्ड ने 100 वर्ग मीटर के सभी घरेलू एवं व्यवसायिक स्थानों पर जल संचयन को अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन 500 वर्ग मीटर या अधिक के प्लांट पर इसके न करने पर जल के शुल्क में 50% की वृद्धि कर दी जाती है और लागू करने पर जल शुल्क में 10% की छूट का प्रावधान है। दिल्ली सरकार ने अखबारों, पम्पलेटस और बुकलेटस के जरिए लोगों को वर्षा जल संचयन के लिए उत्साहित किया हैं

इसके अतिरिक्त कार्यशालाओं को आयोजित कर विभिन्न संस्थानों तथा RWAs को जल संचयन से संबंधित जानकारी दी गई तथा तालाबों के पुनरूत्थान पर भी कार्य किया जा रहा है।

द्वारका में सेकटर 20 एवं 23 मे डी डीए से दो वॉटर बॉडीज लेकर उनका विकास किया जा रहा है।

बाहरी गांव की दस वॉटर बॉडीज को लेकर विकसित किया जा रहा है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम को नैनी लेक का विकास करने के लिए प्रार्थना–पत्र दिया गया है जो अभी–भी लम्बित है। सभी वॉटर बॉडीज की निगरानी रखने संबंधित एवं योजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु दिल्ली सरकार ने श्री सतेन्द्र जैन, माननीय पी.डब्ल्यू.डी. एवं गृहमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। जिसके सदस्य माननीय जल मंत्री, पर्यावरण मंत्री एवं माननीय मुख्य कार्यकारी, अधिकारी, दिल्ली जल बोर्ड हैं। इसकी तीन बैठकें हो चुकी हैं।

(ङ) एवं (च) विचाराधीन है।

86. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार यमुना नदी को पुनर्जीवित करने की दिशा में कार्य कर रही है?

(ख) यदि हां, तो अब तक इसके लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या व्यापक सीवरेज नेटवर्क स्थापित करने की दिशा में कुछ ठोस कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या यमुना नदी में अशोधित पानी और औद्योगिक अवशिष्ट के प्रवेश को रोकने के लिए कुछ कदम उठाये गये हैं, उसका पूर्ण विवरण दें, और

(ङ) दिल्ली सरकार वर्षा जल संचयन को किस प्रकार बढ़ावा दे रही हैं?

जल मंत्री : (क) जी हां, यह सत्य है।

(ख) यमुदा नदी को पुनर्जीवित करने के दिशा में एक महत्वपूर्ण बैठक माननीय केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री श्री वैंकया नायडू की अध्यक्षता में श्री नितिन गडकरी, केन्द्रीय जहाजरानी मंत्री, सुश्री उमा भारती, केन्द्रीय जल स्रोत मंत्री एवं श्री अरविन्द केजरीवाल, मुख्य मंत्री दिल्ली सरकार की उपस्थिति मे की गई थी। जिसमें दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तुत एवं समुचित योजना की सराहना की गई।

कई बार सुश्री उमा भारती, सचिव, वॉटर रिसोर्सिज, मिशन निदेशक (NMCG) तथा अन्य अधिकारियों के साथ बैठक होने के पश्चात भी आर्थिक मदद का आश्वासन मिला है परन्तु कोई स्पष्ट शुरूआत नहीं हुई है।

यमुना एक्शन प्लान-तृतीय के तीन प्रोजेक्ट की घोषणा करते समय सुश्री उमा भारती, माननीय केन्द्रीय मंत्री जल संसाधन ने दिल्ली सरकार के यमुना नदी को साफ करने के प्रयासों को सराहा था तथा यमुना के किनारे घाटों के निर्माण तथा यमुना का कचरा साफ करने के उपकरणों को देने का आश्वासन भी दिया था जो अभी-तक पूरा नहीं किया गया।

इसके अतिरिक्त निम्न गंभीर मुद्‌दों को चिन्हित किया गया है जिसे DDA, I&FC, DSIIDC, नगर निगम NDMC, CPWD, PWD व दिल्ली जल बोर्ड बोर्ड इत्यादि जैसे सभी हितधारकों द्वारा संबोधित किए जाने की आवश्यकता है :-

1. ऐसे क्षेत्र जहां सीवर नहीं हैं, से निष्कासित अवजल की सफाई।

2. औद्योगिक तथा गैर औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाले औद्योगिक कचरे का निस्तारण।

3. ठोस कचरे के उचित प्रबंधन तथा इसको नाले तथा नदियों में डाले जाने से रोकना।

4. वर्षों से नदियों तथा बड़े नालों की तलहटी में जमा गन्दगी व प्रदूषक तत्वों को हटाकर निस्तारित करना।

5. पर्याप्त साफ पानी का बहाव सुनिश्चित करना।

6. ृनदियों तथा नालों के किनारों/मुहानों का सौंदर्यीकरण।

7. लोगों को पानी की जलधारा से जोड़ना।

जहां तक दिल्ली जल बोर्ड का संबंध है, यमुना नदी के पवर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने का बीड़ा उठाते हुए यमुना एक्शन प्लान-प्रथम व द्वितीय (YAP-I & II) के अंतर्गत सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट तथा ट्रंक सीवर लाइनों के पुनरूद्धार का कार्य 2002-2011 की अवधि में किया गया। तब से शहर की अनाधिकृत कालोनियों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है तथा आज की तारीख में 1669 ऐसी अनाधिकृत कालोनियवां हैं। इस गैर योजनाबद्ध तरीके से बढ़ती आबादी के कारण अधिक मात्रा में अवजल पैदा हो रहा है जिसका बहाव नालों के माध्यम से अन्ततः यमुना नदी में जाकर मिल जाता है। यमुना नदी में इस प्रदूषण को कम करने के लिये यमुना एक्शान प्लान-3 का कार्यान्वयन जारी है। इस एक्शन प्लान-3 को ओखला, कोंडली व रिठाला अवजल निकासी क्षेत्रों, जोकि दिल्ली के लगभग 64 प्रतिशत अवजल उत्पादन का हिस्सा है, में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्य के अन्तर्गत सीवर लाइनों तथा राइजिंग मेन्स के पुनरूद्धार का कार्य, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का पुनरूद्धार व नवीनीकरण तथा नये सीवेज शोधन प्लान्ट का निर्माण सम्मिलित है। जिसमें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार सीवेज की शुद्धता को सुनिश्चित करना होगा।

इसके अतिरिक्त प्राथमिकता पर नजफगढ़ व सप्लीमेंटरी नालों के कमांड क्षेत्र में 15 विकेन्द्रित अवजल शोधन प्लान्ट स्थापित करने की भी योजना है जिससे अधिकतम मात्रा में बिना शोधन के अवजल को नदी में गिरने से पूर्व ही रोका जा सके। इसके अतिरिक्त सीवरेज सिस्टम को और अधिक कुशल बनाने के लिये दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पुरानी सीवर लाइनों, WWTPs व सीवेज पम्पिंग स्टेशनो का पुनरूद्धार करने की योजना कार्यान्वित है।

(ग) दिल्ली जल बोर्ड ने सीवरेज मास्टर प्लान–2031 को अंतिम रूप दे दिया है जिसे विभिन्न चरणों में उन क्षेत्रों में जिनमें सीवर नहीं है, सीवरेज सुविधा प्रदान करने के लिए लगभग रु. 20000 करोड़ की लागत से क्रियान्वित किया जा रहा हैं सीवरेज मास्टर प्लान के प्रथम चरण के अंतर्गत उन क्षेत्रों, जहां सीवर नहीं है, में सीवर डालने की प्रक्रिया की जा रही है। लगभग 241 अनाधिकृत कालोनियों में सीवर लाइनें बिछाने का कार्य कर लिया गया है तथा 250 अनाधिकृत कालोनियों में सीवर डालने का कार्य जारी है। इसके अतिरिक्त दिल्ली में कालोनीवाइज़ विकेन्द्रीकृत (Decentralized) प्लॉट बनाने का भी सरकार प्रयोग कर रही है।

(घ) यमुना नदी में प्रदूषण को रोकने के लिये दिल्ली जल बोर्ड द्वारा इन्टरसेप्टर सीवर योजना को लागू किया गया है। इस योजना के तहत, शहर के छोटे नालों से होकर आ रहे अवजल को बड़े नालों जैसे नजफगढ़, सप्लीमेंटरी व शाहदरा में गिरने से पूर्व ही ट्रैप करके शोधन के लिए संयंत्रों में भेज दिया जायेगा। वर्तमान में इन परियोजनाओं की प्रगति 85 प्रतिशत है जिसे अगले वर्ष तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है।

इसके अतिरिक्त दिल्ली गेट नाले के मुख पर, 15 एम.जी.डी. क्षमता के एस. टी.पी. का निर्माण किया गया है जिससे कि नाले में बहने वाले गंदे पानी को ट्रेप करके उसका शोधन किया जा रहा है।

यमुना नदी में औद्योगिक कचरे के प्रवाह का दिल्ली जल बोर्ड के साथ संबंध नहीं हैं

(ङ) सर्वप्रथम सरकार ने वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए जन जागरूकता अभियान चालये हैं, जनता की आसानी के लिए उसके प्रारूप को सरलतम बनाया गया है।

निम्न तीन स्थानों पर वर्षा जल सूचना केन्द्र खोले गये हैं।

(1) लाजपत नगर

(2) आर.के.पुरम

(3) द्वारका

उपरोक्त केन्द्रों पर जल संचय विधि एवं प्रारूप के बारे में निशुल्क सेवा दी जाती है

दिल्ली जल बोर्ड ने 500 वर्ग मीटर से सभी घरेलू व व्यवसायिक स्थानों पर जल संचय को अनिवार्य कर दिया है। उसके लागू न करने पर जल के दर (Tarrif) में 50 प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाती है। परन्तु लागू करने पर दर (Tarrif) में 10 प्रतिशत की छूट का प्रावधान है।

87. श्री जगदीश प्रधान : क्या **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या यह सत्य है कि शिव विहार वार्ड तथा करावल नगर ईस्ट में पानी की भारी किल्लत है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि यहां पर दो-दो, तीन दिन पानी नहीं आता और जब आता है तो वह भी केवल एक या डेढ़ घंटे के लिये तथा उसका प्रेशर भ ना के बराबर होता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है?

जल मंत्री : (क) जी हां। मुस्तफाबाद विधान सभा के शिव विहार वार्ड तथा करावल नगर ईस्ट वार्ड में पानी की कमी है।

(ख) एवं (ग) पानी की उपलब्धता के अनुसार शिव विहार वार्ड में पानी की आपूर्ति एक दिन छोड़कर की जाती है तथा लगभग 1 से 2 घंटे तक की जाती है। ऑन-लाइन बूस्टर चलाने की वजह से पानी का दवाब पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाता।

पानी की कमी की पूर्ति हेतु सोनिया विहार प्लांट में नये जलाशय का निर्माण प्रस्तावित है। पानी मुख्य लाईन डालने की निविदाएं प्राप्त हो चुकी हैं तथा भूमिगत जलाशय के निर्माण हेतु निविदाएं शीघ्र निकाली जा रही है।

88. श्री सुरेन्द्र सिंह : क्या **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली छावनी की ईस्ट व वेस्ट मेहरम नगर, झडोदा प्रहलादपुर पुरानी नंगल, नारायणा, गोपीनाथ, क्रिबी प्लेस, झुग्गी एवं सदन बाजार में रहने वाली सिविल आबादी को पीने का मीठा पानी सप्लाई नहीं किया जाता है जिससे कि लोगों के स्वास्थ्य को हानि पहुंच रही है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र की आबादी को मीठा पानी आपूर्ति किये जाने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे है; और

(ग) इस क्षेत्र में कब तक मीठे पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी?

जल मंत्री : (क) जी हां। अभी-तक दिल्ली छावनी को दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बल्क कनेक्शन के माध्यम से जल सप्लाई दी जाती है। आंतरिक वितरण दिल्ली छावनी बोर्ड के अधीन है लेकिन दिल्ली छावनी की सिविल आबादी की शिकायतों से प्रतीत होता है कि दिल्ली छावनी बोर्ड वहां की सिविल आबादी का मीठे पानी की आपूर्ति

नहीं कर रहा है जबकि दिल्ली जल बोर्ड से 8 एम.जी.डी. मीठे पानी की आपूर्ति की जाती है।

(ख) दिल्ली छावनी के विधायक की दिल्ली जल बोर्ड के साथ दो बैठकें हो चुकी हैं। जिसमे तीन जगहों पर पानी के जल कनेक्शन देने का सुझाव दिया गया है। दिल्ली छावनी बोर्ड से अभी प्रस्ताव आना बाकी है। इसके अतिरिक्त शंकर विहार में 01 एम.जी.डी. मीठा पानी दिया जाएगा। दिल्ली जल बोर्ड इसके लिए तैयार है।

(ग) जैसे ही दिल्ली छावनी से प्रस्ताव आएगा उस पर तुरन्त विचार किया जाएगा।

89. श्री सौरभ भारद्वाज : क्या **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलकनंदा में प्रस्तावित डीडीए से अनुमति प्राप्त मॉल बानने पर जनता द्वारा आपत्ति किए जाने के बावजूद इस संबंध में दिल्ली जलबोर्ड द्वारा कोई आपत्ति न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या दिल्ली जलबोर्ड अलकनंदा में प्रस्तावित इस मॉल का विरोध कर सकता है जिसकी जांच माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के तहत डीडीए द्वारा गठित पैनल के द्वारा की जा रही है?

जल मंत्री : (क) दिल्ली जल बोर्ड एक्ट 1998 की धारा 76 के अनुसार कोई भी व्यक्ति दिल्ली जल बोर्ड की बिना अनुमति के काई भी विकास कार्य बिना पानी, पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था के नहीं करेगा। यदि वह ऐसा करता है तो दिल्ली जल बोर्ड उसको पानी देने तथा सीवर का इन्तजाम करने के लिए बाध्य नहीं होगा। अलकनन्दा में डी.डी.ए. से अनुमति प्राप्त मॉल का कोई आवेदन दिल्ली जल बोर्ड के पास नहीं आया है। अतः कोई अनुमति भी नहीं दी गई है। दिल्ली जल बोर्ड एक्ट के अनुसार ये निर्माण अवैध है।

(ख) इस संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पानी के कनेक्शन के लिये कोई आवेदन आने के उपरान्त ही उचित उत्तर दिया जायेगा। इस संबंध में दिल्ली जल बोर्ड आपत्ति भेजने पर विचार कर रहा है।

90. श्री पवन कुमार शर्मा : क्या **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि जहांगीर पुरी, जी ब्लाक में पिछले डेढ़ साल से सीवर लाइन बैठी हुई है और इसे बेस पायलिंग विद राफ्ट से ठीक किया जाना हैं;

(ख) यह भी सत्य है कि यहां पर लगी इलैक्ट्रिक ट्राली के कारण अवैध कब्जे हो रहे हैं, जिससे पूरा सीवर सिस्टम प्रभावित है और पीने का पानी भी गन्दा आ रहा है;

(ग) इस समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है और यह इलैक्ट्रिक ट्राली कब तक हटा दी जाएगी?

जल मंत्री : (क) जी हां, यह सत्य है। इसे बेस पाइलिंग विथ राफ्ट से नहीं बल्कि ट्रेंचलैस (Trenchless) तरीके से ठीक किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) यह सत्य नहीं है। विभाग द्वारा इलेक्ट्रिक ट्रॉली सीवेज निकासी के लिए अंतरित व्यवस्था के तौर पर लगाई गई हैं जब भी कभी गंदे पानी की शिकायत आती है तो उसे तत्काल दूर कर दिया जाता है।

(ग) इस सीवर लाईन के जीर्णोद्धार (Rehabilitation) का कार्य यमुना एक्शन प्लान-तृतीय (YAP-III) के अंतर्गत प्रस्तावित है जिसके लिए अभी निविदाएं तैयार की जा रही हैं। कार्य के संपन्न होने पर इलेक्ट्रिक ट्रॉली हटा ली जाएगी।

91. श्री पंकज पुष्कर : क्या **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि वार्ड नं. 10 मलका गंज के बर्फ खाना क्षेत्र में स्थित बर्फ फैक्ट्री और शीत गृह को सदर विधान सभा क्षेत्र की आरे से आने वाली 35 इंच पानी की लाइन से दो कनैक्शन फैक्ट्री को दिए गए हैं;

(ख) यह भी सत्य है कि इस क्षेत्र की जनता पानी की भारी कमी से जूझ रही हैं;

(ग) यदि हां, तो उक्त 35 इंच पानी की लाईन से क्षेत्र की आबादी को पानी की आपूर्ति न किए जााने के क्या कारण है;

(घ) क्षेत्र को आबादी को इस पाइप लाइन से पानी कब तक देना शुरू किया जाएगा;

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि वार्ड–10 मलका गंज की मेन सीवर लाइन मलका गगंज चौक पर हंसराज कालेज के पास नाले में गिराई जाती है;

(च) यदि हां तो इनको नाले से हटाने की क्या योजना है; और

(छ) सीवर लाइन नाले से कब तक हटा दी जाएगी?

जल मंत्री : (क) जी नहीं। यह कनेक्शन 10 इंच व्यास की पानी की लाईन से पुराने समय से दिये गये हैं।

(ख) से (घ) जी नहीं, इस क्षेत्र में पानी की आपूर्ति सुबह तीन घण्टे तथा शाम को तीन घण्टे की जाती है।

(ङ) जी हां, यह सत्य है।

(च) इस सीवर को हटाने की योजना विचाराधीन है।

(छ) तकनीकी संभाव्यता (Technical feasibility) के बाद ही कार्य की समय सीमा निर्धारित की जाएगी।

92. श्री सोमनाथ भारती : क्या **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मालवीय नगर विधानसभा में लंबित विकास कार्यों का विवरण क्या है;

(ख) क्या यह सत्य है कि मालवीय नगर विधानसभा में पानी की सप्लाई सुबह 2 बजे से 7 बजे तक के अव्यवहारिक समय पर की जाती है तथा पानी की सप्लाई सुबह 5 बजे से आठ बजे तक करने के माननीय मुख्यमंत्री के आश्वासन के बावजूद दिल्ली जलबोर्ड द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उक्त पानी की सप्लाई का समय कब तक ठीक कर दिया जाएगा;

(ङ) मालवीय नगर विधानसभा के अंतिम छोर पर स्थित कालोनियों में पानी की सप्लाई सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) मालवीय नगर विधानसभा में सीवर और परनी के नेटवर्क का सही विवरण क्या है; और

(छ) मालवीय नगर विधानसभा में जहांपनाह प्रोजेक्ट के अंतर्गत नई सीवर लाइन डालने का काम कब तक शुरू कर दिया जाएगा?

जल मंत्री : (क) मालवीय नगर वाटर सप्लाई कम्पनी द्वारा पी.पी.पी. क्षेत्र में पानी की प्रणाली में सुधार व विस्तार का कार्य प्रगति पर है, लगभग 50 प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है तथा बकाया कार्य 30 जून 2017 तक पूरा होगा।

पी.पी.पी. क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्र के कार्यों का लम्बित विकास कार्य का विवरण संलग्क 'ए' पर संलग्न है।

(ख) मालवीय नगर यु.जी.आर. कमाण्ड क्षेत्रों/पी.पी.पी. क्षेत्र में पानी की सप्लाई सुबह 5 बजे से आठ बजे तक की जा रही है।

पी.पी.पी. क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में डीयर पार्क भूमिगत जलाशय से विभिन्न क्षेत्रों में पानी आपूर्ति की जाती है, इस समय पानी की आपूर्ति के समय बदलना संभव नहीं है। जल की उपलब्धता एवं समुचित और सुचारू रूप से जल वितरण के लिए, हायोड्रोलिक मोडलिंग करवाने का प्रस्ताव है, जिसके बाद समय का बदलना संभव हो सकेगा। इसकी विस्तृत जानकारी माननीय विधायक को दी जा चुकी है।

(ग) मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र में डीयर पार्क भूमिगत जलाशय से पहले सुबह 3.00 बजे से सुबह 6.30 बजे तक एवं शाम 4.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक पम्पिंग की जाती थी। पानी की कम उपलब्धता एवं बढ़ी हुई मांग के कारण कुछ अन्तिम छोर के क्षेत्रों में पानी नहीं मिलने की समस्या बनी रहती थी। माननीय विधायक से विचार-विमर्श के पश्चात यह समय सारणी निश्चित की गई थी ताकि अंतिम छोर के अधिकतम क्षेत्रों तक पानी पहुंच सके जो कि समय परिवर्तन के बाद संभव हो सका।

(घ) हायोड्रोलिक मोडलिंग एवं आवश्यक कार्य होने के पश्चात तकनीकी अवलोकन के अनुसार समय निर्धारित किया जाएगा।

(ङ) मालवीय नगर विधान सभा में अंतिम छोर पर स्थित कॉलोनियों के जल सुधार के लिए ट्यूबवैल लगाकर पुरानी पानी की लाईनों का बदलाव करके एवं अतिरिक्त कनेक्शन द्वारा जल उपलब्ध कराकर एवं प्रस्तावित हायोड्रोलिक मोडलिंग कराकर प्रयास किये जा रहे हैं।

(च) मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र में सीवर एवं पानी का नेटवर्क मेंपिंग सेल में उपलब्ध है जिसकी कापी माननीय विधायक को उपलब्ध करा दी गयी है।

(छ) सीवर लाईन बिछाने के कार्य हेतु कान्ट्रेक्टर को आशय पत्र दे दिया गया है। यह कार्य बरसात के बाद शीघ्र ही शुरू हो जाएगा।

Annexure-A

Sl. No.	Name of work	Status
1	2	3
1	Replacement of old/damaged/silted up sewer line at Kalu Saraj Arjun Village SW-II	Estimate under process
2	Replacement of 200mm AC water line along Gautam Nagar drain Gautam Nagar Under SW-III	Work is in progress
3	Replacement of existing 80mm dia and M.S water line in Y&Z block Hauz Khas Enclave under SW-III	Work not started due to road cutting permission
4	Replacement of old silt up sewer line at Z-block Hauz Khas under SW-III	Permission form SDMC awaited
5	Replacement of damaged sewer line PTS Red Light to STC colony at Malviya Nagar under SW-III	Tender Received

1	2	3
6	Replacement of old/damaged water line for removing contamination near Durga Mandir Dada pauti park under SW-III	Tender received
7	P/L 100mm dia W/L from improvement of water supply from NCC office CSP at S.D. Enclave under SW-III	Tender received
8	Replacement of badly damaged and silted up sewer line at back lane of 90/12 to 90/1 Malviya Nagar under SW-III	Work order issued
9	Improvement of sewerage system at Begumpur main Shivalik road by P/L 450Mm dia main market Malviya Nagar under SW-III	Estimate under process
10	Improvement of water supply and removing of contamination near Shani mandir and adjoining area in Masjid Moth Village under SW-III	Estimate under process
11	Improvement of sewerage system of Malviya Nagar by P/L 500mm dia sewer line from mother dairy booth to Gol chakkar Malviya Nagar under SW-III	Estimate under process
12	Replacement of old silt up sewer line at H.No. 28A to 18 nearby in Jia Sarai village under SW-III	Work is in progress

1	2	3
13	Replacement of blocked and damaged peripheral sewer line on main road of Qutub Institutional Area under SW-III	Work oreder issued. PWD R/R charges demand raised
14	Replacement of old 80mm dia C.I water line by 100mm dia D.I water line for improvement of water supply at C-6 SDA under EE(SW)-III	Estimate under process
15	P/L 150mm dia water line for improvement of water pressure from Balbir Saxena Marg at Gautam Nagar under EE(SW)-III	Tender received
16	Improvement of sewerage system by replacement of old damaged sewer line, Tracing and raising of manhole and allied works in Gautam Nagar Hardev Puri, Yusuf Saraj under SW-III	Tender received
17	Replacement of sewer line at 145, 74, 60 and near at Village Hauz Rani under Sw-III	Estimate under process
18	P/F 1000mm dia M.S. pipe for removing of leakage near foot over bridge opp. Jia Saral Village under SW-III	Tender received
19	Replacement of 100 mm dia water line for removing contamination and improvement of water supply in Masjid Moth Village SW-III	Estimate under process

1	2	3
20	Replacement of old/damaged/silted up sewer line at Kalu Sarai Village SW-III	Estimate under process
21	Replacement of old/damaged sewer line Brahmin Basti and adjoin area Masjid Moth Village SW-II	Estimate under process
22	Replacement of damaged and silted up sewer line at street No. 5 and 6 at Sarvpriya Vihar under SW-III	Estimate under process
23	Improvement of Sewerage system at K & P block Hauz Khas Enclave and adjoining area under SW-III	NIT issued
24	Replacement of old/damaged sewer line in Brahmin Basti and adjoining area under SW-III	Estimate under process
25	Replacement of 100mm dia water line for removing of contamination and improvement of water supply at majid Moth Village under SW-III	Estimate under process
26	Replacement of old/damaged sewer line in Arjun Nagar & Humayun Pur Village under SW-III	Estimate under process
27	Replacement of damaged and lilted up sewer line at Village Kalu Saraj under SW-III	Estimate under process

1	2	3
28	Replacement of old damaged water line by 100mm dia D.I water line at A-2 block S.D. Enclave under SW-III	Estimate under process
29	Replacement of old damaged sewer line by DMRC near Deer Park Safderjung Enclave under SW-III	Estimate under process
30	Replacement/Providing G.I network for tube wells in ward No. 163 and 164 in AC-43 Malviya Nagar under EE(SW)-III	Tender received
31	Boring of tube well 150mm dia deep at Durga Mandir, Gautam Nagar and Dada Pauti Park, Hardev Puri and Opp. G-1 NDSE part-II Masjid Moth.	Estimate under process
32	Replacement of old/damaged silt up sewer line in B-6 block Safderjung Enclave	Estimate under process
33	Removing contamination by replacement of old 100mm dia AC water line from H. No. 181 to 214 Gautam Nagar	Estimate under process
34	Replacement of old/damaged 100mm dia water line for removing of contamination a Gali No. 30 and adjoining area of Arjun Nagar	Estimate under process

1	2	3
35	Providing/laying sewerage system in Indira Camp Malviya nagar SW-III	Estimate under process
36	Replacement of 10 and 12 block damaged sewer line in Malviya Nagar under SW-III	Estimate under process

93. श्री जरनैल सिंह : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा दिल्ली में अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याणार्थ कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है।

(ख) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण दें।

(ग) पिछले 5 वर्ष में इन योजनाओं के तहत अलपसंख्यक वर्ग के कितने आवेदकों को सहायता दी गई।

समाज कल्याण मंत्री : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली सरकार के अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का विवरण संलग्नक 'क' में दिया गया है, तथा राजस्व विभाग के जिला उत्तर पूर्व द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण हेतु पांच योजनाओं को लागू करने पर कार्य चल रहा है जिसका विवरण संलग्नक 'ग' में दिया गया है।

(ग) राजस्व विभाग द्वारा चलाई जा रही संलग्नक 'ग' में लिखित योजनाएं बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है, तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक विभाग द्वारा अल्पसंख्यक छात्रों को दी गई छात्रवृत्ति का ब्यौरा संलग्नक 'ख' में दिया गया है।

संलग्नक-'क'

सरकार द्वारा दिल्ली में अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याणकारी योजनाओं का विवरण : -

क. अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि. वर्ग/अल्पसंख्यक समुदायों (जैन समुदाय सहित) से संबंध विद्यार्थियों को स्कूल में लेखन सामग्री का निःशुल्क विवरण।

ख. स्कूल में पढ़ रहे अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि. वर्ग/अल्पसंख्यक समुदायों (जैन समुदाय सहित) से संबंध विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति/योग्यता छात्रवृत्ति।

ग. कालेज/व्यवसायिक/तकनिकी संस्थानों में पढ़ रहे अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि. वर्ग/अल्पसंख्यक समुदायों (जैन समुदाय सहित) से संबंध विद्यार्थियों को योग्यता छात्रवृत्ति।

घ. मान्यता प्राप्त पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि. वर्ग/अल्पसंख्यक समुदायों (जैन समुदाय सहित) से संबंध विद्यार्थियों का ट्यूशन फीस की अदायगी।

ङ. अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि. वर्ग/अल्पसंख्यक समुदायों (जैन समुदाय सहित) से संबंध विद्यार्थियों को डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राज्य पुरस्कार सहायता की राशि।

संलग्नक-'ख'

पिछले 5 वर्ष में अल्पसंख्यक वर्ग के आवेदकों की सहायता का ब्यौरा :-

क्र.सं.	दिल्ली में अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याणकारी योजनाएं	2011-12 लाभार्थियों की संख्या	2012-13 लाभार्थियों की संख्या	2013-14 लाभार्थियों की संख्या	2014-15 लाभार्थियों की संख्या	2015-16 लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	मान्यता प्राप्त पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि. वर्ग/अल्पसंख्यक समुदायों (जैन समुदाय सहित) से संबंध विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस की अदायगी।	3216	3084	5583	7387	4978
2.	कालेज/व्यवसायिक/तकनिकी संस्थानों में पढ़ रहे अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि. वर्ग/अल्पसंख्यक समुदायों (जैन समुदाय सहित) से संबंध विद्यार्थियों को योग्यता छात्रवृत्ति।	130	236	1351	1250	1215

1	2	3	4	5	6	7
3.	स्कूल में पढ़ रहे अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि. वर्ग/अल्पसंख्यक समुदायों (जैन समुदाय सहित) से संबंध विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति/योग्यता छात्रवृत्ति।	1807	1839	3347	7014	2401
4.	अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि. वर्ग/अल्पसंख्यक समुदायों (जैन समुदाय सहित) से संबंध विद्यार्थियों को स्कूल में लेखन सामग्री का निःशुल्क वितरण।	645	657	4682	8191	5481
5.	अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि. वर्ग/अल्पसंख्यक समुदायों (जैन समुदाय सहित) से संबंध विद्यार्थियों को डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राज्य पुरस्कार सहायता की राशि।	06	04	08	शून्य	02

सरकार द्वारा दिल्ली में अल्पसंख्य वर्ग के कल्याणकारी योजनाओं का विवरण (बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम)

1. Sponsoring two batches of students for minority community (having 40 students in each) under MsDP for study in world class skill centre running under the Department of Training & Technical Education, ONCTD in collaboration with Govt. of Singapore at ITI, Vivek Vihar, Delhi.
2. Construction of 2 nos. of Dhalaw on the right bank of escape drain no. 1 one near RD 980 Mother near RD 1700 M.
3. Construction of Multi Skill Training Centre/Polytechnic Building under Multi sectoral Development Programme on a piece of land belonging to DUSIB in Welcome Colony presently lying abandoned after decommissioning of toilet block.
4. Sponsoring of Student of minority community in Continue Education (CE) programme run by National Institute of Fashion Technology.
5. To provide electronic tablets to the girl students of minority community in place of bicycle.

संलग्नक-'ग'

1. बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अर्न्तगत प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा दिल्ली सरकार के अधीन चल रहे विश्व स्तर कौशल केन्द्र द्वारा अध्ययन हेतु अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के दो बैच (40 छात्र प्रति बैच) का प्रायोजन।

2. एसकेप ड्रेन नं.-1 के दायों किनारों पर आर.डी.-980 और आर.डी.-1700 एम के निकट दो कूडेदानों का निर्माण।

3. बहुत क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के वेलकम कॉलोनी के निकट एक भूमि खण्ड पर बहु कौशल शिक्षण केन्द्र/बहु तकनीकी भवन का निर्माण।

4. राष्ट्रीय फैशन प्रोद्योगिकी संस्थान द्वारा चलाये जा रहे कन्टीन्यू एजूकेशन में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्राओं के अध्ययन का प्रायोजन।

5. अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं को साईकल के स्थाान पर इलैक्ट्रोनिक टेबलेट को उपलब्ध कराना।

94. श्री प्रकाश : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि देवली, नई बस्ती के विकास कार्य के विकास कार्य के लिए एससी एसटी फण्ड से 78 लाख रु. का फण्ड देने का अनुरोध सरकार को प्राप्त हुआ है।

(ख) यदि हां, तो क्या यह फण्ड जारी कर दिया गया है।

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण है, और

(घ) क्या एससी एसटी फण्ड से रिसैटलैन्ट कालोनियों में सड़क एवं नालियों के निर्माण कार्य किए जाने का प्रावधान है?

उप मुख्यमंत्री : (क) जी हां, देवली विधानसभा के अन्तर्गत आने वाली नई बस्ती की गलियों, के विकास के लिए कुल 1,63,47,700 रुपये की अनुमानित लागत के प्रस्ताव विभाग द्वारा प्राप्त किये गये है।

(ख) जी नहीं, अभी प्रस्तावित कार्यों के लिए फंड स्वीकृत नहीं किया गया है।

(ग) उपरोक्त कार्यों के लिए जो प्रस्ताव विभाग द्वारा प्राप्त किये गये है वह दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा तैयार किये गये है जबकि विभाग द्वारा केवल सिचाई एवं बाढ नियंत्रण विभाग तथा दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को ही धनराशी प्रदान की जाती है। उपरोक्त प्रस्तावों को सिचाई एवं बाढ नियंत्रण विभाग को पुनः तैयार करने हेतु प्रेषित कर दिया गया है। तथा सिचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा प्रस्तावों को पुनः प्राप्त होने के बाद उचित निर्णय लिया जायेगा।

(घ) जी हां, विभाग द्वारा चलाई जा रही योजना के अन्तर्गत रिसैटलमैंट कोलोनियों में जहां एससी/एसटी व्यक्तियों की जनसंख्या का प्रतिशत 33% से अधिक है वहां सड़कों एवं नालियों का निर्माण कार्य कराया जा सकता है।

95. श्री सोमनाथ भारती : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अनुसूचित जाति/जनजाति/अ.पि.व./अल्पसंख्यक की कुल जनसंख्या कितनी है तथा उपरोक्तानुसार दिल्ली के कौन-कौन से इलाके इनकी जनसंख्या बहुत है, मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र एवं राज्यवार ब्यौरा दें।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में रहने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति/अ.पि.व./अल्पसंख्यक आबादी के कल्याण के लिए कौन-कौन सी राज्य सरकार की एवं केन्द्रीय योजनाएं चलाई जा रही है।

(ग) क्या इन योजनाओं का कोई सामाजिक आडिट किया गया है।

(घ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है।

(ङ) यदि नहीं, तो यह आडिट कब तक किया जाएगा; और

(च) मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र में इन योजनाओं के लाभार्थियो का विवरण क्या है?

समाज कल्याण मंत्री : (क) दिल्ली में भारत की जनगणना 2011 के अनुसाार अनुसूचित जाति की जनसंख्या 28,12,309 है। दिल्ली में अनुसूचित जनजाति अधिसूचित नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार अ.पि.व. की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं तथा दिल्ली में अल्पसंख्यकों की जसंख्या 30,60,259 है। भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में लगभग 5478 ऐसे प्रगणन खंड है जहां पर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की संख्या उस प्रगणन खंड की कुल जनसंख्या के 33% से अधिक है।

मालवीय नगर विधान सभा के अंतर्गत आने वाले उपरोक्त वर्णित प्रगणन खंडों की सूची अनुलग्नक 'क' में उपलब्ध है।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में रहने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति/अ. पि.व./आबादी के कल्याण के लिए चलाई जा रही राज्य सरकार की एवं केंन्द्रीय योजनाएं की सूची अनुलग्नक में उपलब्ध 'ख' है।

(ग) इस विभाग में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार इनका कोई सामाजिक आडिट नहीं किया गया है।

(घ) उत्तर 'ग' के अनुसार लागू नहीं होता है।

(ङ) इस विभाग से सम्बंधित नहीं है।

(च) छात्रवृत्ति शाखा में क्षेत्र अनुसार योजना का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

अनुलग्नक 'क'

37-(Assembly) Palam

145	Palam	G
146	Sadh Nagar	G
147	Mahavir Enclave	W
148	Madhu Vihar	G

38-(Assembly) Delhi Cantonment

39-(Assembly) Rajinder Nagar

149	Rajinder Nagar	G
150	Pusa	SC(W)
151	Inderpuri	SC
152	Naraina	W
	40-(Assembly) New Delhi	
153	Daryaganj	G
154	Nizamuddin	G
155	Lajpat Nagar	W
156	Bhogal	SC
	42-(Assembly) Kasturba Nagar	
157	Kasturba Nagar	G
158	Kotla Mubarak Pur	G
159	Andrewsganj	W
160	Amar Colony	G
	43-(Assembly) Malviya Nagar	
161	Malviya Nagar	G
162	Village Hauz Rani	W
163	Safdarjang Enclave	G
164	Hauz Khas	G

	44-(Assembly) R.K. Puram	
165	Vasant Vihar	W
166	Munirika	G
167	R.K. Puram	G
168	Nanak Pura	W
	45-(Assembly) Mehrauli	
169	Lado Sarai	G
170	Mehrauli	G
171	Vasant Kunj	SC
172	Kishangarh	W
	46-(Assembly) Chhatarpur	
173	Said-ul-Ajaib	G
174	Chhatarpur	G
175	Aya Nagar	W
176	Bhati	G
	47-(Assembly) Deoli	
177	Sangam Vihar	G
178	Deoli	W
179	Tigri	SC(W)

Ward No. 161

Sl. No.	Ward No. 161	Name of Town/Census Town/Village	Name of District	Name of Tahsil	Enumeration Block No.	Extent of the Population Enumeration Block	Top_P	SC_P	%SC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0161	DMC (U) 7001	South 09	Hauz Khas 001	15	STC&MMTC housing society Block B H.No. 97-160, Block A H.No. 97-160, Including DESU office, Water Tank, Park, School and Aurbindo College	84	30	35.71
2	0161	DMC (U) 7001	South 09	Hauz Khas 001	0033 Slum	Shivalik Block-B Indira Camp T.huts CN 1-90?	704	290	41.19
3	0161	DMC (U) 7001	South 09	Hauz Khas 001	36	Begumpur Park CN 1-61	640	294	45.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	0161	DMC (U) 7001	South 09	Hauz Khas 001	40	Begumpur Village CN 199-275	613	483	78.79
5	0161	DMC (U) 7001	South 09	Hauz Khas 001	47	Kalu Sarai Village (near Begumpur) CN 1-40	709	359	50.63
6	0161	DMC (U) 7001	South 09	Hauz Khas 001	51	IIT Camps A-1 to A-4 (24 qrts each), A-16, Block-9, Block-14 and Block-15 State Bank, Health food cent re and park	375	175	46.67

Ward No. 162

Sl. No.	Ward No. 162	Name of Town/Census Town/Village	Name of District	Name of Tahsil	Enume-ration Block No.	Extent of the Population Enumeration Block	Top_P	SC_P	%SC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0162	DMC (U) 7001	South 09	Hauz Khas 001	0001 (Slum)	Shivalik Blick-C Balmiki Camp T-Huts CN 1-135	780	548	70.26

2	0162	DMC (U) 7001	South 09	Hauz Khas 001	0002 (Slum)	Shivalik Blick-C Balmiki Camp T-Huts CN 136-246	768	302	39.32
3	0162	DMC (U) 7001	South 09	Hauz Khas 001	0062 (Slum)	Shivalik Blick-C Balmiki Camp T-Huts CN 247-270	327	146	44.65
4	0162	DMC (U) 7001	South 09	Hauz Khas 001	0011	Village Hauz Rani CN 301-350	454	277	61.01
5	0162	DMC (U) 7001	South 09	Hauz Khas 001	0014	Village Hauz Rani CN 451-500	469	185	39.45
6	0162	DMC (U) 7001	South 09	Hauz Khas 001	0023	Village Hauz Rani CN 78-153	551	199	36.12
7	0162	DMC (U) 7001	South 09	Hauz Khas 001	0024	Village Hauz Rani CN 154-230	512	189	36.91

Ward No. 163

Sl. No.	Ward No. 163	Name of Town/Census Town/Village	Name of District	Name of Tahsil	Enume-ration Block No.	Extent of the Population Enumeration Block	Top_P	SC_P	%SC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0163	DMC (U) 7001	South 09	Hauz Khas 001	0002	Hauz Khas-Pahari Basti C.N. 141-269, Sports	473	195	41.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Complex, petrol Pump, Health Fitness Centre			
2	0163	DMC (U) 7001	South 09	Hauz Khas 001	0004-2	Village Hauz Khas C.N 103-120	405	202	49.88
3	0163	DMC (U) 7001	South 09	Hauz Khas 001	0087	Harizan Basti, C.N. 1-13, rose Garden, Distt-park Hauz Khas, table tennie complex, PH store, taxi stand DJB water tank deer park restaurant, picnic tiuts, T.huts, t.shope, chowkidar room, school	128	47	26.72
4	0163	DMC (U) 7001	South West 08	Vasant Vihar 003	0038	Sadarjung Enclave B-5 DDA janta flats No. 107-207 B-2 mkt 1-23 shops and office, taxi stand, mother dairy, pump house, T.Shop and park	655	299	45.65

5	0163	DMC (U) 7001	South West 08	Vasant Vihar 003	0047	Humayunpur Village CN. 1-66	684	278	40.64
6	0163	DMC (U) 7001	South West 08	Vasant Vihar 003	0054	Humayunpur Harijan Basti CN. 1-51	555	253	45.59
7	0163	DMC (U) 7001	South West 08	Vasant Vihar 003	0055	Humayunpur Harijan Basti CN. 52-96	604	425	70.36
8	0163	DMC (U) 7001	South West 08	Vasant Vihar 003	0072	Safdarjung Enclave, Safdarjung Hospital staff Qtrs 1-96 water tank PWD office, pump house and T.huts	604	238	39.4
9	0163	DMC (U) 7001	South West 08	Vasant Vihar 003	0073	Safdarjung Enclave, Safdarjung Hospital staff Qtrs 97-192 ESS Temple and Club	645	285	44.19

Ward No. 164

Sl. No.	Ward No. 164	Name of Town/Census Town/Village	Name of District	Name of Tahsil	Enume-ration Block No.	Extent of the Population Enumeration Block	Top_P	SC_P	%SC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0164	DMC (U) 7001	South 09	Defene Colony 002	0022	Yusuf Sarai, Harijan Basti CN 1-60	542	438	80.81
2	0164	DMC (U) 7001	South 09	Defene Colony 002	0023	Yusuf Sarai, Harijan Basti CN 61-120	443	199	44.92
3	0164	DMC (U) 7001	South 09	Defene Colony 002	0051	Maszid Moth CN 1-50	476	258	54.2

4	0164	DMC (U) 7001	South 09	Defene Colony 002	0055	Maszid Moth CN 201-250	340	184	54.12
5	0164	DMC (U) 7001	South 09	Defene Colony 002	0056	Maszid Moth CN 251-300	361	231	63.99
6	0164	DMC (U) 7001	South 09	Defene Colony 002	0058	Maszid Moth CN 351-400	681	408	59.91

अनुलग्नक 'ख'

Government of National Capital Territory of Delhi
Department for the Welfare of SC/ST/OBC/Minorities
B-Block, 2nd Floor, Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi
Website : scstwelfare.delhigovt.nic.in Telefax No. 23379513

S.No.	Name of Scheme
	ON GOING SCHEME
I	**Direction & Administration (SCSP)**
1A	2225-01-789-990001-Salaries
1B	O.T.A.
1C	2225-01-789-990013-Office Expenses
1D	2225-990011)-Domestic Travel Expenses
1E	2225-01-789-990006-Medical Treatment
1F	2225-Information Technology
II	**Educational Development**
2A	2225-01-277-600042-Free Supply of Book and Stationary to Scheduled Caste Students in schools
2B	2225-01-789-950042-Free Supply of Book and Stationary to Scheduled Caste Students in schools (SCSP)
3A	2225-01-277-730034-Scholarship/Merit scholarship to SC/ST/OBC and minority students-Class I to XII

S.No.	Name of Scheme
3B	2225-01-789-930034-Scholarship/Merit scholarship to SC/ST/OBC and minority students-Class I to XII (SCSP)
4A	2225-80-800-770034-Scholarship for colleges and university students for SC/STs.
4B	2225-80-789-990034-Scholarship for colleges and university students for SC/STs.(SCSP)
5A	2225-01-277-660034-Vocational Technical Scholarship Meritorious Scholarship and
5B	Dr. Ambedkar Meritorious Scholarship to Scheduled Castes
5C	2225-01-789-980034-Vocational Technical Scholarship Meritorious Scholarship and
5D	Dr. Ambedkar Meritorious Scholarship to Scheduled (SCSP)
6A	2225-01-277-620042-Hostel for Scheduled Caste Boys
6B	2225-01-789-960042-Hostel for Scheduled Caste Boys (SCSP)
7	2225-01-789-970042-Hostel for Scheduled Caste Girls (SCSP)
8A	2225-01-277-580042-New centre for pre-examination coaching at Dilshad Garden
8B	2225-01-789-940042-New centre for pre-examination coaching at Dilshad Garden(SCSP)
9A	2225-01-277-710042-Reimbursement of tution fee in public school

S.No.	Name of Scheme
9B	2225-01-789-920042-Reimbursement of tution fee in public school(SCSP)
10	2225-80-800-660042-Multisectoral Development Programme for minority concentration district-State govt. share
11	2225-01-789-830042-Eduction hub for SC(SCSP)
12A	2225-01-277-500042-Setting up of residential school for weaker sections of SC/OBC/Min and orphan at Village Ishapur Delhi in collaboration with KISS society
12B	2225-80-789-970042-Setting up of residential school for weaker sections of SC/OBC/Min and orphan at Village Ishapur Delhi in collaboration with KISS society (SCSP)
III	**Economic Development**
13A	2225-01-190-970042-Financial assistance to DSCFDC for SC/STs (SCSP)
13B	2225-80-789-960042-Financial assistance to DSCFDC for SC/STs(SCSP)
IV	Health, Housing & Others
	MAJOR HEAD "6225"
14A	6225-03-800-980055-Loan to DSCFDC for Delhi Swarojgar Yojana for SC/ST/OBC/Min

S.No.	Name of Scheme
14B	6225-789-940055- Loan to DSCFDC for Delhi Swarojgar Yojana for SC/ST/OBC/Min (SCSP)
15	2225-80-789-980042-Institution of Dr. Ambedkar Ratna Award (SCSP)
16	2225-01-789-810031-Grant in aid to Delhi Health Mission for providing antenatal care institutional delivery to SC women (SCSP)
17	2225-01-789-820031-Grant in aid to Delhi Health Mission for SC pregnant women under "Matri shishu suraksha yojana"(SCSP)
18	2225-01-789-840035-Grant in aid to DUSIB for financial assistance to SC slum dwellers under Rajeev Ratan Awas Yojna (SCSP)
19	2225-01-789-860033-Subsidy for electrification of house allotted under 20 point programme [Housing subsidy for SC/ST (SCSP)
	CAPITAL SECTION
20	422501-789-980042-Improvement of SC Basties (SCSP)
21	PWD 4225-970053-Construction of Educational Hub for SCs at Village Bakarwala, PWD
22	PWD 4225-990053-Construction of residential school for weaker section of SC/OBC/Min. and orphan at Village Ishapur Delhi, Collaboration with KISS society

S.No.	Name of Scheme
23	4425 01 277 99 00 54 Delhi SCFDC for Equity Share in NMDFC (SCSP)
23A	2225-80-800-650042-Implementation of Prohibition of employment of manual Scavengers and their Rehabilitation Act (SCSP) 2013
23B	2225-80-789-950042-Implementation of Prohibition of employment of manual Scavengers and their Rehabilitation Act 2013
24	2225-01-789-4990031-skill Development for SC/ST/OBC/ MIN. through NGO and other training organisation
25	2225-02-190-990031 Society for protection of Scheduled Tribes GIA-General
26	2225-80-800-00 50 Welfare of De-notified & Semi Nomadic Tribes (DNTs)-Other Charges

Government of National Capital Territory of Delhi
Department for the Welfare of SC/ST/OBC/Minorities
B-Block, 2nd Floor, Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi
Website : scstwelfare.delhigovt.nic.in Telefax No. 23379513

CSS Scheme (Rs. In Lacs)

S.No.	Name of Scheme
	ON GOING SCHEMES
1	2225-01-277-700034-Post Matric Scheme Scholarship (CSS)
2	2225-01-277-680034-Pre Matric Scholarship Scheme (CSS)

S.No.	Name of Scheme
3	2225-01-277-670034-Merit-Cum-Means Scholarship (CSS)
4	2225-01-277-540034-Pre-Matric Scholarship to OBC students (CSS)
5	2225-01-277-520034-Post-Matric Scholarship for SC Students (CSS)
6	2225-01-277-510034-Post-Matric Scholarship Scheme for OBC Students (CSS)
7	2225-01-800-730042-Implementation of Protection of Civil Rights Act, 1955 and SC/ST (Prevention of atrocities act 1989
8	2225-01-800-740042-Special Central Assistance for SC Component Plan (CSS) 100% share of G.O.I.
9	2225-80-800-670042-Multi Sectoral development Programme for Minority
10	2225-02-190-980031-Society for Protection of Tribals
11	2225-01-277-770042-Coaching and Allied services schemes (Pre-exam Training)
	TOTAL

संलग्नक '1'

उत्तर संख्या 95 का (ख)

राज्य सरकार की योजनाएं :-

क अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि. वर्ग/अल्पसंख्यक समुदायों (जैन समुदाय सहित) से संबंध विद्यार्थियों को स्कूल में लेखन सामग्री का निःशुल्क विवरण।

ख स्कूल में पढ़ रहे अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि. वर्ग/अल्पसंख्यक समुदायों (जैन समुदाय सहित) से संबंध विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति/योग्यता छात्रवृत्ति।

ग कालेज/व्यवसायिक/तकनिकी संस्थानों में पढ़ रहे अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि. वर्ग/अल्पसंख्यक समुदायों (जैन समुदाय सहित) से संबंध विद्यार्थियों को योग्यता छात्रवृत्ति।

घ मान्यता प्राप्त पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि. वर्ग/अल्पसंख्यक समुदायों (जैन समुदाय सहित) से संबंध विद्यार्थियों का ट्यूशन फीस की अदायगी।

ङ अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि. वर्ग/अल्पसंख्यक समुदायों (जैन समुदाय सहित) से संबंध विद्यार्थियों को डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राज्य पुरस्कार सहायता की राशि।

केन्द्र सरकार की योजनाएं :-

क अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित दिल्ली के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति।

ख अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित दिल्ली के विद्यार्थियो के लिए मैट्रिक-परवर्ती छात्रवृत्ति।

ग अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित दिल्ली के विद्यार्थियो के लिए योग्यता-एव-आय आधारित छात्रवृत्ति।

घ अ.जा./अ.पि.वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-परवर्ती छात्रवृत्ति।

ङ भारत में अध्ययन हेतु अ.जा./अ.पि.वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना।

उत्तर संख्या 95 का (छ)

छात्रवृत्ति शाखा में क्षेत्र अनुसार योजना का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI

DEPTT. FOR THE WELFARE OF SC/ST/OBC/MINORITIES

B-BLOCK, 2ND FLOOR, VIKAS BHAWAN, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002

Statements regarding receipt and disbursement of scholarship belonging to Minority Category

Sl. No.	Scheme Name	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
		No. of Beneficiaries	No. of Beneficiaries	No. of Beneficiaries	No. of Beneficiaries	No. of Beneficiaries
1.	Reimbursement of Tuition fee in rec. Pvt. School	3216	3084	5583	7387	4978
2.	Merit Scholarship for College	130	236	1351	1250	1215
3.	Scholarship/Merit Scholarship (Class I to XII)	18077	1839	3347	7014	2401
4.	Free Supply of Stationary (Class I to XII)	645	657	4682	8191	5481
5.	B R Ambedkar state toppers award	06	04	08	Nil	02

96. श्री अजय दत्त : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा एससीएसटीओबीसी के कल्याणार्थ कौन–कौन सी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है।

(ख) वर्तमान सरकार द्वारा अब तक एससी एसटी ओबीसी फंड से कितने लाभान्वितों को ऋण दिया गया है।

(ग) लाभान्वितों का पूरा ब्यौरा क्या है।

समाज कल्याण मंत्री : (क) दिल्ली सरकार के एससीएसटीओबीसी विभाग द्वारा संलग्नक '1' के अनुसार योजनाएं चलाई जा रही है। तथा दिल्ली अनुसूचित जाति, जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विकलांग वित्तीय एवं विकास निगम लि. द्वारा दिल्ली में रहने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विकलांग समुदाय के सदस्यों को स्वरोजगार हेतु रियायती ब्याज दर पर ऋण तथा रोजगारपरक पाठयक्रम में प्रशिक्षण प्रदान कराता है जिनका विवरण सलंग्नक 'क' में है।

(ख) इस निगम को दिल्ली सरकार से दिल्ली स्वरोजगार ऋण योजना एवं शैक्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत फण्ड प्राप्त हुआ है जबकि निगम भारत सरकार के अधीनस्थ राष्ट्रीय निगमों के माध्यम से भी योजनाएं कार्यान्वित करता है। निगम द्वारा फरवरी 2015 से जुलाई 2016 तक अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कुल 144 लाभार्थियों को ऋण दिया एवं 682 प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार परक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान कराया गया।

(ग) निगम द्वारा फरवरी 2015 से जुलाई 2016 तक दिये गए ऋणों का विवरण निम्न प्रकार है

अनुसूचित जाति वर्ग	122	218.23 लाख
अन्य पिछड़ा वर्ग	22	56.86 लाख

संलग्नक 'क'

निगम द्वारा कार्यान्वित योजनाएं

क्र.सं.	योजना का नाम	ऋण सीमा
1	कम्पोजिट ऋण योजना	रुपये 2 लाख तक एससी के लिए तथा अय वर्गो के लिए
2	दिल्ली स्वरोजगार ऋण योजना	रुपये 5.00 लाख तक का ऋण
3	बड़ी ऋण योजना	राष्ट्रीय निगमों के माध्यम से रुपये 5.00 रुपये तक का ऋण
4	शिक्षा ऋण योजना	देश के अन्दर शिक्षा ग्रहण करने हेतु अधिकतम 7.5 लाख रुपये तथा विदेश में शिक्षा ग्रहण करने हेतु 15.00 लाख रुपये तक का ऋण
5	परिवहन ऋण योजना	अधिकतम रुपये 5.00 लाख रुपये तक का ऋण
6	प्रशिक्षण योजना	सरकारी संस्थान एटीडीसी एवं एनएसआइसी के माध्यम से अल्पकालीन आयसजृन पाठयक्रम के तहत रोजगारपरक प्रशिक्षण

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे कार्यक्रम।

1. अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों (कक्षा 1 से 12) को स्टेशनरी (लेखन सामग्री) खरीदने के लिए वित्तीय सहायता।

2. अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों (कक्षा 1 से 12) को छात्रवृत्ति/योग्यता छात्रवृत्ति।

3. कॉलेज और व्यावसायिक संस्थानों में अध्ययनरत अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को योग्यता छात्रवृत्ति।

4. अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस की अदायगी।

5. व्यावसायिक तकनीकी स्कॉलरशिप, योग्यता स्कॉलरशिप।

6. अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को डॉ. अम्बेडकर योग्यता स्कॉलरशिप।

7. अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक समुदायों के लड़कों के लिए दिलशाद गार्डन में छात्रावास।

8. अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों के लिए दिलशाद गार्डन में छात्रावास।

9. अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण।

10. अल्पसंख्यक बहुल जिले के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम।

11. बक्करवला गांव में अनुसूचित जातियों के लिए शिक्षा केन्द्र की स्थापना।

12. अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक समुदायों के कमजोर वर्गों और अनाथ विद्यार्थियों के लिए दिल्ली के ईशापुर गांव में केआईएसएस सोसायटी के सहयोग से आवासीय विद्यालीय की स्थापना।

13. डॉक्टर अम्बेडकर रत्न पुरस्कार की स्थापना।

14. अ.जा./अ.ज.जा. समुदायों को स्व-रोजगार के लिए डीएसएफडीसी के माध्यम से वित्तीय सहायता, जिसमें टीएसआर्स, बसें और सामान्य बसें खरीदने के लिए वित्तीय सहायता, अल्पसंख्यक समुदायों, सफाई कर्मचारियों, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि से संबंधित सामान्य ऋण शामिल हैं।

15. अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक समुदायों के लिए दिल्ली स्व-रोजगार योजना।

16. अ.जा. बस्तियों का जीर्णोद्धारा।

17. अ.जा. समुदायों से सम्बद्ध मलिन बस्तियों के निवासियों को राजीव रतन आवास योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डीयूएसआईबी को सहायता-अनुदान।

18. ''मातृ-शिशु सुरक्षा योजना'' के अंतर्गत अजा समुदायों से सम्बद्ध गर्भवती महिलाओं को सहायता पहुंचाने के लिए दिल्ली स्वास्थ्य मिशन को सहायता-अनुदान।

19. प्रसव-पूर्व देखभाल और अस्पतालों में प्रसव के लिए दिल्ली स्वास्थ्य मिशन को सहायता-अनुदान।

20. हाथ से मैला ढोने के रोजगार पर पाबंदी और ऐसे व्यक्तियों का पुनर्वास अधिनियम।

21. हाथ से मैला ढोने के रोजगार पर पाबंदी और ऐसे व्यक्तियों के पुनर्वास संबंधी अधिनियम का कार्यान्वयन।

22. सेवी संगठनों/प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. /अल्पसंख्यक समुदायों का कौशल विकास।

23. जनजातीय लोगो ंकी संरक्षा के लिए सोसायटी (सोसायटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल्स) (नया कार्यक्रम)।

कार्यक्रमों के बारे में अधिक जानकारी के लिए मंत्राल की आधिकारिक वेबसाइट देंखें :

www.scstwelfare.delhigovt.nic.in

केन्द्र-प्रायोजित कार्यक्रम (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

1. अजा/अपिव विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-परवर्ती स्कॉलरशिप

2. 11वीं और 12वीं कक्षा में अध्ययनरत अनुसूचित जातियों/अपिव विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व स्कॉलरशिप योजना।

केन्द्र-प्रायोजित कार्यक्रम (अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार)

1. योग्यता-एवं-आय आधारित छात्रवृत्ति (नई/नवीनीकरण) : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अल्पसंख्यक समुदायों (मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन) के विद्यार्थियों के लिए।

2. मैट्रिक-पूर्व स्कॉलरशिप : दिल्ली के अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के लिए (नई/नवीनीकरण)।

3. मैट्रिक-परवर्ती स्कॉलरशिप (नई/नवीनीकरण) : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अल्पसंख्यक समुदायों (मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन) के विद्यार्थियों के लिए।

कार्यक्रमों के बारे में अधिक जानकारी के लिए मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट देखें :

www.momascholarship.gov.in

97. श्री जगदीश प्रधान : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार अनूसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कटिबद्ध है।

(ख) यदि हां, तो इनके कल्याण के लिए सरकार किन-किन योजनाओं पर काम कर रही है और उनके लिए कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई है।

(ग) दिल्ली वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता लाने व निजी पाटियों और सरकार द्वारा वक्फ संपत्ति पर अतिक्रमण हटाने के दिशा में सरकार ने क्या पहल की है?

समाज कल्याण मंत्री : (क) जी हां।

(ख) इनके कल्याण के लिए सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं तथा उन योजनाओं पर खर्च किये जाने के लिए वित्त वर्ष 2016-17 में आबंटित राशि का विवरण अनुलग्नक 'क' में उपलब्ध है।

(ग) दिल्ली वक्फ बोर्ड में तमाम वक्फ सम्पत्तियों का रिकॉर्ड ऑफिशियल वेबसाईट पर डालने का काम जारी है। साथ-साथ आय-व्यय का ब्यौरा भी डाला जा रहा है। अतिक्रमण हटाने के संबध में डिर्माकेशन कराये जाते है। फ्रेश सर्वे किया जा रहा है। वक्फ एक्ट, 1995 की धारा 54 के अर्न्तगत नाजायज अवैध कब्जाधारक के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाती है। (अनुलग्नक 'ख' एवं 'ग' के अनुसार)

अनुलग्नक 'क'

Rs. in Lakh

2016-17

Details of Schemes which are exculsively for SC People

S.No.	Name of Scheme	Qutlay
	RURAL DEVELOPMENT	
	Development Department	
1	Mini Master Plan for Dev. of Rural Villages	0.00
2	IDRV works through Rural Development Board including Water Bodies	3204.00
	INDUSTRIES	
	Handloom Industries	
1	Promotion of Handloom (Grant/loan for modernisation of looms)	1.20
	Handicrafts	
1	Promotion of Handicrafts	1.00
	Science Technology & Environment	
	ENVIRONMENT DEPARTMENT	
1	Involvement of weaker sections of society in improvement and upgradation of the environment	1.00

S.No.	Name of Scheme	Qutlay
2	Delhi Parks & Gardens Society	25.00
3	Assistance to NGO in the promotion conservation & preservation of Environment	2.00
	GENERAL EDUCATION	
	DIRECTORATE OF EDUCATION	
	ELEMENTARY EDUCATION	
1	Free Supply of Text Books	2500.00
2	Subsidy for School Uniforms to the students	2300.00
	SECONDARY EDUCATION	
1	Construction of school building for schools	8400.00
2	GIA to Aided schools for free supply of text books to Students	140.00
3	GIA to added schools for free supply of uniform to Students	150.00
	VOCATIOINAL EDUCATION PROGRAMME	
1	Reimbursement of tuition fee under Right to Education Act	500.00
2	Menstrual Hygiene in Girls (SCSP)	220.00
3	Coaching Facilities to Students belonging to SC/ST	20.00

S.No.	Name of Scheme	Qutlay
4	Coaching cum Guidance cent re for SC/ST	
5	Training to SC laboures through short term courses for self employment	
	HIGHER EDUCATION	
	DTE OF HIGHER EDUCATION	
1	Grant in aid to Degree College (SCSP)	200.00
	TECHNICAL EDUCATION	
	DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION	
1	Facilities for Polytechnic Students of SC/ST/OBC Category	13.00
	College of Art	
1	Scheme for Academic Development of SC/ST Students of the College	2.00
	MEDICAL	
	DTE OF HEALTH SERVICES	
1	Opening of health centre/Dispensaries	400.00
2	Mobile van dispensaries for JJ.Clusters	475.00
3	I.B.S. hospital at Khichripur	1750.00
4	B.J.R.M. Hospital at Jahangirpuri	1600.00

S.No.	Name of Scheme	Qutlay
5	G.G.S. Hospital at Ragubir Nagar	1000.00
6	S.G.M. HOSPITAL at Mangolpuri	1000.00
	URBAN DEVELOPMENT	
	MCD (Slum Wing)	
1	Shishu Vatikas/Common spaces in JJ Clusters	400.00
2	Environment Improvement in Urban Slums	1400.00
	North Delhi Municipal Corporation	
1	Dev. of regularised - Unauthorised colonies	100.00
2	Additional Facilities in JJR Colonies	100.00
3	Sanitation in JJ Clusters	0.00
4	Construction and improvement of Dhobi Ghat	1.00
	South Delhi Municipal Corporation	
1	Dev. of Regularise-Unauthorised colonies	0.00
2	Additional Facilities in JJR Colonies	100.00
3	Sanitation in JJ Clusters	0.00
4	Construction and improvement of Dhobi Ghat	1.00
5	GIA to South Delhi MCD for essential services in unauthorised colonies	0.00

S.No.	Name of Scheme	Qutlay
	East Delhi Municipal Corporation	
1	Dev. of Regularised - Unauthorised colonies	630.00
2	Additional Facilities in JJR Colonies	50.00
3	Sanitation in JJ Clusters	0.00
4	Construction and improvement of Dhobi Ghat	40.00
	Urban Development Deptt.	
1	GIA to DJB for Rural water supply programme	0.00
2	Grant to DUSIB for construction of houses for weaker sections	2000.00
3	Grant to DSIDC for construction of houses for weaker sections	200.00
4	Rajiv Awas Youjana (DUSIB)	0.00
5	Grant to NDMC for construction of houses for weaker sections	20.00
6	Grant DUSIB for structure improvement & Rehabilitation of Katra dealers	200.00
7	GIA to DUSIB for construction of pay & use Jan Suvidha complexes	3000.00
8	GIA to DUSIB for construction of community halls	400.00

S.No.	Name of Scheme	Qutlay
9	Strengthening of augmentation of infrastructure i.e. roads, streets, localities, street light etc. in each constituency	5500.00
	WELFARE OF SC/ST/OBC	
	DEPTT. FOR THE WELFARE OF SC/ST/OBC	
1	Strengthening of department for the Welfare of SC/ST/OBC/Minorities	550.00
2	Pre-Examination coaching for SC/ST/OBC/Min. Students	5.00
3	Fin. Assistance for purchase of stationery to SC/ST/OBC/Min. students	5800.00
4	Merit scholarship to SC/ST/OBC/Minorities in school (I to XII)	4700.00
5	Merit Scholarship for College & University Student for SC/ST	500.00
6	Vocational tech. Scholarship Meritorious Scholarship and Dr. Ambedkar Meritorious Scholarship	20.00
7	Hostel for SC/ST Boys at Dilshad Garden	100.00
8	Hostel for SC/ST Girls at Dilshad Garden	34.00

S.No.	Name of Scheme	Qutlay
9	Reimbursement of tuition fee in Public schools to SC/ST/OBC/Minorities Students	1200.00
10	Financial Assistance to SC/ST for self-employment through DSFDC	0.00
11	Delhi Swarojgar Yojna for SC/ST/OBC/Min	0.00
12	Institution of Dr. Ambedkar Ratana Award	10.00
13	Improvement of SC Basties	5000.00
14	Subsidy for electrification of Houses allotted under 20-Point Programme	1.00
15	Const. of girls hostel at Kasturba Balika Vidyalaya, Ishwar Nagar	0.00
16	Scheme for Financial assistance to SC slum dwellers being relocated by DUSIB under Rajeev Ratan Awas Yojana	1.00
17	Scheme for providing Anti natal care and instructional delivery to SC Women	100.00
18	Scheme for providing financial assistance under matri shishu suraksha yojana to SC pregnant Women during last trimester of her pregnancy	90.00

S.No.	Name of Scheme	Qutlay
20	Residential School for weaker section of SC/OBC// MIN & Orphans at village Issapu in collaberation with KISS	210.00
21	Implementation of prohibition of employment as manual squavangers and their rehabilitation act	400.00
	LABOUR & LABOUR WELFARE	
1	Welfare programme for SC/ST students	40.00
	World Bank Assisted Vocational Training Improvement	6.00
	SOCIAL WELFARE	
	WELFARE OF HANDICAPPED	
	WOMEN WELFARE	
1	Financial Assistance to Disabled Person	500.00
	WELFARE OF SENIOR CITIZENS	
1	Pension to Sr. Citizen Scheme	6000.00
	Women & Child Development	
1	Girl Child Protection Scheme (Ladli)	1000.00
2	Pension to Women in distress/widow	1800.00

S.No.	Name of Scheme	Qutlay
3	Financial Assistance to poor widows for performing marriage of their daughter	90.00
	NUTRITION	
1	Supplementary Nutrition Programme in 28 ICDS Projects	1500.0
2	Rajiv Gandhi scheme for empowerment of Adolescent girl	370.00
	MID DAY MEALS	
1	Dte. of Eduction	560.00
2	Delhi Cantonment Board	0.80
3	New Delhi Municipal Council	20.00
4	Mid Day meal for deaf & dumb students	1.00
5	GIA to North. Delhi MCD for Mid-day Meal	155.00
6	GIA to South, Delhi MCD for Mid-day Meal	135.00
7	GIA to East Delhi MCD for Mid-day Meal	85.00
	FOOD & CIVIL SUPPLIES	
1	Delhi Annshree Yojana for EWS	
2	Kerosene free City-LPG Connection for EWS.	
	Total	71340.00

Delhi WAQF BOARD
(Govt. of NCT of Delhi)
5028, Daryagnaj, New Delhi-110002

Email : dwb_5028@hotmail.com Ph. No. 23275429, 23274412,
Fax No. : 23257464

No. 1(10)/Estt./DWB/2006-16/444 Dated : 17-08-2016

To

The Hon'ble Minister
(Women & Child Development, Social Welfare SC/ST),
Govt. of NCT of Delhi,
Department for the Welfare of SC/ST/OBC
B-Block, 2nd Floor, Vikas Bhawan,
I.P. Estate, New Delhi-110002

Sub : Vidhan Sabha Unstarred Question No. 97

Sir,

Please refer to e-mail letter No.f.-1(556)/Admn./DSCST/2016/4071 dated 17-08-2016 on the subject cited above. the point 'C' of the said question is given below.

दिल्ली वक्फ बोर्ड में तमाम वक्फ सम्पत्तियों का रिकॉर्ड ऑफिशियल वेबसाईट पर डालने का काम जारी है। साथ-साथ आय-व्यय का ब्यौरा भी डाला जा रहा है। अतिक्रमण हटाने के संबंध में डिर्माकोन कराये जा रहे है। फ्रेश सर्वे किया जा रहा

है। वक्फ एक्ट 1995 की धारा 54 के अन्तर्गत नाजायज अवैध कब्जाधारक के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।

Yours faithfully,
(K. Alam Farooqui)
Section Officer

Coty to :-
The Deputy commissiner,
Govt., of NCT of Delhi
5, Sham Nath Marg,

Delhi-110054 w.r.t. your e-mail letter No. एफ11/848/डी.सी./पी.सी./वि.स./16/2305-2306 दिनांक 17.08.2016

97. श्री जगदीश प्रधान : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता लाने व निजी पाटियों और सरकार द्वारा वक्फ संपत्ति पर अतिक्रमण हटाने के दिशा में सरकार ने क्या पहल की है?

समाज कल्याण मंत्री : (क) दिल्ली वक्फ बोर्ड में तमाम वक्फ सम्पत्तियों का रिकॉर्ड ऑफिशियल वेबसाईट पर डालने का काम जारी है। साथ-साथ आय-व्यय का ब्यौरा भी डाला जा रहा है। अतिक्रमण हटाने के संबध में डिर्माकेशन कराये जाते है। फ्रेश सर्वे किया जा रहा है। वक्फ एक्ट, 1995 की धारा 54 के अर्न्तगत नाजायज अवैध कब्जाधारक के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

98. श्री महेन्द्र गोयल : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिठाला विधान सभा में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग की क्या नई योजनाएं हैं;

(ख) क्या पर्यटन विभाग की रिठाला वाटर बॉडी (झील वाला पार्क) को दिल्ली विकास प्राधिकरण से पर्यटन विभाग में हस्तान्तरित करने की योजना है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

पर्यटन मंत्री : (क) पर्यटन विभाग, दिल्ली सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। यदि माननीय विधायक कोई सुझाव दें तो उस पर कार्यवाही की जाएगी।

(ख) पर्यटन विभाग की रिठाला वाटर बॉडी (झील वाला पार्क) को दिल्ली विकास प्राधिकरण से पर्यटन विभाग में हस्तान्तरित करने की कोई योजना नहीं है।

(ग) उपरोक्त 'क' के अनुसार

(घ) पर्यटन विभाग, दिल्ली सरकार ने (झील वाला पार्क) को स्थानांतरित करने का डी.डी.ए. को कोई प्रस्ताव नहीं दिया है।

99. सुश्री अल्का लाम्बा : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब व अन्य राज्यों के पर्यटन विभाग की तरह दिल्ली के पर्यटन विभाग की पर्यटन विभाग की पर्यटकों की आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की कोई योजना है;

(ख) क्या पर्यटन विभाग की दिल्ली के सभ प्रवेश द्वारों पर, लोक निर्माण विभाग की सड़कां पर कैफेटेरिया, आवासीय सुविधा (टेन्ट इत्यादि) उपलब्ध कराने की कोई योजना है; और

(ग) पर्यटन विभाग द्वारा विकसित किए गए पर्यटन स्थलों जैसे कि कांगनहेड़ी पर्यटन कॉम्लेक्स की लाभ/हानि के संदर्भ में वर्तमान स्थिति क्या है?

पर्यटन मंत्री : (क) पर्यटन विभाग, दिल्ली सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है।

(ख) पर्यटन विभाग, दिल्ली सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। दिल्ली के विभिन्न प्रवेश द्वारों के सौदर्यकरण का कार्य पर्यटन विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था किन्तु इस वर्ष के बजट प्रावधानों के तहत यह कार्य अब पर्यटन विभाग, दिल्ली सरकार को दिया गया है। तो इस पर भविष्य में योजना बनायी जाएगी तथा विभाग के निर्धारित बजट में से 1 करोड़ रुपए इसी कार्य के लिए सुरक्षित रखा गया है।

(ग) कांगनहेडी एवं छावला पर्यटन कॉम्प्लेक्स को अभी कार्यान्वित नहीं किया गया है।

100. श्री महेन्द्र गोयल : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज कल्याण विभाग द्वारा नई पेंशन कब तक शुरू करने की योजना है; और

(ख) इसमें विलम्ब के क्या कारण है;

(ग) रिठाला विधान सभा की विधवा, दिव्यांग व वृद्धावस्था किस–किस की पेंशनें रूकी हुई हैं;

(घ) इसके कारण क्या है; और

(ङ) ये पेंशनें कब तक देनी शुरू हो जायेगी?

समाज कल्याण मंत्री : (क) और (ख) योग्य व्यक्तियों को सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार पेंशन दी जा रही है।

(ग) रिठाला विधान सभा की रूकी हुई विधवा, दिव्यांग व वृद्धावस्था पेंशन की कारण सहित सूची संलग्न[1] है।

(घ) 811 विधवा लाभार्थियों की पेंशन बजट में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण अस्थायी रूप से रोगी गई थी।

(ङ) वृद्धावस्था एवं विकलांग पेंशन योजना के अन्तर्गत जो व्यक्ति जांच में सही पाये गए उनकी पेंशन फिर से शुरू कर दी जाती है। इसके लिये लाभार्थी को दस्तावेजों के साथ सामने आना जरूरी होता है।

विधवा पेंशन योजना के अन्तर्गत रोगी गई पेंशन को तुरन्त प्रभाव से चालू करने के प्रयास किये गये (Supplementry) बजट में भी अतिरिक्त

[1] पुस्तकालय में संदर्भ सं. आर–15667 पर उपलब्ध।

बजट का प्रावधान किया गया है ताकि धनराशि (Fund) की कमी न पड़े।

101. श्री जगदीश प्रधान : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार समाज कल्याण के लिए कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां तो सरकार ने दिव्यांगों को तीन प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने की दिशा में क्या प्रयास किए गए हैं;

(ग) वर्तमान सरकार द्वारा अब तक कितने स्पेशल एजूकेटर भर्ती किये गए हैं;

(घ) सरकार ने दिल्ली में कितने नशा मुक्ति केन्द्र खोले है;

(ङ) शराब से होने वाले दुष्प्रभाव के प्रति सरकार ने नागरिकों को जागृत करने के लिए क्या–क्या कदम उठाए हैं तथा प्रेस, टी.वी. तथा आउटडोर पब्लिसिटी के माध्यम से कितनी राशि विज्ञापनों पर खर्च की गई है; और

(च) किन्नरों को स्वास्थ्य तथा शिक्षा की मुख्यधारा में लाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं तथा उन्हें किते पहचान पत्र जारी किये गये हैं?

समाज कल्याण मंत्री : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली सरकार दास व आशुलिपिक सवर्गों की भर्ती और पदोन्नति में दिव्यागों के लिये तीन प्रतिशत आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों का पालन करती है। दिव्यांगों

के लिये आरक्षण के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार के द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन दिनांक 29/12/2005 की प्रति संलग्न है। आयुक्त (निःशक्ता) कार्यालय इस विषय में सभी विभागों से समन्वय का कार्य कर रहे हैं।

(ग) इस विभाग में केवल 02 स्पेशल एजुकेटर मैसर्ज इकसिल (ICSIL) से हायर किये गये हैं।

(घ) भारत सरकार की स्वापक औषधि और मनःप्रभावी नीति के अन्तर्गत नशामुक्ति केन्द्रों की स्थापना करना स्वास्थ्य विभाग का कार्य है। सूत्रों के आधार पर एकत्रित नशामुक्ति केन्द्रों की सूची संलग्नक (अ) पर संलग्न है।

(ङ) मादक पदार्थ प्रयुक्त करने वाले गली के बच्चों के सर्वे हेतु मनःप्रभावी पदार्थ उपचार केन्द्र, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान केन्द्र, दिल्ली को सर्वे कार्य सौंपा गया है। यह कार्य पहचान, समस्या एवं विकास में सहायक होगा।

माननीय मंत्री महोदय (स.क./म. एवं. बा.वि.वि.) द्वारा आदेश संख्या–नि. स. मंत्री/स.क./2016/2178–82 दिनांक 30/06/2016 अनुसार माननीय सचिव (स.क.) की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे–

(1) डॉ. तरूण सीम, सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)।

(2) डॉ. राजेश कुमार, एस.पी.वाई.एम.

(3) डॉ. आलोक अग्रवाल, अ.भा.आ.वि.सं.

---

[1] पुस्तकालय में संदर्भ सं. 17014 पर उपलब्ध।

उपरोक्त कमेटी शीर्घ ही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के आदेशानुसार पांच–पांच बिस्तरवाले एक–एक वार्ड मनःमस्तिष्क प्रभावी इलाज हेतु निम्नलिखित अस्पतालों में स्थापित किये गये, वह निम्न प्रकार है –

(1) गोविन्द बल्लभ पन्त अस्पताल

(2) बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल

(3) लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल

(4) दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल

(5) पं. मदन मोहन मालवीय अस्पताल

मद्यनिषेध निदेशालय द्वारा विश्व नशाबन्दी दिवस (26/06/2015) के अवसर पर सूचना एवं प्रचाार निदेशालय (दि.स.) के माध्यम से एक विज्ञापन प्रकाशित करवाया गया। ऐसा ही एक विज्ञापन सूचना एवं प्रचार निदेशालय (दि.स.) के माध्यम से दिनांक 26/06/2016 को प्रकाशित करवाया गया।

(च) किन्नरों के स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य विभाग में आम जनता की तरह दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों एवं डिस्पेंसरियों में इलाज की व्यवस्था है।

शिक्षा विभाग ने एक अधिसूचना के अनुपालन में किन्नर बच्चों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत समाजिक रूप से पिछड़े वर्ग (child belonging to disadvantage group) के अनतर्गत परिभाषित किया है जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थापित सभी स्कूलों में लागू है।

किन्नरों को पहचान पत्र जारी करने के लिये सरकार ने जिला मजिस्ट्रेटों की अध्यक्षता में दस जिलावार Screening Committee का गठन किया है जिसमें मनोचिकित्सक, किन्नरों के उत्थान के लिये कार्य कर रहे गैर सरकारी संस्था तथा दो किन्नर समुदाय के सदस्य भी शामिल हैं।

102. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने आम आदमी कैंटीन योजना हेतु वर्ष 2015–16 के लिये 50 करोड़ रुपये व्यय करने की घोषणा की थी और इस वर्ष भी 10 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार चालू वित्त वर्ष में कितने आम आदमी कैंटीन खोलने जा रही है और ये कैंटीन कहां–कहां खोली जा रही है; और

(ग) इस योजना पर अभी तक कितनी–कितनी धानराशि कहां–कहां पर व्यय की जा चुकी है, पूर्ण विवरण दें?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान आम आदमी कैंटीन योजना हेतु सरकार द्वारा कोई फंड आवंटित नहीं किया गया। वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिये 10 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।

(ख) आम आदमी कैंटीन की प्रस्तावित संख्या अभी निश्चित नहीं है। पहले चरण में दिल्ली सरकार के प्रत्येक अस्पताल में एक कैंटीन खोलने की योजना है।

(ग) अभी तक इस योजना पर धनराशि का कोई व्यय नहीं हुआ है।

103. श्री गुलाब सिंह : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पिछले एक वर्ष से वृद्धावस्था पेंशन बन्द है;

(ख) यह पेंशन लाभान्वितों को पुनः कब से मिलनी शुरू होगी;

(ग) इसके मापदण्ड क्या होंगे;

समाज कल्याण मंत्री : (क) से (ग) जी नहीं। वृद्धावस्था पेंशन योजना सरकारी नीति के अनुसार क्रियाशील है, जिसमें लाभार्थियों की उच्चतम संख्या नियमित है जिसके कारण वृद्धावस्था पेंशन के नए फार्म नहीं लिये जा रहे हैं।

104. श्री सोमनाथ भारती : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मालवीय नगर विधान सभा में प्रति वर्ष कितनी वृद्धावस्था पेंशन वितरित की जाती है;

(ख) उक्त विधान सभा में इस वर्ष वृद्धावस्था पेंशन वितरित न करने के क्या कारण है;

(ग) विभिन्न विधान सभाओं में वृद्धावस्था पेंशनों की संख्या में भारी अन्तर होने के क्या कारण है;

(घ) क्या दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की सभी वृद्धावस्था पेंशनें दिल्ली सरकार को स्थानान्तरित कर दी गई हैं;

(ङ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है;

(च) क्या मालवीय नगर विधान सभा में कोई वृद्धावस्था गृह शुरू करने की विभाग की कोई योजना है; और

(छ) यदि हां, तो उक्त वृद्धावस्था गृह कब तक तैयार हो जायेगा?

समाज कल्याण मंत्री : (क) मालवीय नगर में लाभार्थियों की संख्या 2247 है।

(ख) वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की संख्या पूर्व निर्धारित क्षमता सीमा (Capping Limit) से अधिक हो जाने के कारण वृद्धावस्था पेंशन के निए फार्म नहीं लिये गये है।

(ग) स्वीकृत पेंशनों की संख्या हर विधान सभा क्षेत्र की अलग–अलग है। वहां की जनसंख्या आदि पर भी यह संख्या निर्भर करती है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) उपरोक्त (घ) के अनुसार।

(च) वर्तमान समय में मालवीय नगर विधान सभा में वृद्धावस्था गृह प्रस्तावित नहीं है। अपितु दिल्ली में दस नये वृद्धाश्रम प्रस्तावित हैं जिनकी सूची संलगन है।

(छ) उपरोक्त (च) के अनुसार लागू नहीं होता।

समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्तमान समय में प्रस्तावित वृद्धावस्था होम

संख्या	परियोजना और क्षेत्र	पता
1	वृद्धाश्रम, कांति नगर 1550 वर्गमीटर	शांति मोहल्ला, गांधी नगर, दिल्ली
2	वृद्धाश्रम, गीता कॉलोनी 1027 वर्गमीटर	वाणिज्यिक केंद्र और आवासीय परिसर, गीता कॉलोनी, कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र
3	वृद्धाश्रम, चितरंजन पार्क 1239 वर्गमीटर	जी.के. द्वितीय, मेन रोड, सावित्री सिनेमा/डीएलएफ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बीच, I–1, सीआर पार्क, नई दिल्ली
4	वृद्धाश्रम, छतरपुर 2 बीघा 10 बिस्वा	जे.वी.टी.एस. गार्डन, डीएलएफ फार्म हाउस के पास, गांव सभा की जमीन खसरा नं. 921 और 931 गांव छतरपुर असर
5	वृद्धाश्रम, सरिता विहार 771 वर्गमीटर	वृद्धाश्रम, पॉकेट एफ तथा जी के बीच, सरिता विहार, नई दिल्ली
6	वृद्धाश्रम, वसंत कुंज 2092 वर्गमीटर	पॉकेट–9, वसंत कुंज आवास योजना, सेक्टर–बी, वसंत कुंज, दिल्ली
7	वृद्धाश्रम, रोहिणी सेक्टर 4,3575.67 वर्गमीटर	एनपीएस स्कूल, सेक्टर–4, रोहिणी के पीछे

संख्या	परियोजना और क्षेत्र	पता
8	वृद्धाश्रम, पश्चिम विहार 2,265 वर्गमीटर	बीजी–6 पश्चिम विहार, नई दिल्ली
9	वृद्धाश्रम, अशोक विहार वजीरपुर गांव, 666 वर्गमीटर	अशोक विहार फेज–1, नई दिल्ली
10	वृद्धाश्रम, जनकपुरी 1800 वर्गमीटर	ए–2 ब्लॉक, गांव असालतपुर जनकपुरी, दिल्ली

105. श्री सोमनाथ भारती : क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिला एवं बाल कल्याण हेतु सरकार की कौन–कौन सी योजनायें है;

(ख) मालवीय नगर विधान सभा में इन योजनाओं में लाभार्थिओं का विवरण क्या है;

(ग) 60 वर्ष से अधिक आयु के विधवाओं एवं शारिरिक रूप से विकलांग महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन हेतु पात्र न मानने के क्या कारण है;

(घ) इस विसंगति को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए है;

(ङ) क्या महिलाओं एवं बच्चों के लिए मनोरंजन केंद्र, लाइब्रेरी, प्ले स्कूल, प्ले ग्राउंड इत्यादि बनाने हेतु बजट निर्धारित किया गया है; और

(च) यदि हां, तो मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र के सन्दर्भ में इसका विवरण क्या है?

महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री : (क) महिला एवं बाल विकास कल्याण हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा निम्न योजनाये संचालित की जा रही है :

1. विधवा/निराश्रित महिला पेंशन योजना,
2. गरीब विधवा महिलाओं की पुत्री एवं अनाथ कन्या के विवाह हेतु आर्थिक सहायता,
3. दिल्ली लाडली योजना
4. महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ द्ववारा संचालित योजनायें

(ख) 1. विधवा/निराश्रित महिला पेंशन योजना के लाभार्थी–1322

2. गरीब विधवा महिलाओं की पुत्री एवं अनाथ कन्या के विवाह हेतु आर्थिक सहायता के अंतर्गत लाभार्थी–06

3. दिल्ली लाडली योजना के अंतर्गत लाभार्थी–1284 (पजीकृत)

(ग) और (घ) वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की उच्चतम सीमा निर्धारित है। इसलिए नए फॉर्म नहीं लिए जाते। इसके साथ–साथ वर्तमान नीति के अनुसार लाभार्थी एक से ज्यादा पेंशन नहीं ले सकता। नीति में और सुधार लाने के लिये सरकार में विधवा/निराश्रित/विकलांग पेंशन के लिए उपरी आयु सीमा को समाप्त करने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ङ) वर्तमान में इस विभाग में ऐसी कोई नीति नहीं है।

(च) ङ के अनुसार।

106. श्री जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन) : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र के एन.डब्ल्यू चौक के पास चौपाल के साथ खाली प्लाट पर चल रहा निर्माण कार्य किसके द्वारा किस उद्देश्य से किया जा रहा है; और

(ख) यदि यह अवैध कब्जा है तो इसे रोकने के लिए विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास मंत्री : (क) **राजस्व विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार :** चौपाल के साथ निर्माण कार्य कायस्त समाज के प्रधान श्री राजेश कुमार व आदि द्वारा किया जा रहा है, जोकि कायस्त समाज की चौपाल का ही हिस्सा बताया गया है।

(ख) **राजस्व विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार :** प्रधान द्वारा दिए गए दस्तावेजों की छायाप्रति व उनके द्वारा किए गए ब्यान की प्रतिलिपि संलग्न है। यह भी बताया गया है कि पत्र संख्या– 18B(27)/UD/Plg./Chaupal/2013-14/18804-18816 Dated 04-10-2013 के द्वारा गांव ख्याला में कायस्त समाज चौपाल को ध्वस्त करने व पुनःनिर्माण करने के लिए 44.82 लाख रुपये शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए थे परन्तु चौपाल के शेष भाग का निर्माण छूट जाने पर अब इसका निर्माण कायस्त समाज द्वारा अपना पैसा लगाकर किया जा रहा है। यह समस्त सूचना श्री राजेश कुमार, प्रधान, कायस्त समाज द्वारा मौका निरीक्षण के दौरान दी गई।

ख्याला गांव शहरीकृत हो चुका है। व इसमें अवैध निर्माण के खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार :

1. इस संपत्ति में अवैध निर्माण को डी.एम.सी.एक्ट धारा 343/344 (i) के अन्तर्गत फाईल EE(B)-I/WZ/UC/16/300 दिनांक 19–8–2016 द्वारा बुक कर दिया गया है। प्रथम सूचना प्रतिवेदन (भवन निर्माण), भवन विभाग, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम दिनांक 19–8–2016 के अनुसार निर्माण स्थल पर पूछताछ करने से ज्ञात हुआ है कि सम्पत्ति के स्वामी का नाम ग्राम सभा Govt. (Sarkar Daulat Madar) खसरा नं. 9/12, नियर आर.जी. पॉकेट–ए, रघुवीर नगर है। (प्रतिलिपि संलग्न)[1]

2. इस अवैध निर्माण की सील करने के लिए उचित प्रक्रिया भी प्रारम्भ कर दी गई है।

3. इसके अतिरिक्त निर्माण को रोकने के लिए क्षेत्र के एस.एच.ओ. थाना ख्याला को डी.एम.सी.एक्ट की धारा 344 (2) के अन्तर्गत पत्र संख्या D-686/EE (B)-I-WZ/2016 दिनांक से अवगत करा दिया है।

माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

मुझे श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष से नियम 54 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण की सूचना प्राप्त हुई है। जिसके अंतर्गत उन्होंने सी.ए.जी. की रिपोर्ट के संबंध में ...ये माननीय सदस्य ध्यान से समझ लें और सुन लें,

[1] पुस्तकालय में संदर्भ सं. आर–15668 पर उपलब्ध।

सी.ए.जी. की रिपोर्ट के संबंध में सदन का ध्यान आकर्षित करने का अनुरोध किया है। मैं इस संबंध में माननीय नेता, प्रतिपक्ष को बताना चाहूंगा कि उन्होंने दिनांक 24 अगस्त, 2016 को प्रश्न काल के बाद यह तर्क दिया था कि सरकार सी.ए.जी. की रिपोर्ट को प्राप्त होते ही उसे तुरंत सदन में रखने के लिए बाध्य है और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो संविधान का उल्लघंन है। अपने इस तर्क को माननीय नेता, प्रतिपक्ष लगातार 30 मिनट तक दोहराते रहे और सदन का समय व्यर्थ करते रहे।

मैं माननीय नेता, प्रतिपक्ष का ध्यान भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें ये कहा गया है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। भारत के नियंत्रक महा लेखा परीक्षक के किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो उनको राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखवाएगा। इस प्रकार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 48 के अनुसार ये पेज 173 पर है, पुस्तक में विजेन्द्र जी, पुस्तक चाहिए तो मैं दे दूंगा।. पुस्तक चाहिए तो आपको दे दूंगा। नहीं वो बोलें, उनकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। भई, दो मिनट रूक जाइए सोमनाथ जी। भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परिक्षक की धारा 46 की उपधारा 1 में निर्देशित (कार्य के) प्रश्चयावर्ति किसी अवधि के लिए राजधानी के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को उपराज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो उनको विधान सभा के समक्ष रखवाएगा। ये क्लीयर इसमें एक सैकेण्ड, मैं बात पूरी कर रहा हूं। उपरोक्त नियमों में ये कहीं भी नहीं बताया गया है कि संसद का किसी भी राज्य

या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सदन में तुरंत सी.ए.जी. की रिपोर्ट को रखने की बाध्यता है। सरकार ने अभी तक सी.ए.जी. की रिपोर्ट के संबंध में किसी प्रकार की कोई पुष्टि नहीं की है। अगर इस संबंध में मीड़िया की खबरें सही है, मैं यह बात पीड़ा के साथ कह रहा हूं, दुःख के साथ कह रहा हूं। अगर इस संबंध में मीडिया की खबरें सही हैं, मीडिया के बंधुओं ने मुझे भी वट्स–एप्प पर दिखाई है तो ये मामला अपने आप में बहुत गंभीर है। क्योंकि इस तरह के समाचार प्रकाशित करना या न करना मीडिया के विवेक पर निर्भर होता है। मीडिया को सोचना चाहिए कि कहीं इस तरह के समाचार प्रकाशित करने में नियमों का उल्लघंन तो नहीं हो रहा। यह वास्तव में माननीय उप–राज्यपाल महोदय की अवमानना है क्योंकि संविधान तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 के नियमों से यह स्पष्ट है कि माननीय उप–राज्यपाल महोदय चाहेंगे कि सी.ए.जी. की रिपोर्ट का पता सबसे पहले सदन के सदस्यों को लगना चाहिए ना कि मीडिया को। इन तथ्यों के मद्देनजर श्री विजेन्द्र गुप्ता जी के नोटिस को स्वीकार करने का कोई आधार नहीं है। हां, मीडिया में प्रकाशित होने का मामला जरूर बहुत गंभीर है और निम्नतम है इसलिए इस विषय पर ध्यानाकर्षण सूचीबद्ध किया गया है, माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने इसी विषय पर नियम 280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख का नोटिस दिया है जो आज सबसे पहले सूचीबद्ध है, विशेष उल्लेख के दौरान नेता, प्रतिपक्ष अपने विचार व्यक्त कर सकते है, धन्यवाद।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ब्रीच ऑफ प्रीवलेज...

अध्यक्ष महोदय : आ रहा हूं मैं एक–एक चीज पर...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या वो मेरा ध्यानाकर्षण किया हो या सत्ता रूढ़ दल का, चर्चा तो हो ही जाएगी। अब मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो रूल 66 में जो नोटिस है...

अध्यक्ष महोदय : हां, मैं आ रहा हूं उस पर।

मुझे श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता, प्रतिपक्ष से नियम 66 के अंतर्गत सदन की अवमानना की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने इस विषय में तथ्य जानने के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से बात की है। उप मुख्यमंत्री महोदय सदन में आज इस संबधं में तथ्य रखेंगे। अतः श्री विजेन्द्र गुप्ता जी के नोटिस को मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं। उसी पर वो तथ्य रखेंगे।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप तभी उसको करिये ना, स्वीकार है कि नहीं है, उनका बयान आने के बाद। पहले कैसे आपने कर दिया?

अध्यक्ष महोदय : मैंने स्वीकार किया।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आपने प्रीज्यूडिस कैसे डिसाइड कर दिया? जब आपने कहा कि वो बयान देंगे तो आप उसको पैंडिंग करिए, आप पैंडिंग करिए, आप कैसे खारिज कर सकते है?

अध्यक्ष महोदय : किसको?

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आपने जब ये खुद ही रूलिंग दी है कि मेरा रूल 66 में जो ब्रीच ऑफ प्रीवलेज का...

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनसे बात की थी उस पर वो अपने...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : कि मुख्यमंत्री के एगेंस्ट तो वो उसका जवाब देंगे। तो आपको पैडिग रखिए ना।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले से ही इस पर सारी टिप्पणी कर चुका हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या?

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले तो एक बात ये कह रहा हूं...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मेरा जो सवाल था, वही सवाल आज है। मैंने मंत्री जी से ये पूछा था कि वो बताएं कि ये रिपोर्ट कब यहां पर रखी जाएगी, आज रखी जाएगी, कल रखी जाएगी?

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : उस वक्त ये कहा कि मुझे पता नहीं है इस रिपोर्ट का। कोई रिपोर्ट नहीं आई है। जब कि मेरे पास तथ्य है कि रिपोर्ट आई हुई थी। ये मेरा कहना है। इश्यू, वो इश्यू और दोनों इश्यूज में अंतर हो गया, सदन को गुमराह किया जा रहा है सरकार के द्वारा।

अध्यक्ष महोदय : एक सैकेण्ड मेरी बात सुन लीजिए। ...विजेन्द्र जी, आप सुन नहीं रहे हैं। आप बार–बार पोलीटिसाइज कर रहे हैं।...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैं पोलटिसाइज नहीं कर रहा। मैं अपने ब्रीच ऑफ प्रीविलेज की बात कर रहा हूं...

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए। आप सुन नहीं रहे। पहली बात तो मैं बड़ी पीड़ा से कह रहा हूं कि विषय जो बनता है कि आपने सदन में कहा...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : सदन में जो बयान दिया मंत्री जी ने...

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आपने जो सदन में कहा... भई आप सुन नहीं रहे। आप सुन लीजिए एक बार। आपने सदन में कहा कि रिपोर्ट आ गई है...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैंने तो नहीं कहा, मैंने कहा रिपोर्ट सरकार के पास है, वो कब पेश की जाएगी?

अध्यक्ष महोदय : आपको मालूम है ना रिपोर्ट आ गई?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : भई, दो मिनट रूक जाइए, प्लीज। ये अपने आप में एक गंभीर विषय है कि आपने कहा जब तक सरकार ये नहीं कह रही कि... सरकार मना कर रही है, सरकार मना कर रही है रिपोर्ट नहीं आई।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : सरकार बताए कि वस्तु स्थिति क्या है?

अध्यक्ष महोदय : मैंने खुद मनीष जी से टोटल बातचीत की है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : किससे?

अध्यक्ष महोदय : मनीष जी से, उसी दिन बात की है। बातचीत के आधार पर मैंने आपके इसको...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : जो बयान उन्होंने दिया है अगर उसको वो कंट्राडिक्ट कर रहे हैं तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज तो अपने आप बन गया!

अध्यक्ष महोदय : वो देखते हैं क्या बयान देते हैं। पता लग जाएगा।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : इसको अभी पैंडिंग रखिए आप। आप उसको डिसाइड मत करिए अभी।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कर दिया मैंने डिसाइड। मैंने सारी बातचीत कर ली है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : बयान के बिना ही डिसाइड कर दिया!

अध्यक्ष महोदय : हां, मैंने कर लिया डिसाइड।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ये तो एकतरफा कार्रवाई हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज... या तो आप कहते बयान नहीं देंगे। आपने कहा है बयान देंगे तो...

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे जानकारी लेने के बाद व्यक्तिगत तौर पर...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : जानकारी लेने के बाद, क्या जानकारी बताइए?

अध्यक्ष महोदय : वो अभी बताएंगे, खुद ही बताएंगे वो।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : हमारा सवाल क्या था? हमारा सवाल इतना था कि कब टेबल कर रहे हैं। उन्होंने कहा मेरे पास रिपोर्ट नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : सी.ए.जी. की रिपोर्ट को जिन लोगों ने मीडिया तक पहुंचाकर अपमान किया है इस सदन का...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : या तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मामला डिसाइड करिए...

अध्यक्ष महोदय : ये बहुत गंभीर मामला है, इसको आप समझ नहीं रहे हैं...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : या तो गलती मानें या ये कहें कि मैंने नहीं कहा।

अध्यक्ष महोदय : जिन्होने रिपोर्ट लीक की है, उनको गलती नहीं माननी चाहिए?

श्री विजेन्द्र गुप्ता : कमाल हो गया! हो सकता है, किसने लीक की है, ये तो आपको पता होगा। हमें क्या पता? आपको पता होगा।

अध्यक्ष महोदय : ये माईक बंद करिए भैया।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे श्री पुष्कर, माननीय सदस्य से नियम 66 के अंतर्गत सदन की अवमानना की सूचना प्राप्त हुई है जो सदन में दिनांक 23 अगस्त, 2016 को माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिए गए स्टार्ड प्रश्न के उत्तर से संबंधित है। श्री पुष्कर के नोटिस को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि वो तथ्यों की वास्तविकता में विश्वास रखने की बजाय प्रचार में ज्यादा रूचि रखते है। प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कौन सा तरीका अपनाना चाहिए वह उन्हें पता है या नहीं, मैं नहीं जानता लेकिन वो जान बूझकर उससे अलग जा रहे हैं। अब भी उनके पास पर्याप्त अवसर है कि वे विधान सभा प्रक्रिया और कार्य संचालन के समुचित नियम के अंतर्गत अपनी समस्या के समाधान का सही तरीका अपनाएं और सदन का समय व्यर्थ ना करें। यह भी आश्चर्यजनक है कि पुष्कर जी का नोटिस विधान सभा अध्यक्ष के पास पहुंचने से पहले और मैं चेतावनी के रूप में दे रहा हूं ये बात, पहले से ही मीडिया में पहुंच जाता है जिससे उनका नोटिस देने का उद्देश्य अपने आप में सिद्ध हो जाता है, अतः इस नोटिस को स्वीकार नहीं किया जाता।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं इस पर कोई क्वैश्चन नहीं, कोई क्वैश्चन नहीं। अध्यक्ष से पहले मीडिया को देते हैं जाकर, नहीं आप बैठ जाइए अब, नहीं बैठ जाइए पुष्कर जी। ये बहुत गम्भीर मामला है, नहीं बैठ जाइए प्लीज। नहीं कुछ नहीं बिल्कुल, बैठ जाइए मीडिया के पास 4 बजे पहुंच चुका था। बैठ जाइये। मेरे पास टाईम रिकार्ड है, हॉ, मेरे पास आ जाना। मेरे पास टाईम रिकार्ड है। मेरे पास आ जाना। मैं दिखा दूंगा, बैठ जाइए। नहीं, बैठ जाइये। मैं रिक्वैस्ट कर रहा हूं। मुझे मजबूर मत करिये, प्लीज। कमांडो जी, आप बैठिये प्लीज।

श्री प्रवीण कुमार माननीय सदस्य से नियम 54 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण की सूचना प्राप्त हुई है। इस संबंध में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि आज एक ध्यानाकर्षण पहले ही सूचीबद्ध है इसलिए इस पर विचार नहीं किया जा सकता।

सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात।

श्री सतेन्द्र जैन जी, माननीय परिवहन मंत्री वर्ष 13–14 हेतु दिल्ली परिवहन निगम कर्मचारी भविष्य निधि न्यास के वार्षिक खाते के पृथक लेखा परिक्षक के प्रतिवेदन की हिन्दी/अंग्रेजी की प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे।

परिवहन मंत्री : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2013–14 हेतु दिल्ली परिवहन निगम कर्मचारी भविष्य निधि न्यास के वार्षिक खाते की पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की हिन्दी/अंग्रेजी की प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूं।[4]

---

[4] पुस्तकालय में संदर्भ सं. आर–15675 पर उपलब्ध।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (नियम–54)

अध्यक्ष महोदय : अब श्री राजेन्द्र पाल गौतम, माननीय सदस्य सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे कि मीडिया रिपोर्टस में आरोप है कि सी.ए.जी. के विशेष लेखा प्रतिवेदन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी विज्ञापनों में दोष पाया गया है, माननीय उप मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री राजेन्द्र पाल गौतम : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने के लिए ये ध्यानाकर्षण मैंने लगाया, चूंकि केवल दिल्ली की जनता नहीं बल्कि पूरे देश की जनता में हमारे देश की विपक्षी पार्टियॉ और साथ ही साथ मीडिया एक कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। कन्फ्यूजन किस रूप में कर रहा है कि वो जो गवर्नमेन्ट की ऐड आती है; चाहे वो अखबारों में आए, चाहे वो इलैक्ट्रोनिक मीडिया पर आए, चाहे वो एफएम रेडियो पर आए, उसको लेके पूरी एक भ्रामक व्यवस्था बन गई है और विपक्ष के साथ–साथ मीडिया ने भी अपने अखबारों के माध्यम से और टीवी डिबेटस में भी इस तरह का दुष्प्रचार किया कि दिल्ली की सरकार ने वर्ष 2015–16 में अपने बजट का 526 करोड़ रूपया केवल दिल्ली सरकार के ऐड पर खर्च कर दिया। एक तरफ सरकार ने बकायदा चलते सदन के अंदर लगभग 75–76 करोड़ रूपया खर्चना ऐड पर बताया था लेकिन दूसरी तरफ पूरा का पूरा विपक्ष चाहे वो भारतीय जनता पार्टी रही हो, चाहे कॉग्रेस रही हो, वो टीवी डिबेटस के अंदर इस तरह की चर्चा कर रही हैं कि 576 करोड़ रूपया दिल्ली की सरकार ने खर्च किया। तो ये स्थिति ना केवल दिल्ली की जनता के सामने बल्कि हमारे देश की जनता के सामने स्पष्ट होनी चाहिए कि ये कितना पैसा दिल्ली की सरकार ने बजट का, ऐडस पर खर्च

किया और इतना ही नहीं, ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि जिस तरीके से विपक्ष बार—बार ये कह रहा है कि दिल्ली सरकार अन्य प्रदेशों में भी ऐडस दे रही है जब कि देखने में ये आया है कि दूसरे देश के बाकी राज्य भी पूरे देश के अन्य राज्यों में अपने सरकार की योजनाओं के ऐड देते हैं। मैंने खुद दिल्ली के अंदर झारखंड का ऐड देखा, बिहार का ऐड देखा, हरियाणा का ऐड देखा, छतीसगढ़ का ऐड देखा, तो बाकी राज्य भी इस तरह के ऐड दे रहे हैं लेकिन ये भ्रामक स्थिति पैदा की जा रही है। एक भ्रम पैदा किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि दिल्ली की सरकार दिल्ली के साथ—साथ अन्य राज्यों में भी ऐडस दे रही है और इतना ही नहीं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पेटीशन लगवाई और उस पेटीशन के माध्यम से जो कन्फ्यूजन पैदा हुआ, उस कन्फ्यूजन को भी सुप्रीम कोर्ट ने मई, 2014 का अपने जजमैंट को बदलते हुए यह आदेश दिया कि केवल माननीय मुख्यमंत्री का ही नहीं, बाकी मन्त्रियों के भी फोटोग्राफ ऐड में लग सकते हैं। तत्पश्चात जो पार्टी लगातार 15 सालों तक दिल्ली के अंदर शासन करती रही, उसी पार्टी ने माननीय दिल्ली हाई कार्ट के अंदर ये चेलेंज किया कि दिल्ली के इस ऐडस को रोक दिया जाए और माननीय हाई कोर्ट में लगातार एक के बाद तकरीबन 8 एफिडेविट फाईल किए गये जिन एफीडेविटस के माध्यम से माननीय हाई कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की गई और दिल्ली के जो ऐडस आते हैं, उसको रूकवाने की कोशिश की गई लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का कि उन्होंने भी न्यायप्रिय होते हुए भारत के संविधान को ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय दिया और उन्होंने जो चैलेंज किया था, पेटीशन जो उन्होंने डाली थी, उनकी पेटीशन को डिसमिस कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में, मैं सिर्फ माननीय

उप मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि वो ना केवल दिल्ली की जनता बल्कि पूरे देश की जनता के इस कन्फ्यूजन को दूर करें, स्थिति को स्पष्ट करें कि टोटल दिल्ली के बजट का 2015–16 में कितना पैसा ऐड पर खर्च हुआ, बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी।

उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके संज्ञान में एक बहुत गम्भीर मसला इस सेशन में लाना चाहता हूं। सी.ए.जी. इस देश की सबसे ज्यादा सम्मानित संस्थाओं में से एक है। कॉन्स्टीट्यूशन पोजिशन की वजह से भी और जनता के दिल में सी.ए.जी. के प्रति जो सम्मान है, क्योंकि इस सी.ए.जी. में आदरणीय विनोद राय जी जैसे लोग इसके चीफ रहे हैं। इसमें कोयले से लेकर बिजली घोटाले और ना जाने कितने घोटालों का पर्दाफाश इस सी.ए.जी. की वजह से इस देश में हुआ है। कॉमनवेल्थ घोटाला। उस सी.ए.जी. की रिपोर्टस आपने स्वयं अपने वक्तव्य में कहा कि जब वो रिपोर्ट बनाते हैं तो उसको सदन पटल पर रखना चाहिए, सदन पटल पर आनी चाहिए वो। ये उस सी.ए.जी. की रिपोर्ट की गरिमा है कि वो सदन पटल पर प्रस्तुत हो और ये इस सदन की गरिमा है कि सी.ए.जी. द्वारा तैयार सरकार के कामकाज के विषय में कोई भी रिपोर्ट है, वो सबसे पहले इस सदन पटल के पास आनी चाहिए। लेकिन मैं बहुत दुःख के साथ आपके समक्ष ये बात रखना चाहता हूं कि जिस की बात की जा रही है, 24 तारीख को शाम को 5.30 बजे मेरे दफ्तर में वो सी.ए.जी. की रिपोर्ट प्राप्त हुई और उसके पहले माननीय नेता प्रतिपक्ष जिसके बारे में बात भी कर रहे थे, उसके पहले दिल्ली सरकार और सी.ए.जी. के अधिकारियों के बीच कुछ कॉरसपोंडेंस है, सी.ए.जी. का अनुरोध है कि उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी

मेंटेन करके रखी जाए। दो अधिकारियों के बीच में कॉरसपोंडेंस है। जब वहां से कन्फरमेशन हो गया कि इसको सदन पटल पर रखना है और ये कम्पलीट रिपोर्ट जैसी है, क्योंकि पहली बार पार्शियल रिपोर्ट तैयार हुई, पहली बार एक पार्शियल रिपोर्ट तैयार हुई दिल्ली की। (एम 400 जारी) विधान सभा के 23 साल के इतिहास में दिल्ली सरकार के एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या कुछ हिस्से के बारे में एक रिपोर्ट तैयार हुई है। पार्शियल रिपोर्ट जिसको कह सकते हैं। स्पेशल आडिट रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को सीधे सदन पटल पर आना चाहिए था, एक गरिमा के साथ में। यहां उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। यहां अगर आपकी अनुमति होती तो इस पर चर्चा होनी चाहिए थी नहीं तो उसको हमारी कमेटी को चले जाना चाहिए था। वहां जो उसके बाद की कार्यवाही होनी चाहिए थी। लेकिन हमारे अधिकारियों ने पूछा सी. ए.जी. से कि आपने कान्फिडेंशियलिटी मैंनेटेन करने के लिए कहा है तो क्या इसका मतलब यह है कि इसको रखना है कि नहीं रखना? फिर इन्होने कहा कि इसको एक कम्पलीट रिपोर्ट मानकर रखने की जरूरत है। तो अधिकारियों ने तुरन्त इसको 24 तारीख को शाम को साढे पांच बजे मेरे समक्ष प्रस्तुत किया। मेरे समक्ष आने तक वो रिपोर्ट पूरी तरह से गोपनीय सी.ए.जी. के लिफाफे में बंद थी। सी.ए.जी. की उस पर सील लगी हुई थी। अब यहां सवाल यह उठता है। आपने स्वयं जिक्र किया कि मीडिया में जा रही है। मीडिया में, अखबारों में छप रहा है। कुछ विशेष पत्रकार जो आम आदमी पार्टी के हर पानी पीने के छींकने पर इन सब पर भी 'नेशन वान्टस टू नो' चलाते हैं, उनके पास भी वो रिपोर्ट थी। होगी। अब पत्रकारों से तो हम क्या कह सकते हैं। पत्रकारिता को भी स्वतंत्र रहना है। पत्रकारिता की भी अपनी गरिमा है। लेकिन इस सदन में नेता प्रतिपक्ष ने बात रखी,

सी.ए.जी. की रिपोर्ट आई है, चलिए उनके पास हो सकता है पत्रकारों से सूचना हो, उनके पास हो। लेकिन 24 तारीख को नेता प्रतिपक्ष की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया और प्रेस रिलीज में बकायदा बताया गया है कि इस रिपोर्ट में क्या–क्या है! उसमें पैरावार जानकारी दी गई है! मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस सदन के समक्ष ये बात रखना चाहता हूं कि ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ दिस हाउस है। ये इस हाउस का ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि ये रिपोर्ट तीन लोगों के पास थी या तो सी.ए.जी. के पास थी या ऑनेरेबल लैफि्टिनेंट गवर्नर के पास थी या दिल्ली सरकार के फाईनेंस सैक्रेटरी के पास थी। फाईनेंस सैक्रेटरी पर इस सरकार को भरोसा है। फाईनेंस सैक्रेटरी ने सील बंद रिपोर्ट दी है, सरकार को उपलब्ध कराई है 24 तारीख को शाम 5.30 बजे। फिर ये रिपोर्ट नेता प्रतिपक्ष के पास किस सोर्स से पहुंची है, नेता प्रतिपक्ष को जवाब देना चाहिए इस हाउस को। ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है इस हाउस का। सी.ए.जी. ने रिपोर्ट दी या ऑनेरेबल एलजी के यहां से इनको मिली। ये बताना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इस बात को लेकर जवाब देना चाहिए इस बात का। ये इस हाउस की मर्यादा का सवाल है। हाउस में जो रिपोर्ट सीधे आनी चाहिए थी, वह नेता प्रतिपक्ष के पास कैसे आ रही है? ये कौन सा रैकेट चल रहा है सी.ए.जी. रिपोर्ट का? ये कौन सा रैकेट काम कर रहा है जो इसमें सी.ए.जी. रिपोर्ट बनाई जाती है, नेता प्रतिपक्ष को दी जाती है? नेता प्रतिपक्ष को किसने रिपोर्ट दी है? जो रिपोर्ट इस सदन में रखी जानी चाहिए थी, इस सदन के माननीय सदस्यों के समक्ष रखी जानी चाहिए थी। उस पर नेता प्रतिपक्ष प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं। प्रेस रिलीज जारी करके इस सदन की मर्यादा और गरिमा का ठेस लगाई जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, आप घिरे हुए हो इस मामले में। बहुत जबरदस्त घिरे हुए हो। मैं बता रहा हूं। ये मेरे पास भी आया हुआ है। आप बहुत बुरी तरह से घिरे हुए हो। सी.ए.जी. की रिपोर्ट को सदन पटल पर रखने से पहले एक सदन का सदस्य लीक करता है।

उप–मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये सिर्फ जवाब देने का नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं चाय का समय आज भी बहुत खराब हुआ है और उस चाय के समय को हम कुर्बान करें। बहुत–बहुत धन्यवाद।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सदन की कार्यवाही जारी रहेगी।

उप–मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये सवाल किसी एक सदस्य का, या माननीय नेता प्रतिपक्ष का या मुख्य मंत्री या मंत्री के जवाब देने का नहीं है। सवाल इस बात का है कि जो रिपोर्ट इस सदन में गरिमा के साथ आनी चाहिए थी, उस सदन की गरिमा को नुकसान पहुंचाते हुए, उसकी मर्यादा को भंग करते हुए इसको पहले प्रेस को रिलीज को कैसे दिया गया। ये इस सदन का अपमान है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ इस मामले में।

...(व्यवधान)

उप–मुख्यमंत्री : ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ इस मामले में।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह एक गम्भीर मामला है। बहुत गम्भीर मामला है।

...(व्यवधान)

सुश्री अलका लाम्बा : अध्यक्ष जी, 24 तारीख को मांग की थी कि यह प्रिविलेज कमेटी को सौंपा जाए।

...(व्यवधान)

सुश्री अलका लाम्बा : अध्यक्ष जी, आपने विश्वास दिलाया था कि आज आप इस पर विचार करके अपना फैसला देंगें।

...(व्यवधान)

श्री सही राम : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट इनके पास आई कहां से! इनको ये रिपोर्ट मिली कहां से!

...(व्यवधान)

सुश्री अलका लाम्बा : अध्यक्ष जी, 24 तारीख को मैने मांग की थी। अध्यक्ष जी ये शब्द आज ऑन रिकार्ड दर्ज हैं कि गुप्ता जी के पास...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं दोबारा निर्णय दे देता हूं। माननीय सदस्य बैठ जाएं।

उप–मुख्य मंत्री : प्रिविलेज कमेटी को मामला दिया जाए। ये मामला प्रिविलेज कमेटी को दिया जाए। प्रिविलेज कमेटी इनसे पूछताछ करें। उन तमाम लोगों से पूछताछ करें जिनके ये नाम लेते हैं।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ये शब्द कार्यवाही से निकाल दें।

अध्यक्ष गुप्ता : आप बैठिए माननीय सदस्यगण। माननीय सदस्य बैठें।

...(व्यवधान)

श्री नितिन त्यागी : अध्यक्ष महोदय, ये पूरे सदन का अपमान है। दूसरा इन्होंने पूरे सदन को धमकी दी कि पूरे के पूरे सदन को भंग करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अपनी जगह पर जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बार विजेन्द्र गुप्ता जी, एक सैकेंड बैठिए–बैठिए। प्लीज सोमनाथ जी। विजेन्द्र गुप्ता जी बार बार जो ये बात कह रहे हैं प्रिविलेज मंत्री जी के खिलाफ है। दो मिनट रूक जाइए जरा। उन्होंने ये माना सदा उसको टीज करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हो रहा हूं। दो मिनट रूक जाइए। विजेन्द्र जी, आज सुबह से, बल्कि जब से सदन चल रहा है, चौथा दिन है, आप टोटल अनकॉन्सटीटयूशनल विषय उठा रहे हैं। हां, बिल्कुल आप उठा रहे हैं और मैं इसको इस लिए भी कह रहा हूं ये रिपोर्ट मेरे पास भी। दो मिनट बैठ जाइए। अब क्या धमकी दे रहे हैं आप? धमकी दे रहे हैं? बैठ

जाइए। आप बैठ जाइए, मैं खड़ा हूं। माननीय मंत्री जी ने अभी सदन में कहा कि 24 तारीख को शाम को 5.30 बजे बंद लिफाफे में मुझे रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : सरकार को कब मिली आप पूरी बात बताइए?

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए दो मिनट। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। विजेन्द्र गुप्ता जी, पूरी करने दीजिए । आप बैठ जाइए दो मिनट। दो मिनट सोमनाथ जी। प्लीज बैठिए। मैं इसमें साथ में यह जोड़ रहा हूं कि यह बहुत गम्भीर विषय है। जिस दिन से 24 तारीख को मीडिया को रिलीज हो गई, प्रेस मिडिया वालों में, मैं टी ब्रेक में गया, मुझे दिखा दी वो रिपोर्ट। ये इतना गम्भीर विषय है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह तो आप पता करिए। आपकी डयूटी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ये आपको सारा मालूम है किसने दी है। आप बैठ जाए।

...(व्यवधान)

उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इस रिपोर्ट के बारे में दो तीन चीजें और कहना चाहता हूं कि पिछले दिल्ली विधान सभा के 23 साल के इतिहास में पहली बार किसी एक विभाग का इस तरह से स्पेशल ऑडिट हुआ, परफॉर्मेंस ऑडिट हुआ और जब परफॉर्मेंस ऑडिट, अब ये तो 22

तारीख, 23 तारीख की बात कर रहे हैं मैं तो पिछले 6 महीने की बात कर रहा हूं। 6 महीने में सी.ए.जी. से लगातार ड्राफट रिपोर्ट, पैरा ऑडिट, ऑडिट पैराज सब मिले हैं और वो सारी कॉरस्पोन्डेंस हैं। अब उसमें सी. ए.जी. ने उसमे...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : भाई विजेन्द्र जी, ये ठीक नहीं है। ये ये उचित नहीं है ये तरीका, अब तरीका ठीक नहीं है ये आपका।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। दिल्ली की जनता का अहित कर रहे हैं। आप दिल्ली की जनता का अहित कर रहे हैं।

उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये पार्शल रिपोर्ट तैयार हुई। अब ये रिपोर्ट सरकार के पास में है और हम बहुत कमिटमेंट के साथ कहते हैं, पहले भी रिपोर्ट्स रखी गई हैं कि इस रिपोर्ट को भी सरकार के सामने, सदन के सामने रखेंगे और अगर आपकी अनुमति होगी तो उस पर चर्चा भी कराएंगे और मैं विजेन्द्र गुप्ता जी को चेतावनी देना चाहता हूं। जिस दिन चर्चा हो, भाग मत जाइएगा यहां से। ये रिपोर्ट आपको जवाबदेह बना के रहेगी। आपके ऊपर उल्टा पड़ने वाली है ये रिपोर्ट। मैं आपको कह रहा हूं कि आप भागिएगा मत यहां से। इसपे चर्चा करवाएंगे और पूर्ण अध्यक्ष महोदय अगर अनुमति देंगे तो इस पर चर्चा करवाएंगे और भागिएगा मत। कमिटमेंट करिए आज।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाइए प्लीज, आप लोग बैठ जाइए। विजेन्द्र जी बैठ जाइए आप।

उप मुख्यमंत्री : अब इस रिपोर्ट पर चर्चा होगी तो ये पीठ दिखा के भागेंगे नहीं। जैसे दिल्ली के तमाम मुद्दों पर भाग जाते हैं, वैसे भागेंगे नहीं।

...(व्यवधान)

उप मुख्यमंत्री : इसको करेंगे अध्यक्ष महोदय।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइए विजेन्द्र जी। बैठ जाइए।

उप मुख्यमंत्री : इसको करेंगे अध्यक्ष महोदय। इसको टोटल भी करेंगे।

...(व्यवधान)

उप मुख्यमंत्री : मीडिया रिपोर्टस में आई। नेता विपक्ष ने भी रिपोर्टस के अंश खूब मीडिया में दिए। मैं दो तीन चीजें चाहता हूं सी.ए.जी. आब्जर्वेशंस के बारे में।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, आप बार बार टोक रहे हैं। विजेन्द्र जी मैं चेतावनी दे रहा हूं, विजेन्द्र जी मैं चेतावनी दे रहा हूं आप बार बार टोक रहे हैं बीच में अब माननीय उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। सदन की कुछ गरिमा तो रखिए!

उप मुख्यमंत्री : दो चीजें हैं अध्यक्ष महोदय, जो आ रही हैं। जब रिपोर्ट पर चर्चा होगी तब और बात करेंगे इस पर लेकिन दो बड़ी चीजें

सामने आ रही हैं। एक तो बड़ी अच्छी चीज यह है कि इस रिपोर्ट में और विजेन्द्र गुप्ता जी की प्रैस रिलीज में भी, ये दो रिपोर्टस में ये दो फैक्ट्स क्लेम किए हैं। दिल्ली सरकार के विज्ञापन विभाग में एक भी पैसे का घपला नहीं पकड़ा गया। ये बात साफ हो गई है। मैं बधाई देना चाहता हूं दिल्ली सरकार को और दिल्ली सरकार के विज्ञापन विभाग को कि बड़ा शोर मचाया जा रहा था 526 करोड़ का घोटाला हो गया, 526 करोड़ का घोटाला हो गया, 526 करोड़ का घोटाला हो गया। अध्यक्ष महोदय किसी रिपोर्ट में कहीं है 101 करोड़ खर्च हुए हैं वो भी 20 करोड़ पिछले साल वाले थे। तो ये 526 करोड़ के घोटाले वाले तमाम लोगों को अब डेस्क पर खड़े हो के वो ही करना चाहिए जो अभी कपिल मिश्रा वहां पर कह रहे थे कि छइंयां—छइंयां करना चाहिए, मूंछ मुण्डवा लेनी चाहिए। देश को गुमराह किया है, माफी मांगनी चाहिए उन 526 करोड़ रुपये का दावा करने वालों को! ये सतीश उपाध्याय, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इनकी पार्टी के नेता अमित शाह खड़े हों और देश से माफी मांगे कि हमने झूठ बोला था देश के सामने कि 526 करोड़ का घोटाला हुआ है। हमारे लिए शान की बात है अध्यक्ष महोदय! एक पैसे का घपला नहीं आ रहा है सामने, एक पैसे की कोई हेराफेरी का मामला सामने नहीं आ रहा है। हमारा लिए बड़े शान की बात है! विज्ञापन विभाग ने अपना काम ईमानदारी से किया। बड़ी तगड़ी स्क्रूटनी हुई थी, बहुत तगड़े—तगड़े ऑडिट पैराग्राफ डाले गए थे, ऑडिट पैराग्राफ में भी खूब क्वैश्चनिंग हुई थी।

अध्यक्ष महोदय, जो 101 करोड़ की बात हुई उसमें भी 20 करोड़ तो बता रहे हैं पिछले साल का है। 80 करोड़ में से भी 6 करोड़ दिल्ली सरकार का अपनी विज्ञापन एजेंसी जो हमने बताई थी कि 15 पर्सेंट कमीशन

का, अखबारों का, टीवी चैनल को फालतू का, जिनको जाता है। 15 पर्सेंट वो बचाया और कुछ ऐड हुए। 6 करोड़ रुपये की तो सीधे–सीधे शब्दार्थ को बचत हुई है। अध्यक्ष महोदय इस तरह से अगर ईमान, अगर तकनीक, अगर खर्चें के रूप में देखा जाएगा, वास्तव में जो खर्चा हुआ वो तो 74 करोड़ रुपये खर्च हुआ है साल का। 526 करोड़ के दावेदार अब चुल्लू भर पानी में डूब के मर जायें। जो कह रहे थे कि 526 करोड़ का इस सरकार ने घोटाला कर लिया, 526 करोड़ का इस सरकार ने घोटाला कर लिया। जवाब दें। माफी मांगे वो देश से।

दूसरी बात अध्यक्ष महोदय इसमें इंपोर्टेंट है जो इसमें जिक्र आ रहा है बार बार इनकी प्रेस विज्ञप्ति में आ रहा है, इनकी चर्चा में जिक्र आ रहा है मीडिया रिपार्टस में आ रहा है कि ऐडवर्टाइजमेंट बहुत दिए गए। अरे! अब आपके पास में कोई मनीष सिसोदिया जैसे कम्यूनिकेटर नहीं हैं तो आपकी प्रॉब्लम है, हमारी थोड़ी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं 15 साल टीवी और रेडियो में काम करके आया हूं। इस देश में रेडियो को नये सिरे से डिफाईन करना, टीवी न्यूज को नये सिरे से डिफाईन करने वाली टीम्स में मैं शामिल रहा हूं। मुझे खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है और मेरी पार्टी को और पूरी टीम को मेरे ऊपर। मेरी सरकार को मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं कम्यूनिकेशंस जानता हूं। अगर आपको कम्यूनिकेशन नहीं आता तो ये आपका पॉब्लम है। हमें कम्यूनिकेशन आता है, हमारे लिए विज्ञापन सिर्फ ऐड खर्च करने का जरिया नहीं है, ऐड देने का जरिया नहीं है। हमारे लिए विज्ञापन जनता से संवाद करने का जरिया है। हम जनता से संवाद करना जानते हैं। हमको आता है कि विज्ञापन बना के उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, जनता से संवाद कैसा होना चाहिए, जनता को एंगेज कैसे किया जाना चाहिए, हमको आता है

और ये आपको नहीं आता तो ये आपकी प्रॉब्लम है। आप नहीं कर पाते ये आपकी प्रॉब्लम है।

अध्यक्ष महोदय, कहा गया कि बहुत विज्ञापन दिए, बाहर विज्ञापन दिए, इधर विज्ञापन दिए, उधर विज्ञापन दिए। मैं आपके समक्ष कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। ये मेरे पास में पिछले दो–तीन महीने के न्यूज पेपर निकले थे इनके क्लिपिंग्स हैं। झारखण्ड भारतीय नक्शे में कहां खड़ा होता है आपको पता है। लेकिन झारखण्ड के विज्ञापन दिल्ली के अखबारों में छप रहे हैं, ये देखिए, रोजाना छप रहे हैं। ये देखिए, फुल पेज विज्ञापन दिल्ली में छप रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : हरियाणा का। हरियाणा, हरियाणा।

उप मुख्यमंत्री : सॉरी, हरियाणा का। झारखण्ड के भी, झारखण्ड के विज्ञापन चल रहे हैं। ये रहा, ये है झारखण्ड। झारखण्ड के विज्ञापन चले रहे हैं। हरियाणा के विज्ञापन चल रहे हैं और तो और गुजरात के, ये सारे झारखण्ड, हरियाणा के भी विज्ञापन हैं। यूपी के तो आजकल आप पूरी किताब देख सकते हो अध्यक्ष महोदय। एडिटोरियल...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ये भी तो ऑब्जेक्शन था आपका भई। ये भी तो आपका ऑब्जेक्शन था ना कि वो दिल्ली से बाहर क्यो छप रहे हैं। आप दो मिनट बैठ जाइए। खड़े होने दो।

उप मुख्यमंत्री : जो आम तौर दिल्ली के अन्दर बाहर के राज्यों में कैसे गए। अध्यक्ष महोदय, इनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : कि दिल्ली से बाहर क्यों छप रहे हैं। रख देंगे रिपोर्ट भी। आप दो मिनट बैठ जाइए।

उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश वो पिछले दो दिन के उत्तर प्रदेश के विज्ञापनों का चिट्ठा है।

अध्यक्ष महोदय : खड़े होने दो, खड़े होने दो।

उप मुख्यमंत्री : जो दिल्ली के अखबारों में छपे। मध्यप्रदेश के विज्ञापन दिल्ली में छप रहे हैं। दिल्ली में छप रहे हैं अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में छप रहे हैं। सारे। देखिए, ये सारे, ये मोदी सरकार के विज्ञापन हैं जो दिल्ली में छप रहे हैं इनकी मोदी सरकार के। तेलंगाना के विज्ञापन छप रहे हैं, राजस्थान के सबसे ज्यादा विज्ञापन छप रहे हैं, यहां पर बिहार के भी विज्ञापन छप रहे हैं, छत्तीसगढ़ के विज्ञापन छप रहे हैं दिल्ली में। उत्तराखण्ड के विज्ञापन छप रहे हैं। ये तो पिछले दो महीने की, तीन महीने की रिपोर्टस हैं। महाराष्ट्र के विज्ञापन छप रहे हैं दिल्ली में ये देखिए, ये देखिए महाराष्ट्र के विज्ञापन दिल्ली के अखबारों में छप हुए। गुजरात के अध्यक्ष महोदय और तो और गुजरात के विज्ञापन दिल्ली के अखबारों में छपे हुए हैं। ये दिल्ली के अखबारों में गुजरात के विज्ञापन छप रहे हैं, ये उत्तराखण्ड के छप रहे हैं, हरियाणा के, मैंने कहा, हिमाचल प्रदेश के छप रहे हैं। अध्यक्ष महोदय जिस वक्त हमारे विज्ञापन विभाग का ऑडिट चल रहा था, मैं स्वयं देश के सी.ए.जी. साहब के पास में गया था और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि क्योंकि मेरे विभाग के अधिकारियों ने मुझे बताया सी.ए.जी. बड़ी टाइट स्क्रूटनी कर रहा है। मुझे खुशी हुई, मुझे अच्छा लगा कि सी.ए.जी. की टाइट स्क्रूटनी होगी तो और अच्छी चीज है। मैंने अधिक उनके क्वैश्चंस देखे, मैं

उनके पास गया सी.ए.जी. महोदय के पास, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया। मैंने पहले तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद किया कि आप हमारी सरकार का स्पेशल ऑडिट विज्ञापन में कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि दिल्ली सरकार के दो और फोकस एरियाज हैं– हेल्थ एण्ड एजुकेशन। हम अपने बजट का 25 पर्सेंट एजुकेशन पर खर्च कर रहे हैं और करीब 20 पर्सेंट हेल्थ पर खर्च कर रहे हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया सर, हमने बहुत कोशिश कि है सारी चीजें ईमानदारी से यहां, सारी चीजें एफेक्टवली नीचे तक जाएं लेकिन हो सकता है कहीं गड़बड़ी हो, हो सकता है कोई प्रोसिजर्स में गड़बड़ी हो। आप हमारे इन दोनों डिपार्टमेंट्स का भी इसमें स्पेशल ऑडिट इसी स्क्रूटनी के साथ इतनी ही टाइट स्क्रूटनी के साथ करवाइए। पहला आदमी हूं मैं इस तरह का, जो खुद सी.ए.जी. के पास जा रहा है और कह रहा है कि मेरे डिपार्टमेंट का ऑडिट करा लो। हमारे यहां दो डिपार्टमेंट का स्पेशल ऑडिट करा लो। फिर मैंने उनसे एक और रिक्वेस्ट की कि साहब आप जो ये विज्ञापन का ऑडिट कर रहे हैं, ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, इसको एक दम आब्जेक्टिव बना लेते हैं हमसे जो जानकारी चाहिए, हम आपको देंगे। लेकिन आप थोड़ा सा इसको ब्रॉडिंग कर लीजिए। देश के चार पांच राज्य हरियाणा का, मध्यप्रदेश का या केरल का विज्ञापन छपता है दिल्ली में, उसका भी कर लीजिए। हरियाणा का भी देख लीजिए, उत्तरप्रदेश को देख लीजिए और केन्द्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान का ऑडिट कर लीजिए। उसका भी, वो तो विज्ञापन अभियान नहीं है। उसका ऑडिट कर लीजिए और उसका देख लीजिए आप उसकी एफेक्टिवनेस देख लीजिए। उस पे किस तरह से पैसा खर्च हुआ है, वो देख लीजिए और फिर देश के सामने एक बढ़िया कम्पेरेटिव स्टडी रखिए कि कौन सी हमसे

ज्यादा ज्यादा खर्च करते हैं विज्ञापन पर, हमसे ज्यादा बजट है विज्ञापन के। कौन–सी सरकार अलग–अलग पार्टियों की सरकारों को ले लीजिए अगर पार्टियों का ईश्यू है। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि साहब, एक तो हमारे दो विभागों के और स्पेशल ऑडिट कर लीजिए और साथ–साथ विज्ञापन को ले के चार–पांच राज्यों का एक आप कम्पेरेटिव स्पेशल ऑडिट चार–पांच राज्यों का कर लीजिए, अपने–आप कंपेरिजन हो जाएगा उसका। उससे देश की सही तस्वीर आएगी कि विज्ञापन पर खर्च करने में कोताही कौन कर रहा है, ठीक से कौन खर्च कर रहा है, ईमानदारी से कौन खर्च कर रहा है, विवेकपूर्ण तरीके से कौन खर्च कर रहा है और कहां पैसा खर्च हो रहा है। ये सारी चीजें सामने आ जायेंगी। अध्यक्ष महोदय, थोड़ा–सा दुःख है मुझे इस बात का जो मुझे समझ आ रहा है कि ऐसा उन्होंने किया नहीं, उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। मैंने उनको लिख के भी दिया था चिट्ठी भी लिखी थी मैंने। जब ये ऑडिट चल रहा था, कहा जा रहा था कि मीडिया रिपोर्ट में था, जवाब नहीं दिया। 8 जुलाई को उनके कुछ सवाल आए थे। 18 जुलाई को मैंने जवाब दिया हुआ है और डिपार्टमेंट का जवाब अलग से गया है डिपार्टमेंट का प्वाइंटवाइज। मैंने उनसे लिखा। मैंने सबसे पहले लिखाः We welcome the special audit of DIP initiated by CAG. मैंने लिखा उसमें, लेकिन मैंने लिखा है they are State Government with far larger budget for publicity and promotion than Delhi Government. Also the departments of Central Government have much larger budget for publicity than us, thousand of crores of rupees have been spent on Govt. of India by publicizing Sawach BharatAbhiyan, Mann ki Baat, Yoga Day, Jan-Dhan Yojana, Make in India, Give up LPG subsidy schemes

etc. One thousand crore rupees have been spent alone to commemorate Modi Govt's. second anniversary. फुल पेज एडवर्टाइजमैन्ट दिए गए थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि इसका भी एक कम्पेरेटिव ... बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि जिस तरह के सवाल हमसे पूछे गए थे, मैं थोड़ा–सा जिक्र कर देता हूं अच्छी चीज थी। हमारी किस हद तक... क्योंकि मुझे खुशी किस बात से हुई, कितनी पार्टियों के साथ स्क्रूटनी चल रही थी हमारे विज्ञापन विभाग की। हम क्या विज्ञापन दे रहे हैं, कहां दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। इसके साथ–साथ उन्होंने इतना तक बताया कि भैया, देखो आपने हिन्दी इंगलिश के अखबार में हिन्दी का विज्ञापन दे दिया अच्छी बात है। अगर हम, देखिए गर्वमेंट का अधिकार है किस भाषा के उसमें किस भाषा में विज्ञापन देगी ये गर्वमेंट का अधिकार है। लेकिन अगर सी.ए.जी. इतनी टाइट स्क्रूटनी कर रहा है टाइट रीडिंग कर रहा है तो अच्छी चीज है। इसका मतलब बहुत निट्टी ग्रिट्टी में जा रहा है। उन्होंने ये भी लिखा कि भई, आपने एक टीवी चैनल को एक ऐड चलाने के लिए बोला। 8:00 बजे के बैण्ड में बोला। उन्होंने भारत सरकार के पैटर्न के हिसाब से 6:00 बजे चला दिया जो कि आपने देखा। उन्होंने इतना भी लिखा कि आपकी सरकार, दिल्ली सरकार। 'आपकी सरकार' क्यों बोलते हो? आप दिल्ली सरकार केजरीवाल सरकार क्यूं बोलते हों। अध्यक्ष महोदय, मैं....

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपके ही सवालों का उत्तर दे रहे हैं, आ जाएगी रिपोर्ट भी। हां आ जाएगी रिपोर्ट।

उप मुख्य मंत्री: ओडिट पैराज के संबंध में बात कर रहा हूं कि ऑडिट पैराज को...

अध्यक्ष महोदय : रिपोर्ट आएगी, इसी सदन पटल पर आएगी।

उप मुख्य मंत्री : ऑडिट पैराज में किस तरह की क्वेश्चनिंग हमसे हुई थी। मुझे नहीं पता...

अध्यक्ष महोदय : नहीं, केवल हो जाएगी। अभी उन्हें बोलने दें। उन्होंने आश्वासन दिया है सदन को।

उप मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी मुझे नहीं पता कि ये चीजें रिपोर्ट में है या नहीं। ये तो हमसे सवाल पूछे गए थे, हमें लगा सी.ए.जी. बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अध्यक्ष महोदय,....

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, वो रिपोर्ट टेबल होगी, आज होगी या अगले सेशन में होगी, हो जाएगी। क्यों आपको क्या दिक्कत है? नहीं, बैठ जाइए।

उप मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सी.ए.जी. ने तमाम अच्छे–अच्छे सवाल पूछे थे। अध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट में जो पूछा जाएगा, वो सदन के समक्ष आएगा। जो सरकार से पूछा था ऑडिट पैराज के बारे में पूछा गया था, अभी मैं उन पर चर्चा कर रहा हूं, उन पर जिक्र कर रहा हूं। वो क्यों सी.ए.जी. की रिपोर्ट हमारे लिए आपसे ज्यादा इर्म्पोटेंट है आपके लिए तो पॉलिटिकल एजेंडा, हमारे लिए धर्म है वो सी.ए.जी. की रिपोर्ट। हम उसको पढ़ेंगे, हम सिर्फ सदन की बात नहीं अध्यक्ष महोदय, हमारे लिए सी.ए.जी.

की रिपोर्ट इसी तरह से है, जैसे उसमें हमारी एक–एक चीज पर नजर रखी जाएगी। हम तो खुद ही अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों से कहते रहते हैं कि एक–एक चीज पर नजर रखो। हमने तो एजूकेशन डिपार्टमेंट में प्राइवेट स्कूल के ऑडिटर्स हॉयर करने के लिए हमने कहा सी.ए.जी. के लेवल के ऑडिटर लाओ, बहुत बढ़िया ऑडिटर होते हैं। इतना भरोसा है हमको सी.ए.जी. पर लेकिन अब इसलिए इस लेटर में लिखा है उनको अध्यक्ष महोदय कि आप... कि... मैंने सी.ए.जी. को रिक्वेस्ट किया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के उपर जो आरोप लग रहा है कि 526 करोड़ का ऐड घोटाला कर दिया, आपकी रिपोर्ट, उसको दूध का दूध पानी का पानी कर देगी और अभी तक की जो रिपोर्ट्स आ रही है, विजेन्द्र गुप्ता जी के जो प्रेस रिलीज आ रहे हैं खुद मान रहे हैं कि भैया, 526 करोड़ का घोटाला तो हवाबाजी जुमला था, वो तो जुमला हो गया, वो तो जुमला साबित हो गया सी.ए.जी. की अगर वो रिपोर्ट्स में है तो ये जाने या वो जाने।

अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सी.ए.जी. की रिपोर्ट से दो चीजें साफ हो गई हैं एक तो ऐड डिपार्टमेंट में कोई घोटाला नहीं हुआ। ये इनके अब तक प्रेस रिलीज से और जितनी मीडिया रिपोर्ट्स आयी हैं, उनसे साफ हो रहा है। दूसरा जो 526 करोड़ का वो था और तीसरा ये जो इन्होंने चीजें रखी अभी तक, जो मीडिया में आ रहा है और इनके प्रेस रिलीज में भी कि हमने बाहर बहुत विज्ञापन दिए, कंपेरेटिव स्टडी कर ले देश की किसी भी सरकार से, देश की किसी राज्य की सरकार से, किफायत से, ज्यादा किफायत से पैसा खर्च कर रहे होंगे और कही ज्यादा इफैक्टिव तरीके से पैसा खर्च कर रहे होंगे। गुजरात के, केरल के, तेलंगाना

के विज्ञापन दिल्ली में छप रहे हैं। उनको कम्पेरिजन कर लें और दिल्ली सरकार के सबसे महत्वपूर्ण जनता के साथ संवाद करने वाले विज्ञापन हमने छापे थे, छापे हैं और कैसे–कैसे विज्ञापन छाप रहे हैं हम। हम तो मोहल्ला सभा का विज्ञापन न छापें, हम तो छापेंगे जी और ये कही गाइडलाइन्स में भी नहीं है, किसी ने मना नहीं किया कि आप ऐसे विज्ञापन नहीं छापोगे। किसी ने नहीं कहा। आज हमारा वेट डिपार्टमेंट एक शानदार स्कीम लॉन्च करता है – 'बिल बनवाओ इनाम पाओ।' उसका नतीजा ये होता है कि पूरे देश की राज्य सरकारें ,पूरे देश के फाइनेंस मिनिस्टर वेट कमिश्नर उसकी स्टडी करने आ जाते हैं कि भैया, बताओ क्या हो रहा है? ये तो बड़ा अच्छा हो रहा है। इससे बड़ी टैक्स चोरी रोकी जा रही है। अच्छी बात है! राष्ट्रहित में हो रहा है। हमने कहा कि यहां वेट का फॉर्म अपना ईजी करते हैं। दिल्ली में हम विज्ञापन देते हैं, देश के व्यापारियों को जानने के लिए कि भैया, दिल्ली में व्यापार करना सबसे आसान हो गया है। देश भर के व्यापारी बात करते हैं और साथ–साथ में नागालैंड की सरकार से फोन आता है कि भैया, हमें फॉर्म की कापी भेज दो। हमारे लिए भी बहुत इम्पोंटेंट है। हम भी ऐसा करना चाहते हैं। दिल्ली में तो देश भर के लोग व्यापार करते हैं अध्यक्ष महोदय, आगे अगर मुझे दिल्ली का व्यापार बढ़ाना है तो मुझे देश के व्यापारियों से संवाद करने की जरूरत पड़ेगी और मैं फिर से कह रहा हूं मुझको संवाद आता है, आपको नहीं आता। ये आपकी प्रॉब्लम है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट पेश भी करेंगे और अगर आपकी इच्छा होगी, आपका आदेश होगा तो इस पर चर्चा भी करेंगे और साथ ही वॉर्निंग भी देना चाहता हूं, ''भागिएगा मत। आपको बहुत मंहगी पड़ने वाली है, उल्टी पड़ने वाली है ये रिपोर्ट आपको।''

सुश्री अलका लाम्बाः मैंने आपसे निवेदन किया था कि नेता विपक्ष की जो भाषा थी...

अध्यक्ष महोदय : नहीं विजेन्द्र जी, मैं इस चर्चा को बढ़ाना नहीं चाहता। बैठिए, मैं बाद में दूंगा दो मिनट रूक जाइए।

सुश्री अलका लाम्बाः 24 तारीख को मैंने आपसे निवेदन किया था। आपने मुझे आज का वायदा किया था कि नेता विपक्ष की जो भाषा थी, उसका जो केस प्रिविलेज कमेटी को सौंपा जाएगा, आपने कहा था उसके बारे में मैं आज बताऊंगा जबकि ये बात ऑन रिकार्ड भी आ चुकी है कि गुप्ता जी ने इस सदन को भंग करने की धमकी दी थी और आज जिस कैग की रिपोर्ट लेकर ये गुमराह कर रहे थे, उसमें मंत्री जी ने पूरी अपनी सफाई आज दे दी है और सारे अखबारों की कटिंग है कि किस तरह से गुप्ता जी ने हर अखबार में जाकर कैग की रिपोर्ट की बारीकियों की जानकारी जो अभी तक सदन में नहीं आई, किस तरीके से मीडिया तक पहुंचाई है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि...

अध्यक्ष महोदय : अलका जी, बैठो प्लीज।

सुश्री अलका लाम्बाः अध्यक्ष महोदय, इस पर फैसला जरूर सुनाइएगा कि प्रिविलेज कमेटी को ये केस सौंपा जा रहा है या नहीं सौंपा जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : ये कॉलिंग अटेंशन, मुझे एक सेकेण्ड।

श्री राजेन्द्र पाल गौतम : अध्यक्ष महोदय, स्पेशल ऑडिट किस वजह से है? एक तो जनरल ऑडिट होता है हर साल। ये स्पेशल ऑडिट क्यों हुआ और किसके आदेश पर किया गया? संभवत ये भी पता चल जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : बैठिए। कॉलिंग अटेंशन नोटिस मुझे अलका जी से और सोमनाथ भारती जी से प्राप्त हुआ था जिस विषय पर परसों आपने विषय उठाया था। मैं उसे अभी पूरी तरह से एग्जामिन नहीं कर सका। मैं एक बार एग्जामिन कर लूं फिर उस पर निर्णय लूंगा। अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने सदन की अवमानना की बात की है, नेता विपक्ष के वक्तव्य के आधार पर मैं विजेन्द्र जी से एक बार पूछना चाह रहा हूं ये प्रेस विज्ञप्ति जो दी है, जिसका माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जिक्र किया है, सदन की टेबल पर रखा और परसों जो मेरे आफिस में भी आ गई थी, क्या आपने इसको जारी किया है? मैं ट्विस्ट नहीं करना चाह रहा। मैं सीधा उत्तर पूछना चाह रहा हूं। क्या आपने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है हां या ना बस?

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अब मैं आगे अपनी बात पूरी कहूं...

अध्यक्ष महोदय : नहीं, उसके बाद सुनूंगा।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैं प्रेस को क्या कहूंगा, ये आप तय नहीं कर सकते मेरे को...

अध्यक्ष महोदय : नहीं, बिल्कुल नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ये कोई एकतरफा सुनवाई नहीं है। ये एकतरफा कार्यवाही नहीं है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : कार्यवाही सदन में इस तरह से की जाएगी तो मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : करिए आप निंदा जो आपकी निंदा करते हों।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आपने पूरे सदन की अवमानना है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अगर विपक्ष को इस तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश करेंगे तो प्रचार को उजागर करेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैंने एक क्वेश्चन पूछा है ये प्रेस विज्ञप्ति ...सोमनाथ जी, आप बैठ जाइए। बड़ा गंभीर विषय है। आप दो मिनट बैठ जाएं प्लीज। आप बैठ जाइए। मैं देख लूंगा। अभी मैं एक बार... नहीं, भई ऐसे नहीं होगा।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मुझे मौका दिया जाए आपको उनके कॉलिंग अटेंशन...

अध्यक्ष महोदय : मैं तीसरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं उसके बाद मैं नहीं करूंगा।

अगर आप इसका उत्तर नहीं देंगे, मैं इसको 'हॉ' मानूंगा। मैं तीसरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ये बहुत गम्भीर मामला है। आप करिए, जो मर्जी है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप देखिए, आप अगर प्रिज्यूडिश हो गये हैं तो मैं माफी चाहूंगा। मुझे अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ये सदन की अवमानना का विषय है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : पहले मेरा प्रिविलेज लीजिए। मंत्री जी ने सदन में झूठ बोला।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, वो उस पर वक्तव्य दे चुके है अपना। मैं स्वयं जब मीडिया के लोगों ने मुझे वट्स अप पर वो रिपोर्ट दिखायी, मैं बड़ा पीड़ित हुआ। मैंने उसी वक्त मनीष जी से बात की। पर्सनल बात की कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। लेकिन मैं आश्चर्यचकित रह गया कि ये मीडिया के पास रिपोर्ट कैसे चली गयी! और उसी समय मैंने मीडिया वालों से पूछा, ''भई, ये रिपोर्ट आपके पास कहां से आयी?'' उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति मेरे हाथ में दे दी। मैंने कहा ''इसको कल देखेंगे।'' मुझे नहीं मालूम था कि आपके पास भी प्रेस विज्ञप्ति आ गयी है। मैं फिर एक बार माननीय नेता विपक्ष से आखिरी बार पूछ रहा हूं, ''यस आर नो?''

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हैं। आप मुझे अपनी बात कहने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इससे पीड़ित हूं पूरा। जो पूरे सदन की अवमानना है। देखिए विजेन्द्र जी, मैं एक बात कह रहा हूं। मैं बहुत क्लीयर बात कह रहा हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैं आपके व्यवहार पर अपना खेद व्यक्त करता हूं। जिस तरह से कार्यवाही चलायी जा रही है, मुझे उस पर दुःख है। अगर आप मुझे अपनी बात ही नहीं कहने देंगे... मेरी बात सुनिए।

अध्यक्ष महोदय : देखिए विजेन्द्र जी, मेरी बात सुन लीजिए। आप बैठिए। मैं समय दूंगा। मैं इस बात पर बात कर रहा हूं। मेरी बात सुन लीजिए एक बार। फिर सुन लीजिए एक बार ध्यान से। जिस सदन की मैं अध्यक्षता कर रहा हूं, उस सदन का कोई सदस्य उस सदन की अवमानना करे, मीडिया में जाकर अवमानना करे, सी.ए.जी. की रिपोर्ट को लीक करे।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री नितिन त्यागी : इनके पास कहां से आयी? अगर ये रिपोर्ट लीक हुई है, सर, एल.जी.साहब से भी पूछा जाये। अगर उन्होनें लीक करी हो तो।

अध्यक्ष महोदय : बैठिए। तो विजेन्द्र जी को ज्ञान नहीं है ....एक सेकेण्ड।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : त्यागी जी, बैठिए दो मिनट।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : इन्होने पहले झूठ बोला। ...(व्यवधान)

रिपोर्ट इनके पास थी। सरकार ने XXX[5] है। मीडिया को दी है।

अध्यक्ष महोदय : बैठिए, ये XXX शब्द निकाल दीजिए।

...(व्यवधान)

ये विजेन्द्र जी ने जो बोला है XXX ये शब्द निकाल दीजिए। राजेश जी बैठिए।

श्री राजेश गुप्ता : विजेन्द्र जी क्या कह रहे हो? सोच तो लो। ये चोरी है। इनके पास रिपोर्ट आयी कहां से?

...(व्यवधान)

XXX चिहिनत शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकाला गया।

अध्यक्ष महोदय : राजेश जी, बैठिए प्लीज। मैं टेक अप कर रहा हूं इस विषय को। मुझे टेक अप करने दीजिए इस विषय को।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : त्यागी जी, मैं इस विषय को टेक अप कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चलिए, मैं इसमें रूलिंग दे रहा हूं। मेरे बार–बार रिक्वेस्ट करने पर भी विजेन्द्र गुप्ता जी ने हॉ या ना में उत्तर नहीं दिया। इसलिए ये मामला सदन की अवमानना का बनता है। मैं इसको कमेटी को सौंप रहा हूं।

(श्री विजेन्द्र गुप्ता का विरोध स्वरूप सदन से बहिर्गमन)

विशेष उल्लेख (नियम–280)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र गुप्ता जी चले गये हैं श्री प्रवीण कुमार जी। विशेष उल्लेख पर।

श्री प्रवीण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। आज आपने 280 में मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आज अपने विशेष उल्लेख में दिल्ली के रैन–बसेरों में जिस तरीके से व्यवस्था है, उसके बारे में कुछ बात करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के रैन–बसेरों में जब एक बार मुझे भी लगा कि मुझे एक बार रैन–बसेरे में जाना चाहिए। उस ढंग के सीजन में तो

मैंने रैन–बसेरों में कुछ घण्टे बिताने के लिए गया। उस दौरान मैंने देखा कि जो महिला रैन बसेरे हैं, उनमें सिक्योरिटी की काफी ज्यादा कमी है और वहां पर सिक्योरिटी की काफी ज्यादा जरूरत है। ऐसे कई सारी महिलाएं वहां पर थीं जो अपने आपको असहज और असुरक्षित महसूस कर रहीं थी। अध्यक्ष महोदय, तो मेरी डूसिब डिपार्टमेन्ट से और मंत्री महोदय से भी गुजारिश है कि वहां पर महिलाओं के लिए कुछ सुरक्षा का इन्तजाम व व्यवस्था करायें।

अध्यक्ष महोदय : दलाल जी, बैठिए। प्लीज बैठिए।

श्री प्रवीण कुमार : दूसरी चीज है कि वहां रैन बसेरे में जिस तरीके से सफोकेशन है, मुझे लगा कि कुछ घण्टे बिताऊँ वहां पर रैन बसेरे में। लेकिन मैं तकरीबन दो घण्टे से ज्यादा वहां पर समय नहीं बिता पाया क्योंकि वहां पर इतना सफोकेशन था, इतनी ज्यादा घुटन थी कि वहां पर दो घण्टे से ज्यादा समय बिताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो अध्यक्ष महोदय, वहां पर वेन्टिलेशन का जिस तरीके से रैन बसेरे पोर्टा केबिन डिजाईन हुए हैं, अपने आप में वो सवाल का विषय है। तो इसके बारे में डिपार्टमेन्ट सोचे। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एक और बहुत गम्भीर, अध्यक्ष महोदय थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा एक और गम्भीर प्रश्न जो कि मैंने सेक्शन नियम–54 में लगाया था उसके बारे में एक–दो मिनट आपसे मांगना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से मैंने अपने एम.एल.ए. लैड फण्ड से सौ टेबल जो कि पच्चीस लाख की लागत से दिल्ली के हमारे जंगपुरा विधान सभा क्षेत्र के पार्कों में लगाने की कोशिश की थी, उसमें दिल्ली सरकार के पार्क थे और एम.सी.डी. के पार्क थे अध्यक्ष महोदय। लेकिन जो वो एम. सी.डी. के पार्क में टेबल लगायी गयी, सौ टेबल उसमें से करीब 25 से

50 टेबल एम.सी.डी. ने अपने पार्कों में से उठवा दी और इस बात का हवाला देके जब मैं उनके पीछे लगा रहा कि वो अपने टेबल की कास्ट बता दें, अपने टेबल का एस्टीमेट दें दे। तब उन्होंने टेबल के एस्टीमेट दिये, लेकिन जैसे ही हमने टेबल फ्लड डिपार्टमेन्ट से एस्टीमेट बनवाके एम.सी.डी. के पार्कों में लगवायी, उसके तुरन्त बाद एम.सी.डी. ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एम.सी.डी. ने अपने एक स्पेशल हाउस बुलाके नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि विधायक द्वारा लगायी चीजों को हटायेगा निगम। मतलब विधायक जो है एम.एल.ए. लैडफण्ड से एम.सी.डी. का काम कराये। एम.सी. डी. के पार्कों में जो भी चीजें लगाये, उसे निगम ऑफिसियली आर्डर निकालकर उन चीजों को हटा देगा।

अध्यक्ष महोदय, ये अपने आप में बहुत बड़ा इश्यू है। क्या ये जनता का दिया हुआ पैसा जो जनता के पैसो से जो एम.एल.ए. लैडफण्ड जो कि हम सबको मिलता है, उन पैसों से जो सामान खरीदा जा रहा है, सामान जो पार्कों में लगाया गया था, क्या इतना घमण्ड इन पार्षदों का! जिस तरीके से कपिल भाई ने अभी जिक्र किया था सूर्पणखा का। उसी तरीके से एक–एक धूर्तनखा भी एम.सी.डी. के ये पार्षदों के मन में और पार्षदों के दिमाग में चढ़ चुकी है और मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीने में जो एम.सी.डी. इलेक्शन है, दिल्ली में दिल्ली की जनता ने जिस तरीके से इन सूर्पनखाओं की नाक काटी थी, उसी तरीके से इन धूर्तनखाओं की भी नाक काटेगी। दिल्ली की जनता अपने वोट रूपी तलवार से इन धूर्तनखाओं की नाक काटेगी। अध्यक्ष महोदय, इस बात की मैं आपसे एक और बार गुजारिश करना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये टेबल पार्कों से हटायी गयी हैं। इस पर सदन से एक गुजारिश है कि एक इन्क्वायरी सेट अप कि इस तरीके

से जनता के द्वारा लगाये हुए पैसों का एम.सी.डी. ने जरा से एक लेटर से सारे बेंचों को पार्कों से हटाया है और सिर्फ मेरे ही नहीं, कई सारे ऐसे और भी विधायक हैं, एम.सी.डी. के द्वारा जो आमना–सामना होने के कारण कई सारे लोगों की लाईटें पेन्डिंग है। कई सारे लोगों की बेंचे पेन्डिंग हैं। कई सारे लोगों की टेबलें पेन्डिंग है। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एम.सी.डी. के एन.ओ.सी. के कारण। तो सदन इस चीज को संज्ञान में ले और इस चीज का जवाब तलब एम.सी.डी. से करे।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। माननीय मंत्री जी जवाब देना चाह रहे हैं।

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य ने जो बात बताई है, बहुत ही सीरियस है। जनता के पैसे को इस तरह से बर्बाद करने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। एम.सी.डी. से इसका जवाब मांगा जायेगा और सदन को इसका पूरा जवाब अगली कार्रवाई में दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। श्री एस.के.बग्गा जी।

श्री जगदीप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि हाउस में आप देख रहे हैं। साईज भी कम है क्योंकि लोगों सुबह 11 बजे से निकले होते हैं। तो एक पन्द्रह मिनट का एक अगर हम ब्रेक लें ले तो बढ़िया हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : अभी हम पॉच बजे मिलते हैं। पॉच बजे तक के लिए हाउस स्थगित किया जाता है। धन्यवाद।

(सदन की कार्यवाही अपराह्न 5.00 बजे तक के लिए स्थगित की गयी।)

सदन अपराह्न 5.07 बजे पुनः समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय **(श्री रामनिवास गोयल)** *पीठासीन हुए।*

अध्यक्ष महोदय : श्री बग्गा जी।

श्री एस.के. बग्गा : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 280 पर बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान वैट डिपार्टमेंट के कंप्यूटर सिस्टम की ओर दिलना चाहता हूं। वैट डिपार्टमेंट के कंप्यूटर सिस्टम से दिल्ली के व्यापारियों व प्रोफेशनल्स को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कई व्यापारियों ने वैट जमा करवाया हुआ है लेकिन वह कंप्यूटर सिस्टम में नहीं आ रहा है। व्यापारी की असेसमेंट वैटो ने की, उसमें डिमांड निकाली गई। उस डिमांड के खिलाफ व्यापारी ने ऑब्जेक्शन फाइल कर दिए। ऑब्जेक्शन ओ.एच.ए. ने अलाउड कर दिए। उसके बाद भी कंप्यूटर सिस्टम से डिमांड नहीं हटती जिससे व्यापारी को 'सी' फार्म, 'एफ' व 'एच' फार्म निकालने की समस्या का सामना करना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय,दूसरा वैट डिपार्टमेंट धारा 59(2) के नोटिस व्यापारियों को जारी करते हैं तथा उसमें डिमांड निकाली जाती है। व्यापारी उस ऑर्डर के खिलाफ भी ऑब्जेक्शन फाइल करता है। ओ.एच.ए. ऑब्जेक्शन अलाउड कर देता है, उसके बाद भी कंप्यूटर सिस्टम से धारा 59(2) का नोटिस नहीं हटता है, इससे भी व्यापारी अपने 'सी' फार्म, 'एफ' व 'एच' फार्म नहीं निकाल पा रहा है। उपरोक्त सिस्टम की समस्या दो साल से ज्यादा आ रही है। व्यापारी लोग शिकायत करते हैं, उसका निवारण नहीं होता। वैट डिपार्टमेंट के कई चक्कर लगाने से भी उसकी समस्या का हल नहीं होता।

मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से चाहूंगा कि निम्नलिखित ब्यौरा वैट डिपार्टमेंट से मंगवाए तथा निरीक्षण करवाए। ब्यौरा इस प्रकार हैं:

(1) कंप्यूटर सिस्टम में कितने अधिकारी नियुक्त किए हैं तथा उनकी क्वालिफिकेशन क्या है;

(2) वर्ष 2013–14, 2014–15, 2015–16 व 2016–17 में 59(2) के कितने नोटिस निकाले व कितने की डिमांड निकाली गई;

(3) वर्ष 2013–14, 2014–15, 2015–16 व 2016–17 में कितने 59(2) के नोटिस के ऑब्जेक्शन फाइल हुए;

(4) वर्ष 2013–14, 2014–15, 2015–16 व 2016–17 में कितने 59(2) के नोटिस के ऑब्जेक्शन अलाउड हुए;

(5) सेम वर्षों के ऑब्जेक्शन आलउड होने के बाद 59(2) के कितने नोटिस सिस्टम से हटाये गये;

(6) सेम वर्षों में कितने व्यापारियों ने 'सी' फार्म, 'एफ' व 'एच' फार्म की रिक्वायरमेंट डाली है तथा कितने व्यापारियों को डिपार्टमेंट ने फार्म इश्यू किए हैं; और

(7) सिस्टम की समस्याओं के बारे में कितने लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई तथा कितनी शिकायतों का निवारण किया गया सभी वर्षों में?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि वैट डिपार्टमेंट की सिस्टम की समस्याओं का समाधान करवाएं जिससे दिल्ली के व्यापारियों को राहत मिले। वैट डिपार्टमेंट से सरकार का मैक्सिमम रेवेन्यू आता है, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री नरेश बाल्यान जी, नहीं हैं। वाजपेयी जी।

श्री अनिल बाजपेयी : सर, मेरा एक क्वेश्चन एडिशनल है, इसको मैं शार्ट कर दूं तो क्या मैं उसको लगा सकता हूं सर?

अध्यक्ष महोदय : क्या?

श्री अनिल बाजपेयी : बहुत शार्ट है।

अध्यक्ष महोदय : क्या कहा?

श्री अनिल बाजपेयी : सर, मैंने जो क्वेशचन लगाया है, उसके अलावा एक छोटा सा क्वेशचन और है इसको में शार्ट करके...

अध्यक्ष महोदय : करिये, करिये। अब ये लंबा न करियेगा, प्लीज।

श्री अनिल वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान पूर्वी दिल्ली नगर निगम की ओर दिलाना चाहता हूं। स्पीकर साहब, मेरे विधानसभा क्षेत्र में दो कूड़ाघर थे, ढलाव थे जिनको कांग्रेस के चंद नेताओं के द्वारा रात–रात में उनको डिमोलिश कर दिया गया और कई व्यापारियों के साथ उसमें मिलीभगत की गई। आज गांधी नगर एशिया की बिगेस्ट मार्किट है रेडीमेड गारमेंट्स की और बिलकुल बीच रोड पर पूरा का पूरा कूड़ा वहां पर पड़ा हुआ है, सारा कूड़ा मेन रोड पर वहां पड़ा रहता है। लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। वहां एक कश्यप मोहल्ला है, वहां के सारे लोग बीमार हो रहे हैं। लोगों के घरों में बीमारियां फैल रही हैं। मैंने कई बार ईवन हमको जो सरकारी कार्यालय एलॉट किया गया है, उसके बाद भी ढ़लाव था जब हम लोगों ने धरने की धमकी दी तब जाकर वहां से कूड़ा हटाया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने माध्यम से जो ईडीएमसी के आयुक्त हैं क्योंकि जो बीजेपी के लोग हैं, वो तो सुनते नहीं सर। ये तो आयुक्त महोदय को बुलाकर एक बार उनसे इस बारे में बातचीत की जाए।

दूसरा क्वेश्चन सर मेरा यह है कि गांधी नगर के अंदर अभी पूरी मार्किट बंद रही और गांधीनगर के व्यापारी जो थे, वे सारे व्यापारी गांधीनगर के भूख–हड़ताल पर थे। नौ दिन वहां के व्यापारियों ने भूख–हड़ताल की। इसलिए कि वहां पर कई जो हमारे छोटे दुकानदार हैं, सर, मान लो दस साल पहले किसी ने दुकान दो लाख रूपये की पगड़ी देकर ली, आज दस साल बाद वो दुकान दो करोड़ रूपये की हो गई है। सर आज दो करोड़ रूपये की दुकान अगर वहां पर हो गई है तो वहां के जो लोग हैं, वो उनसे जबरदस्ती खाली कराना चाहते हैं। सर, अभी एक आर्डर के तहत 13 दुकानें वहां पर खाली करवा ली गईं। वहां के व्यापारियों में काफी रोष है और 9 दिन हमारे व्यापारी वहां पर भूख–हड़ताल पर बैठे रहे और उसके बाद बंद का आयोजन किया गया। बंद सफल रहा। पूरी सुभाष रोड मार्किट, गांधीनगर, अशोक गली सारी बंद रही। वहां के लोगों को रोजी–रोटी की समस्या की एक बहुत बड़ी परेशानी आ गई है।

अतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वहां के लोगों के और उनके बच्चों के सुनहरे भविष्य को देखते हुए उनके रोजगार को देखते हुए जरूर कोई न कोई सरकार इसमें कदम उठाये। इसीलिए मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : राजेन्द्र पाल गौतम जी, हां, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री सत्येन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आदरणीय सदस्य ने कूड़े के बारे में बताया, यह बहुत ही गंभीर विषय है। जल्द से जल्द पूरी दिल्ली के अंदर जहां पर भी इस तरह का कूड़ा है, उसको साफ कराया जाएगा। मैं इस सदन को इसके लिए आश्वासन देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री गौतम जी।

श्री राजेन्द्र पाल गौतम : धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं नियम 280 के तहत अपने क्षेत्र की एक समस्या आपके सामने रखूं, इससे पहले मैं एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि सभी सम्मानित सदस्यगण सदन में नियम 280 के तहत अपनी क्षेत्रीय समस्याएं रखते हैं। पहले तो कोई जवाब ही नहीं आता था। जब आपने उसका संज्ञान लिया तो जवाब आना तो शुरू हुआ लेकिन सिर्फ इतना आता है कि भई, इस पर कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद क्या कार्रवाई हुई, ये कभी भी जवाब आता ही नहीं हैं। तो एक तो मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इस पर एक्शन ले कि उसका एक्शन टेकन भी बाद में हमारे पास आना चाहिए कि पता तो लगे कि अल्टीमेटली 280 के तहत उठाने का फायदा हुआ क्या। पूरे सदन के बीच, जी उसका एक्शन टेकन होना चाहिए कि अल्टीमेटली, फाईनली हुआ क्या उस पर, जो नहीं आता है।

...(व्यवधान)

श्री संजीव झा : अध्यक्ष महोदय, सवाल जो लगते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती इसलिए सदन इस पर संज्ञान ले कि अगर कोई अधिकारी काम नहीं करता है तो आपके जरिये उस तक मैसेज पहुंचे और उस पर एक्शन हो ताकि हमारे सवाल का कोई महत्व बन पाये, पिछले डेढ़ साल

में जितने भी क्वेश्चन रखे गये हैं, एक फार्मेलिटी से होती है, क्वेश्चन जाता है, एक क्वेश्चन का जवाब आ जाता है, होता कुछ नहीं है उसमें।

श्री विशेष रविः अध्यक्ष महोदय, ये प्रार्थना है कि अब तक...

अध्यक्ष महोदय : नहीं मेरे पास अभी तक...

श्री विशेष रविः अध्यक्ष महोदय, 2015 के बाद से लेकर अब तक के जितने भी 280 के अन्तर्गत प्रश्न उठाये गये हैं, एक बार सदन की ओर से उन सभी उठाये गये प्रश्नों पर की गई कार्रवाई का संज्ञान सदन ले और वो पूछे की इन पर क्या कार्रवाई की गई है, यह प्रार्थना है हमारी।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, हां।

श्री राजेन्द्र पाल गौतम : माननीय अध्यक्ष जी, मेरी विधानसभा में...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपका नाम बोला था, आप थे ही नहीं। अभी दोबारा नाम लेता हूं भई।

श्री राजेन्द्र पाल गौतम : अध्यक्ष महोदय, मेरी विधानसभा में बहुत सारे पार्क हैं और वे सौ से भी ज्यादा पार्क हैं लेकिन उनमें कुछ पार्क एम.सी.डी. के अधीन आते हैं और कुछ पार्क डी.डी.ए. के अधीन आते हैं। लगभग डेढ़ साल होने को है, मैंने कई बार डी.डी.ए. से भी निवेदन किया, लिखित में भी दिया, एम.सी.डी. से भी निवेदन किया, डी.डी.सी. की मीटिंग में भी उठाया। जो जिला विकास समिति है, मैंने बहुत निवेदन किया कि इन पार्कों को विकसित किया जाए, उनमें मिट्टी डलवाई जाए, खाद डलवाई जाए और आने वाली वर्षा ऋतु से पहले उसमें प्लांटेशन का काम किया

जाए लेकिन बड़े दु:ख के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि वर्षा ऋतु भी खत्म होने को है, हमारे बार–बार निवेदन करने के बावजूद दिल्ली विकास प्राधिकरण ने या ईस्ट दिल्ली नगर निगम ने इस ओर कोई खास कार्य नहीं किया। और केवल इतना ही नहीं, एम.सी.डी. ने, खासतौर पर हमसे कहा कि हमारे पास बजट नहीं है। हमने उनसे कहा कि हम अपने एम.एल.ए. लैड के फण्ड से आपको बजट देने को तैयार हैं। आप इस्टीमेट बनाकर लाइये लेकिन बेहद शर्मनाक बात है कि उसके बावजूद, हमारे आफर करने के बावजूद ईस्ट दिल्ली नगर निगम ने कोई एस्टीमेट बनाकर हमें नहीं दिया और पार्कों की हालत बेहद बदतर है। कोई केयर नहीं की जा रही पार्कों की। वहां लोग पार्कों में कैसे जाएं, किस परपज से ये पार्क बने, इन पार्कों को बनने में उसकी चारदीवारी, ग्रिलिंग वगैरह पर करोड़ों रूपया खर्च हुआ है। आखिर उसका फायदा क्या हुआ जब क्षेत्र की जनता उसका लाभ नहीं उठा पाती! उसमें जाकर बैठ नहीं सकती, उसमें घास नहीं है, पेड़–पौधे नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है

अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इस ओर कुछ सख्त कदम उठाये, बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : हां, मंत्री जी।

श्री सत्येन्द्र जैनः अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य के क्षेत्र में जितने भी डी.डी.ए. के और एम.सी.डी. के पार्क हैं, दोनों संस्थाओं से कहकर सबका विकास किया जाए और ये उनका मूलभूत अधिकार है कि जितने भी पार्क हैं, सभी पार्कों का विकास करवाया जाएगा। एम.सी.डी. के पार्कों का एम. सी.डी. के द्वारा और डी.डी.ए. के पार्कों का डी.डी.ए. के द्वारा। मैं इस सदन को आश्वस्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप एक लिस्ट बनाकर दे दें माननीय मंत्री जी को। श्री सोमनाथ भारती जी।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद आपने मुझे मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं एक षडयंत्र की तरफ इसके जरिये सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जितने भी पी.डब्ल्यु. डी. रोड्स हैं, उसके ऊपर इस तरह का एक इन्क्रोचमेंट, पार्किंग, इल्लीगल पार्किंग, इल्लीगल वेंडर्स और तरह तरह के तरीकों से उसको बिलकुल ही उन्होंने जाम पैक कर दिया है। ट्रेफिक जाम जो लग रहे हैं चूंकि मेरे क्षेत्र के अंदर चार मार्किट्स पर्टीकुलरली जो महत्वपूर्ण हैं, हौजखास मार्किट, ग्रीनपार्क मार्किट, मालवीया नगर मार्किट और सुदर्शन रोड मार्किट, इन चारों रोडों पर जो जाम लगा रहता है, घंटों–घंटों जाम लगा रहता है। मुझे लगता है कि ये जानबूझकर के क्योंकि मिडिल क्लास जिनको हमने अपने अच्छे कामों के जरिये अपनी तरफ आकर्षित किया है, उनको हमारी पार्टी के प्रति उनके मन में कुछ गलत भाव पैदा हो, इसके लिए किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी चूंकि बैठे हुए हैं, मैं उनको बधाई देता हूं कि आन द स्पाट आज 280 का जवाब मिल रहा है क्योंकि सारे सदस्यों की जो मांग थी कि 280 का जवाब आना चाहिए सारे सदस्य आज खुश हैं कि 280 का जवाब आन द स्पॉट मंत्री जी दे रहे हैं। मंत्री जी, जो पी.डब्लु.डी. रोड्स हैं, उसके ऊपर जो होने चाहिए, मैं उसका I'll just tell you couple of features which possibly need to be understood. The roads need to be restored to their original width, road has to have pedestrian path, road has to have worms road has to have adequate street lighting, properly designed drains connected with the trunk-drain. No authorized parking should be there

and parking should be in compliance with the NGT and other court's guidelines. CCTV cameras need to be protected, vendors, tehbazari properly and adequately placed benches installed alongwith pedestarain path specially for the elderly women and children, Piao should be there Bins and toilets at every 100 mtr. distance, a pre-defined site for sticking posters, a Govt. install information board at appropriate places for imparting info. on government schemes and similarly important for greenery both sides and central verges at the roads, sewage and waterlines stretch side of the road that is along the worm are some of the features which should need to be placed. स्पीकर महोदय, आपके जरिये मंत्री मैं गुजारिश करता हूं कि इस पर हमें थोड़ा अवगत करायें कि क्या एम.सी.डी. को परमिशन है कि पी.डब्ल्यू.डी. रोडस पर वो पार्किंग करें अगर नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं उसके लिये? बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : हां माननीय मंत्री जी

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य के प्रश्न के मेनली तीन भाग थे – पहला क्या पी.डब्ल्यू.डी. की रोडस के उपर एम.सी.डी. का पार्किंग का अधिकार है, एम.सी.डी. ऐसा कहती है और मुझे लगता है कि विजेन्द्र गुप्ता जी शायद एम.सी.डी. में रहे हैं, इनको ज्यादा जानकारी होगी पर मेरा ऐसा मानना है क्योंकि पी.डब्ल्यू.डी. रोडस दिल्ली की आर्टिरियल्स रोडस हैं, मेजर रोडस हैं और मेन रोड चलने के लिए होती हैं, पार्किंग के लिये नहीं होती। जहां तक मेरी जानकारी में आया है कि कम से कम सौ जगहों पर इन लोगों ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से एन.

ओ.सी. लेकर पार्किंग बना दी है और जानबूझ कर दिल्ली की सडकों को बंद करने का काम किया है। हम पूरी दिल्ली के अंदर लेफ्ट लेन को बस लेन मार्क करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके लिये पिछले तीन महीने से महामान्य एल.जी. साहब के साथ पत्राचार चल रहा है और मुझे पूरी आशा है कि आने वाले कुछ समय के अंदर जल्दी ही हम लेफ्ट लेन को क्लीयर करा सकेगें। इसके अंदर बहुत सारे वेस्टेड इंट्रेस्ट हैं। कई बारी तो सुनने में आता है कुछ बड़े दुकानदार लाखों रूपये महीना रिश्वत के रूप में कई डिपार्टमेंटस को देते हैं। काफी सारे इसके अंदर वेस्टेड इंट्रस्ट जुडे हुए हैं। तो मैं चाहूगा कि पूरा सदन इसमें सहयोग करे। काफी इलाकों में जैसे हमारे सदस्य ने कहा, समस्या बहुत बड़ी है। जगह जगह जाम लगते हैं परंतु जब भी ये बस लेन लागू होगी जिसमें 2000 का चालान प्रपोजड है तो कुछ दिक्कतों का सामना भी लोगों को करना होगा। तो मुझे लगता है उसके लिए तैयार रहना चाहिये और जल्दी ही इसको लागू करायेंगें।

दूसरा जैसा उन्होंने बताया सड़कों के उपर सॉइनेज ठीक से होने चाहिए। काफी चीजें बताई हैं आदरणीय सदस्य ने। इसके लिये दस सडकों के सैम्पल डिजाइन हमने किये हैं, माडल्स रोड डिजाइन किया है जिनका काम बरसात के बाद स्टार्ट किया जायेगा और दिल्ली की जनता को अगर पसंद आती है तो दिल्ली की सभी सडकों को हम उसके हिसाब से ठीक करेगें। उसके साथ साथ जो एम.सी.डी. ने एक पिछले दो तीन महीने से अभियान चलाया है दिल्ली की सारी सडकों को गंदा करने का, जगह जगह होर्डिंग लगाने का, जगह जगह यूनिपोल लगाने का, इसके बारे में भी ये देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। वे सड़क के ऊपर सेफटी का ध्यान नहीं रखते हैं, कहीं पर भी लगा देते हैं, फुटपाथ को बंद कर देते हैं।

तो कोई देखने वाला नहीं है। वो कहते हैं कि ये तो हमारा राईट है और किसका राईट है, पता नहीं, कहां पैसा जाता है सारा का सारा! ये पूरा ऐडवर्टाइजमेंट से जितना पैसा इकटठा करते हैं, कितने हजारों यूनिपोल इन्होंने लगा दिये हैं! पता नहीं पैसा इनकी पर्सनल जेब में जाता है कि कहां जाता है इस मुददे को भी ...(व्यवधान) आधे नहीं हैं ...(व्यवधान) ज्यादातर ...(व्यवधान) नहीं, वो मेरे संज्ञान में आया है कि पिछले दो तीन महीने से ये बहुत बड़े स्केल पर किया जा रहा है और इसको राजनीतिक पाटियों का संरक्षण भी प्राप्त है। इसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी और मैं हमारे माननीय विपक्ष के सदस्य और नेता प्रतिपक्ष से सहयोग की उम्मीद करूंगा। वैसे तो इस मामले में वो हमारे साथ हैं। पहले भी एक बार उन्होंने कहा था कि आप अनओथराइज कन्स्ट्रंक्शन तुड़वाइयेगा, मैं साथ में खड़े होकर के काम कराऊंगा। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी बोल रहे हैं। ऋतुराज जी मंत्री जी बोल रहे हैं। आप बैठिए।

लोक निर्माण मंत्री : देखियेगा दिल्ली के अंदर अध्यक्ष महोदय, जैसे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी नाड़ियां होती हैं, धमनियां होती हैं। उसमें से कुछ आर्टियल कहते हैं जैसे आर्टरीज होती हैं, ऐसी बड़ी जो सडकें हैं, कम से कम दिल्ली की जो आर्टिरिंयिल रोडस हैं जो कि सौ फुट, डेढ सौ फुट, दो सौ फुट, अस्सी फुट, साठ फुट जिनको की पीडब्ल्यूडी मेन्टेन करता है, मुझे लगता है उनको हमें छोड़ देना चाहिये। कम से कम फर्स्ट फेज के अंदर उन आर्टिरिंयिल रोड को हमें साफ करना चाहिये। उसके अंदर सभी का सहयोग करना चाहिये और मुझे लगता है विपक्ष और पक्ष को भूल के, इसको हमें आगे बढाना चाहिये अदरवाईज जैसे प्रधान जी ने

दो दिन पहले कहा था, कहते हैं दो दो घंटे लगते हैं। अरे! दो घंटे लगते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि लोगों ने गाड़ियां खड़ी कर रखी हैं एक लेन नहीं तीन तीन लेन में गाड़ियां खड़ी होती हैं, पांच लेन की सड़क में तीन लेन तो पार्किग में चली जाती हैं तो इसको हमें सख्ती से करना पड़ेगा जो भी ये मुदद‌ा है, मसौदा है, हो सकता है मैं बुला के लोगों से डिसकस भी करूं और उसके लिये सहयोग की अपेक्षा करेंगें और जल्द ही इसको ठीक करेंगें।

अध्यक्ष महोदय : श्री राजू धिंगान जी।... नहीं, ये सप्लीमैंट्री है। सोमनाथ जी प्लीज। सोमनाथ जी, नहीं, हो गया, ये क्वैशचन नहीं है। श्री राजू धिंगान जी।

श्री राजू धिंगान : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मेरी विधानसभा के सामने एक झील है जिसका नाम है संजय झील। उस झील में सवेरे सैर सपाटे के लिये, मार्निंग वाक के लिये सैकड़ो बुजुर्ग, महिलाएं, नौजवान आते हैं लेकिन उस झील का आधा हिस्सा तो डेवलेप कर दिया गया है। उसका बड़ा अच्छा सौंदर्यकरण किया गया है और पिकनिक स्पॉट के रूप में उसको डेवलेप किया गया है लेकिन आधा हिस्सा जो त्रिलोकपुरी, पुनर्वास कालोनी के सामने का जो हिस्सा है, वो अभी भी पूरी तरह से उपेक्षित है। कभी भी जब उन लोगों से मिलने का मौका मिलता है तो वो हमेशा इसी बात की शिकायत करते हैं कि हमें क्यों उपेक्षित किया गया है, क्यों उपेक्षित रखा जा रहा है? तो बड़े उदासीन हैं। लोग इसको ले के कि एक हिस्सा उसका बेकार पड़ा है तो अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं पर्यटन मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो इस क्षेत्र का जो बाकी का आधा हिस्सा बचा हुआ है झील का, उसको भी विकसित करने का कष्ट करें। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : प्रमिला टोकस जी।

श्रीमती प्रमिला टोकस : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, पर्यटन के क्षेत्र में हम काफी कुछ कर सकते हैं जिससे दिल्ली में पर्यटन बढ़े। जब हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो अट्रैक्शन के साथ साथ हम लोग उस जगह, उस पल को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और यही एक्सपीरियंस को महसूस करने के लिये हम बार बार उस जगह जाना पसंद करते हैं। दूसरे लोग भी वहां उस एक्सपीरियंस को महसूस करने के लिये उस जगह जाने के लिये प्रेरित होते हैं। हमें दिल्ली में भी ऐसी जगह या चीजें करने की जरूरत है जिससे लोग दिल्ली के उस एक्सपीरियंस को याद रखें और बार बार उसे एक्सपीरियंस करने के लिये आना पड़े।

दिल्ली भारत की राजधानी है और हर वर्ष लाखों की तादाद में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक यहां आते हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अडडा होने की वजह से और दिल्ली के समीप आगरा में ताजमहल की वजह से भी दुनिया भर से सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक पहले दिल्ली ही आते हैं। ऐसे में पर्यटन बढाने के लिये कुछ सुझाव हैं कि विदेशों की तर्ज पर ही महत्वपूर्ण तारीखें जैसे 31 दिसंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त इत्यादि पर आतिशबाजी और लेजर लाईट शो का कार्यक्रम किया जा सकता है। इस आतिशबाजी कार्यक्रम को इंडिया गेट जैसे बडे टूरिस्ट स्पॉट पर किया जा सकता है। दिल्ली में एक बड़ा एन्टरटेनमेंट थीम पार्क बनाना चाहिये। दिल्ली में पहले से ही दो तीन थीम पार्क हैं परंतु इनमें से कोई भी इंटरनेशनल स्टैण्डर्ड के अनुकूल नहीं है और न ही अंतर्राष्ट्रीय सेफटी स्टैण्डर्ड के लेवल से है। दिल्ली भारत की राजधानी है ऐसे में कम से कम दिल्ली में तो डिजनीलैंड और यूनिवर्सल स्टूडियो जैसे अंतर्राष्ट्रीय थीम पार्क होना चाहिये। ऐसा होते

ही दिल्ली का नाम भी दुनिया के उन सात आठ शहरों में जुड़ जायेगा जहां ऐसे मनोरंजक पार्क हैं। नजफगढ ड्रेन एरिया में भी पर्यटन से संबंधित कार्य किये जा सकते हैं और उस एरिया को विकसित कर ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पढ़िये, आप पढ़िये प्रमिला जी, पढ़िये।

श्रीमती प्रमिला टोकस : अध्यक्ष महोदय, उस एरिया को विकसित कर वाईल्ड लाईफ एवं मनोरंजन के लिये भी थीम पार्क वगैरह बना कर पर्यटन के लिये डेवलेप किया जा सकता है अथवा बोटिंग भी शुरू की जाये। यमुना में पर्यटन के विकल्प देखने चाहिये एवं बोटिंग भी शुरू की जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रमिला जी ने वास्वतिकता में दिल्ली के विकास की बात की है! मैं बधाई देता हूं, बहुत अच्छे!

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो प्रमिला जी ने जो हमारे से प्रष्न पूछे, प्रश्न नहीं वो सुझाव थे। तो सभी को नोट किया गया है साथ ही साथ मैं चाहूंगा नेता, प्रतिपक्ष थोड़ा ध्यान दें। दरअसल देखिएगा ऐसा है दिल्ली के अंदर लैण्ड, पुलिस एंड पब्लिक आर्डर ये केंद्र सरकार के हाथ में हैं। हम भी मानते है बिल्कुल लैण्ड केंद्र सरकार के हाथ में है परंतु प्लानिंग नहीं है। इन्होंने पता नहीं, क्या जालसाजी की, क्या किया, कैसे किया? सारी प्लानिंग भी कब्जा करके बैठे हुए है। ये सब प्लानिंग के काम हैं। दिल्ली का मास्टर प्लान बनाने का काम डी.डी.ए. का नहीं है और डी.डी.ए. को जरूरत भी नहीं है किसी को कोई जवाब तो देना नहीं। आदरणीय सदस्या ने जो प्रष्न पूछे हैं, डी.डी.ए. का तो कोई अफसर आता नहीं है यहां पर। मुझे ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा सा

वो इस बात से सहमत हों, लैण्ड वो अपने पास रखें, लाला की दुकान बनाकर रखें, बेचें, 100 रूपए गज में जमीन खरीदते हैं, एक लाख रूपए गज में बेचें, जो वो कर रहे है। रोहिणी के अंदर, इन्हीं के क्षेत्र के अंदर ऐसे–ऐसे शॉपिंग कॉम्पलैक्स हैं, जिसको एक्वायर किए हुए 40 साल हो गए है अभी तक उन्होंने ऑक्षन नहीं किए हैं, वो सिर्फ वेट कर रहे है कि कब इसकी कीमत बढ़े। सिर्फ और सिर्फ वो लैण्ड का काम नहीं कर रह है, दुकानदारी कर रहे है, एक बिजनेस कर रहे है। डी.डी.ए. का काम बिजनेसमैन से भी बदतर हो गया है। प्रॉपर्टी डीलर की तरह से काम कर रहे हैं और उतनी ही जमीन एक साल में बेचते हैं जितनी उनकी तनख्वाहें होती हैं। उससे ज्यादा नहीं बेचते परंतु इस बात को हम छोड़ भी दें कि लैण्ड के ऊपर उन्होंने जो भी करना है, करते रहें, जो पैसा कमाना है, जो बेईमानी करनी है, जो करें। सब कुछ करें परंतु मैं चाहूंगा कि जो प्लानिंग का काम है, किसी भी संविधान में पूरा टीबीआर पढ़ लिया, पूरा संविधान पढ़ लिया, एन.सी.टी. एक्ट पढ़ लिया, कहीं पर भी प्लानिंग का काम केंद्र सरकार को नहीं दिया गया। अगर मुझे ऐसा लगता है क्योंकि विजेन्द्र जी भी हमारे साथ एमएलए भी हैं तो मुझे लगता है इसके ऊपर अगर सहमति दर्ज कराएं तो हम मिलकर प्लानिंग का काम दिल्ली सरकार के पास ले सकते हैं और ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। छोटा सा एक्जाम्पल दूंगा – दिल्ली के अंदर आज तक किसी ने भी ये सोचा ही नहीं कि ट्रांसपोर्ट के लिए क्या होगा। पूछा कि कौन करेगा? डी.डी.ए. करेगा। डी.डी.ए. ने तीन रोड प्लान की हुई हैं – अर्बन एक्सटेंषन रोड नं.– एक, अर्बन एक्सटेंषन रोड नं.– दो, अर्बन एक्सटेंषन रोड नं.–तीन। इन तीनों रोडस को बनते हुए 20 साल से ऊपर हो गए हैं, बनते हुए!

जबकि डी.डी.ए. के एकाउंट में 20,000 करोड़ से ऊपर पैसा पड़ा हुआ है, 21,000 करोड़ बता रहे है। वो रोड बनाने में कोई इंट्रेस्ट नहीं है उनका, उनका इंट्रेस्ट ये होता है नई–नई पॉलिसिज बनाने का और बिल्डिर्स को इन्वाइट करने का जैसे कि मैं आपको सदन में बता सकता हूं टी.ओ.डी. पॉलिसी एक है, ट्रॉजिट ओरियेंटिड डेवलपमेंट प्लान। फिर से आपका ध्यान आकर्शित करना चाहूंगा विपक्ष के हमारे नेता, प्रतिपक्ष का ... आपका भी ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे और हमारे जो एक मैम्बर और हैं उनका भी ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, ट्रॉजिट ओरियेंटिड डेवलपमेंट प्लान इसलिए बनाया गया था कि मैट्रो की लाईन के दोनों और 500 मीटर तक ज्यादा डेवलपमेंट किया जा सके, सघन डेवलपमेंट किया जा सके। टी.ओ.डी., उसके अंदर डी.डी.ए. के ऑफीसर्स क्या गुल खिला रहे हैं? कहते हैं इसके अंदर से पब्लिक मतलब सरकारी, सैमी पब्लिक जैसा कि हॉस्पीटल्स, कालेज, स्कूल्स, एंड ट्रांसपोर्ट, ये सब सैमी पब्लिक होता है, इनको बाहर कर दो। क्यों कर दो बाहर कि भाई साहब बिल्डिर हैं गुडगांवा के बिल्डर, नौऐडा के बिल्डर, ग्रैटर नौऐडा के बिल्डर, गाजियाबाद के बिल्डर, उन सबने उनको एप्रोच किया होगा। ये जो बिजनेस करते हैं, मैं सबका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, पब्लिकली कर रहा हूं और ये करेंगे और करेंगे तो हम खूब शोर मचाएंगे कि इन्होंने पैसे खाए हैं और इन्होंने क्या किया है, सबको पता लगना चाहिए और जो भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, इसके लिए बोले कि कितना भ्रष्टाचार चल रहा है वहां पर और कितने पैसे लेकर इसको चेंज किया जा रहा है? किससे पूछ के चेंज किया जा रहा है? प्लानिंग उनका काम तो होना ही नहीं चाहिए, प्लानिंग का मतलब वो वहां पर धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं और जो पैसा लेकर जाता है, उसके लिए प्लान को चेंज करते हैं। मास्टर

प्लान – 2021, अब 2021 आने वाला है। आज तक उनसे फाइनल नहीं हुआ। उनको कोई इसमें इंट्रेस्ट नहीं है। उनका इंट्रेस्ट है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करने का। अगर विजेन्द्र जी क्योंकि सरकार में इनकी बहुत चलती है, इस पर अगर हम लोग सहमत हों तो प्लानिंग का काम दिल्ली सरकार को...

अध्यक्ष महोदय : डी.डी.ए. के मैम्बर भी हैं।

लोक निर्माण मंत्री : मैम्बर भी हैं, नहीं, सहमत हैं प्लानिंग पर...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : कोई कमेटी बनाओ...

लोक निर्माण मंत्री सर एक मिनट, चलो कोई बात नहीं। पता लग गया इनको ऊपर जाकर पूछना पड़ेगा। सर जी, क्या बोलूं? इनके अंदर कुछ दम नहीं है। दम होता तो बोलते अभी यहां पर ...सर, दिल्ली के अंदर ...सर बता रहा हूं ना मै...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी बोल रहे है प्लीज। सोमनाथ जी, माननीय मंत्री जी बोल रहे है प्लीज।

लोक निर्माण मंत्री : सर, इसी घर का ऐसा सदस्य मिलेगा अगर एम.सी.डी. की बात चले तो कहते हैं सारे अधिकार एम.सी.डी. के...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : सर, प्राइवेट मैम्बर का दिन भी है...

अध्यक्ष महोदय : अभी थोड़ा रूक जाइए।...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, ये सबेरे ध्यान देना था आपको, पूरा एक घंटा सुबह खराब हुआ। ध्यान देना चाहिए था।

...(व्यवधान)

लोक निर्माण मंत्री : एक मिनट सुनिये। सर, जवाब सुन लीजिए आराम से। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी सदस्यों को बताना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर, संविधान के अंदर जो संषोधन किया गया था, तीन काम छोड़े गए थे लैण्ड, पब्लिक आर्डर एण्ड पुलिस। प्लानिंग उसके अंदर नहीं था और डी.डी.ए. क्योंकि केंद्र सरकार के अण्डर आता है इन लोगों ने धंधा बनाने के लिए क्योंकि वहां पर बहुत मोटी कमाई होती है, उसको छोड़ना नहीं चाहते। उस पर कब्जा मारकर बैठे हुए है। मुझे लगता है ये प्लानिंग का काम दिल्ली सरकार को दे देना चाहिए। इस पर मुझे लगता है आप जो कार्रवाई कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ाना चाहिए, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री दत्त जी।

श्री श्रीदत्त शर्मा : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मुझे एक कहावत याद आ रही है सर 'अगर किसी भूखे आदमी से पूछा जाए कि भई दो और दो कितने तो वो कहेगा दो और दो चार रोटी। तो सर, हमारा तो यही है कि खजूरी चौक पर बहुत ही ज्यादा जाम रहता है, उसका समाधान किया जाए। क्योंकि वजीराबाद पुल की तरफ से, हरियाणा से भी, यूपी की साईड से भी और हमारे यहां भी कम से कम 5–6 विधान सभा वहीं से पास होकर निकलती है, वहीं से ही और सबसे ज्यादा आबादी इन्हीं विधान सभाओं में हैं तो इसके लिए समाधान निकाला जाए वैसे तो जवाब दे दिया था परसो...

अध्यक्ष महोदय : परसो जवाब दिया था मंत्री जी ने। रैड लाईट फ्री हो रहा है पूरा रोड।

श्री श्रीदत्त शर्मा: जी सर, लेकिन मैं उससे पहले लगा चुका था सर। तो उसका आज ही आया है। ये जवाब दे दिया था, उससे पहले मैं लगा चुका था प्रश्न अपना ये। देखिए सर जो ओ जोन की बात है मेरे विधान सभा में दो गढ़ी गांव और असाम पुर गांव आते हैं। उनमें 75 परसेंट काम हो चुका है 25–25 परसेंट रहता है। ये समझ में नहीं आता तीन साल पहले वे ही अफसर थे जब भी, जब उनमें 75 परसेंट काम हुआ, आज भी वहीं अफसर हैं। आज वो ओ जोन लगा रहे हैं। कभी पर्यावरण का बहाना लेते हैं, कभी एनजीटी का बहाना लेते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा! तीन साल पहले भी वहीं अफसर थे और आज भी वहीं अफसर हैं। अब काम क्यों नहीं हो पा रहे वो हमारे? इस चीज को थोड़ा संज्ञान में लिया जाए और जवाब दिया जाए सर, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दे दीजिए मंत्री जी को एक बार।

श्री श्रीदत्त शर्मा : कम से कम 4–5 बार दे चुका हूं।

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इनके पहले पार्ट का जवाब मैंने प्रधान जी के जवाब में दे दिया था।

अध्यक्ष महोदय : हां, परसो दे दिया था।

लोक निर्माण मंत्री : जो दूसरा पार्ट है, वो प्लानिंग से निहित है और प्लानिंग का सारा काम डी.डी.ए. लेकर बैठा हुआ है। मेरा फिर से रिक्वेस्ट है कि डी.डी.ए. के दो हिस्से किए जाएं, प्लानिंग वाला हिस्सा दिल्ली सरकार को दे दिया जाए और जो प्रॉपर्टी डीलर वाला धंधा है, वो अपने पास रख लें।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती बंदना कुमारी जी। ...नहीं, देखो ये क्वैश्चन ऑवर नहीं है सोमदत्त जी। सारा विषय रह जाएगा।

श्रीमती बंदना कुमारी : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय आज आप आपने मुझे 280 में बोलने का मौका दिया। 280 का सर, आज बहुत ही इंपोर्टेंट मुद्दा और उसमें मैं बताना चाहूंगी जो हमारे क्षेत्र में...

अध्यक्ष महोदय : मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, अभी मुझे समय की सीमा को देखने दो।

श्रीमती बंदना कुमारी : सर, मौहल्ला सभा के अंदर बहुत सारे काम निहित किए गए थे जिसमें 15 काम जल बोर्ड को दिए गए थे। जल बोर्ड के 15 काम का चैक भी डूडा से आ चुका। चैक आने के बाद जल बोर्ड ने वर्क आर्डर भी लगा दिया, एन.आई.टी. लग चुकी। सब लगने के बाद एम.सी.डी. को चैक की मैं कॉपी लेकर आई हूं 9 काम की। 15 काम में से 9 काम की चैक की कॉपी। चैक दे दिए गए हैं एम.सी.डी. को। दिए हुए भी एक महीने से ऊपर हो चुका। आज तक एम.सी.डी. से एन.ओ.सी. नहीं मिल रही है, रोड रिस्टोरेषन चार्ज जो होता है आर.आर. चार्ज वो सारा दिया जा चुका है फिर भी एम.सी.डी. दुर्भावना के तहत काम रोको अभियान में... एक का भी अभी तक एनओसी नहीं आया है। सर, मैं इस सदन के माध्यम से चाहूंगी कि जल्द से जल्द हमें एन.ओ.सी. मिल जाए ताकि क्षेत्र का काम हो सके। बहुत ही इंपोर्टेंट मुद्दा है और हम सब के लिए... एन. ओ.सी. के बगैर वो काम रूकवा देते हैं। एक काम हमारा शुरू हुआ था जो बहुत इंपोर्टेंट था और उसका उन्होंने सारा औजार आदि ले जाकर और लेबर को डरा धमका कर उन्होंने काम रोक दिया। तो प्लीज आज सदन

में बहुत ही एक बार... धन्यवाद देना चाहूंगी जो आज 280 में बहुत ही इंपोर्टेंट मुद्दा और 280 को हम लोग सीरियसली लें और ये सदन इसकी जवाबदेही तय करे, धन्यवाद।

लोक निर्माण मंत्री : **अध्यक्ष महोदय :** माननीय विधायिका ने जो प्रष्न उठाए है बहुत महत्वपूर्ण हैं...

एमएलए फण्ड, काउंसलर फण्ड, एमपी फण्ड, ये जनता की बहुत ही अहम जरूरतों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए दिए जाते हैं। इस फण्ड को हमेशा इमरजेंसी फण्ड की तरह से माना जाता है, इस फण्ड के अंदर किसी भी तरह का अड़ंगा लगाना या उसको ना करने देना एक तरह का क्राइम है, एक तरह का अपराध है। मैं सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि तीनों एम.सी.डी. के अंदर अगर किसी भी तरह का कोई काम रूका हुआ है तो उसे जल्द से जल्द पूरा कराए जाएगा, एमएलए फण्ड के काम के अंदर किसी भी तरह की रूकावट पैदा नहीं की जाएगी। उसको कराने की जिम्मेदारी तीनों एम.सी.डी. की हैं और तीनों एम.सी.डीज की तरफ से मैं आश्वासन देता हूं कि जल्द से जल्द कराया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : भावना जी, ये 280 का विषय है। इसमें सारा ये रह जाएगा।

सुश्री भावना गोड़: लेकिन सर ये अभी हमारे 2–3 विधायकों ने दिल्ली नगर निगम के मुद्दे को लेकर बोला है। हाउस के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है – दिल्ली नगर निगम कमेटी। आपके आशीर्वाद से मैं उसकी चेयरमेन हूं। मैं अपने माननीय विधायक महोदयों से ये कहूंगी कि अगर नगर निगम से किसी प्रकार की परेशानी आपको आ रही है तो आप कमेटी को पत्र

लिखकर के अपने लैटर पैड पर उसको लिखिये तो हम डायरेक्ट कमिश्नर से भी बात कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, इसके बाद आपका आ रहा है 280। 280 नहीं लेंगे क्या? फिर आप छोड़ के जा रहे हैं। सोमनाथ जी के बाद। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा बाकी है कल की। सोमदत्त जी।

श्री सोमदत्त: अध्यक्ष महोदय मेरी विधान सभा में और ये सभी विधान सभाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मुझे ऐसा लगता है सबके यहां ऐसे कुछ केसिज जरूर होंगे जो लोग दिल्ली जल बोर्ड का कनेक्शन लेना चाहते हैं लेकिन उनके पास रजिस्ट्री नहीं है और मेरी विधान सभा में तो ऐसे बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जिनके पास मकानों के प्रॉपर्टी पेपर्स नहीं हैं, वे चाहते हैं दिल्ली जल बोर्ड का वैलिड तरीके से, लीगल तरीके से कनैक्शन लेना। दिसम्बर, 2015 में जब मैंने ये मामला उठाया था जनवरी में, डायरेक्टर रिवैन्यू ने लिखके दिया कि ये फाईल प्रोसैस में है और जल्द ही ऐसे प्रोविजन बनाएंगे कि जिन लोगों के पास भी प्रोपर्टी के पेपर या रजिस्ट्री नहीं है, वे भी कनैक्शन ले पाएं। लेकिन आठ महीने बीतने के उपरांत भी आज तक इस बारे में कुछ नहीं हुआ बल्कि दिल्ली सरकार ने इतनी बढ़िया स्कीम निकाली थी एमनैस्टी स्कीम, बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए इसका फायदा नहीं ले पाये क्योंकि उनके पास लीगल वैलिड क्नैक्शन नहीं था। इसलिए मेरी प्रार्थना है और भी जितने साथी हैं उनके यहां असेम्बली के अंदर भी ये मुद्दा बना हुआ है, बिना प्रॉपर्टी पेपर के भी या ओनरशिप डॉक्यूमैंट रजिस्ट्री के भी इसमें जल बोर्ड का लीगल वैलिड कनैक्शन देने की लोगों के लिए स्कीम लाई जाए ताकि सब लोग इसमें पार्टिसीपेट कर पाएं, सब लोग बिजली और पानी के कनैक्शन ले पाएं। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : अब नहीं प्लीज। लास्ट श्री विजेन्द्र गुप्ता जी।

श्री सुखबीर दलालः नहीं, इनको क्यों बार–बार मौका दे रहे हैं आप?

अध्यक्ष महोदय : 280 में लगा हुआ है इनका।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मेरा 280 है भई!

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मेरा 280 है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दो मिनट, राखी जी प्लीज, कमांडो जी, इनका 280 में है।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ये क्या भाषा है अध्यक्ष जी, ये क्या भाषा है?

अध्यक्ष महोदय : दलाल जी, उधर चलिए। नहीं–नहीं, दलाल जी, आप चलिए, अपनी सीट पर चलिए।

(श्री सुखबीर सिंह दलाल वैल में आए)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, इनसे कहिए, माफी मांगे। मेरी सीट पर आ के ये बदतमीजी कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आपकी सीट पर नहीं आए। मुझसे बात कर रहे हैं। नहीं–नहीं गलत बात है ये। इन्होंने आपकी तरफ देखा भी नहीं है, मुझसे बात की। दलाल जी, चलिए। दलाल जी बैठिए प्लीज। उन्होंने मुझसे बात की है आपकी तरफ देखा भी नहीं है। दलाल जी बैठिए प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी!

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, देखिए इसमें कन्ट्रोवर्सी ना करिए। जो कुछ लिखा है, वो पढ़ दीजिए, भाषण मत दीजिए, प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, देखिए मुझे अपनी बात अगर आप कहने देंगे तो ठीक। जितने सदस्य बोल रहे हैं, आप मेरे से अलग व्यवहार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं मैं एक–एक का शब्द देख रहा हूं। चलिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप मत दीजिए मौका। मैं जो अपनी बात कहना चाहता हूं, मुझे कहने दी जाए। किसी सदस्य को आपने पढ़ने के लिए नहीं कहा। मुझे अपनी बात कहने दी जाए। मैं मुद्दे पर ही बात करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनेंगे। मैंने एक–एक का 280 स्वयं देखा, कोई उससे बाहर नहीं बोला।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैं विरोद्ध स्वरूप कि मेरे साथ इस सदन में दोहरा व्यवहार हो रहा है, मैं विरोध स्वरूप इस पूरे मामले पर अपना विरोध दर्ज करता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कम से कम ये तो मानो कि आज उनको सदन में दो बार पानी पीने की जरूरत पड़ गई। कपिल जी ने उनको दो बार पानी पिलवा दिया। विजेन्द्र जी प्लीज।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे, पहले भी नहीं बोलने दिया, अब भी नहीं बोलने दे रहे।

अध्यक्ष महोदय : 280 में नियम जो है, आप उससे बाहर जाते हैं, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ये जो व्यवहार हो रहा है, मैं फिर एक बार वाक आउट करूंगा इस इश्यू पे। ये जो व्यवहार विपक्ष के साथ हो रहा है, हम इस पर कड़ा विरोध दर्ज करते है और प्राइवेट मैम्बर रैजूलूशन को एवाएड करने के लिए हो रहा है, चलिए।

(सभी विपक्षी सदस्यों का सदन से बहिर्गमन)

श्री सुरेन्द्र सिंह कमांडो : अध्यक्ष महोदय, हम इस सदन में पहले भी लगा चुके हैं, निवेदन कर चुके हैं कि सभी विधायकों का जब भी 280 चलता है, कम से कम एक बार नम्बर आना चाहिए। क्योंकि अपनी विधान सभा का हर एक बन्दा क्वैश्चन यहां लेकर आता है, समय वैसे ही खराब होता है। विजेन्द्र जी तो पहले ही, प्लीज आपसे निवेदन है कुछ ऐसा मत करिए।

अध्यक्ष महोदय : आपसे निवेदन कर रहा हूं बैठिये प्लीज।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमर: तीस सैकेण्ड ले रहा हूं आपसे। इजाजत देंगे आप तो...

अध्यक्ष महोदय : हॉ वो मैंने देखा है एसएमएस, हॉ।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः मुझे लगता है कि उस पर कुछ बात होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आपने भेजा है। मैं देखता हूं उसको। मैं सदन के बीच में रख देता हूं, उनको अभी एक एसएमएस प्राप्त हुआ था, यहीं पर सदन के दौरान जिसमें उनको मारने की धमकी दी है। उन्होंने मुझसे बातचीत की, मुझे भेजा है... चाकू से मारने की। मैं उस पर देखता हूं क्या कार्रवाई हो सकती है। भई जगदीप जी, ये बात नहीं। ये टिप्पणी उचित नहीं है। आप हमारे मुख्य सचेतक हैं। चलिए अब जरा सीरियस...

अल्पकालिक चर्चा (नियम–55)

अध्यक्ष महोदय, अब अल्पकालीन चर्चा नियम–55।

सत्तापक्ष के विधायकों पर दिल्ली पुलिस का कथित मनमाने ढंग से इस्तेमाल तथा दिल्ली महिला आयोग के कार्यालय में छापे के संबंध में श्री जगदीप सिंह जी द्वारा दिनांक 24/08/2016 को प्रारम्भ की गई चर्चा जारी रहेगी। अखिलेश पति त्रिपाठी जी, अनुपस्थित। सोमनाथ भारती जी।

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस टॉपिक पर चर्चा में हिस्सा लेने का मौका दिया,

आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, इस मुद्दे बहुत समय से हम लोग डिस्क्शन करते रहे हैं। पुलिस का जो रवैया है, वो क्यों ऐसा है और किस के इशारे पर ऐसा है, इसकी चर्चा होनी चाहिए और ये सबके संज्ञान में आना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अभी जब आम आदमी के विधायकों की एक–एक करके गिरफ्तारी

हुई और जब कोर्ट के फैसले आए, उन फैसलों के अंदर जिस तरह के स्टेटसमैन्टस, जिस तरह के ऑब्जरवेशन्स कोर्ट के थे, उसको सदन के पटल पर रखना बहुत जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ केसिज के ऑब्जरवेशंस को रखना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय जो सुरेन्द्र सिंह जी का केस था, अगस्त 2015 में जब उनको बेल मिल रही थी तो कोर्ट ने यह कहकर उनको ज्युडिशियल कस्टेडी के रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया कहाः None of the offences for which they have been booked where punishable jail term for more than 7 years and there was no chance of their absconding or feeling from justice further the statement of the witnesses under 164 from Cr pc have already been recorded also the accused are not required for the purpose of custodian interrogation or for the purpose of affecting any recovery further more वो बड़ा interesting है। furthermore, it has been avert that this cases actuated by political vendetta, Hon’ble Speaker sir, what is absolutely categorically clear in all these observations of the court’s that police has reduced to be a political tool in the hands of BJP this moment, Hon’ble speaker sir, further in the case of Sh. Manoj Kumar in July, 2015 when the session court granted bail to our MLA Sh. Manoj Kumar ji in a cheating land grabbed case, the observation was as the investigation in the case was over, there was no need to keep him in jail. It appears that there was reasonable ground to believe the accused person who involved in so and so Sections but the arrest was not so required.

अध्यक्ष महोदय, पुलिस एक है, कानून एक है, संविधान एक है, सीआरपीसी एक है, दिल्ली पुलिए एक्ट एक है, लेकिन जो ट्रीटमेंटस हैं,

आम आदमी पार्टी का एमएलए हो, एक प्रिविलेज कम्पलैंण्ट पर, एक प्रिविलेज एलीगेशन पर पहले उनको एरेस्ट कर लेते हैं। जबकि मेरे पास सबूत है अगर वो पर्सन जिस पर एलीगेशन हो, अगर वो भा.ज.पा. का हो, कांग्रेस का हो तो क्या ट्रीटमेंट मिलता है, मैं आपको अभी दिखाने का प्रयास करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मेरे पास एक कम्पलेंट है। शकुन्तला नाम की एक महिला हैं उन्होंने कांग्रेस के एक नेता जितेन्द्र कोचर जो मेरे क्षेत्र के पार्षद के हसबैंड है, उनके खिलाफ लैण्ड ग्रैब का एलीगेशन लगाकर और सीरियस एलीगेशन है, एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत, लैण्ड ग्रैब का मुद्दा, ऑनरेबल स्पीकर सर, लेकिन उस पर अरेस्ट नहीं होता एफ.आई.आर. दर्ज नहीं होती। क्या होता है कि ऐसी एक रिपोर्ट आती है। ये रिपोर्ट ऑनरेबल एल.जी. महोदय के ओ.एस.डी. ने चिट्ठी लिखी ज्वाइंट कमिश्नर आफॅ पुलिस को कि जी, इसमें इसकी जांच करें। कम्पलेंट की तहकीकात करें और कम्पलेंट की तहकीकात करते करते क्या हुआ कि जो कम्पलेनेण्ट है, उसके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कर दिया। तो अगर ये लीडर आम आदमी पार्टी का न होकर भा.ज.पा. या कांग्रेस का हो तो उसको ये वी.आई.पी. ट्रीटमेंट मिलता है। एक कम्पलेंट पर एफ.आई.आर. दर्ज नहीं होती, उसकी बाकायदा एल. जी. महोदय के आफिस से इंस्ट्रक्शनस गए कि ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर इसकी जांच करें और इसकी तह तक जाएं और उसमें जिस तरह के फाइंडिंग्स ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर दे रहे हैं, वह बड़ा आश्चर्य करने वाला है! कहता है कि श्रीमती शकुन्तला father Sh. Jagdish Smt Indu’s brother in law he also claimed his ownership in the said property and filed a civil suit against Smt. Indu through his son Sh. Ranjeet Singh. The said

suit is pending in learned civil court Saket and Sh. Prem Nath Batra who is basically a proxy of that congress leader has also become a party in the said suit. ये झूठ है ! क्योंकि मेरे पास यह केस आया था और बाकायदा झूठ है। तो पुलिस का जो दोगला रवैया है, ये जो दोहरा चरित्र दिख रहा है, ये क्यों है? आम आदमी पार्टी का विधायक हो तो उसे आप बगैर जांच किये, बगैर पड़ताल किये, किसी को 10 दिन के लिए बंद कर दो, किसी को 12 दिन के लिए बंद कर दो, किसी को 5 दिन के लिए बंद कर दो और बकायदा षडयंत्र रचकर। कई ऐसे विधायकों को बंद किया गया कि वो कम्पलेंट के अंदर कुछ नहीं था। 164 स्टेटमेंट के अदंर इम्प्रूव कराया गया। जो कम्पलेनेण्ट को लाकर, 164 स्टेटमेंट में इम्प्रूव कराकर और कहा गया कि नहीं–नहीं, अब तो ऐसी धारा लगती है जैसे दिनेश मोहनिया जी के केस में हुआ कि जी कम्पलेंट के बेसिस पर वो एरेस्ट नहीं बनता था। because there is bailable offence. लेकिन 164 स्टेटमेंट में इम्प्रूवमेंट कराकर नॉन बेलेबल ऑफेन्स लगाकर उनको एरेस्ट कर लिया गया और जिस तरह से उनको घसीटकर ऑफिस से ले जाया गया, वो हम सबने देखा।

अध्यक्ष महोदय, पुलिस ऐसा क्यों ऐसा बिहेवियर कर रही है? उसका कारण क्या है?

अध्यक्ष महोदय, मेरे पास एक और केस आया था। भा.ज.पा. के सीनियर नेता आरपी मेहरा का। आर.पी.मेहरा के खिलाफ बाकायदा कम्पलेण्ट डिटेल में आया । डी.सी.पी. ऑफिस में रजिस्टर्ड है। महिला की कम्पलेंट है। जान से मारने की धमकी दी गई। के–वन, हौजखास प्रापर्टी को खाली करवाने के लिए दी गई है। लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय,

मैने आपको दोनों, कांग्रेस का भी सबूत दे दिया और भा.ज.पा. का भी सबूत दे दिया। दोनों पार्टियों में जो पति–पत्नी का रिश्ता हम बार–बार कहते हैं, फिर साबित होता नजर आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ बदले की भावना से पॉलिटिकल वेन्डेटा से कोर्ट केऑब्जर्वेशनस लेफ्ट, राइट सैण्टर उनके अगेंस्ट है, हर अरेस्ट के बाद! उसके बावजूद पुलिस का जो मिसयूज हो रहा है, जो सीबीआई का मिसयूज हो रहा है, जो एंटी कप्शन ब्रांच का मिसयूज हो रहा है, इसके प्रति आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप इसमें इसका संज्ञान लें और इस पर जो कुछ भी आपसे बेहत्तर बन सकता है, उसे करें।

अध्यक्ष महोदय : अब कन्क्लूड करिए सोमनाथ जी, बहुत लम्बा हो जाएगा। प्लीज। कन्क्लूड करिए।

श्री सोमनाथ भारती : तो पुलिस का एलीजिएन्स है, चूंकि यह मुद्दा चर्चा के लिए है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं मान रहा हूं।

श्री सोमनाथ भारती : आप कन्क्लूड तो करवा लेगें मुझसे लेकिन जो मुद्दा, जो बातें आनी चाहिए सदन के पटल पर, उनका आना जरूरी है। पुलिस का जो मिसयूज है, वह क्यों है? पुलिस की एलीजिएन्स आज तक सरकार में बैठे आकाओं के प्रति है। उनका एलीजिएन्स न तो संविधान के प्रति है, न यहां के कानून के प्रति है, न जनता के प्रति है ! अगर किसी नेता ने जो सत्ता पक्ष का है, कह दिया कि भई, इसको अरेस्ट कर लो तो किसी न किसी तरीके से उसको अरेस्ट कर लेंगे। मुझे लगता है कि हम सब साथियों को, जितने साथी विधायक बैठे हैं, चूंकि ब्रिटिश के

जमाने से जो पुलिस थी, वो आज वही है। कानून वहीं है, तरीका वही है, उनका रवैया वही है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे याद है मैं एक कोर्ट के एक मामले में अर्ग्युमैण्ट कर रहा था तो ए.सी.पी., पटियाला हाउस का कोर्ट में स्टेटमेंट यह था कि आप answerable to the people sitting in power. I am answerable to rulers in the country जो ये बकायदा चूंकि एक बड़ा चर्चा का विषय है और बड़ा मुद्दा है ये कि ये जब–जब जिस किसी के पास पुलिस रहेगी, उसका रवैया विपक्ष में बैठे लोग या वो लोग जो कि ईमानदारी से अपना काम करना चाहते हैं, वही होगा जो आज हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय हम सब साथियों को मिलकर, मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि एक बड़ा मुद्दा है कि पुलिस को पॉलिटिकल डॉमिनेन्स से फ्री किया जाए। अगर पुलिस पॉलिटिकल डॉमिनेन्स से फ्री हो जाती है तो पुलिस का रवैया जनता के प्रति, सच्चे ईमानदार लोगों के प्रति वो होगा जो कि संविधान कहेगा, जो देश का कानून कहेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं लेकिन मै मंत्री जी चूंकि होम मिनिस्टर बैठे हैं यहां पर, उनसे गुजारिश करूंगा कि पुलिस के साथ ये मुद्दा लें। मैंने आपको बकायदा दो केसेज मेरे पास हैं एक आर.पी. मेहरा के खिलाफ है, एक जितेन्द्र कोचर के खिलाफ है। उन दोनों केसेज में ज्वाईंट कमिश्नर ऑफ पुलिस क्लीन चिट दे रहे हैं। क्लीन चिट कैसे दे रहे हैं बगैर एफ.आई.आर. के, बगैर जांच के? और ये आम आदमी पार्टी का एम.एल.ए. होता तो उसको अरेस्ट कर लेगें। इस तरह का रवैया, मुझे लगता है हम सब साथियों को गृह मंत्री के आगे लेकर आना चाहिए। बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री राजेश ऋषि जी।

श्री राजेश ऋषि : अध्यक्ष जी आपने नियम 55 के अन्तर्गत जगदीप जी द्वारा उठाए गए अल्पकालिक चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत–बहुत धन्यवाद। देश के अंदर दिल्ली पुलिस को सबसे अच्छा माना जाता था। आज दिल्ली पुलिस की स्थिति यह हो गई है कि दिल्ली में रेप बढ गए, चोरियां बढ गई, कारों की चोरियां बढ गई, अपराध बढ गए और जगह–जगह वसूली बढ गई है। लेकिन दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर रही है। केवल वो काम कर रही है आम आदमी पार्टी के विधायकों को पकडने का, उनको फंसाने का। मैं आपको अपने बारे में बताऊं। मेरे खिलाफ एक केस फाईल किया गया। केस किस का था? 2004 से दो महिलाओं की आपस की लड़ाई आस–पड़ोस की! जब वो अपना केस लेकर थाने में जाते हैं तो उसमें मेरा नाम बीच में डाल दिया जाता है। मेरे नाम में खाली यह लिखा जाता है कि विधायक राजेश ऋषि एक महिला का साथ दे रहा है और वो महिला इसके इशारे पर काम कर रही है। इसके बिहाफ पर ही ऊपर वाले मुझे ढूंढना शुरू करते हैं। मैं ऑफिस में बैठा हूं और बाहर हल्ला मचाया जाता है कि राजेश जी आफिस छोड़कर भागे हुए हैं। 20 तारीख को ये केस होता है। मुझे प्रेस से एक प्रेसमैन का फोन आता है दैनिक जागरण से कि ऋषि जी, आपके ऊपर केस हुआ है। मैने कहा कि कहां? वो बोले जनकपुरी थाने में। मैने ऐसा तो कोई काम नहीं किया जिस पर केस होगा। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। तीन दिन बाद 'आज तक' वाले का फोन आया कि ऋषि जी, आपके ऊपर कोई केस हुआ है और एफ.आई.आर. है जो जनकपुरी थाने में है। मैं जब पता करता हूं तो मुझे पता चलता है कि हां, मेरे ऊपर ही केस हुआ है। धारा 384, 385 समथिंग ऐसी तीन–चार

धाराएं लगाई हुई हैं और उसके बिहाफ पर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। मैने कहा कोई बात नहीं, जब मैने कुछ किया नहीं तो मुझे डर किस चीज का? हमारे इतने विधायक हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया, अरेस्ट हुए, पुलिस ने तंग किया और कोर्ट ने ईमानदारी के साथ उनको छोड़ा। ये स्थिति है इस समय दिल्ली पुलिस की ! (डब्ल्यु 600 जारी) दिल्ली पुलिस के ज्वाईंट सीपी ने एक मीटिंग बुलाई हम लोगों के जीतने के बाद जिसमें हमारे 12–13 विधायक थे। 14 थानों के थाना ईंजार्च थे और डी.सी.पी. सब थे। मुझे लगा के मैंने दिल्ली पुलिस की मीटिंग के अन्दर बहुत खिचांई की थी। मैंने उनसे साफ कहा था कि 100 नम्बर डायल करो तो दिल्ली पुलिस नहीं आती, एस.एच.ओ. को फोन करो तो वो नहीं पहुंचता। घर के आगे अगर दो इंटें और चार बोरी सीमेंट और रेता डाल दो तो पुलिस वाले पहुंच जाते हैं। क्या पुलिस की काम करने कि शैली बदल गई है? क्या वो सूंघने पर चलने लगे हैं? मैंने कहा कि जगह–जगह अपराध हो रहे हैं, जो आदमी फोन करके पुलिस को बुलाता है, उसी के ऊपर केस बन जाता है। एक छोटी सी हमारे यहां पे एक घटना घटी। एक घर के अन्दर तीन से चार महीने के अन्दर दो बार चोरियां हो गई, उनके घर हुआ क्या कि उनके घर में किसी के हार्ट अटैक हुआ। घर के तीन मेम्बर थे, जब वो अस्पताल जाते हैं, अस्पताल से वो एक घण्टे में वापस लोटते हैं तब वो देखते हैं कि पूरा घर खाली और दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर रही। मैंने उनसे यही पूछा एसएचओ से कि आप एक चीज बातइए? जब किसी के घर में चोरी होती है, आप किसी भी इंसान से पूछिए वहां के रहने वाले से। वैसे तो वो कहेगा यहां के चौकीदार को पकड़ो, यहां पे प्रैस वाले को पकड़ो, वो आपको बताएगा। इन्होंने किसी को नहीं पकड़ा और उस क्षेत्र में लगातार

चोरियां हो रही है। मैंने ज्वाइंट सीपी साहब से यही कहा कि क्या दिल्ली पुलिस मिल के चोरियां करा रही है जो आज तक अपराधी पकड़ा नहीं जा रहा? तो ये स्थिति है दिल्ली पुलिस की! इमरजेंसी में दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल किस लिए किया गया था राजनीति कारणों के लिए। मुझे लगने लगा है कि दिल्ली के अन्दर भी एमरजेंसी के हालात पैदा किए जा रहे हैं और एक एक करके आप आदमी पार्टी के विधायकों को पकड़ा जा रहा है, झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने गलत कुछ किया नहीं। ऊपरवाला जानता है कि जो कोई गलत नहीं करता, उसके साथ गलत हो नहीं सकता। हम झुकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं और डट के मुकाबला करेंगे। यही मैं कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस के ऊपर हमारे गृह मंत्री जी बैठे हैं, इनके ऊपर जो कार्रवाई ये कर सकते हैं हमारे सदन के माध्यम से, वो जरूर की जाए। उनको बुला के पूछा जाए या फिर हो क्यों रहा है? जय हिन्द जय भारत।

अध्यक्ष महोदय : सरिता जी।

श्रीमती सरिता सिंह : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बहुत ही इंपोर्टेंट इश्यू पे आपने मुझे बालने का मौका दिया है। अभी ज्यादातर जो डिस्कशन है, वो ये है कि दिल्ली पुलिस किसी तरह आम आदमी की पार्टी के विधायकों को बिना वजह, बिना किसी सबूत के, बिना किसी तथ्य के गिरफ्तार करने में तुली हुई है। क्योंकि मैंने परसों भी यही बात कही थी कि इनका एजेंडा ही यही है। हम इसको बार बार क्यूं कर रहे हैं कि ये सुधरेगी! हम उनसे सुधरने की उम्मीद ही न करें। क्योंकि इनका एजेंडा ही यही है इनको उनको

यह अभी सीधा सीधा निर्देश दिया हुआ है उनके हाई कमान मोदी सरकार ने, मोदी जी की दिल्ली पुलिस ने, मोदी जी के एल.जी. साहब ने सीधे सीधे निर्देश हैं कि दिल्ली में बलात्कार हो रहे हैं, होने दो। दिल्ली में चोरियां हो रही हैं, होने दो। दिल्ली में डकेती डलती है, डलने दो। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का विधायक अगर छींक भी मारता है तो उसके खिलाफ एफ. आई.आर. करो और जेल भेजो। ये उनका काम है। वो अपना काम कर रहे हैं। ये उनका एजेंडा है डेट इज यूअर डेट इन मैं ट्वीट करूंगी अभी। मैंने निर्भया के लिए लाठी खाई है। मेरा हर पल कोई निर्भया न हो, ये सुनिश्चित करने में लगता है। मैं एक आंदोलनकारी हूं, किसी एफ.आई.आर. से नहीं डरती। कम–से–कम हम यहां बैठे हुए विधायक एक दूसरे की आवाज तो बुलंद कर रहे हैं पर वहां महिला आयोग में एक ऐसी महिला है जो सच में पहली बार महिला आयोग के मतलब को सिद्ध कर रही है! आज तक आयोग का मतलब हम सब, चाहे जितनी भी सरकारें बनी हों, आज तक आयोग का मतलब था कि हम किसी एक व्यक्ति को ऑबलाईज करते हैं, हम उसको ऑनरेरी पोस्ट देते हैं ताकि वो ऑबलाईज हो जाए और वो चुपचाप बैठा रहे। जिस तरह दिल्ली में हमारी सरकार आने के बाद में, लोगों ने दिल्ली के एल.जी. नजीब जंग को जाना क्योंकि वो दिल्ली की सरकार बनने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह पूरे देश के मुख्यमंत्री आज वो सोचते होंगे कि हमने क्या अपराध कर दिया कि दिल्ली का ही एक मुख्यमंत्री है, पूरे देश में रहता है जो न्यूज में रहता है! क्योंकि चुनौती वही दे रहा है, क्योंकि वो कम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है। उसी धारणा से आज हमारी दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन स्वाती मालीवाल जी काम कर रही है! नौ साल तक बरखा शुक्ला जी जिनका आज शायद बहुत सारे

लोगों ने नाम भी न सुना हो, नौ साल तक वो महिला आयोग की अध्यक्षा रही पर नौ साल में केवल मात्र एक केस सॉल्व किया उन्होंने। एक नौ साल में! और स्वाती मालीवाल जी जिनको हमारी सरकार दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बनाता है, वो एक साल के अन्दर 4 सौ से ज्यादा केस सॉल्व करती हैं, 50 से ज्यादा रिक्मंडेशन और रिक्मेंड किया और रिक्मंडेशन देती नहीं हैं, रिक्मंडेशन को फाइलों में डाल के केवल आगे बढ़ाती नहीं है, उस रिक्मंडेशन का फ्लोअप लेती हैं। अगर आज दिल्ली में ये कानून आया है कि एसिड अटैक विक्टिम को नौकरी मिलनी चाहिए तो वो महिला आयोग हमारी महिला आयोग स्वाती मालीवाल जी कि देन है। उन्होंने जबरदस्ती ये फैसला करवाया और क्या ये गलत था? एक लड़की जिसकी जिंदगी को एसिड फैंक के बर्बाद कर दिया जाता है अगर उसको नौकरी मिले तो क्या वो गलत है? क्या गलत किया स्वाती मालीवाल ने! पर उन्होंने ये काम किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये आर्डर पास करवाए कि जो मुआवजे का रकम है वो 7 लाख रुपये तक किया जाए, क्या गलत है? पर उन्होंने काम किया। जब डेढ़ साल पहले जब महिला आयोग चलता था तो हफ्ते में सात दिन में एक बार खुलता था एक बार! अध्यक्षा वहां आए न आए, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज हमारा महिला आयोग हफ्ते में सात दिन में छः दिन काम कर रहा है। ये अपराध है सर स्वाती मालीवाल का! क्योंकि वो वहां पे केवल महिला आयोग की अध्यक्षा एक हॉनर्री पोस्ट के लिए नहीं आई थी, वो कुछ करने आई थी। हम दिल्ली को बार बार ये बोलते हैं कि दिल्ली रेप कैपिटल है, दिल्ली रेप कैपिटल है, दिल्ली रेप कैपिटल न रहे, उसको ले के वह दिन रात प्रयास कर रही हैं। लेकिन एसीबी ने क्या किया? उनके खिलाफ छापा मारा! इसके पहले जब दिल्ली

महिला आयोग की अध्यक्षा थी, वो एम.एल.ए. और दिल्ली महिला आयोग, दोनों की सैलरी लेती थी। उनके खिलाफ कभी ए.सी.बी. ने कार्रवाई नहीं की। क्यूं नहीं की? क्योंकि नीयत की नहीं थी उनकी कि इनके खिलाफ कोई एक्शन करना चाहिए पर इनको ये लगा कि ऐसे कैसे दिल्ली में काम होने लगा! दिल्ली के मुख्यमंत्री भी काम कर रहे हैं, दिल्ली के विधायक भी काम कर रहे हैं।

दिल्ली में अमानत भाई को वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाता है। ये भी डी.डी.ए. के पीछे पड़ गए कि 1100 बीघा जमीन कैसे ले ली। दिल्ली में महिला आयोग की चेयरपर्सन स्वाती मालीवाल जी को बनाया गया, ये भी काम रही हैं। ऐसे कैसे लोग हैं! ये सब काम कैसे कर रहे हैं! तो दर्द है इनके पेट में, ये इनके पेट में जो दर्द है वो मजबूर कर रहा है बार बार कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को, आम आदमी पार्टी सरकार ने जिन लोगों को आयोगों में बैठाया है, उन लोगों को किस तरह परेशान किया जाए, उनको डिमोरलाइज किया जाए। पर ये समय है और मैं इनको यही बता देना चाहूंगी कि आज जो 67 लोग जो यहां बैठे हैं, मैं उन तीन की बात नहीं कर रही, उनको खत्म करूंगी। मैं एक मूल धारणा बताना चाहती हूं कि हां, आंदोलन से आए हैं। हम जंतर मंतर और रामलीला मैदान से आंदोलन करके, एक पार्टी के नेता ने बहुत गलती की थी ये बोल कि आंदोलन करके कानून नहीं बनाए जाते। चुन के आओ। चुन के आए, दिल्ली विधान सभा में बैठे हैं चुन के। हमारी सरकार केन्द्र में बनेगी और तब हम देखेंगे कि ये लोग अब हमें काम कैसे नहीं करने देते हैं जय हिन्द।

अध्यक्ष महोदय : श्री जरनैल सिंह जी (तिलक नगर)।

श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर) : धन्यवाद अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय : एक सैकण्ड जरनैल जी। सदन का समय साढ़े छः बजे तक बढ़ाने का प्रस्ताव है स्वीकृति चाहिए आप सबकी।

(सदस्यों द्वारा सहमति प्रकट करने पर)

अध्यक्ष महोदय : चलिए।

श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर) : अध्यक्ष जी, इस चर्चा में समय देने के लिए धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आज इस सदन के सामने दो मिसाल हैं – एक तो दो दिन पहले का किस्सा है कि किस तरीके से केन्द्र सरकार ने जो जी.एस.टी. का बिल लागू किया, उस पर दिल्ली विधान सभा में एक सकारात्मक तरीके से चर्चा करके, सब साथियों ने अपने विचार रखे। दूसरी तरफ वो बिल हैं जो दिल्ली की जनता के हित में थे। कोई दिल्ली के लोगों की स्वास्थ्य से, कोई शिक्षा से ऐसे अलग–अलग दिल्ली के लोगों की जरूरतों और से सहूलियत से जुड़े हुए थे। वे बिल किस तरीके से केन्द्र सरकार द्वारा रिजेक्ट कर दिए गए! तो कहां पर क्या बदले की भावना से काम हो रहा है, हम अच्छी तरह जानते हैं। इसमें अपनी समझ ने वाली बात है अध्यक्ष जी, वो ये है कि 2014 में केन्द्र में सरकार बनी। बड़े–बड़े वादे करके जी दस सर ले के आयेंगे, 5 लाख रूपये देंगे, ये करेंगे वो करेंगे और लोग इन्हीं में 15 लाख हां जी, आए तो 5 रूपये भी नहीं। नौ महीने में अध्यक्ष जी, जब जनता ने देख लिया कि वो खाली बातें थी तो उसका जवाब दिल्ली के लोगों ने जो दिया जो दस सर लाने की बातें करते थे, पाकिस्तान को करारा जवाब देने की बात करते थे। वो पाकिस्तान केक काटने पहुंच गए चुपचाप और वहां जा के क्या बात करते हैं जी,

हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, हमें लगता था पाकिस्तान है। पर वो पाकिस्तान को भूल गए उनको सबसे बड़ा दुश्मन आम आदमी पार्टी और अरविन्द केजरीवाल लगने लगे। तो वहां जा के सेटिंग कर आए हम तो पहले इनको ठिकाने लगा लें उसके बाद आपस में बातचीत कर लेंगे। वो सिलसिला जारी रहा जी। उसके बाद सबने देखा कि पठानकोट हमले में भी क्या हुआ! वहां पर पाकिस्तान ने ही हमला किया, पाकिस्तान से ही जांच करा दी क्योंकि सारी की सारी एजेंसीज अध्यक्ष जी, जितनी देश की सुरक्षा के हित में लगनी थी – सी.बी.आई., ई.डी., रॉ, ए.सी.बी. जितनी भी ताकतें थीं, इस तरीके की सारी की सारी आम आदमी पार्टी के विधायकों के पीछे लगा दीं। दिल्ली की पुलिस को ये मतलब नहीं है कि दिल्ली की जनता सुरक्षित है या नहीं है, दिल्ली की पुलिस को ये मतलब है कि दिल्ली के विधायक सुरक्षित नहीं रहने चाहिए और ये जो दुश्मन बने हुए हैं इसमें जैसे सरिता बहन ने बोला कि कोई इसमें ये प्रश्न नहीं उठता कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसकी हम निन्दा करते हैं। ये तो ड्यूटी मिली हुई है इनको। ये तो इनकी जिम्मेवारी बांध दी गई है कि विधायकों के ऊपर तुमने सख्त से सख्त से कार्रवाई करनी है, बिना बात के करनी है। शुरूआत मेरे से ही हुई थी जी अप्रैल 2015 में, उसके बाद सिलसिलेवार आप देख रहे हैं 12–13 साथियों को उसके बाद उठाया, गिरफ्तार किया, किस तरीके से परेशान किया और दूसरी तरफ अध्यक्ष जी, सबने देखा सारे चैनल्स के उपर चला कि हमारे एक भाई निगम पार्षद को किस तरीके से वहां इन्होंने प्रोग्राम के बीच में मारा। मैं पूछना चाहता हूं कि रामलीला मैदान के उस मसले पर किसको गिरफ्तार किया? आज तक क्या कार्रवाई हुई? हम फिर से बार–बार वही बात बोलेंगे। तो इन्टेंशन तो साफ है अध्यक्ष जी। इस

चीज पे चर्चा करने का कोई विषय आशय था। हम बार—बार एक ही बात करें। मैं अपनी तरफ से बेहिसाब ऐसे मामले जहां पर साफ—साफ सांसद ने इनके ऊपर इतने सारे इनके सांसद बैठे हैं, जिनके ऊपर इतने सारे मुकद्दमें हैं! अगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पर फिर भी बात ये हजम नहीं हो रही कि ये जनता कहां से आकर विधानसभा में बैठ गई! ये काम क्यों कर रही है जनता के! ऐसे काम क्यों होने लगे! जनता तो इतने सालों से बेवकूफ बन रही थी, बनती रहती। जनता जाग कहां से गई? तो वो सारी चीजें तो अध्यक्ष जी, सबको साफ—साफ समझ में आ रही हैं। मैं अपने सारे साथियों की तरफ से अपनी तरफ से कहना चाहता हूं जैसे ऋषी जी ने भी बोला कि आप जितना मर्जी जोर लगा लो, हममें से कोई डरने वाला नहीं है, हममें से कोई हटने वाला नहीं है!

अन्त में दो लाइनों के माध्यम से अध्यक्ष जी एक संदेश देना चाहता हूं इनको समझ आ जाए तो आ जाए किः

"कभी चाय—चाय करते हैं,
कभी गाय—गाय करते हैं
जब से दिल्ली जागी है,
हाय—हाय करते हैं।
ढ़ाई साल बचे हैं, आने दो उन्नीस
दिल्ली की तरह उन्हें सारा देश बोलेगा
बाय—बाय करते हैं।''

धन्यवाद अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय : भावना गौड़ जी। अगर ये पंजाबी में सुनाते तो ज्यादा अच्छा लगता।

श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर) :

"चाह–चाह कर देणे,
गां–गां कर देणे,
जदो तो दिल्ली जागी है
हां–हां कर देणे हाय–हाय कर देणे।
ठाई साल रह गये न
आन दो दो हजार उन्नी
दिल्ली दे वांग सारा देश कहेगा
तुहानु बाय–बाय कर देणे।

सुश्री भावना गौड़ : अध्यक्ष महोदय, इस अल्पकालिक चर्चा के दो खण्ड है। महिला विधायक होने के नाते दूसरा खण्ड डी.सी.डब्ल्यू. पर मैं सदन के सम्मुख मैं चर्चा करनी चाहूंगी। देखिए, दिल्ली वूमेन कमीशन यानी दिल्ली महिला आयोग और आयोग का सीधा–सीधा मतलब होता है जोड़ना और राज्य का जो सर्व प्रधान अधिकारी होता है यानि हमारे मुख्यमंत्री, वो योजना आयोग के प्रधान की नियुक्ति करते हैं। किसी भी व्यक्ति या किसी भी समूह को एक विशिष्ट कार्य के लिए लगाना। इसका मतलब एक आयोग का गठन करना, एक कमिशन का गठन करना तो ये तो हो गई आयोग की परिभाषा। इसके साथ–साथ में दिल्ली महिला आयोग इसका गठन दिल्ली

कमिशन फॉर वुमेन एक्ट के तहत 1994 के अन्दर हुआ। छह लोगों की कमेटी, उसका एक चेयरपर्सन होगा, पांच उसके दूसरे मेम्बर होंगे और जिन महिलाओं की नियुक्ति उसमें की जाएगी वे महिलाएं समाज के किसी ना किसी सब्जैक्ट को लेकर के उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया हो, इस तरह से महिला सदस्यों का चुनाव होता है।

अध्यक्ष महोदय, तीन वर्ष का उनका कार्यकाल और आयोग का चेयरपर्सन और सदस्य और उनके कर्मचारी इंडियन पेनल कोर्ट की एक्ट की धारा 21 के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी माने जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, देखिए चाहे विधायकों के उपर हमला हो या डी.सी.डब्ल्यू. वे जिस तरह के माहौल में आज जी रही हैं, यह कहते हुए संकोच नहीं होता कि कम से कम दिल्ली के अन्दर अघोषित तौर पर इमेरजेंसी लगी हुई है। 11 अगस्त को एक ऐसी महिला जो स्वयं इस विधानसभा की सदस्या रही हैं, लगभग नौ साल तक उन्होंने कार्यभार संभाला डी.सी.डब्ल्यू. का, वह अचानक से एन्टी करप्शन ब्रांच के अन्दर जाना हुआ और एक एफ.आई.आर. उन्होंने दर्ज करवाई और देखिए, बड़ी शर्मनाक बात है! रक्षा–बंधन का पावन पर्व उस पर्व के दिन एन्टी करप्शन ब्रांच के लोग सुबह साढ़े दस बजे डी.सी.डब्ल्यू. के दफ्तर जाते हैं, छापा मारने का काम करते हैं और वहां के जो मेम्बर सेक्रेटरी हैं, पी. पी.ढल उनका नाम है, उनके साथ में लगभग दो घंटे उन्होंने लगातार पूछताछ की, फाइलों को उन्होंने अपनी मर्जी से खंगाल करके देखा। अध्यक्ष महोदय, सीधा–सीधा बरखा सिंह जी का आरोप है कि बहुत सारी भर्तियां हुई हैं डी. सी.डब्ल्यू. में वो गैर कानूनी तरीके से भर्तियां हुई है और दूसरी शिकायत जो डी.सी.डब्ल्यू. के खिलाफ दर्ज हुई, उसमें एक पूर्व सचिव उमेश सहगल जी ने एक इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि एक महिला उनके उपर

इल्जाम लगाती है और उस महिला के इल्जाम लगाने के कारण मेरी इज्जत के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, ऐसा इल्जाम लगाया उमेश सहगल जी ने। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमारी बहन सरिता ने बहुत सारी बातें इस विषय में रख दी हैं तो बहुत ज्यादा विस्तार में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे पता है कि आपके तीनों तरफ घड़ियां लगी हुई है और आपकी दृष्टि हमेशा घड़ी पर ही बनी रहती है। बरखा सिंह जी ने लगभग नौ साल काम किया, नौ साल के अन्दर केवल एक केस की जानकारी उनको थी, उसी को उन्होंने देखा, उसी को सुलटाया। लेकिन हमारी डी.सी.डब्ल्यू की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल जी ने लगभग 400 केसों को पढ़ा और उनको निपटाने का प्रयास किया तो सीधा–सीधा मैं इस सदन के माध्यम से उनको कहूंगी कि आप शिकायत करने से पहले कम से कम खुद में चिंतन कर लो। 9 साल के अन्दर एक केस! 40 लोगों का उनके पास स्टाफ और वही एक–डेढ़ साल के अन्दर चुनकर के आई हुई स्वाति मालीवाल जी उन्होंने 400 केसों को देखा तो 400 केसों को देखने के लिए और उनके पीरियड के अन्दर जो इतने सारे पेंडिंग केसिज रहे, उनको देखने के लिए स्वाभाविक तौर पर स्टाफ की आवश्यकता होगी तो ये स्टाफ बढ़ाना, ये उनके कार्य क्षेत्र में आता है। मुझे लगता है कि स्वयं बरखा सिंह जी को महिला आयोग के एक्ट को पढ़ना चाहिए कि महिला आयोग की अध्यक्षा, उसका अपना अधिकार क्षेत्र क्या है। उसके बारे में भी जानकारी बरखा जी को होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एमएलए होने के साथ–साथ में वो डी.सी.डब्ल्यू की चेयरमेन होने के नाते भी तनख्वाह ले रही थी। अपने आप में प्रश्न है! दो–दो जगह से तनख्वाह ले रही हैं और काम एक भी तनख्वाह लेने का नहीं कर रही हैं तो मुझे तो लगता है अध्यक्ष महोदय कि असली भ्रष्टाचार यही है। नौ

साल का कार्यकाल, एक केस की सुनवाई, चालीस लोगों का स्टाफ, दूसरी तरफ अस्सी लोगों की नियुक्ति हैं स्वाति जी के कार्यकाल में। चार सौ केस देखती हैं। पचास बार वो दौरे पर जाती हैं। पचास अनुशंसाएं उनसे प्राप्त की हैं। तो मुझे तो लगता नहीं कि ये इस तरह से जो अघोषित इमरजेन्सी डी.सी.डब्ल्यू ऊपर उन्होंने लगा दी, पूरी दिल्ली पर लगाने का काम वो कर रही हैं। अध्यक्ष महोदय, बात ये है कि शायद इतिहास में पहली बार काम के नाम पर काम हो रहा है। बहुत सारे लम्बित मामलों को डी.सी.डब्ल्यू के चेयरमैन महोदया ने देखा है। इस समय पूरी दिल्ली के अन्दर लगभग 181 हेल्पलाईन काम कर रहीं हैं और जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, वो डिमांड के आधार पर हुई हैं। मांग के आधार पर वो नियुक्तियों की गयीं हैं और जब वे नियुक्तियां की हैं तो नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, उसके क्या–क्या कानून नियुक्ति करते समय लागू होते हैं। उन नियुक्ति के कानून–कायदों के अन्तर्गत रहकर के ही उन पदों को भरा गया है अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय : कन्क्लूड करें। कन्क्लूड करें।

सुश्री भावना गौड़ : डेफिनेटली सर। बाईस गाड़ियॉ पूरी दिल्ली के अन्दर डी.सी.डब्ल्यू की चल रहीं हैं। आठ–आठ महीने तक जो पेन्डिंग मामले होते थे, उनको दिशा–निर्देश दिया गया है कि सात दिन के अन्दर–अन्दर कोई भी मामला डी.सी.डब्ल्यू के पास में आयेगा तो उस पर एक्शन लिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, डी.सी.डब्ल्यू ने बहुत बार कहा कि उच्च स्तरीय कमेटियॉ बनायी जायें , थाना लेवल कमेटियॉ बनाई जायें लेकिन आज तक उस पर किसी तरह का कोई विचार नहीं हुआ। पीड़िताओं को जो मुआवजा दिया जाता है, उसकी रकम को बढ़ाया जाना चाहिए। उस पर आज तक

कोई विचार नहीं हुआ और देखिए डी.सी.डब्ल्यू ने पिछले दस महीने के अन्दर–अन्दर लगभग 54 थानों को 82 नोटिस दिये हैं और सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाईन्स के अनुसार अगर थाने के अन्दर कोई भी रेप का केस आता है तो सबसे पहले रेप क्राईसिस सेल बना हुआ है, उसमें केस को भेजेंगे। लेकिन पुलिस की तरफ से इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अध्यक्ष महोदय बस मेरा एक और विशेष जो मुद्दा मुझे लगता है शायद साथियों को बहुत ज्यादा गहराई में जाकर के नहीं जानकारी है, इस सदन के माध्यम से जानकारी देना चाहूंगी। दो तरह के इल्जाम लगाये सर! उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के वकील, उनकी बेटी मिस्टर फुलका की बेटी प्रभा कौर जिनका नाम है उसको अप्वाईन्ट किया है। अध्यक्ष महोदय, उन पर इल्जाम लगाया कि वो उलूल जुलूल तन्ख्वाह वहां से ले रहीं हैं। सदन के माध्यम से मैं जानकारी देना चाहूंगी कि प्रभा कौर एम.सी.डी. स्टैन्डिंग काउन्सिल की सदस्या हैं। दूसरी बात बहुत सारे हाई कोर्ट के अन्दर वो रेप के केसेज देखतीं हैं। तीसरी बात मात्र वो डी.सी.डब्ल्यू से 35 हजार रूपये सेलरी ले रहीं हैं। तो जितने भी एलिगेशन्स उनके ऊपर लगाये गये हैं, वे सारे के सारे अपने आप में निराधार हैं। दूसरी राजमंगल जी के बारे में एक चर्चा होती है । राजमंगल जी आलरेडी चाईल्ड वेलफेयर कमेटी के एक्स चेयरपर्सन रहे हैं और भारत में जितने भी चाईल्ड एक्टिविस्ट हमारे हुए हैं, उनमें आज भी उनका नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति की अगर सलाहकार के रूप में स्वाति मालीवाल जी ने उनकी नियुक्ति की है, तो वो अपने आप में ये कोई अपराध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं उमेश सहगल जी के विषय पर आती हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब कन्क्लूड करिए भावना जी प्लीज।

सुश्री भावना गौड़ : सर ये बस।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आपने बता दिया। ये ठीक हो गया।

सुश्री भावना गौड़ : ये बहुत गम्भीर विषय है सर। इसीलिए मैंने कहा कि वो आखें जहां थोड़ा सा मत इधर–ऊधर कीजिए। दो मिनट और लूंगी मैं सदन के। देखिए चेयरमैन के पास में एक महिला आती है। वो कहती है कि पंचशील क्लब के अन्दर उमेश सहगल जो पूर्व सचिव रहे हैं, उन्होंने स्वीमिंग पुल में उनके साथ में बदत्तमीजी करते हैं। बताइए, ऐसे में क्या करना चाहिए? अध्यक्षा को क्या करना चाहिए? क्या वो जो एप्लीकेशन लिखकर के लायी है, उसको फाड़कर के डस्टबिन में फेक देना चाहिए या उसकी बात को सुनना चाहिए? स्वाति जी ने जब थाने के अन्दर इस तरह की कम्प्लेंट की तो स्वयं महिला ने बताया कि आपके एफ.आई.आर. करने से पहले मैं स्वयं थाने गयीं थी। मैंने वहां पर एफ.आई.आर. लिखवायीं है। उसके ऊपर आज तक कोई रिजल्ट नहीं मिला और यहां तक कि जो कार्रवाई हुई है, पंचशील क्लब ने उस महिला को और उसके पति जो पंचशील क्लब के मेम्बर थे, उन दोनों को वहां से निष्कासित कर दिया। तो अध्यक्ष महोदय, बुराड़ी के अन्दर एक महिला के साथ में रेप हुआ। रेप के कारण उसकी जान चली गयी और उस जान के जाने के बाद में जब डी.सी.डब्ल्यू कोई एक्शन लेने का प्रयास करती हैं तो दिल्ली पुलिस सीधा–सीधा डी.सी.डब्ल्यू के ऊपर डराने और धमकाने का इल्जाम लगाती है। अध्यक्ष महोदय, देखिए मैं तो सीधा–सीधा यही बात कहती हूं कि एन्टी करप्शन ब्रान्च के लोग रक्षा बन्धन के दिन वहां गये। वो अपनी बहनों को, स्वाति जी को अपने पास बुलाते। वो बड़े प्यार से फाईलें ले के वहां आ जातीं। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना धर्म निभाया। वे तो छापा मारने के

लिए आये तो वहां भी रक्षा बन्धन का पर्व उन्हीं भाइयों के साथ मनाना ज्यादा मुनासिब समझा। अध्यक्ष महोदय, देखिए मुझे तो लगता है कि इन्सान का स्वभाव होता है। जब हम बाजार में कॉच खरीदने जाते हैं, एल्यूमिनियम खरीदने जाते हैं तो हम उसके ऊपर शक नहीं करते हैं किसी तरह का। लेकिन जब हम बाजार में सोना खरीदने के लिए जाते हैं तो हम शक करते हैं। हमारे विधायक, हमारे द्वारा चुने गये डी.सी.डब्ल्यू. के चेयरमैन जिनकी नीयत साफ है जो सच्चाई और अच्छाई के साथ में काम करतीं हैं। हमें सोने की तरह से परखा जा रहा है। हम पर शक किया जा रहा है। हमारी नीयत पर शक किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहूंगी। देखिए एक कोई बात पहले दिन बी.जे.पी. वाले उठाते हैं। दूसरे दिन कांग्रेस वाले उठाते हैं तो मुझे तो लगता है कि अब समय आ गया है।

अध्यक्ष महोदय : अब कन्क्लूड करिए भावना जी। नहीं, अब कन्क्लूड करिए।

सुश्री भावना गौड़ : बस अब मेरा एक आखिरी सुझाव है कि कम से कम अब बी.जे.पी. और कांग्रेस का आपस में विलय हो जाना चाहिए। उन दोनों को विलय कर लेना चाहिए। क्योंकि अब संस्कार उनके एक हो गये, उनकी विचारधारा एक हो गयी। उनके काम करने का तरीका उनका एक हो गया।

अध्यक्ष महोदय : अब भावना जी कन्क्लूड करिए। मैं बार–बार कह रहा हूं प्लीज। अब लम्बा हो रहा है। इसको कन्क्लूड करिए।

सुश्री भावना गौड़ : अध्यक्ष महोदय, चलिए मैं आपकी बातें मानते हुए अपनी दो लाईनें कह कर के मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगी। कल मनीष जी भी कह रहे थे। हमारे विपक्ष के साथी बी.जे.पी. वाले बन्धु, कांग्रेस वाले बन्धु केवल एक ही बात करते हैं। केवल संविधान की बात करते हैं और जिसको संविधान के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो मैं तो स्पष्ट तौर पर कहूंगी कि संविधान की समझ, संविधान की समझ की चरमसीमा तक पहुंचने वाले लोग, आन्तरिक और बाहरी प्रदर्शन के विशेषज्ञ है। बाहर तो सब कुछ निभाते हैं पर अन्दर सब कुछ छिपाते हैं। इतना ही नहीं, आवरण के नाम पर केवल नायलॉन का पर्दा लगाते हैं। ऐसे हमारे बी.जे.पी. के और कांग्रेस के साथी हैं तो इसीलिए मेरा सुझाव है कि कम से कम अब बी.जे.पी. और कांग्रेस को एक हो जाना चाहिए। नहीं तो अपनी इस गन्दी मानसिकता को छोड़ देना चाहिए। हम बहुत अच्छी नीयत से काम करने के लिए आये हैं और हम नहीं बदलेंगे! सुधरना आप ही लोगों को पड़ेगा। बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : अब। अलका जी। ...नहीं, समय साढ़े छः हो गया है।

श्री सुरेन्द्र सिंह : मैं अध्यक्ष साहब, आपका ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं। निर्भया कांड जब हुआ। जो एक बहन की इज्जत के साथ जो खिलवाड़ हुआ। उस टाईम पर बरखा शुक्ला, आर.के.पुरम की विधायक थी और डी.सी.डब्ल्यू. की चेयरमैन भी थी। जो लोग उस दिन उससे मिलने के लिए गये, उस पार्टी के अन्दर मैं भी शामिल था। बरखा शुक्ला जी ने मिलने से मना कर दिया और ये जवाब दिया कि आज छुट्टी का दिन है। आज मैं नहीं मिलूंगी। इससे गिरी हुई और इससे घटिया बात

हिन्दुस्तान की नहीं हो सकती! जो कि उसका उतना बड़ा आन्दोलन हुआ और आज वही महिला उसी आयोग के ऊपर तरह–तरह की टिप्पणियॉं कर रहीं हैं। जैसे वो कहते हैं न सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली !

आप मेरी इस बात को रिकार्ड करिये और इसको पब्लिक में करिये, उस समय बरखा शुक्ला एम.एल.ए. थी आर.के. पुरम की और मुनरिका एरिया के अंदर वो घटना हुई थी हमारी बहन के साथ और जब हम लोग मिलने के लिए गये तो बरखा शुक्ला सिंह ने मिलने से मना कर दिया था और यह कहा था कि आज छुट्‌टी का दिन है। मैं नहीं मिलूंगी।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, बैठिये।

सुश्री अलका लाम्बा : अध्यक्ष जी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कुछ गम्भीर आरोपों के साथ अपनी बात को रखूंगी बहुत शॉर्ट में, दिल्ली महिला आयोग के दफ्तर में एंटी करप्शन ब्रांच का...

अध्यक्ष महोदय : सदन का समय पन्द्रह मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है। इससे ज्यादा नहीं प्लीज।

सुश्री अलका लाम्बा : अध्यक्ष जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने बयान को दर्ज करवा रही हूं। अध्यक्ष जी, दिल्ली महिला आयोग के दफ्तर में जो ए.सी.बी. का छापा पड़ा है, उसके पीछे मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं, मेरे पास इस बात के सबूत भी हैं कि कुछ रसूख वाले, पैसे वाले लोग, जिनके केस महिला आयोग में चल रहे हैं, जिन्होंने पूरी कोशिश की अपने राजनीतिक जो उनके रिश्ते हैं, उसका इस्तेमाल करने के लिए, पैसा का इस्तेमाल करने के लिए ताकि दिल्ली महिला आयोग में उनके खिलाफ जो केस हैं, उन्हें किसी तरह दबाया जा सके जिसमें बाराखम्भा के एक पांच

सितारा होटल के मालिक की समधन का केस भी है, जो दिल्ली महिला आयोग में स्वाति जी के पास चल रहा है। मुझे लगता है यह एंटी करप्शन ब्रांच का जो छापा है, यह बिल्कुल रसूख वाले, पैसे वाले, राजनीतिक घरानों से संबंध रखने वाले लोगों के दबाव में भी एंटी करप्शन ब्रांच का छापा डाला गया है। इसके अलावा मैं यह भी कहूंगी कि बरखा जी नौ साल तक अध्यक्ष रहीं महिला आयोग की, उनसे पहले कौन था? डॉ. किरण वालिया जो विधायक थी, उससे पहले अंजलि राय, जो खुद विधायक थी, जब पन्द्रह साल शीला दीक्षित जी की सरकार रही, पन्द्रह साल तक जो उनकी महिला विधायक थी, वही आयोग की अध्यक्ष रहीं। यह पहली बार हुआ है कि निर्भया आंदोलन से निकली हुई एक हमारी बहन स्वाति मालीवाल को पहली बार, जो बिल्कुल किसी को राजनीति के लिए, आपको ऐडजस्ट करने के लिए किसी न किसी को देना है, ऐसा नहीं किया। आप हम छः विधायकों में से किसी को बना सकते थे, लेकिन नहीं, आंदोलन से जुड़ी हुई उस बहन ने जिसने खुद लाठियाँ खाई हैं, उसे आयोग की जिम्मेदारी दी है। अध्यक्ष जी, मैं इसमें और एक बड़ी बात कहूंगी कि स्वाति जी को क्यों टारगेट किया जा रहा है? वहीं से चुनकर आई हैं हमारी प्रमिला टोकस जी। प्रमिला जी, आपको याद होगा सब को कि आर.के. पुरम से पहले विधायक कौन हुआ करते थे। बरखा जी नहीं हुआ करती थी, उनके पति हुआ करते थे। क्यों उनकी टिकट कांग्रेस ने काटी? उनकी टिकट काटकर क्यों उनकी पत्नी को देने पर मजबूर होना पड़ा? क्योंकि उनके पति के ऊपर जो वहां के विधायक थे उस समय पर, उनके ऊपर खुद बलात्कार के आरोप लगे थे और उसके बाद जब बरखा जी विधायक बनीं और उनके बनने के कुछ समय के बाद महिला आयोग का अध्यक्ष भी इसलिए बना दिया गया ताकि

जिस बच्ची के बलात्कार के आरोप जो उनके पति पर लगे थे, वो भी केस उसी में था, जिसे दबाकर खत्म कर दिया गया और आज वो मुम्बई में सैटल हो गया, अपनी सारी सम्पत्ति को लेकर। ये गम्भीर आरोप मैं लगाना चाहती हूं। जी.बी. रोड पर हमारी नाबालिग बच्चियों को बेचने का धंधा चलता है। हिम्मत दिखाई स्वाति मालीवाल जी ने! मुझे लगता है यह उसी की सज़ा आज उन्हें भुगतनी पड़ रही है। जी.बी. रोड की बदनाम और अंधेरी गलियों में कोई जाना अध्यक्ष जी, पसंद नहीं करता था, यह पहली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं इतने सालों में दिल्ली की, जिन्होंने वहां जाने की हिम्मत की, वहां के थानों की जवाबदेही तय की। बहुत सी हमारी नाबालिग बच्चियों को उन अंधेरी गलियों से छुड़ाने का काम स्वाति मालीवाल ने किया है जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।

रात को दो—दो बजे तक मेरे खुद जामा मस्जिद, ऊर्दू बाज़ार में महिलाओं के रैन बसेरे हैं, वहां पर किस तरीके से पुलिस की नाक के नीचे हमारी बच्चियों से वहां पर अवैध धंधे करवाये जाते हैं, इसका खुलासा किसी और ने नहीं, खुद स्वाति मालीवाल जी ने किया है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हर दो महीने बाद स्वाति जी उठकर राजनाथ सिंह जी, देश के गृह मंत्री से मिलने के लिए जाती है। हर दो महीने के बाद उठकर मेनका गांधी जी, जो देश की हमारी महिला बाल विकास मंत्री हैं, उनको मिलने चली जाती हैं। यह उनको दर्द था कि हर दो दिन के बाद ये उठकर आती हैं और पुलिस की जवाबदेही पर बात करती हैं। दिल्ली में बढ़ रहे बलात्कारों की बात करती है। कितनी बार मेनका जी मैं कहूंगी केन्द्रीय मंत्री जो हैं, वो पीड़िता जो हमारी बच्चियां बलात्कार की शिकार हैं, उनसे अस्पतालों में मिलने गई? यह वही स्वाति मालीवाल हैं, जिन्होंने

अस्पतालों में जाकर सिर्फ उन्हें मदद ही नहीं दी वहां पर, उनको हर तरीके से कानूनी मदद, आर्थिक मदद हर तरीके की देने की बात कही। लास्ट में, मैं कहूंगी बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए स्वाति मालीवाल को, ऐसिड पीड़ित बेटियां हमारी दर–दर की ठोकरें खा रही थीं, सम्मान की जिंदगी नहीं जी पा रही थी, मुंह छिपाने पर मजबूर थी। यही स्वाति मालीवाल हैं, जिन्होंने उन्हें पर्दे से हटाया, उन्हें सब के सामने लायी, उन्हें हिम्मत दी और उन्हें महिला आयोग में नौकरी देने का काम अगर किसी ने करने की हिम्मत की तो स्वाति मालीवाल ने की। मुझे लगता है ये उन्हीं चीजों का खामियाजा स्वाति मालीवाल जी को भुगतना पड़ रहा है। मैं इस सदन के माध्यम से इन सब खुलासों के, मैं कहूंगी आप सबूत कहेंगे तो मैं सबूत भी दूंगी, जिन पैसे वाले, रसूख वालों का बाराखम्भा में पांच सितारा होटल चल रहा है, किस तरह से मि. बस्सी ने उनकी एफ.आई.आर. को बदला, सिर्फ इसलिए बदला क्योंकि वो पीड़िता स्वाति मालीवाल जी के दफ्तर में पहुंच चुकी थी और उन्हें भी पता था स्वाति मालीवाल जी के पास ये पहुंच चुकी है, अब चाह कर भी इन्हें कोई बचा नहीं सकता। इसलिए बस्सी साहब ने पांच सितारा होटल के मालिक के दबाव में एफ.आई.आर. तब बदली है दोनों एफ.आई.आर. की कॉपी हमारे पास हैं। मुझे लगता है, यह पूरी साज़िश है। आपने खुद अपनी कुर्सी पर बैठ कर कहा है कि इस ए.सी.बी. को शीला दीक्षित नहीं दिखती, लेकिन इस एंटी करप्शन ब्रांच को स्वाति मालीवाल का दफ्तर दिखता है। यहां पर सब दूध का दूध और पानी का पानी की तरह साफ है। इस सदन के माध्यम से मैं कहूंगी कि स्वाति मालीवाल को जितनी ताकत और हिम्मत दी जा सके, हमें देनी है क्योंकि पहले दिन जब वो अपना दफ्तर ज्वाइन करने गई थी, उसी दिन क्या खेल हुआ हम सब ने

देख लिया! क्योंकि उनकी नेमप्लेट एल.जी. द्वारा हटा दी गई, उनको दफ्तर ज्वाइन करने से मना कर दिया गया। मैं यह कहती हूं कि जितनी ताकत यह सदन उन्हें दे सकता है, हमें देना होगा। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं माननीय गृह मंत्री श्री सत्येन्द्र जैन जी से प्रार्थना कर रहा हूं कि चर्चा का उत्तर दें। प्रमिला जी, अब प्लीज।

श्री सत्येन्द्र जैन (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जो पिछले दो दिन से यह चर्चा चल रही है, इसके बारे में सबसे पहले तो यह कहना चाहूँगा कि सभी विधायकों का कहना है कि पुलिस शायद आम आदमी पार्टी के विधायकों पर अत्याचार कर रही है, कुछ ज़्यादती कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि पुलिस में क्या है, कांस्टेबल कर रहा है, कांस्टेबल तो नहीं कर रहा है। पीछे से आवाज़ आई है, एस.एच.ओ. कर रहा है क्या, डी. सी.पी., कमिश्नर, तो कौन हैं? हमें सोचने की जरूरत है। अगर किसी के हाथ में एक डंडा है और डंडे से कोई किसी को मारता है तो डंडे की एफ.आई.आर. कराने जाते हैं या उस आदमी की कराने जाते हैं। हमें सोचना होगा कि पुलिस कुछ नहीं है, पुलिस एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि किसी के हाथ में एक हथियार है। हथियार के खिलाफ कभी एफ.आई.आर. नहीं होती, हथियार को कभी सज़ा नहीं होती। वो तो एक हथियार है, वो पिस्तौल भी हो सकती है, चाकू भी हो सकता है, डंडा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है और पुलिस भी हो सकती है, पुलिस भी एक हथियार है। जो कल्प्रिट है, कल्प्रिट वो है जो उस हथियार को यूज कर रहा है। हमें देखने की जरूरत है कि उस हथियार को यूज करने वाला कौन है? इस देश के अंदर लगभग 4 हजार एम.एल.ए. हैं और लगभग 750 एम.पी. भी है, तो लगभग 4800 एम.एल.ए. और एम.पी. हैं जिसमें से इस विधान सभा के

अंदर 70 हैं और आम आदमी पार्टी के 67 हैं। 67 में से पिछले डेढ़ साल के अंदर 12 विधायकों को अरेस्ट किया जा चुका है मतलब 17 परसेंट और पूरे देश के अंदर 4800 में से। यह रिसर्च का विषय है कि कितने एम.एल.ए., कितने एम.पी. जो कि 4800 हैं, उसमें से कितनों को अरेस्ट किया गया। शायद 12 भी नहीं होंगे, तो सोचने की आवश्यकता है इस देश को आज़ाद हुए 70 वर्ष हो चुके हैं। 70 वर्ष के अंदर ऐसा क्या भूकंप आ गया, ऐसा क्या हुआ अचानक, एक प्रदेश की पुलिस को उस प्रदेश के अंदर सत्तारूढ़ पार्टी के 17 परसेंट एम.एल.एज. को अरेस्ट करना पड़ा! इसको सोचने की आवश्यकता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुझे याद है, एक दिन उनका बयान था लोक सभा के अंदर कि कांग्रेस सदन को इसलिए चलने नहीं दे रही है, वो अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि दिल्ली में बी.जे.पी. की 70 में से 3 सीटें आईं, उसकी वजह से प्रधानमंत्री जी अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और इस वजह से सारा कुछ हो रहा है। अभी सभी सदस्यों ने छोटे–छोटे अपने–अपने एक्सपीरियंस बताये। मैं भी एक एक्सपीरियंस शेयर कर लेता हूँ आप लोगों से। लगभग 7–8 महीने पूर्व की बात है। एक दिन एक महिला अपने साथ 10–12 लोगों को लेकर मेरे ऑफिस सरस्वती विहार, जहां पर हम पब्लिक के साथ मिलते हैं, वहां पर आई। उन्होंने मेरे ऑफिस के बाहर आकर थोड़ा शोर मचाया, तो मैंने कहा क्या बात है? नहीं, मैं आपसे बात करना चाहती हूं, मिलना चाहती हूं। मैंने कहा, ''अंदर आ जाइये, बैठिये'' तो अंदर मैं बैठा था मेरे सामने टेबल थी और टेबल के दूसरी तरफ वो महिला थी। उस कमरे के अंदर बीस–पच्चीस लोग थे। उस महिला ने बदत्तमीजी करनी शुरू की और जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, बहुत

जोर से चिल्लाने लगी। मैं अपनी सीट पर बैठा था। मैं खड़ा भी नहीं हुआ। उसने केजरीवाल जी को काफी गालियां दीं, मुझे गालियां दीं, पार्टी को गालियां दीं और उसके बाद शोर मचाकर मतलब काफी मेरे पास आने की कोशिश कर रही थी तो दो हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने उसको रोका, कुछ नहीं, बस, जैसे रोज होता है। हम तो रोज सुनते रहते हैं, चले गये। उसके बाद मैं आफिस आ गया, आफिस आने के बाद एस.एच.ओ. का मुझे फोन आया। कहते हैं सर, आपके खिलाफ शिकायत है। मैंने कहा, ''क्या शिकायत आ गई? कहते हैं, ''एक महिला ने शिकायत करवाई है आपके खिलाफ।'' मैंने कहा, ''कोई बात नहीं, जो होगी, बता देना। मुझे दिखा देना।'' अगले दिन आश्चर्य यह हुआ की दो अखबारों के में खबर छपी। मैंने कहा, ''ये तो बड़े कमाल की चीज है। ये तो हद ही हो गई है!'' तो मैंने थाने से वो शिकायत मंगवाई। शिकायत के अंदर क्या लिखा था, तब तो मुझे समझ भी नहीं आया, उसकी क्या ग्रेविटी है! आज समझ में आता है! जब इतने सारे हमारे एम.एल.ए. अरेस्ट हो गये ! उसके अंदर लिखा था, ''सत्येन्द्र जैन के मैं मिलने के लिए गई। उन्होंने मुझसे बदत्तमीजी की, गंदी निगाहों से मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा। उसके अंदर लिखा था ...और मुझे धक्के मारकर कमरे से बाहर निकाल दिया।'' उसके बाद लक्किली क्या था कि मेरे उस कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे हमनें एक सीडी बनाई और पुलिस को भेज दी और उसके बाद मैंने भी वो सीडी देखी दोबारा से। मैंने कहा, ''भई देख तो लें कि कौन से धक्के मारे थे, किसी और ने धक्के न मार दिये हों, कहीं पहचानने में गलती हो गई हो!'' तो पता लगा कि उस महिला के खिलाफ ही एफ.आई.आर. होनी चाहिए थी। उसी ने बदत्तमीजी की थी, जितनी भी की थी। तो वो सी.सी.टी.वी. कैमरे लगे होने की वजह से शायद

पहला नंबर मेरा ही था सबसे पहले। वो नंबर चूक गया। तो सी.सी.टी.वी. कैमरे से उनका मामला खराब हुआ और बाद में हमने पता किया उस महिला का, हमारे आफिस में हैं एक सज्जन। उन्होंने चैक किया, फेसबुक स्टेटस तो पता लगा वो महिला विंग, बी.जे.पी. की अध्यक्षा थी।...

श्रीमती बंदना कुमारी : रेखा गुप्ता... को लीड कर रही थी।

श्री सत्येन्द्र जैन : अच्छा–अच्छा! मुझे इतनी जानकारी, देखो राजनीति में हम इतना ज्यादा पड़ते नहीं हैं। राजनीति के बारे ज्यादा जानकारी भी नहीं है। तो इस तरह की जो प्लानिंग करके ये लोग कर रहे हैं, कई बार तो मुझे लगता है कि इनको राजनीति के अंदर ये छुटभइये नेता हैं, इनको राजनीति आती ही नहीं है। राजनीति सीखने की आवश्यकता... राजनीति होती है स्टेट्समैनशिप। ये इस तरह के उठाईगिरे के काम करना नहीं कहलाता। अगर तुम रेस लगा रहे हो, किसी से दौड़ लगाना चाहते हो तो दौड़ में जीतने का एक ही तरीका होता है कि बराबर वाले से तेज दौड़ो और बी.जे.पी. ने क्या किया कि लंगड़ी मारो। कहते हैं कि केजरीवाल से तेज तो दौड़ नहीं सकते। ये कि लंगड़ी मारो। अरे! इनको पता नहीं है कि जितनी बारी लंगड़ी मारोगे, उतनी बारी खड़े होंगे और ज्यादा रिजाल्व के साथ दौड़ेंगे और ज्यादा हिम्मत से दौड़ेंगे। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, दिल्ली की तिहाड़ जेल मेरे अंडर आती है और... नहीं, मैं अंदर जा चुका हूं। चिन्ता मत करो। आपको पता नहीं होगा। पता है, कुछ लोगों को पता है। जब मैंने पिछली बारी इलेक्शन लड़ा था तो मुझे भी तिहाड़ जेल के दर्शन कराये गये थे! कारण? मेरी गलती क्या थी? एक आम आदमी जिसने जिन्दगी में कभी पालिटिक्स नहीं की। मैंने क्या? मेरे परिवार में किसी ने नहीं की। मेरे तो परिवार में सौ किलोमीटर दूर तक कोई प्रधान भी नहीं

बना था! कहते हैं, ''अच्छा! ऐसे ऐसे लोग इलेक्शन लड़ेंगे! मुझे तो कोई जानता भी नहीं था। तो केजरीवाल जी को सबक सिखाने के लिए ताकि और लोग सामने न आ जाएं। उन्होंने उठाकर मुझे भी जेल में डाल दिया था! चलो वो बात तो हुई। अभी छह महीने पहले की बात है। मेरी वाइफ कहती है अब तो तिहाड़ जेल आप ही के अंडर है। पर इतना पक्का भरोसा है कि दोबारा जरूर जाओगे। तो उसका हुआ क्या कि एक दिन 52 हमारे एम.एल.एज जो मिनिस्टर्स को पकड़ा गया, प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए गये थे, तो उस दिन मैं नाश्ता किये बिना घर से निकला था। केजरीवाल जी के घर गये तो वहीं से चले गये तो ग्यारह बजे तक तो फोन आते रहे वाइफ के कि नाश्ता करने नहीं आ रहे? मैंने कहा, ''अभी थोड़ी देर में आता हूं।'' बाद में टीवी में फ्लैश हुआ कि 52 एमएलएज और मिनिस्टर्स डिटेन्ड, शाम तक फोन ही नहीं आया। मैंने घर जाकर पूछा। मैंने कहा, ''भई, क्या हुआ ग्यारह बजे के बाद फोन ही नहीं किया। कहते हैं, ''मैंने सोचा, दो चार दिन में आ ही जाओगे'' तो अब देखियेगा। अब तो हमारे घर वालों को भी तसल्ली है। उन्हें भी पता है कि गये तो तिहाड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कभी बाहर से भी तिहाड़ अपना ही था, अंदर जाएंगे तो भी अपना ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हमारे एक साथी, वो चले गये शायद वो तिहाड़ रहकर आये कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है पहले दिन जरूर थोड़ी दिक्कत रही, दस दिन अंदर रहकर आये कहते हैं कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लोग कहते हैं कि इस देश का शासन, इस देश का राज ब्रिटिश लॉ के हिसाब से चलाया जा रहा है। जी नहीं, गलतफहमी में हैं ये लोग। लोग कहते हैं कि ब्रिटिश कानून के हिसाब से

चलाया जा रहा है, ब्रिटिश लॉ से चलाया जा रहा है, बिल्कुल नहीं चलाया जा रहा, ये देश ब्रिटिश कालोनियल लॉ से चलाया जा रहा है, ब्रिटेन ने अपने सारे लॉ चेंज कर दिये हैं। ब्रिटेन की पुलिस आज अपने आकाओं के प्रति जवाबदेह नहीं है। वहां की जनता के प्रति जवाबदेह है परन्तु इस देश में पुलिस को क्या माना जाता है? एक हथियार! आपको किसी को भी यहां पर आश्चर्य नहीं होगा जितने भी लोग बैठे हैं अगर सभी के खिलाफ अभी इसी समय गुजरात के अंदर एक केस रजिस्टर कर लिया जाए तो पता लगेगा कि कल शनिवार है। पुलिस आयेगी, सबको पकड़कर ले जाएगी... कि हम लोग विधानसभा में बैठे थे। कहेंगे कि वहां जज साहब को बताना और जज साहब अगर चाहेंगे तो जी आपको जेल भेज देंगे। नहीं तो आपको जमानत दे देंगे। ये उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। इस देश का कानून आज भी... मुझे तो कई बार यह आश्चर्य होता है कि 1857, 1861, 1890, मैं कहता हूं कि अठारहवीं शताब्दी में जी रहे हैं क्या हम लोग? हम इक्कीसवीं शताब्दी में पहुंच गये हैं लेकिन आज भी उन्हीं कानूनों का हवाला देते हैं। आज भी हमारी यंग जनरेशन में कहा जाता है कि हमारा टेलेंट देश से बाहर जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है देश का कानून हमारा जो यंग जनरेशन है, जब उससे पैसे मांगे जाते हैं, जब उसको कोई भी काम कराने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, उसको लताड़ सुननी पड़ती है तो वो देश छोड़कर चला जाता है। आज तक हमने ये सोचा नहीं है कि... हम तो कहते हैं हमारे यहां सुविधाएं नहीं हैं, सुविधाएं तो घर में कहां होती हैं। अरे! जिस घर में पैदा हुए हैं, अपने मां बाप को छोड़कर कोई जा रहा है तो उसका कारण है कि उसको जब हिकारत

की नजर से देखा जाता है जब उसको कल्प्रिट की तरह से देखा जाता है तब वो देश छोड़कर जाता है और इस देश के सारे के सारे नेता, इस देश को चलाने वाले तीन तरह के लोग हैं, भ्रष्ट राजनेता, भ्रष्ट पालिटीशियन, भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स और भ्रष्ट कारपोरेट्स इन तीनों का नेक्सस है। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजियेगा, कोई भी काम देख लीजियेगा। इन तीनों ने मिलकर इस देश को लूटा है और ये पता नहीं लगता कि सबसे आगे कौन है ! लोग कहते हैं कि शायद नेता राज चला रहे हैं। मुझे तो नौकर लगते हैं वो। वो तो ऐसे लगते हैं कि जैसे दो कौड़ी के नौकर हैं, उन कारपोरेट्स के। जो वो कहते हैं, उनके लिए करने के लिए तैयार रहते हैं। उनका कोई जमीर नहीं है। उनके लिए नौकरी करते हैं सारे के सारे। इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस देश के अंदर पुलिस रिर्फाम्स की जरूरत है, कितने वर्ष हो गये, कुछ हुआ आज तक? कोई भी राज्य सरकार तैयार है, क्यों तैयार नहीं है? वो कहते हैं कि अगर ये नेक्सस टूट गया तो ''वी द पीपल'', इस देश के जो लोग हैं जो हमारे संविधान में कहा गया है कि इस देश का संविधान जो है, लोगों के लिए बना है, लोगों ने बनाया है और लोगों की सेवा के लिए बना है, वही हो जाएगी। आज होता क्या है? लोग कहते हैं हम हैं सब कुछ! कौन? पालिटीशियन भी यही कहते हैं कि हम राजा हैं, जनता पांच साल में एक बारी बटन दबाती है, कहते हैं, ''हम राजा चुने गये।'' एक एग्जाम पास करके कोई भी आता है, कहता है कि हम तीस साल के लिए 35 साल के लिए हम राजा बन गये इस देश के और तीसरा उन दोनों का बॉस बनकर आता है, कहता है, ''मैं इनको टुकड़े खिलाता हूं। मैं इनका बॉस हूं। इन तीनों ने मिलकर इस देश को लूट रखा है। लूटने में लगे हुए हैं। अभी थोड़े दिन पहले की बात है। एक जगह मीटिंग में गये। एक नेता मिले किसी पार्टी के बहुत बड़े नेता थे...

अध्यक्ष महोदय : ये समय सात बजे तक के लिए और बढ़ा दें, प्लीज।

श्री सत्येन्द्र जैनः कहते हैं जैन साहब, आपका नंबर कब आ रहा है? मैंने पूछा, ''सर, किस चीज का नंबर?'' कहते हैं, जेल जाने का और किस का! तो मैंने कहा, ''ये ऐसी क्या बात हुई?'' कहते हैं, ''देखो, चर्चा तो यही होती है कि कौन कब जेल जाएगा।'' मैंने उनसे कहा, ''सर, हम तो एक–एक सीढ़ी करके धीरे–धीरे, धीरे–धीरे ऊपर चढ़ रहे थे और जो इन्होंने ये लिफ्टें लगानी चालू करी हैं न, कि हर रोज एक नई लिफ्ट खड़ी कर देते हैं। जेल में जाता है। सीधा लिफ्ट से ऊपर। जेल में गये, लिफ्ट से ऊपर। कहते हैं कि हमारे लिए तो लिफ्ट का काम करेगी। जिस मर्जी को जेल भेज दो और सबसे अच्छा है इक्टठे के इक्टठे सबको, 67 को एक साथ भेज दो। सारे सीधे–सीधे ऊपर क्या कहते हैं... बीसवीं मंजिल पर पहुंच जाएंगे। कई बारी मेरे कई साथी आते हैं। कई सारे साथी बेचारे डिप्रेशन में रहते हैं। मैंने कहा, भई डिप्रेशन! किस बात का डिप्रेशन है? कहते हैं, ''सर, लोग हमसे पूछते हैं। कहते हैं, ''लगता है कुछ काम नहीं करते तुम।'' मैंने कहा, ''क्यों क्या हुआ? कहते हैं, ''न तो इलेक्शन से पहले जेल गये, न अब जेल गये।'' कहते हैं, ''सर जी, आप ही करवा दो कुछ काम ऐसा।'' तो वो कहते हैं कि किसी न किसी हर तरह से जेल जाना चाहिए और यहां भी कई सारे बैठे हैं। नितिन ही है! एक दिन तो ये ही कह रहा था। कहता है, ''सर जी, मैं जेल नहीं गया। लोगों को शक होने लगा है कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है! तो सारे के सारे, देखो इस पार्टी के अंदर अरविन्द केजरीवाल जी ने कहा था कि आपको क्या मिलेगा। कहते हैं लाठी मिलेगी, डण्डे मिलेंगे और जेल मिलेगी। आप दे क्या सकते हो? अपना जीवन! जो लोग इस देश में, इस देश के लिए अपना जीवन देने के लिए

तैयार हैं, वो आ जाएं इस पार्टी के अंदर। तो ये सिरफिरे लोगों की पार्टी है. इन लोगों को कभी समझ में आने वाला नहीं है। इन लोगों को तो ये भी समझ में नहीं आता कि जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे, बड़ा विचार किया करते थे कि 40 सीटें कैसे आ जायें! 42 सीटें कैसे आ जायें! पर 40—42 से ऊपर कभी सोचा नहीं था! हमें क्या पता था कि ये इतने इंटेलिजेंट लोग हैं! इन्होंने ऐसे काम कर डाले कि 67 सीटें आ गईं और अब हमने कभी नहीं सोचा था, हम ये सोचा करते थे कि पांच साल दिल्ली में काम करेंगें और कुछ नहीं करेगें। ये कहते हैं, ''ऐसे कैसे करने दें? हमने कहा, ''क्या हुआ? कि कितना अच्छा काम कर रहे हो! आपको पूरे देश में काम करना चाहिए। हमने कहा, ''हम छोटे मोटे लोग हैं। हम राजनेता नहीं हैं। हम यहीं पर काम करेगें।'' कहते, ''नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? सारे देश में काम करियेगा।'' इन्होंने दिल्ली के अंदर जो जो अड़ंगे अड़ा सकते हैं, सारे अड़ंगे अड़ाने चालू कर दिये। कुछ भी काम नहीं करने देंगें, हर काम के अंदर चुन—चुन के, चुन—चुन के देखते हैं, कौन सा आफिसर कहां पर काम कर रहा है, उसको उठाकर के ट्रांसफर कर दो। इसको उठाकर यहां से वहां फेंक दो। इनको लगता है कि जनता को तंग करने से हम बदनाम हो जायेगें। अरे! हमारे पास तो कुछ नाम ही नहीं है, तो बदनाम कहां से होगें? हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। आज भी इसमें से सदन में जितने लोग बैठे हैं, सड़क पर चले जायें, किसी को कोई पहचान नहीं पायेगा। मैं कभी कभी महीने में एक दो बारी कनाट प्लेस चला जाता हूं बच्चों के साथ मुझे तो कोई नहीं पहचानता, कोई नहीं पहचानता। एक भी आदमी नहीं पहचानता। सारे भाई जाते होगें ऐसे ही सडक पर। कोई नहीं पहचानता किसी को भी। अरे! उनको सब पहचानते हैं, उनको मानना

चाहिये देश के मालिक हैं अब वो। देश के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं। अगर अपने बच्चों से अपने छोटे भाइयों से, अगर उनसे बदला लोगे तो आप छोटे कहलाओगे, हम नहीं कहलायेगें। अगर हमें अभी विजेन्द्र जी मिले थे राष्ट्रपति भवन में, कहते हैं, पूरी बात तो नहीं बताउंगा। फिर कहेगें कि सबके सामने बता देते हो। फिर भी कहने लगे ज्यादती हो गई आप सब लोगों के साथ। मैंने कहा, ''धन्यवाद।'' मैंने कहा, ''आप लोगों ने मार–मार के, मार–मार के हमें जमीन पर लिटा दिया और अब भी आते हुए भी लात मारते हो और जाते हुए भी लात मारते हो और हम क्या कहते हैं? धन्यवाद।'' मैंने कहा, ''तुम्हारी यही अदा तो हमें पसंद है कि तुम लात मारते रहो, लात मारते रहो और हम काम में लगे रहेगें, हम धन्यवाद करते रहेगें। हम पीछे नहीं हटेगें।'' कहते हैं, ''तुम लोगों का कुछ समझ नहीं आता कि तुम क्या करोगे।'' मैंने कहा, ''तुम्हारे को समझ में आना भी नहीं है। तुम तो बिजनेस करने आये थे। हम जनता की सेवा करने आये थे। यही फर्क है जो बिजनेसमैन आये थे, जो बिजनेस करने आये थे और हमारे में फर्क है और फर्क रहेगा।'' कल ही जनमाष्टमी थी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था तो मुझे तो ऐसे लगता है कि हमारे जितने भी साथी हैं, उस दिन जब 52 आये थे ना तो जो 15 रह गये थे, उनको बड़ा दिल में दर्द था। ये तो सर, आप ही थे! आप को तो खैर मौका मिल ही नहीं सकता था जो भी रह गये थे, उनको लगता था हम कैसे रह गये! अचानक प्रोग्राम बना था। अगली बारी प्रोग्राम बना तो सारे पहले जेल के अंदर ही मिलेगें! वो कहते हैं हम सीधे ही पहुंच जाते हैं डायरेक्ट ही तिहाड़ में ही मिलेगें अंदर। इस पार्टी में कोई डरने वाला नहीं है किसी भी चीज से, किसी भी आतंक से, किसी भी डराने वाली चीज से, बल्कि ये तो उल्टा हो रहा है जितना डराने की कोशिश करोगे उतना उल्टा होगा।

मैं आपको फिर से दोबारा बता देता हूं कि अपना डराने का किस्सा क्या हुआ था जब मुझे जेल भेजा गया। मेरे पिता टीचर हैं, मेरी मदर हाउस वाईफ थी। दो दिन जेल के बाद जब मैं घर पहुंचा तो मेरे मन में ये था कि भई, मैं अपने परिवार को इतना दुःख नहीं दे सकता। इलैक्शन लड़ने में क्या रखा है, छोड़ देता हूं। घर जाने के बाद मेरे पिता ने कहा कि बेटा, पीछे नहीं हटना। जो टीचर थे, रिटायर हो चुके थे, उन्होंने कहा कि अब पीछे नहीं हटना, कुछ भी हो जाये। मेरी वाईफ तब भी थोड़ा डांवाडोल थी। कहती हैं, ''अब तो काफी भुगत लिया, अब छोड़ो, क्या रखा है?'' पर ये एक गलती और कर बैठे। उसके छह सात दिन के बाद ही अखिलेश जी की हियरिंग थी... अखिलेश जी नहीं हैं, यहां रोहिणी कोर्ट में। कोर्ट में गया। वहां पर मेरे ऊपर अटैक करा दिया। जब असाल्ट हुआ तो मेरी वाइफ ने ये कसम खाई थी कि अब पीछे नहीं हटेंगें, कुछ भी हो जाये और मेरी वाईफ एक एक घर में कम से कम दो दो बारी गई थी और ये कसम खाई थी कि अब तो चाहे गोली मार दे कोई, तब भी पीछे नहीं हटेगें। जो कसम खाई है, इससे पीछे हटने वाले हैं नहीं और ये जितने के जितने लोग हैं, ये जानते नहीं किस मिटटी के ये लोग हैं सारे के सारे। जितना हमें तंग करोगे, जितना अत्याचार करोगे, उतना ही ये कारवां आगे बढ़ेगा, घटेगा नहीं, बिल्कुल आगे बढते जायेगें।

एक छोटा सा किस्सा और बताता हूं मैं आपको ...(व्यवधान) जब पहली बारी मुझे टिकट मिला ...(व्यवधान) तब जब मुझे पहली बारी टिकट मिला मेरे एक टीचर थे जिन्होंने मुझे बचपन में पढ़ाया था और वो मेरे फादर के कलीग भी थे मतलब मेरे फादर और वो एक साथ ही स्कूल में पढ़ाया करते थे तो मेरे पिताजी ने बोला कि चल बेटा, इनसे आशीर्वाद लेने चलते

हैं। मैंने कहा पापाजी वो तो आर.एस.एस. के बहुत बड़े नेता हैं ,बीजेपी के भी नेता हैं। उनसे आशीर्वाद लेने क्या ठीक रहेगा? कहते नहीं बेटा, तुम्हारे जो टीचर थे, आशीर्वाद तो मिलेगा ही। तो मैं अपने पिताजी के साथ उनके घर गया। मैंने कहा सर जी, आशीर्वाद चाहिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बेटा देख मैं आशीर्वाद तो तुझे नही दे सकता पर एक सलाह जरूर दूंगा। वो सलाह मेरे लिए आज तक भी बहुत जरूरी है। मैं सलाह सब के साथ शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की एक मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग में इतने सारे लोग बैठे थे तो एक लड़का कहता है, ''मैं इलैक्शन लडूंगा।'' तो बराबर में दूसरा लड़का जो बैठा था, उसने उसकी सिस्टर के बारे में कुछ भददी टिप्पणियां की जिसने कहा था टिकट चाहिए, मैं इस बारी इलैक्शन लडूंगा। उसने थप्पड़ मारा उसको तो हमने कहा कि बेटा अगर तुम हमारी टिप्पणियां नहीं सुन सकते तो इलैक्शन क्या लड़ोगे? तो मेरे जो गुरूजी थे जिन्होंने कहा था आशीर्वाद नहीं दूंगा! उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद मुझे ये दिया कि बेटा, देख अब तो तुम राजनीति में आ गये, इलैक्शन लड़ने जा रहे हो, हम कुछ भी कहेंगें, परवाह मत करना। हमारा तो काम ही ये है। हम तो कुछ भी कह सकते हैं। कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। परवाह बिल्कुल मत करना और उसी वजह से इस विधान सभा के अंदर मैं आज खड़ा हूं वरना पिछली बारी जीतने के बाद कई बार ऐसे मौके आये जब मुझे लगा इस दल–दल में कहां फंस गये! हर बारी ये आता था कि हमारे गुरूजी की बात याद आती थी कि हम तो कुछ भी करेंगे, पीछे मत हटना है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने मुझे जो आशीर्वाद दिया, सिम्पल आशीर्वाद ना दे के उस से बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया था और ये सभी जितने मेरे साथी हैं

इस बात की परवाह बिल्कुल मत करना कि ये लोग हमें क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं। से सब डिसरिस्पेक्ट करते हैं। ये भी बता रहा हूं जबान से हमें गालियां देते हैं, दिल से तो यही कहते हैं आदमी तो अच्छे हैं, भले हैं। दिल से सभी अच्छे कहते हैं कि हां जी, अच्छे, भले लोग हैं ...(व्यवधान) दिल्ली महिला आयोग पर जो एसीपी ने छापा मारा, पहली बात तो ये है कि वो भी एक हथियार है। जैसे दिल्ली पुलिस ऐसे ही ए.सी.पी., एक डंडा, एक चाकू। हैं तो दोनों हथियार ही और हथियार किसके हैं, वो सबको पता है। मुझे लगता है उनसे कोई मन में अपने बैर भाव रखने की आवश्यकता नहीं है। वो भी हमारे जैसे लोग हैं।

दूसरी बात देखो, ज्यादा काम करोगे तो तकलीफ तो होगी। पहले वाला आयोग नौ साल में एक केस, नये वाला आयोग डेढ साल में चार सौ केस, तकलीफ तो होगी ! पहले दिल्ली सरकार के अस्पतालों में इतनी सी दवाइयां मिलती थी, अब इतनी दवाईयां मिलती हैं, तकलीफ तो होगी ! भई, आज लंबी लंबी लाइनें लगती हैं तो हो सकता है थोड़े दिन बाद जांच हो कि पहले साल में तो सिर्फ 100 करोड़ की दवाइयां लगी थीं। इस साल में तीन सौ करोड़ की क्यों लग गई? भई, दवाइयां देगें तो लगेगीं ! ये कल को ये भी कह सकते हैं कि भई, मुहल्ला क्लीनिक में हमने दस लाख मरीज देखे पर सौ डाक्टर क्यों लगाये एक्सट्रा? अरे! भई, देखेगें तो डाक्टर तो लगेगें ही। अगर आप ज्यादा काम करोगे तो ज्यादा ऐपरेटस तो लगेंगे ही लगेंगे! इसके लिये घबराने की आवश्यकता है! अक्सर हमारे कुछ साथियों को लगता है कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं, कहीं गलत ना हो जाये!

मेरा यह मानना है कि डिसीजन ना लेना गलत है, गलत डिसीजन भी लेना गलत नहीं है अगर नीयत ठीक है तो। अगर गलत डिसीजन लेना गलत होता तो इस देश के जितने भी जज हैं सारे जेल में होते। आप देखियेगा लोअर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट बदल देता है, हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट बदल देता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बड़ी बैंच बदल देती है। वो सिर्फ नीयत ही तो देखते हैं। अरे! अपना काम करते रहियेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप तो एक मिनट में फाईल क्लीयर कर देते हैं। आप इतनी फाइलों पर साईन कर देते हैं। आप लिखित में आर्डर देते हैं? मैंने कहा, ''हां, कर देते हैं। ये मेरा काम है।'' मुझे लोग समझाते थे। आप मंत्री हैं। मंत्री फाईल पर साईन नहीं किया करते। मैंने कहा, ''फिर क्या किया करते हैं? कहते हैं, ''वो इशारा किया करते हैं काम कर दो।'' मैंने कहा, ''हम इशारा नहीं करते, हम लिख के देते हैं।'' मुझ पर सब से पहला आरोप लगा था कि सतेन्द्र जैन, मंत्री जी दबाव डाले हैं। मैंने कहा, ''हां जी, दबाव डालने की ही डयूटी है। मेरी नौकरी है। जनता ने इसी नौकरी पर लगाया है। जनता ने कहा जाओ और हमारा काम करो। दबाव करते हैं। लिखकर देते हैं, ये काम करिएगा और दबाव आज भी डालते हैं, कल भी डालेंगे और डालते रहेंगे, जनता का काम करके दिखाएंगे।

पुलिस, जैसे मैंने बताया पुलिस एक हथियार है। पुलिस अपने आप में कुछ नहीं है परंतु वो हथियार हमारे हाथ में नहीं है, वो हथियार केंद्र सरकार के हाथ में है और उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि फुल स्टेटहुड, पूर्ण राज्य ही एक सॉल्यूषन है। उसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है। जब तक पूर्ण राज्य नहीं मिलेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं हैं। मुझे

ऐसा लगता है बी.जे.पी. के साथी और कांग्रेस के जो साथी हैं, पिछले 20 साल से जो भाषण अलग–अलग टाइप के दिया करते है,... पिछले 20 साल से कहा करते थे कि हम पूर्ण राज्य के लिए लड़ेगे, पूर्ण राज्य के लड़ेगे। आज शर्म भी नहीं आती उनको पल्टी खाते हुए! मुझे तो कई बार ऐसा लगता है थोड़े शब्द तो ज्यादा अच्छे नहीं है, शब्दों के चयन में उतना ज्यादा हम एक्सपर्ट भी नहीं है। सांप देखा होगा आप लोगों ने, सांप हमेषा दो जीभ निकालता है बाहर, एक साथ दो जीभ निकलती है उसकी, एक नहीं होती। ऐसे ही मुझे बीजेपी वालों की दो लगती है, ये जो भी बोलते है एक साथ दो–दो चीजें बोलते हैं। मतलब कुछ भी कह दो, एक आदमी कुछ बोलेगा दूसरा कुछ और बोलेगा? कहते है, ''हम तो इधर भी है, चित भी मेरी पट भी मेरी।'' कुछ भी कह लीजिएगा। अगर बात चले कि जी पूर्ण राज्य की बात, कहते हैं, ''हम इसके पक्ष में है'' बाहर निकलते कहा, ''हम इसके विपक्ष में है।''

दिल्ली के अंदर फ्री होल्ड करनी थी इंडस्ट्रीज। पहले शोर मचा दिया हम इसके पक्ष में नहीं है। विजेंद्र गुप्ता जी अंदर आकर एक दिन कहते है फ्री होल्ड क्यों नहीं कर रहे, क्वैष्चन लगा दिया! अरे! भई हद है! एलजी साहब से जाकर कहते हो फ्री होल्ड नहीं करना, अंदर आकर क्वैष्चन खुद लगा देते हो फ्री होल्ड क्यों नही कर रहे? यानि इनकी तो एक साथ में दो जुबान, एक साथ दोनों बातें बोलते है। ये क्या कहते है? इस देष के अंदर आपने भी देखा होगा आरक्षण नहीं होना चाहिए, दूसरा नेता बोलेगा आरक्षण! मैं अपनी जान दे दूंगा आरक्षण के लिए।

अरे! हद है एफडीआई के लिए देख लीजिएगा। एफडीआई इस देष में आ गई तो देष का सत्यानाष हो जाएगा! ये देष डूब जाएगा और अब

हैंड्रेड परसेंट! पहले 51 थी। कहते है, अब हैंड्रड करेंगे क्योंकि हैंड्रेड करने से जल्दी देष का सत्यानाष और जल्दी हो जाएगा! इन लोगों को शर्म भी नहीं आती अपनी पल्टी खाने से! मैं अभी सदन में कुछ बोल रहा हूं, अभी आप मुझसे कहने लगे कुछ और बोल दीजिएगा तो मुझे लगेगा यार! ये कैसे बोल सकता हूं मैं? बोलना बड़ा मुष्किल होगा। इनको तो एक्सपर्ट है और भाषा इतनी बढ़िया होती है ना, शब्दों का चयन इतना अच्छा करते है, इतना मलाईदार मलाई, कोफता लगा के करते है। ऐसा लगता है कि कुछ भी बुलवा लो इनसे, वो वाली बात है कि एक पूरा नोट बना के लाते हैं चार पेज का, लास्ट में लिखते है नो, उसको यस करना हो तो कहते है not to be done , not to be done के साथ to be done। कुछ भी करके लास्ट में दो लाइनें चेंज करेंगे, उसको उल्टा कर देंगे, सीधा कर देंगे, इसमें एक्सपर्ट है महारथी हैं ये लोग! परंतु मैं फिर भी कहता हूं, अरे! सर, यहां पर तो कुछ नहीं होने वाला। ऊपर वाला तो है, वो तो देखेगा और यहां जिसको खुष करते रहते हो, वो भी नहीं देखता। ये सोचते है ना, उसके पास भी टाईम नहीं है इनको देखने का। तब भी ये लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। मैंने तो कई बार पहले भी कहा दो दिन पहले कि भगवान इनको सन्मति दे, कहते है सबको सन्मति देता है। इनको भी सन्मति दे। जो ये कहते हैं, बस वो करें। मैं ये नहीं कहता कि मैं जो कहता हूं वो करें, जो ये कहते हैं, वो करें। जो कहें वो करें परंतु ऐसा नहीं हो कि कहे कुछ, कहते हैं ''कहीं पे निगाहें, कहीं पे निषाना,'' वो छोड़ दें।

अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जो दिल्ली पुलिस है, पूर्ण राज्य के बाद ही मिलेगी और हमारे आदरणीय एलजी महोदय ने टीवी पर इंटरव्यू

दिया अभी थोड़े दिनों पहले और टीवी इंटरव्यू में कहते है कि उन लोगों से कहो ''282 सीटें लेकर आएं तब मिलेगा पूर्ण राज्य।'' आज मैं इस सदन के अंदर कहता हूं कि एक नेता ने पहले कहा था हमसे कि जाओ इलैक्षन लड़कर आना तब कुछ करके दिखाना। आज दूसरे नेता ने, नेता ही कहेंगे हम तो, जो भी सैलेक्टिड, इलैक्टिड जो मर्जी कह लीजिए, कोई बात नहीं, हमारे आदरणीय एलजी महोदय ने कहा है कि 282 सीट लेकर आइयेगा, तब कीजिएगा। मुझे लगता है उनके मुंह में घी–षक्कर! उनको पहले से पता है कि अगली बार 282 सीटें आएंगी हमारी और लोग खुद डिसाइड करेंगे कि उन्हें क्या चाहिए। सत्येंद्र जैन को कोई नहीं जानता! इस सदन में बैठे हुए जितने लोग हैं, उनको कोई नहीं जानता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे साथी मंत्री बन गए, विधायक बन गए। फर्क पड़ता है इस बात से कि आम आदमी कैसे ऐसे बन गए! अगर हम लोग जीतने के बाद इनके जैसे बन जाते तो इनसे कोई लड़ाई नहीं थी, कोई किसी तरह की लड़ाई नहीं थी। कांग्रेस और बी.जे.पी. की क्या लड़ाई है? कोई लड़ाई नहीं है इनकी। इनको देखिएगा रात को 8.00 बजे के बाद एक ही जगह मिलते है सारे। वो पीछे से कह रही है आफटर 8 पीएम नो सीएम। सब एक जगह मिलेंगे। प्रधान जी, आप मत बुरा मानना। आप ऐसो में से नहीं हो। आप तो यहां बैठे हो, मतलब उनके लिए आपसी संबंध इतने अच्छे हैं उन लोगों के, हमने कहा भई, हमारे में क्या कांटे लगे हुए है? कहते है तुम लोग तो सारा सिस्टम ही खराब करने के लिए आ गए। तो उस बात को सुनकर कई बार बड़ी खुषी होती है, बड़ी दिल से खुषी होती है। जब हमसे लोग पूछा करते थे कि राजनीति में जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो? मैंने कहा, ''राजनीति में जा रहे हैं राजनीति को बदलने के लिए जा रहे

हैं और हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि राजनीति को हमने बदल दिया है और आगे भी बदल देंगे। जनता कहती ही थी, पहले हमसे कहते थे कि इन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है। जीत तो गए, 70 में से 67 सीटे तो ले आए, सरकार चलाकर दिखाएं! अरे! इलैक्षन लड़ना भी सबको हमने सिखाया है जो हम करते हैं, वो सारी पार्टियां हमारी कॉपी करती है, हमारे पीछे–पीछे घूमती है और सरकार चलाना भी हम सिखा रहे हैं, इनको हमने बताया है कि जिन स्कूलों को तुमने बर्बाद कर दिया, उनको आबाद कैसे किया जाता है, हम दिखा रहे हैं इनको। हमने दिखाया है कि जो दवाइयां गरीब आदमी को दवाई नहीं मिलती थी, उनको सारी दवाइयां कैसे मिलती है? हमने दिखाया है कि मुहल्ला क्लिनिक क्या होता है! हमने दिखाया, देष में काम कैसे होता है और यही आम आदमी की ताकत है। जय हिंद, धन्यवाद।

(सदन में सामूहिक नारेबाजी)

श्री जगदीप सिंह : सर, सैषन खत्म होने से पहले एक लाइन कहना चाहूंगा। सर एक लाइन। आज मना मत करना, एक लाइन... एक लाइन सुन लो भई! – मैं सत्येंद्र जैन जी को आंदोलन के टाइम से जानता हूं। बहुत अच्छे सलाहकार थे। लेकिन आज इस सैषन में 'मैन ऑफ द मैच' सुना होगा आपने, आज 'मैन ऑफ द सैषन' बनकर दिखाया है उन्होंने। सर, वैल प्लेड सर!

अध्यक्ष महोदय : गहलोत जी, प्लीज अब नहीं। गैर सरकारी सदस्यों के मुझे तीन संकल्प प्राप्त हुए थे लेकिन मुझे बड़ी पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है कि आज सदन का एक घंटे का समय बर्बाद हुआ। मैं ये तीनों संकल्प अब नहीं ले पा रहा हूं। इससे पहले कि मैं सदन... नहीं, अब दो मिनट बैठ जाइए भावना जी प्लीज, इससे पहले कि मैं सदन को अनिष्चित

काल तक के लिए स्थगित करूं, स्वस्थ संसदीय परंपराओं का निर्वाह करते हुए सदन के नेता व माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसौदिया जी, सभी मंत्री गण, आज विशेष कर सत्येंद्र जैन जी, विजेन्द्र गुप्ता जी, माननीय नेता, प्रतिपक्ष तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। जगदीष जी का भी आभार प्रकट कर रहा हूं कि वो बैठे हैं। इसके अलावा विधान सभा सचिव तथा सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ–साथ दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव एवं उनके समस्त अधिकारियों, दिल्ली पुलिस, खुफिया एजेंसियों, सी.आर.पी.एफ. बटालियन 55 तथा लोक निर्माण विभाग के सिविल, इलैक्ट्रिकल व हॉटीकल्चर डिवीजन, अग्नि शमन विभाग आदि द्वारा किए गए सराहनीय कार्य के लिए भी मैं उनका धन्यवाद करता हूं। विधान सभा की कार्यवाही को मीडिया के माध्यम से जन–जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाले सभी पत्रकार साथियों का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मैं आज थोड़ा सा सख्त रहा, उसके लिए भी मैं माननीय सदस्यों से, जिनको भी दुःख पहुंचा हो किसी प्रकार का, मैं माफी चाहता हूं। अब मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वो राष्ट्रीय गान के लिए खड़े हो जाए।

(राष्ट्रीय गान– जन गण मण)

अध्यक्ष महोदय : अब सदन की कार्यवाही अनिष्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है। सभी का बहुत–बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।

(सदन की कार्यवाही अनिष्चित काल तक के लिए स्थगित की गई।)

विषय सूची

सत्र-4 भाग (2) शुक्रवार, 26 अगस्त, 2016/04 भाद्रपद, 1938 (शक) अंक-38

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1-2
2	तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर	3-83
3	तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	83-117
4	अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	117-196
5.	माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था	196-204
6.	सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात	204
7.	ध्यानाकर्षण नियम - 54:	205-231
	(1) यह आरोप कि सीएजी के विशेष लेखा प्रतिवेदन में रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी विज्ञापनों में दोष पाया गया है, के प्रति।	
8.	विशेष उल्लेख (नियम-280)	231-260
9.	अल्पकालिक चर्चा (नियम-55) :	260-305
	(1) दि.पु. का कथित मनमाने ढंग से इस्तेमाल तथा दिल्ली महिला आयोग के कार्यालय पर छापे के पर।	